लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th S

LOK SABHA DEBATE

Preservation Unit
12-8-
Fumigated
On 5.2.84
Parliament Library

[दसवां सत्र
Tenth Session]

PARLIAMENT LIBRARY
Go.C(LA.)
Date 16/11.7

[खंड 51 में अंक 51 से 60 तक हैं
Vol. XLI contains Nos. 51 to 60]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 62, बुधवार, 20 मई, 1970/30 वैशाख, 1892 (शक)
No. 62, *Wednesday*, *May* 20, 1970/*Vaisakha* 30, 1892 (*Saka*)

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
1741	आणविक प्रसार रोकने सम्बन्धी समझौते पर भारत और रूस में मतभेद	Indo Soviet Differences over Nuclear Non-proliferation treaty	1–4
1743	ट्रिनिडाड निवासी भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार	Maltreatment meted out to Indians residing in Trinidad	4–7
1745	सैनिकों तथा वायुसैनिकों को सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील करने अथवा उसके पुनर्विलोकन की सुविधा	Availability of a Remedy for appeal or review against the decision of a Court Martial to Soldiers and Airmen	7–10
1747	दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत के वैदेशिक व्यापार का स्वरूप	Pattern of Foreign Trade with South-East Asian Countries	10–13
1748	लाख का निर्यात	Export of Lac	13–16
1749	अभ्रक सलाहकार समिति	Mica Advisory Committee.	16–17

अल्प सूचना प्रश्न/SHORT NOTICE QUESTION

37	बिडला भवन के बारे में सहमति	Accord on Birla House	18–25

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicate that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—8 L. S./70

ता० प्र० संख्या S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

1742	ब्रिटेन को केरल में अंग्रेजो के चाय-बागान का राष्ट्रीयकरण किये जाने की आशंका	British Apprehension on Nationalisation of British owned Plantations in Kerala . .	25
1744	ब्रिटेन में भारतीयों का बड़ी संख्या में प्रवेश	Influx of Indians into U.K.	25-26
1746	निर्यात में अनुसन्धान की सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी नीति की घोषणा	Declaration of Policy to facilitate Research in Exports . . .	26
1750	केबल तथा तार उद्योग के लिये कच्चे माल का आयात	Import of raw materials for Cable and Wire Industry . .	26–27
1751	चमड़े तथा खालों के निर्यात में कमी	Low export of Hides and Skins . .	27–28
1752	कम्बोडिया के सम्बन्ध में एशियाई देशों का सम्मेलन	Conference of Asian Countries on Cambodia . .	28
1753	भारत तथा अन्य देशों में औद्योगिक प्रयोग के लिये बिजली की तुलनात्मक लागत	Comparative costs of power for Industrial use in India and other countries. .	28
1754	प्रतिरक्षा उत्पादन में आयात को जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं का प्रयोग	Resort to Import Substitution in Defence Production . .	28–29
1755	अन्तर्राष्ट्रीय मैत्री संघ के समारोह में भाग लेने वाले राज्यों के मंत्री	State Ministers attending Functions of International Friendship Organisations .	29
1756	भारत–फ्रांस व्यापार करार	Indo-French Trade Agreement . . .	30
1757	हिमाचल प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारियों के आन्दोलन का पंडोह स्थित व्यास-सतलज लिंक परियोजना पर प्रभाव	Effect on Beas-Sutlej Link project at Pandoh due to agitation of Himachal Pradesh Non-Gazetted Staff .	30

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1758	नेपाल में बहुप्रयोजनीय परियोजना का निर्माण	Construction of Multi-purpose project in Nepal. . . .	30–31
1759	एल्यूमिनीयम का आयात	Import of Aluminium	31
1760	निर्यात संवर्धन परिषद् के सदस्यों तथा अधिकारियों द्वारा विदेशों के दौरे	Foreign Tours of Members and officials of the Export Promotion council . . .	31–32
1761	रूस और पाकिस्तान के बीच स्थल मार्ग	USSR-Pakistan Over-land Route. . .	32–33
1762	विदेशों में औद्योगिक विकास के के लिये भारत का सहयोग	India's collaboration in Industrial development in foreign countries . . .	33
1763	1969 में विश्व निर्यात व्यापार में भारत की असंतोषजनक प्रगति	India's Poor performance in World Export Trade during 1969	33–34
1764	कपास की खरीद	Purchase of Raw cotton	34
1765	सहायता सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतो के बारे में अमरीका के राजदूत का वक्तव्य	U.S. Ambassador's statement on Aid Guide Lines . .	34–35
1766	श्रीलंका में भारत मूलक लोगों का भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन पत्र देना	Persons of Indian origin in Ceylon applying for Indian Citizenship. . .	35
1767	तमिलनाडु में राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई कपड़ा मिलों का कार्यकरण	Working of the textile mills taken over by the National Textile Corporation in Tamil Nadu . . .	36
1768	पटसन तथा चाय के निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण	Nationalization of export of Jute and Tea .	36
1769	विश्व बैंक दल द्वारा मध्य प्रदेश के तंगघाटी क्षेत्र का वैमानिक सर्वेक्षण	Aerial survey of ravine area of Madhya Pradesh by World Bank Team . . .	36–37
1770	व्यापार विकास प्राधिकरण की स्थापना	Setting up of Trade Development authority	37–38

अता० प्र० सं० U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10309	सूती कपड़े पर उत्पादन शुल्क	Excise duty on cotton cloth . . .	38-39
10310	1970-71 के दौरान गुजरात में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना	Setting up of public Sector industries in Gujarat during 1970-71	39
10311	रूस के साथ वैगनों का सौदा	Wagon deal with Russia . . .	39-40
10312	पाकिस्तान की मुजाहिद सेना की भांति युद्धकर्ताओं की एक स्वयं-सेवी सेना बनाना	Formation of voluntary force of crusaders on the lines of Mujahid force of Pakistan .	40
10313	1970-71 के लिये गुजरात की वार्षिक योजना	Annual plan for Gujarat for 1970-71 . .	40
10314	गुजरात की बिजली की आवश्यकता का निर्धारण	Assessment of requirement of electricity of Gujarat . .	41
10315	गुजरात के हज यात्री	Haj pilgrims from Gujarat . . .	41
10316	फोर्ड तथा एशिया फाउन्डेशन	Ford and Asia Foundations . . .	41-42
10317	केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में सहायक कार्यपालक इंजीनियर/ अनुसंधान अधिकारियों की नियुक्ति	Appointment of Assistant Executive Engineers/Research Officers in Central Water and Power Commission . . .	42-43
10318	दिल्ली में स्थित प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में काम करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा अपने वेतनमानों में अधिकतम वेतन पाना	Maximum of pay scales drawn by Scientists working in Scientific laboratories of Defence in Delhi . . .	44
10819	गाय और सूअर की चर्बी का आयात	Import of cow tallow and pig tallow . .	44-45
10320	विंडसर प्लेस, नई दिल्ली से भारत और बैल्जियम के झंडे हटाना	Removal of Indian and Belgian Flags from Windsor Place, New Delhi . . .	45-46
10321	एशिया फाउंडेशन द्वारा प्रेस इंस्टीटयूट आफ इंडिया को अनुदान	Asia Foundation Grants to Press Institute of India . . .	46-47

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10322	राज्यों को उनके आर्थिक विकास के लिये अधिक अधिकार देना	Grant of more powers to States in respect of their economic development . . .	47
10323	रेलवे उपकरणों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange earned from Exports of Railway Equipments .	47–48
10324	नेपाल को सहायता	Aid to Nepal .	48
10325	मैसूर राज्य में बिजली पर खर्च	Expenditure incurred on electricity in Mysore	49
10326	बम्बई में काम कर रहे सिविल रक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by employees of civil Defence working in Bombay	45–50
10327	पटसन का उत्पादन, खपत और क्रय	Production, consumption and purchase of jute .	50–51
10328	भारतीय दूतावास को वितरण के लिये भेजी गई प्रचार सामग्री	Publicity material sent to Indian Mission for distribution . .	52
10329	भारत सरकार से मान्यता प्राप्त दिल्ली बाहर के दैनिक समाचार-पत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले संवाददाताओं के लिये सुविधाओं के लिये प्रेस सूचना ब्यूरो का अनुरोध	Request by PIB for facilities to correspondents accredited to Government of India and representing outstation daily Newspapers . .	52
10330	टेलीविजन सेटों के वर्तमान उत्पादन का पुनरीक्षण करने के लिये संसद् सदस्यों और विशेषज्ञों की नियुक्तियां	Appointment of a committee of M.Ps. and experts for revising the existing structure of production of T. V. Sets	53
10331	चौथी योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में रेशम उत्पादन का विकास	Development of Sericulture in U.P. during Fourth Plan . .	53
10332	इसराइल, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, रूस तथा अमरीका द्वारा भारतीय भाषाओं में प्रकाशित प्रकाशन	Periodicals brought out in Indian languages by Israel, France, West Germany, USSR and USA . . .	54
10333	भारतीय दूतावासों में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिये पदों का आरक्षण	Researvation for scheduled caste employees for posts in Indian Embassies . . .	54

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10334	सेवामुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को पुनः सेवा में लगाये जाने के लिये बिहार सरकार द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा	Competitive examination conducted by Bihar Government for absorption of released Emergency Commissioned Officers . . .	54–55
10335	पंजाब में देहातों का सर्वेक्षण	Survey of villages in Punjab . . .	55
10336	एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग के बैंकाक में छब्बीसवें सम्मेलन में विचाराधीन विषय	Matters discussed at 26th Conference of ECAFE at Bangkok .	55-56
10337	मिल के बने सस्ते कपड़ों पर शुल्क समाप्त करना	Abolition of duty on cheap mill made cloth	56-57
10338	चौथी योजना की अवधि में राज्यों में सरकारी उपक्रम स्थापित करना	Setting up of public undertakings in states during Fourth Plan	57
10339	रुई के मूल्य के बारे में भारतीय रुई विकास परिषद् के विचार	Views of the Indian Cotton Development Council about the price of cotton. .	57
10340	सवारी डिब्बों का ताइवान को निर्यात	Export of coaches to Taiwan . . .	57–58
10341	नेशनल लिबरेशन फ्रंट दक्षिण वियतनाम के प्रतिनिधि मंडल को थैलियां भेंट करना	Purses presented to Vietnam National Libertion front delegation . . .	58
10342	गुलाब के फूलों का निर्यात	Export of Roses .	58–59
10343	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से औषधियों के कच्चे माल का आयात	Import of raw materials of drugs through the state trading corporation	59
10344	प्रतिवर्ष सैनिकों को सेवामुक्त करना	Release of Servicemen every year . .	59–60
10345	गैर सरकारी फर्मों द्वारा आयात/निर्यात	Import/Export by Private concerns . .	60
10346	अणुशक्ति आयोग के अध्यक्ष के विदेशों के दौरे	Foreign tours by Chairman, Atomic Energy Commission . .	61

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10347	अरब-इसराइल विवाद को निपटाने तथा मध्य-पूर्व के देशों में पुनः शान्ति स्थापित करने के लिये योगोस्लाविया के राष्ट्रपति की योजनाएं	Yugoslav President's plans for settling Arab-Israel dispute and restoring peace in Middle-east . .	61
10348	बर्मी नागाओं की भारतीय राज्य क्षेत्र में घुसपैठ	Infiltration of Burmese Nagas into Indian Territory . . .	62
10349	लौह अयस्क के निर्यात के लिये जापान के साथ किये गये करार में मूल्य पुनरीक्षण खण्ड का शामिल किया जाना	Incorporation of price revision clause in the contract entered with Japan for export of Iron ore . . .	62–63
10350	भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा मंत्रिमंडल सचिव के उत्तराधिकारियों की नियुक्ति में विलम्ब	Delay in appointment of successors to Governor of Reserve Bank of India and to Cabinet Secretary	63
10351	अणुशक्ति विभाग से त्याग पत्र देने वाले तकनीशन तथा वैज्ञानिक	Technicians and Scientists Resigning from Department of Atomic Energy . . .	63–64
10352	कोसी तटबन्ध के बीच सीमान्त तटबन्ध का निर्माण	Construction of marginal Embankment between the Kosi Embankments . .	64
10353	बिहार में कोसी नदी पर डगमारा बांध के निर्माण के लिये बिहार द्वारा किया गया अनुरोध	Request by Bihar for construction of Dagmara Barrage on Kosi River, Bihar .	64
10354	एशिया तथा सुदूरपूर्व सम्बन्धी आर्थिक आयोग के अधिवेशन में विचारार्थ कार्यवाही कार्यक्रम	Programme of action emerging at the session of ECAFE . .	64–65
10355	मेवों का आयात तथा इसके बदले में अन्य वस्तुओं का निर्यात	Import of Dry fruits and export of other commodities in exchange . . .	65–66
10356	पटसन की वस्तुओं पर निर्यात शुल्क की समाप्ति	Abolition of export duty on jute Goods	66
10357	अमरीकी प्रतिरक्षा दल का भारत आना	Visit of US Defence Team . . .	67
10358	लीची का निर्यात	Export of Lichi .	67–68

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10359	दिल्ली जल सप्लाई तथा मल निस्सारण उपक्रमों द्वारा उच्चतम निविदा वाले गैर सरकारी फर्म को ठेका दिया जाना	Contract given by Delhi Water Supply and Sewarage Disposal Undertakings to a Private Firm whose tender was highest .	68
10360	विदेशों में रहने वाले भारतीयों के छात्र बच्चों को कालिजों में प्रवेश पाने की सुविधा	Facility for admission to colleges for Indian Students whose parents live Abroad . .	68–69
10361	दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध	Cultural Ties with South-East Asian Countries .	69
10362	प्रधान मंत्री के अधीन कार्यालयों में प्राप्त तथा उनके हिन्दी में उत्तर दिये गये पत्र	Letters received and replied to in Hindi in the Office under Prime Minister . . .	69–70
10363	प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्राप्त हुए तथा हिन्दी में उत्तर दिये गये पत्र	Letters received and replied to in Hindi by the Ministry of Defence .	70
10364	सेना मुख्यालय में अधीक्षकों द्वारा छुआछात का बरता जाना	Superintendents practising untouchability in Army Headquarters .	70–71
10365	सेना मुख्यालय के अधीक्षकों के बारी-बारी से स्थानान्तरण	Rotational transfer of Superintendents in the Army Headquarters	71
10366	सेना मुख्यालय में काम कर रहे कर्मचारियों के वेतन का रोक लिया जाना	Alleged witholding of pay of employees working in Army Headquarters . . .	71–72
10367	सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय को हिन्दी में प्राप्त पत्र तथा उनका हिन्दी में ही उत्तर दिया जाना	Letters received and replied to in Hindi by the Ministry of Irrigation and Power . .	72
10368	नई कपड़ा मिलों की स्थापना	Setting up of New Textile Mills . .	72–73
10369	1970–71 के लिये वार्षिक योजना को अन्तिम रूप देना	Finalisation of Annual Plan for 1970-71 .	73
10370	पंजाब, हरियाणा, जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ के वे गांव जिनमें बिजली लगी है/जिनमें बिजली नहीं लगी	Electrified/unelectrified villages of Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Union Territory of Chandigarh	73–74

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10371	विभिन्न राज्यों से निर्यात	Exports from various states . . .	74–75
10372	दिल्ली विद्युत प्रदाय द्वारा कोयले के क्रयादेश में कदाचार	Malpractices in purchase order of coal by DESU . . .	76
10373	अमरीकी पुस्तकालयों का नियन्त्रण भारत को हस्तांतरित करना	Transfer of control of US Libraries to India . . .	76–77
10374	लुमुम्बा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये आवदन पत्र भेजने के बारे में रूसी दूतावास के साथ करार	Agreement with Soviet Embassy on routine applications for admission to Lumumba University. . .	77
10375	कम्बोडिया को भारतीय हथियार	Indian Arms to Combodia . . .	77–78
10376	राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति	Progress of Rural Electrification in Rajasthan. .	78–79
10377	कम्बोडिया सम्बन्धी एशियाई सम्मेलन में हिन्द-चीन समस्या से सम्बन्धित राष्ट्रों द्वारा भाग लेना	Participation in Asian Conference on Combodia in Nations involved by Indo-China Problem.	79
10378	स्थायी सिन्धु आयोग की बैठक	Meetings of Permanent Indus Commission.	79–80
10379	दिल्ली विद्युत प्रदाय की क्षमता	Capacity of DESU	80–81
10380	सेना में नागा रेजीमेंट की स्थापना	Raising of Naga Regiment in Army . .	81
10381	नई बनाई गई सड़क को जोड़ने के लिये मद्रास और बंगलौर में छावनी क्षेत्रों का अर्जन	Acquisition of Cantonment Areas in Madras and Bangalore for Connecting the newly Built Roads . . .	81–82
10382	फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा वित्त पोषित भारतीय संगठन	Indian Organisation financed by Ford Foundation . .	82
10383	रबात सम्मेलन के बारे में भारत की नीति का समर्थन करने वाले प्रकाशनों की खरीद	Purchase of publications favouring India's stand on Rabat Conference .	82–83
10384	सिंचाई उद्देश्यों के लिय आवंटित की गई देश में निर्मित मशीनों का अत्यधिक मूल्य	High cost of Indigenous Machinery issued for Irrigation purposes .	83–84

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10385	मध्य प्रदेश के छंटनी किये गये ईमरजैंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिये रोजगार	Employment for retrenched emergency Commissioned officers of Madhya Pradesh .	84
10386	मध्य प्रदेश में बेरोजगार भूतपूर्व सनिकों की संख्या	Number of Unemployed ex-servicemen in Madhya Pradesh .	85
10387	मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों के लिये स्थायी कल्याण अधिकारी	Permanent welfare officers for ex-servicemen in M.P. . .	85
10388	1970–71 में प्रतिरक्षा प्रशिक्षण संस्थायें खोलना	Opening of Defence Training Institutions during 1970-71. .	85
10389	नेपा नगर में ताप्ती नदी पर एक और बांध का निर्माण	Construction of another dam on Tapti River in Nepa Nagar . .	86
10390	एरोनोटिक्स समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of the Recommendations of Aeronautics Committee	86
10391	व्यापार सन्तुलन	Balance of Trade .	८6
10392	प्रतिरक्षा सम्बन्धी अनुसन्धान तथा प्रयोगात्मक कार्य के लिये विभिन्न देशों से सहायता	Aid from various countries for Research and Experimental work pertaining to Defence .	87
10393	बांधों के निर्माण के लिये दीर्घकालीन बृहत योजना	Long Term Master Plan for construction of Dams . .	87
10394	खनिज तथा धातु व्यापार निगम के द्वारा निर्यात	Exports through the Minerals and Metal Trading Corporation .	87–88
10395	राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में विश्व खाद्य कार्यक्रम के बारे में विरोध प्रदर्शन	Protest by Rajasthan Government regarding world food programme in the State . . .	89
10396	कोटा में आणविक विद्युत के केन्द्र के चालू होने पर राजस्थान को अणुशक्ति का वितरण	Distribution of Atomic Power to Rajasthan on Commissioning on Atomic Power Station, Kotah . . .	89
10397	टाटा बन्धुओं और आस्ट्रेलियों के बीच व्यापार वार्ता	Trade Talks between Tatas and Australians	89
10398	इलाहाबाद के किले के नक्शे का गायब हो जाना	Map of Allahabad Fort Missing . . .	90

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10399	तिब्बत-नेपाल सीमा पर तैनात चीनी सनिक	Chinese Military Force Stationed at Tibet-Nepal Border . .	90
10400	केन्द्रीय दल द्वारा राजस्थान में सूखा तथा कमी की स्थिति का अध्ययन	Study of drought and Scarcity condition in Rajasthan by Central Team . .	90–91
10401	मध्य-पूर्व देशों के विवाद को हल करने के लिये अमरीकी प्रस्ताव	US proposal for solving Middle-east Issue	91
10402	निर्यात शुल्क की समाप्ति	Abolition of Export Duty	91
10403	लघु उद्योगों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवदन	Report of C.B.I. regarding Delhi Small Scale Industry . . .	92
10404	चीनी आक्रमण के दौरान सेना को सप्लाई की गई गाड़ियों के लिये परिवहन ठेकेदारों के प्रतिकर संबंधी दावे निबटाना	Settlement of compensation claims of transport contractors for supply of vehicles to Military during Chinese Aggression. . .	92–93
10405	तुर्की व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल	Turkish Trade Delegation . . .	93
10406	पश्चिमी कोसी नहर का पुनः सर्वेक्षण	Re-survey of Western Kosi Canal . .	93
10407	कमला तटबन्ध का नेपाल से सिसापानी तक विस्तार	Extension of Kamala Embankment up to Sisapani in Nepal .	94
10408	सेना में डाक्टरों को प्रोत्साहन	Incentives for the doctors in the army .	94
10409	रूसी मानचित्रों में भारतीय क्षेत्र को भारत मे न दिखाना	Soviet cartographic aggression on India .	95
10410	पारादीप पत्तन से लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron ore through Paradeep port	95–96
10411	वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में प्राप्त हुए तथा हिन्दी में उत्तर दिये गये पत्र	Letters received and replied to in Hindi by the Ministry of Foreign Trade . .	96–97
10412	सूडान के साथ व्यापार करार	Trade Agreement with Sudan . . .	97
10413	वातानुकूलकों का निर्यात	Export of Air conditioners . . .	98
10414	समाजवादी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन	Implementation of Socialistic Programme .	98–99

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10415	ओसाका (जापान) में एक्सपो 70 में भारतीय मंडप देखने आये विशिष्ट व्यक्ति	Visit of dignitaries to India Pavilion Expo 70 in Osaka, Japan .	99
10416	निर्यात संवर्द्धन परिषद् के कुछ सदस्यों के विरुद्ध आरोप	Charges against some Members of Export Promotion Council .	99–100
10417	निर्यात संवर्द्धन परिषद् और वस्तु मंडल	Export Promotion Council and Commodity Boards . .	100–02
10418	मैसर्स लिन्क्स मशीनरी लिमिटेड के एक निदेशक की निर्यात संवर्धन परिषद् में नियुक्ति	Appointment of a director of M/s. Lynx Machinery Limited on the Export Promotion Council . . .	102–03
10419	संसद् सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन देना	Memorandum submitted by M.Ps. to the President . . .	103
10420	केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ताओं की नियुक्ति	Appointment of Senior Investigators in the Central Statistical Organisation . . .	103–04
10421	केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन में सीनियर इन्वेस्टिगेटरों का स्थायी बनाया जाना	Confirmation of Senior Investigators in the Central Statistical Organisation . . .	104
10422	बर्मा में राज्य व्यापार निगम का कार्यालय	STC Office in Burma	104–05
10423	पटसन उत्पादों की कमी	Shortage of Jute products . . .	105
10424	डुढेरा गांव, हरियाना में भूमि मुक्त करना	Release of land in village Dundhera, Haryana .	105–06
10425	हावड़ा-अमृतसर पंजाब मेल से यात्रा कर रहे सैनिक अधिकारियों और जवानों की लखनऊ में गिरफ्तारी	Arrest of Military Officers and Jawans travelling by Hawrah-Amritsar Panjab Mail at Lucknow . .	106
10426	निर्यात व्यापार के सूचकांक की प्रवृत्ति	Trend in the indices of exports . .	106–07
10427	महाराष्ट्र के गांवों में बिजली की व्यवस्था करने की योजना	Scheme for Rural Electrification of Maharashtra	107
10428	ट्रैक्टरों के पुर्जों के आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग	Misuse of Imports licences for Spareparts of Tractors . .	107–08

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10429	पारस्परिक आधार पर फिल्मों के आयात/निर्यात के लिये वाणिज्यिक समझौता	Commercial Agreements for Import/Export of Films on a Reciprocal Basis . . .	108–09
10430	कम्बोडिया के बारे में जकार्ता सम्मेलन	Djakarta Conference on Combodia . .	109–10
10431	भारतीय वायुसेना के कर्मचारियों के राशन, वस्त्र, किट तथा अन्य भत्ते	Ration, clothing, Kit and other allowances of I.A.F. personnel .	110
10432	1969–70 में विदेश गये वैदेशिक व्यापार प्रतिनिधि मंडल	Foreign Trade Delegations who went abroad in 1969-70 . .	111
10433	राज्य सरकारों को सीमा सड़क संगठन के हस्तांतरण का प्रस्ताव	Proposal to transfer Border Roads Organisation to State Governments . . .	111
10434	बिहार बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की मांग	Demand of Employees of Bihar Electricity Board	111–12
10435	प्रतिरक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय पुस्तकालय	Central Library in the Ministry of Defence .	112–13
10436	राज्य व्यापार निगम का एक गैर सरकारी फर्म के साथ जायफल, दालचीनी का विक्रय समझौता	S.T.C. to conclude a Sale Deal with a Private Firm Re. Jifal, Dalchini . . .	113
10437	राज्य व्यापार निगम द्वारा लोग और सुपारी का विक्रय	Scale of Cloves and Betelnuts by STC .	113–14
10438	काटेज इन्डस्ट्रीज एमपोरियम, जनपथ, नई दिल्ली के कार्यके घंटे	Working Hours of Cottage Industries Emporium at Janpath, New Delhi . . .	114
10439	पंडार-पुन्नमपुजझा पन बिजली परियोजना का निर्माण	Construction of Pandar-Punnampuzha Hydro Electric Project .	114–15
10440	सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के बारे में अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति की सिफारिशें	Recommendations made by the committee on Untouchability Regarding Recruitment in Armed Forces . .	115
10441	पाकिस्तान द्वारा भारत के विद्रोही तत्वों को सहायता देना	Help to Rebel Elements of India by Pakistan .	115

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10442	योजना आयोग के कुछ कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त करने के नोटिस देना	Notices for Compulsory Retirement Served on some officials of Planning Commission .	116
10443	कानपुर के आयुध कारखाने से स्वचालित हथियारों की तस्करी	Smuggling of Automatic Weapons from Ordnance Factory, Kanpur . . .	116–17
10444	दिल्ली विद्युत् प्रदाय उपक्रम इंजीनियर एसोसिएशन की मांगें	Demand of Delhi Electric Supply Undertaking Engineers Association . . .	117–18
10445	नीरार सिंचाई परियोजना, कोयम्बतूर में काम बन्द होना	Stoppage of work of Neerar Irrigation Project, Coimbatore . .	118
10446	कदम्पराय धन बिजली परियोजना, कोयम्बतूर के लिये मंजूरी	Sanction for Kadamparai Hydro Electric Scheme, Coimabatore	118
10447	थुम्बा के राकेट छोड़ने के केन्द्र से छोड़ा गया सुका राकेट	Suka Rocket launched from the Thumba Rocket Launching Station .	118–19
10448	अमरीका तथा ब्रिटेन से फिल्मों का आयात	Import of American and British Films . .	119–20
10449	गुजरात से केले का निर्यात	Export of Bananas from Gujarat . . .	120
10450	सूती कपड़े का निर्यात	Export of Textiles .	120–21
10451	भारत-बर्मा सीमा के सीमांकन में प्रगति	Progress in demarcation of Indo Burma Border	121
10452	1969–70 में भारत के दौरे पर आये विदेशी-शिष्टमंडल	Foreign Delegations which visited India during 1969-70 . .	121
10453	देश में बने तापीय सेटों के प्रयोग से उपभोक्ताओं को बिजली महंगी पड़ना	Higher cost of Electricity to consumers by use of indigenous thermal sets	122
10454	चाय पर उत्पादन शुल्क	Excise duty on Tea .	122–23
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—		Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance.	123–27
बेनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी के बोर्ड से श्री मोहन कुमारमंगलम के त्यागपत्र का समाचार		Reported Resignation of Shri Mohan Kumarmangalam from the Board of Bennet Coleman and Co.	123–27

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . . .	27–31
नियम समिति	Rules Committee—	
कार्यवाही सारांश	Minutes .	131
याचिका समिति	Committee of Petetions—	
कार्यवाही सारांश	Minutes .	131
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	Committee on Absence of Members from the Sittings of the House	
कार्यवाही सारांश	Minutes . .	131
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha . . .	132
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनमति	Leave of Absence from the Sittings of the House	132
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee—	
एक सौ अठाइसवां तथा एक सौ चौदहवां प्रतिवेदन	Hundred and Twenty Eight and Hundred and Forteenth Reports . . .	132–33
तारांकित प्रश्न संख्या 532 के उत्तर को शुद्ध करने के लिये वक्तव्य	Statement Correcting Answer to S.Q. No. 532	
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat	133
तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर को शुद्ध करने के लिये वक्तव्य	Statement Correcting Answer to S. Q. No. 11	
श्री दा० रा० चव्हाण	Shri D. R. Chavan	133–34
भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स, हरद्वार के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Strike by workers in Bharat Heavy Electricals, Hardwar	
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	134–35
उत्तर प्रदेश तथा बिहार में गन्ने की स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Sugarcane situation in U. P. and Bihar . . .	
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjiwan Ram	136
बिहार तथा राजस्थान के कुछ भागों में अभाव की स्थिति	Statement Re. Scarcity Conditions in Certain parts of Bihar and Rajasthan.	
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram	137–38

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता की ग्राह्यता के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Admissibility of House Rent Allowance to Central Government Employees	
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi	138–39
सदस्यों द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Members.	
(एक) श्री शशि भूषण	(i) Shri Shashi Bhushan	139
(दो) श्री मी० रू० मसानी	(ii) Shri M. R. Masani	140
(तीन) श्री ज्योतिर्मय बसु	(iii) Shri Jyotirmay Basu	140
नियम 377 के अन्तर्गत मामले	Matter Under Rule 377	140–48
केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक—	Central Sales Tax (Amendment) Bill—	
पुर:स्थापित	Introduced	148–49
केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक—	Central Silk Board (Amendment) Bill—	
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन से सहमति	Amendments made by Rajya Sabha agreed to	149–52
प्रशुल्क टैरिफ विधेयक—	Customs Tariff Bill—	
प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव	Motion to Refer to Select Committee	152
विशेष विवाह (संशोधन) विधेयक—	Special Marriage (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to Consider, as passed by Rajya Sabha	152–58
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menan	153, 155–56
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	154
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	154
श्री क० ना० तिवारी	Shri K. N. Tiwary	154
श्री कंडप्पन	Shri Kandappan	155
श्री क० मि० मधुकर	Shri K. M. Madhukar	155
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Naval Kishore Sharma . .	155

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	156–58
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended	
सैनिक, वायुसैनिक तथा नौसैनिक विधि (संशोधन) विधेयक	Army, Air force and Naval Law (Amendment) Bill–	
विचार करने का प्रस्ताव	Notion to Consider	158–59
श्री म० रं० कृष्ण	Shri M. R. Krishna	58
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha . . .	158
श्री क० गो ०सेन	Shri P. G. Sen	158
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Visvanathan	159
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	159–60
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रुप में	Motion to pass, as amended . . .	161
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों के तथा अस्पृश्यता समिति प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion Re Reports of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Reports of Committee on Untouchability . .	161–63
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon	161–62
श्री सूरज भान	Shri Suraj Bhan	162–63
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, लन्दन में तथाकथित गबन के बारे में वक्तव्य	Statement Re Alleged Misappropriation in Central Bank of India, London . . .	
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi	163–65
देश में हाल ही में हुए साम्प्रदायिक दंगों के बारे में चर्चा	Discussion Re Recent Communal disturbances in the Country	165–81
श्री जार्ज फर्नांडीज	Shri George Fernandes	165–67
श्री जी० भा० कृपलानी	Shri J. B. Kripalani	167–69
श्री दत्तात्रय कुंटे	Shri Dattatraya Kunte	169–70
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghan Dar	170–71
श्री गुलाम मुहम्मद बक्शी	Shri Gulam Mohammed Bakshi . .	172–73
श्री अहमद आगा	Shri Ahmad Aga .	171–72

2—8 L. S./70

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनुदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 20 मई, 1970/30 वैशाख, 1892 (शक)
Wednesday May 20 1970/*Vaisakha* 30 1892 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवत हुई ।
The Loksabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ।]
[**Mr. Speaker** *in the Chair*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

आणविक प्रसार रोकने संबंधी समझौते पर भारत और रूस में मतभेद

†1741. **श्री राम चरण :**
श्री जय सिंह† :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वियना में अन्तर्राष्ट्रीय अणुशक्ति एजेंसी के तत्वावधान में हुई चर्चा के दौरान आणविक प्रसार रोकने संबंधी समझौते को लागू करने के बाद की जाने वाली कार्यवाही के बारे में भारत और रूस सरकार में मतभेद उत्पन्न हो गए हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रूस सरकार यह बात स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि जो निरीक्षण और सुरक्षा प्रणाली विकसित की जाएगी उसमें अंतर्राष्ट्रीय अणुशक्ति एजेंसी को सर्वोच्च अधिकार प्राप्य हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का अपनी प्रतिरक्षा नीति को पुनर्निधारित करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Ram Charan : The Minister told just now that there were no differences between India and Soviet Union over the inspection unit. America and Russia are playing such a role as to have more and more powers in their hands in respect of atomic energy. Now China is also in the list of Atomic Powers. China has already made Atom Bomb and Hydrogen Bomb. I would like to know whether Government are going to change their policy on this issue. Is it not a fact that our Government will have to depend for the defence of country on other countries in case there is a attack on India from China or Pakistan. We have the capacity of making atom bombs. So, may I know whether Government will make atom bomb in view of the existing circumstances and will not repeat their favourite slogan that "we will use atomic energy for peaceful purposes.

Mr. Speaker : You have started asking question about atomic energy. This was a general question. He has already replied what you have asked.

Shri Ram Charan : Many countries in the world are making themselves stronger on the basis of atomic energy. We also want to be self-supporting in atomic energy.

Mr. Speaker : Your main question is addressed to the Minister of External Affairs. But now you are putting supplementary questions to the Minister of Atomic Energy. How can it go ?

Shri Ram Charan : Sir, our Government try to please both America and Russia. May I know the steps being taken by Government to see that no country is put to any loss as a result of underground and over sea tests ?

Shri Dinesh Singh : Our policy in regard to this matter has been clarified several times in this House. As regards the non-proliferation and follow-up action there are no differences between India and U.S.S.R. As regards the Nuclear Non-Proliferation Treaty, we do not agree with Russia's point of view and so we have not signed this Treaty.

Shri Ram Charan : Differences of what kind.

Shri Dinesh Singh : The responsibilities and the obligations mentioned in the Treaty for nuclear powers are not the same as mentioned for non-nuclear powers. Similar responsibilities and obligations should be for all countries irrespective of the fact whether a particular country possess nuclear weapons or not. If ban is to be imposed on making the nuclear weapons, it should be imposed on all countries. Nothing should be done to discriminate the non-nuclear powers as against nuclear powers.

श्री हरदयाल देवगुण : क्या यह सच है कि रूस और अमरीका हमारे से इसलिए नाराज हैं कि हमने उक्त सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं और क्या यह भी सच हैं कि रूस ने इस बात पर भी बल दिया है कि सुरक्षा व्यवस्था में भारत को महत्वपूर्ण योगदान करने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। क्या किसी निशस्त्रीकरण वार्ता में रूसी प्रतिनिधि ने हमारे प्रतिनिधि की भर्त्सना की ?

श्री दिनेश सिंह : जी नहीं। यह बात ठीक नही है। हम अपनी नीतियों का अनुसरण स्वतंत्र रूप से करते हैं। हम इस बात को ध्यान मे रखते हुए मामलों पर निर्णय नही करते कि कौन देश हमारे से प्रसन्न और कौन अप्रसन्न। हां, सभी देशों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने के लिए हम प्रयास करते है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में नही आता कि मूल प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होने पर भी उसके सम्बन्ध में पूरक प्रश्न पूछे जा रहे हैं।

श्री जी० विश्वनाथन् : वर्तमान संधि से परमाणु हथियारों के अन्य नये देशों द्वारा बनाये जाने पर रोक लगी है। परमाणु शस्त्रों के भंडार को बढाने पर रोक नही है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। क्या कुछ ऐसे भी देश है जो उक्त संधि पर हस्ताक्षर करके पश्चाताप कर रहे हैं। क्या उन्हें यह डर है कि परमाणु शक्तियां निरीक्षण सम्बन्धी उपबन्ध का दुरूपयोग करेंगी ?

श्री दिनेश सिंह : यह सच है कि कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने संधि पर हस्ताक्षर तो कर दिये हैं परन्तु संधि का अनुसमर्थन नहीं किया है। उन्होंने ऐसा किन कारणों से किया है, यह बताना मेरे लिए कठिन है।

श्री एस० कंडप्पन : कुछ देश जो पहले संधि को स्वीकार कर चुके थे, अब उसका अनुसमर्थन करने में संकोच कर रहे हैं। क्या सरकार उनकी स्थिति से अपने पक्ष को और अधिक दृढ़ बनायेगी ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य का कहना है कि हमें अवसर से लाभ उठाना चाहिए। किन्तु हमारी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है। हमने अणुशस्त्र प्रसार रोक संधि के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया है। हम तो उक्त संधि को भेदभावपूर्ण मानते हैं। हमने कोई भी ऐसा प्रचार नहीं किया है कि अन्य देश उस पर हस्ताक्षर न करें। प्रत्येक देश अपने बारे में स्वयं निर्णय करे कि वह भेदभाव पर आधारित इस संधि को स्वीकार करे या न करे ? जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमने इसे स्वीकार नहीं किया है।

श्रीमती सुशिला रोहतगी : मैं भाग (ग) के बारे में यह पूछना चाहती हूं कि "भारत परमाणु हथियार बनाये या न बनाये" इस प्रश्न पर जनमत विभक्त है और परमाणु शक्ति मंत्रालय तथा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने भी इस विषय में भिन्न-भिन्न विचार प्रकट किये हैं। क्या आप बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या स्पष्ट नीति है और क्या तत्सम्बन्धी पूर्ण अध्ययन के बाद ही भारत परमाणु शस्त्रों की ओर बढ़ेगा ?

श्री दिनेश सिंह : इस सम्बन्ध में सरकार की सामान्य नीति को कई बार स्पष्ट किया जा चुका है। हम परमाणु शक्ति का प्रयोग शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए करना चाहते हैं और परमाणु हथियार बनाने का सरकार का विचार नहीं है।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि कनाडा सरकार ने हमें एक रिएक्टर दिया था जो आजकल ट्राम्बे में लगा है। क्या कनाडा ने उस पर यह शर्त भी लगाई थी कि उससे बनी परमाणु शक्ति का उपयोग केवल शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा और गैरशान्ति प्रयोजनों के लिए नही। क्या यह शर्त भारत की इस प्रवृत्ति को देखते हुए लगाई गई थी कि वह अपनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति को नया रूप नहीं देना चाहता ?

श्री दिनेश सिंह : कनाडा की सहायता से स्थापित किये गये रिएक्टर का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। वैसे इस सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा परमाणु शक्ति विभाग ही दे सकता है।

श्री म० ला० सोंधी : क्या यह सच है कि भारत का रुस के साथ 1964 में परमाणु सहयोग के बारे में एक समझौता हुआ था और रुस ने उस समय कई बातों का वायदा किया था किन्तु भारत द्वारा सन्धि पर हस्ताक्षर न किये जाने पर रुस अब अपने वायदों से पीछे हट रहा है ?

श्री दिनेश सिंह : रुस के साथ जो समझौते किये गये, जो उन्होंने दिया और जो हमने मांगा इस सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा मेरे पास नहीं है। यदि इस सम्बन्ध में एक पृथक प्रश्न परमाणु शक्ति विभाग से पूछा जायेगा तो उसका विस्तृत उत्तर दिया जायेगा।

श्री समर गुह : हमारी सरकार इस बात का विरोध करती है कि परमाणु शस्त्रों पर केवल कुछ बड़े देशों का ही अधिकार हो। दूसरी ओर हमारी सरकार ऐसे हथियार बनाने के पक्ष में नहीं जिनसे परमाणु शस्त्रों से किये आक्रमण को रोका जा सके। उक्त संधि पर विचार करते समय क्या सरकार ने यह पता लगाया है कि चीन द्वारा परमाणु हथियारों से भारत या किसी अन्य एशियाई देश पर आक्रमण किये जाने की स्थिति में अमरीका और रुस की तत्काल क्या प्रतिक्रिया होगी ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य अन्य देशों की प्रतिक्रिया के बारे में मेरे से पूछ रहे हैं। यदि भारत पर परमाणु हथियारों से आक्रमण कर दिया जाता है तो उस समय क्या स्थिति होगी, इस प्रश्न पर सदन में कई बार चर्चा की जा चुकी है। उसी सन्दर्भ में परमाणु खाते आदि का उल्लेख किया गया था। ऐसे आक्रमण के समय विदेशों की क्या प्रतिक्रिया होगी यह कहना बड़ा कठिन है। विभिन्न देशों की प्रतिक्रिया उनकी नीतियों और हितों के अनुरूप ही होगी। परन्तु कुछ देशों का यह कहना है कि ऐसी स्थिति में वे भी कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। वे क्या करेंगे, हम यह नहीं बता सकते।

ट्रिनिडाड निवासी भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार

*1743. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्रिनिडाड में रहने वाले भारतीयों के साथ वहां के गोरे निवासी कई वर्षों से भेदभाव तथा अन्य कई प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि टोरी नेता श्री पोवेल वहां पर तथा एशिया के अन्य भागों में इस प्रकार की नीति का समर्थन करते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप विदेश मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). तथ्य एकत्र किए जा रहे हैं।

(ग) सरकार जातीय भेदभाव के सभी रूपों के विरुद्ध है। जहां तक खास तौर पर इस प्रश्न का सवाल है, इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

Shri Shiva Chandra Jha: In West Indies islands people of Indian origin live in large number. Dr. Chhedi Jagan, the head of British Guiana, is also a man of Indian origin. The members of his family still speak Hindustani

language. These people want to come nearer to India. They are desirous of making a federation or confederation with India. But the foreign policy of India has no definite direction or even so Indian Government is not dealing in a better way with the Indians residing in Trinidad and other islands. There are 36 per cent Indians in Trinidad. India and Trinidad both are the member nations of Commonwealth. In this context may I know whether Government of India has officially constituted any committee to see the extent to which the Indian people residing in Trinidad want to come nearer to India and whether a federation of both the countries can be formed; if so, the results thereof and if not, the reasons therefor?

Shri Dinesh Singh : Here I agree with the hon. Member. The people of Indian origin in Trinidad want to have closer relations with India. We have cultural relations with them. But the hon. Member has clubbed a number of issues with it. So it is difficult to give correct answer to what he wants to know. We have High Commission for India in Trinidad. We always try to strengthen our cultural relations with them. We have already done a lot in this field.

It is possible that the Hon. Members may think that nothing has taken place in this regard. I can also say that there may be scope for further action but we are trying much to enhance our cultural relations. As far as the political relation is concerned, Trinidad is an independent country. When the Hon. Members call them Indian or Hindustani, they create misunderstanding. There are only about 103 or 104 such Indians. The rest are of Indian origin. They will look at their country and not towards us. We may have cultural relations with them but politically they are citizens of that country.

Shri Shiv Chandra Jha : Although the answer is not clear but I leave it.

My second question is this that the reactionary Tory leader Powell is following the policy of boycotting, Fascist and Anti-semetic policy from England and although the labour leader Wilson is in power in England, the Government of Britain is doing nothing to stop him from spreading the feeling of discrimination or boycotting. It seems that the British Government is totally unable to stop it. So whether the Hon. Minister will say to the Govt. of Britain to stop the policy of boycotting Indians and Asians otherwise we will leave Commonwealth? May I know, will you give such warning to Britain?

Shri Dinesh Singh : Mr. Speaker, what I should say. Firstly the Hon. Member mixed the question of Guiena with Trinidad. Now he has mixed the United Kingdom with Trinidad.

Shri Shiv Chandra Jha : It is in the question. You read the question—"whether it is also a fact that the Tory leader, Mr. Powell supports such policy there and in other parts of Asia".

Mr. Speaker : You listen to him. He is answering.

Shri Dinesh Singh : I am talking of what is written in it.

Shri Shiv Chandra Jha : You answer it correctly.

Shri Dinesh Singh : I have given the correct reply but you try to understand it correctly. As far as the Britain is concerned it has nothing to do with it.

Shri Shiv Chandra Jha : Yes, it is connected with this.

Shri Dinesh Singh: As far as Britain is concerned, it is the question of those Asians who have British Passport and want to go back to Britain. It is totally a separate question. It has no relation with Trinidad. The Hon. Member may sometime think over it. It is quite a separate question. We have categorically stated there that the policy of Britain resembles with the policy of apartheid. They should take back their citizens who have got British Passport and that is their responsibility. They are British subjects and there should be no discrimination on the basis of apartheid. That is a separate policy and we are saying to British Government against that policy.

Shri Shiv Chandra Jha: I asked about leaving the Commonwealth. Has any such warning been given to Britain or not. That if Britain does not show such policy then India should leave Commonwealth?

Shri Balraj Madhok: I want to know from the Hon. Minister whether it is a fact that like Rhodesia, where the white Government have brought the minority into majority—by discarding the right of one man one vote, many other colonies like Fizi, Trinidad, etc. which got away from the British Empire and where the people belong to Indian origin or Asian origin, although they are in majority but the Electoral roll has been in such a way that the majority has been converted into minority and other persons got power on the basis of race or colour and in this way, discrimination is shown to persons belonging to Asian origin or Indian origin, the case of these people will be raised in the U.N.O. or pressed the British Commonwealth and if they do not agree then whether they will the Commonwealth?

Shri Dinesh Singh: This question does not relate to Trinidad. The Hon. Member has asked a separate question. But the thing is that they have placed some communal representations in some countries and that the principle of one man—one vote, of which the Hon. Member has mentioned is quite different to it. It has been our policy that there should be principle of one-man one-vote. Every citizen should have equal rights. But it is for the people of those countries to decide their own policy. Our view point is quite clear. It depends on those people how they adjust themselves keeping in view their constitution. And we can give our suggestion but there will be no use to interfere much.

Shri Balraj Madhok: I asked whether this question would be raised in the U.N.O. like Rhodesia.

Mr. Speaker: Why you get excited. It will be of no use.

Shri Balraj Madhok: You raise hue and cry for the cause of Rhodesia but do not want to do anything for the Indians.

श्री जि० मो० बिस्वास : 12 मई को समाचार-पत्र में यह आया था और इसी पर मैंने तथा माननीय सदस्य रामावतार शास्त्री ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था कि पूर्वी अफ्रीकी देशों-केन्या, युगांडा, तांजानिया और जाम्बिया आदि की चार महीने की यात्रा करके. . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इन देशों के बारे में नहीं है ।

श्री जि० मो० बिस्वास : मैं पृष्ठभूमि का हवाला दे रहा हूं, यह बहुत महत्वपूर्ण है ।

अध्यक्ष महोदय : यह किसी अन्य प्रसंग में ला सकते हैं परन्तु यहां अभी नहीं ।

श्री जि० मो० बिस्वास : मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यदि यह सुसंगत नहीं हैं दो मिनट भी नहीं मिल सकते हैं, यह सुसंगत नहीं हैं ।

श्री जि० मो० बिस्वास : मंत्री महोदय ने इन सब देशों की यात्रा करके भारत में आकर ब्रिटेन की सरकार को उन दो लाख व्यक्तियों को मुसीबत में डालने का जिम्मेवार बताया जिनको ब्रिटिश की नागरिकता मिल चुकी थी और फिर भी 1968 में गृह सचिव श्री जेम्ज़ कैलाधान के कहने पर आव्रजको के आने पर रोक लगाने के कारण ब्रिटिश आने नहीं दिया जाता है । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है और यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या विचार कर रही है ।

श्री दिनेश सिंह : मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने में प्रसन्नता होगी पर हम वस्तुतः त्रिनिनाड के प्रश्न से संयुक्त राज्य पर तथा अन्य कालोनियों पर आ रहे हैं, यदि हम ऐसा हर प्रश्न पर करें तो हम कठिनाई में पड़ जायेंगे, इस प्रश्न पर मेरा यह कहना है कि हम पूर्णतः ब्रिटेन के सरकार की उन एशियाई मूल के लोगों, जिनके पास ब्रिटेन का पारपत्र है, के प्रीत भेदभाव की नीति के विरुद्ध हैं। मैंने कहा है कि यह ब्रिटेन द्वारा जातीय भेदभाव की नीति का पालन करना है । हमने उनको अपने विचारों से अवगत कर दिया है ।

हम इस बात से भी चिन्तित हैं कि ब्रिटेन की सरकार उन एशिया के लोगों के बीच भेद उत्पन्न कर रही हैं जो भारत में पैदा हुए हों तथा जिनके पास ब्रिटेन का पारपत्र है और जो अफ्रीका के देशों में पैदा हुए हों । यह पुनः एक खतरनाक बात है जिसका अनुसरण ब्रिटेन की सरकार कर रही है और जो अपने नागरिकों को वापिस ब्रिटेन आने देने तथा उनको संरक्षण देने से बच रही है ।

मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि भारत सरकार इस संबंध में अपना प्रबल विरोध करती है और आशा करती है कि ब्रिटेन उस जातीय भेदभाव को रोकेगी जो कि वह कर रही है ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : त्रिनिनाड में भारतीय मूलक कितने व्यक्ति हैं और उनको क्या मुख्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

श्री दिनेश सिंह : भारतीय मूलक व्यक्ति लगभग 3,19,000 हैं, हमें पता नहीं हैं कि उन्हें कोई मुख्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।

सैनिकों तथा वायुसैनिकों को सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील करने अथवा उसके पुनर्विलोकन की सुविधा

*1745. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे सैनिक दलों के सैनिकों तथा वायुसैनिकों को सैनिक न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध न्यायिक प्राधिकार के समक्ष अपील करने अथवा पुनर्विलोकन का अनुरोध करने की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है ;

(ख) क्या इस संबंध में कुछ न्यायिक व्यवस्था करने के लिए 1957 में नौसेना विधेयक में कोई संशोधन किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो सेना अधिनियम, 1950 तथा वायु सेना अधिनियम, 1950 में भी ऐसी ही व्यवस्था न किये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री म० र० कृष्ण): (क) सेना अधिनियम 1950 और वायुसेना अधिनियम 1950 में कोर्ट मार्शल कार्यवाहियों के स्वतन्त्र नैयायिक पुनरीक्षण के लिए कोई उपबंध नहीं है। तदपि पुष्टीकरण प्राधिकरणों को कार्यवाहियों के पुष्टीकरण या अन्यथा और कोर्ट मार्शल के निर्णय से पहले कानूनी मन्त्रणादाता की मन्त्रणा का लाभ प्राप्त रहता है।

(ख) नौसेना विधेयक में कि जो 1957 में पारित किया गया था, उसके अनुभाग 160 के अनुसार, स्वतन्त्र नैयायिक पुनरीक्षण का उपबंध किया गया था।

(ग) अन्य बातों सहित तीनों सेवाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं के संबंध में, वर्तमान सेवा अधिनियमों के संगतीकरण के लिए एक एकीकृत पद्धति का प्रारूप तैयार किया गया है, और वह निरीक्षणाधीन है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : प्रश्न का यह उत्तर एक बहुत ही शोचनीय स्थिति को बताता है इस लिए मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं। वायु सेना अधिनियम और सेना अधिनियम 20 वर्ष पुराने पड़ गये हैं क्योंकि वे पुराने अधिनियमों में से लिए गए हैं जिनको ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। जैसा कि उन्होंने नौसेना अधिनियम के मामले में स्वयं स्वीकार किया था कि अध्याय 15 के धारा 160 में यह व्यवस्था की गई है कि उन सभी मुकदमा संबंधी कार्यवाहियों को जो कि सैनिक न्यायालय अथवा किसी भी अनुशासनीय न्यायालय में की जाएंगी, उनका पुनरीक्षण महाधिवक्ता न्यायाधीश करेगा। महाधिवक्ता न्यायाधीश या तो इसे स्वःप्रेरणा से पुनरीक्षण कर सकता है अथवा यदि पीड़ित व्यक्ति उनको आवेदन करता है तो महाधिवक्ता न्यायाधीश अपनी रिपोर्ट और सिफारिश सहित नौसेनाध्यक्ष के द्वारा केन्द्रीय सरकार को इसे भेज सकता है। इस बात को देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि सेना और वायु सेना के मामले में सेना न्यायालय के दंड का पुनरीक्षण स्वतंत्र न्यायिक द्वार कराने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है और इस प्रकार का भेद-भाव इतने वर्षों तक क्यों रहा ।

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि भारतीय सेना अधिनियम और भारतीय वायु सेना अधिनियम अपने भारतीय नौसेना अधिनियम के समान नहीं है...

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : क्यों नहीं है ? **(व्यवधान)**

श्री स्वर्ण सिंह : इस कारण से हमने एक विशेष समिति का गठन किया है जो यह देखेगी कि एक समान संहिता... **(व्यवधान)** आपको इस बात का श्रेय देना चाहिए कि हम समूची व्यवस्था का पुनरीक्षण कर रहे हैं और हमारा अभिप्राय एक समान संहिता से है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : किसी को कोई प्रशंसा अथवा कुछ और देने का प्रश्न नहीं उठता है। उनको 20 वर्ष पश्चात् होश आया है और वे इसके लिए प्रशंसा चाहते हैं।

मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या मंत्री महोदय को पता है कि अन्य देशों के अधिकांश अत्याधुनिक सेनाओं में बहुत समय पूर्व ही यह पर्याप्त व्यवस्था की गई है कि सैनिक न्यायालय तथा अन्य अनुशासनीय न्यायालय के कार्यवाही में इंसाफ न देने के विरुद्ध संरक्षण दिया हुआ है ? इन सेनाओं में आधुनिक विचार यह है कि सशस्त्र सेनाओं के साधारण सैनिकों को केवल तोप चलाने वाला ही न समझा जाये। यह एक पुराना साम्राज्यवादी विचार है जो कि अंग्रेजों का था, अतएव, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस बारे में इतना विलम्ब क्यों किया। मैं जानता हूं कि वे अब इसका पुनरीक्षण करेंगे। उन्होंने इतनी लम्बी अवधि तक विलम्ब क्यों किया जबकि हमारी सेना और हमारे जवानों ने दो या तीन अवसरों पर अपना खून देकर देश की रक्षा की ? और फिर भी उनको न्यूनतम न्यायिक संरक्षण नहीं दिया गया। वे इस बारे में जानते थे क्योंकि ऐसी व्यवस्था पहले ही नौसेना अधिनियम में की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि यह मामला कब तक विचाराधीन रहेगा और वे सेना अधिनियम तथा वायुसेना अधिनियम को कम से कम नौसेना अधिनियम की पद्धति पद कब तक लायेंगे। हम इसके पूरे हो जाने की आशा कब तक करें ?

श्री स्वर्ण सिंह : पहले भाग के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि महाधिवक्ता न्यायाधीश नौसेना अधिनियम की भांति स्वःप्रेरणा से इस मामले की जांच नहीं करता है। परन्तु सेना अधिनियम और वायु सेना अधिनियम में भी यह व्यवस्था की गई है कि पुष्टिकरण अथवा पुनरीक्षण अधिकारी सभी पहलुओं पर विचार करता है और आमतौर पर महाधिवक्ता न्यायाधीश शाखा से सलाह लेता है और कानूनी तथा स्वतंत्र राय लेने के उपरान्त ही सामान्य सैनिक न्यायालय अथवा जिला सैनिक न्यायालय दोनों के निष्कर्षों को पुष्टि अथवा पुनरीक्षण करने के प्रश्न पर अंतिम निर्णय लेता है। परन्तु मैं श्री इन्द्रजीत गुप्ता द्वारा उठाये गई इस बात से सहमत हूं कि तीनों सेवाओं के, मामले में समान संहिता प्रक्रिया होनी चाहिए और इस कारण से इस समिति का गठन हुआ है। उन्होंने इस पर विस्तृत रूप से जांच की है तथा अपनी सिफारिशें दी हैं। हमारा ध्येय यह है कि इन प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जाये जिसके लिए वैधानिक कार्यवाही लेने की आवश्यकता पड़ सकती है और मुझे आशा है कि यह 6 महीने की अवधि में पूरा हो जाना चाहिए।

श्री ए० श्रीधरन : हमारी सशस्त्र सेनाएं अभी भी ब्रिटेन की पुरानी व्यवस्था के आधार पर कार्य करती है। सशस्त्र सेनाओं में व्यापक असंतोष है जिसको वे अधिकारियों के अत्याचार का नाम देते हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि हमने लोकतंत्रीय व्यवस्था का निर्माण किया है और हमें यहां लोकतंत्रीय व्यवस्था सशस्त्र सेनाओं में भी बनानी चाहिए। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने लोकतंत्रीय व्यवस्था और लोकतंत्रीय परम्पराओं, जिनका हमने निर्माण किया है, को देखते हुए भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस सुझाव को स्वीकार नहीं करता हूं कि जवानों के विरुद्ध कोई व्यापक विचारधारा फैली हुई है। यह माननीय सदस्य के विचार में हो सकता है।

श्री ए० श्रीधरन : नहीं, नहीं।

श्री स्वर्ण सिंह : अधिकारियों और जवानों के आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे हमारी सशस्त्र सेनाओं में राजनीति न लायें।

श्री ए० श्रीधरन : हम सेना में राजनीति नहीं ला रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह न्यायपालिका के बारे में है न कि आधुनिकीकरण के बारे में है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को पता है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत जो याजिका कोई जवान किसी भी न्यायालय में कर सकता है, वह प्रतिरक्षा सेवाओं के मामलों में जिसमें वे सिविलियन भी शामिल हैं जो वर्दी नहीं पहनते हैं, लागू नहीं होता है, यदि हां, मैं जान सकता हूं कि क्या अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत जवानो और सिविलियन कर्मचारियों को, जिनसे यह सुविधा छीन ली गई है, सुविधाएं दी जाएंगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम और वायुसेना अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है और ऐसे विशेष उपबन्ध हैं जिनसे उनको संरक्षण मिलता है और साथ ही साथ उनके मामले पर विशेष प्रक्रिया से विचार होता है ।

जो अन्य कानूनी मामला उन्होंने उठाया है, वह एक अलग ही मामला है । यदि इस पर अलग से प्रश्न किया गया तो मैं जानकारी प्राप्त करने की कोशीश करूंगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह एक अलग प्रश्न नहीं है । माना कि यदि सैनिक न्यायालय में कुछ होता है तो यह जवान अथवा सिविलियन पर छोड़ देना चाहिए कि वह अनुच्छेद 311 के अंतर्गत न्यायालय जाये ।

अध्यक्ष महोदय : आखिर हमारे पास थोडा सा कानूनी अधिकार भी है ।

दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत के वैदेशिक व्यापार का स्वरूप

***1747. श्री बलराज मधोक :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत के वैदेशिक व्यापार के स्वरूप के बारे में कोई अध्ययन कराया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के वैदेशिक व्यापार को बढ़ाने के लिये अन्डमान द्वीपसमूह का शुल्क मुक्त पतन के रूप में विकास करने के प्रश्न पर विचार किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार शीघ्र ही ऐसा अध्ययन कराने का है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) पृथक-पृथक देशो और क्षेत्रवार देशो के साथ व्यापार पद्धति का नियमित रूप से अध्ययन किया जाता है ।

(ख) से (घ). अंडमान तथा निकोबार द्वीपों में एक निर्बाध पतन क्षेत्र विकसित करने के सुझाव पर विचार किया जा चुका है परन्तु सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस पर आगे कार्यवाही करना आवश्यक नहीं है । पहले कांडला के निर्बाध क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं का पूर्ण उपयोग करना आवश्यक होगा ।

श्री बलराज मधोक : क्या यह सच है कि हाल ही में हांग-कांग से एक व्यापारिक शिष्ट-मंडल भारत में आया और उन्होंने यहाँ एक बैठक में यह सुझाव दिया कि यदि अन्डमान में निःशुल्क पत्तन सुविधाओं का विकास किया जाता है तो इससे बहुत अधिक संख्या में पर्यटक भारत में आयेंगे और इस प्रकार 10 लाख डालर की विदेशी-मुद्रा प्राप्त हो सकती है यदि सरकार को इस प्रतिवेदन के विषय में पता है तो इस विषय में उसकी क्या प्रतिक्रिया है और अन्डमान में निःशुल्क पत्तन के इस सुझाव के स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : हमें, समाचारपत्रों में, प्रकाशित, इस प्रतिवेदन के विषय में पता नहीं है। यह केवल एक सुझाव मात्र ही था। समय समय पर अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह को निःशुल्क व्यापार क्षेत्र बनाने लिये अथवा आर्थिक विकास की सम्भावनाओं के लिये, ऐसे ही सुझाव दिये जाते रहे हैं। इस पर विचार किया जाता है और जब हमने कान्डला पत्तन को निःशुल्क व्यापारिक पत्तन के रूप में विकसित किया है तो हमें इस को सफल बनाने के लिये ही प्रत्येक कार्यवाही करनी चाहिये। जब तक हमें इस क्षेत्र में सफ़लता नहीं मील जाती तब तक किसी दूसरे क्षेत्र में ऐसी ही कार्यवाही करना लाभप्रद नहीं है।

श्री बलराज मधोक : क्या आपने दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने व्यापार के विषय में कोई विचार किया है। वर्तमान समय में दक्षिण कोरिया और तैवान के साथ किये जा रहे व्यापार की राशी क्या है? क्योंकि वहाँ आयात के लिये भी विस्तृत क्षेत्र है और भारत की वस्तुओं की मांग भी बढ़ती है, इसलिये आप व्यापार के विकास की दिशा में क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री ब० रा० भगत : गत वर्ष तथा उससे पहले वर्ष में दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र के साथ हमारे, व्यापार में खासी वृद्धि हुई है। यह उन क्षत्रों में से एक है जहां हमारे व्यापार में वृद्धि हो रही है, अतः हम इसमें काफी दिलचस्पी रखते हैं जहां तक व्यापार की राशि का प्रश्न है, इस से संबंधित आंकड़ इस समय मेरे पास नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप कोई अन्य प्रश्न कर सकते हैं।

श्री ब० रा० भगत : जहाँ तक भिन्न भिन्न देशों तथा विशिष्ट क्षेत्रों के साथ व्यापार का प्रश्न है, इस विषय में निर्यात विकास परिषद्, व्यवहारिक आर्थिक राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद् आदि द्वारा समय समय पर विचार किया जाता है। मंत्रालय भी पारस्परिक वार्ता के द्वारा इस संबंध में विचार करता है। यह प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। जहाँ तक दक्षिण-कोरिया और तैवान के साथ व्यापार का प्रश्न है, दक्षिण कोरिया के साथ हमारी व्यापारिक आदान-प्रदान है और तैवान के साथभी गैर सरकारी स्तर पर व्यापारिक आदान-प्रदान हुआ है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : कान्डला-पत्तन से केवल पश्चिमी देशों के साथ हमारे व्यापार में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। परन्तु जहां तक दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्वो एशियाई देशों तथा पूर्वी एशिया और आस्ट्रेलिया का सम्बन्ध है क्या एक दूसरा पत्तन, भारत में एक दूसरा निःशुल्क क्षेत्र, विकसित नहीं किया जा सकता है? प्राक्कलन समिति ने हाल ही में अन्डमान और

निकोबार द्वीपसमूहों का दौरा किया है। हमें ज्ञात हुआ है कि कारनिकोबार को निःशुल्क पत्तन बनाने के लिये कहा गया है। इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री ब० रा० भगत : दक्षिण-पूर्वी एशियाई क्षेत्र के साथ व्यापारिक विकास के विषय में मैंने बताया है कि हमने इस दिशा में प्रयत्न किये हैं और कुछ सीमा तक उनमें सफलता प्राप्त हुई है। इस क्षेत्र के साथ हमारे व्यापार में प्रगति हुई है और होगी और इस प्रगति को निरन्तर बनाये रखने के लिये हम प्रयत्नशील हैं। यह दूसरा प्रश्न है कि अन्डमान और निकोबार में निःशुल्क पत्तन के विकास द्वारा इस निरन्तर प्रगति को बनाये रखा जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया है कि कान्डला में निःशुल्क पत्तन के विकास के लिये हमने एक बहुत बड़ी राशि व्यय की है और यहाँ कार्य चल निकला है। हमें आशा है कि निर्यात वृद्धि को ध्यान में रखते हुय, 2 या 3 वर्ष में अनेकों उद्योग आरम्भ हो जायेंगे। और इसीलिये यह विचार किया गया है कि इस समय किसी दूसरे निःशुल्क पत्तन के विकास की अपेक्षा इसी को (कान्डला पत्तन को) सफल बनाने के लिये प्रयन्न करना उत्तम है।

श्री रा० बरुआ : मंत्री महोदय के वक्तव्य से ऐसा प्रकट होता है कि कान्डला पत्तन के लक्षण बहुत आशाजनक हैं। कान्डला के अनुभव तथा दक्षिण पूर्वी देशों के साथ अपने व्यापार की समृद्धि को दृष्टि में रखते हुए, क्या सरकार भविष्य में अन्डमान को निःशुल्क पत्तन बनाने के लिये कोई कार्यवाही करेगी?

श्री ब० रा० भगत : इस पहलू को सदैव ध्यान में रखा जायगा। इस समय हम कान्डला पत्तन से निःशुल्क व्यापार के विकास पर ध्यान दे रहे हैं और इस से अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। मुझे आशा है कि निःशुल्क पत्तन विकसित करने की विचारधारा का सदन द्वारा समर्थन किया जायेगा। हाँग-काँग तथा सिंगापुर में भी निःशुल्क पत्तन हैं। विदेशी मुद्रा को भारत में लगाने तथा अन्य मामलों को ध्यान में रखकर निःशुल्क पत्तन की विचार धारा बनायी गई है और हमें यह देखना है कि देश आर्थिक और राजनैतिक रूप से इसके लिये तैयार है। मेरे विचार से इस समय देश की स्थिति सामाजिक तथा अन्य दूसरे उद्देश्यों के कारण, अनुकूल नहीं है। हम चाहते हैं कि कान्डला पत्तन के विकास में सफ़लता मिले तथा अधिक उद्योग स्थापित हों। यह सच है कि पहले दो वर्षों में कोई अच्छी प्रगति नहीं हुई है। परन्तु अब गतिविधियाँ बढ़ी है, हमने कुछ और सुविधायें दी हैं और हमें आशा है कि पत्तन के विकास में सफ़लता मिलेगी। जब तक इस पत्तन को सफ़लता प्राप्त नहीं हो जाती और हमें पर्याप्त अनुभव नहीं हो जाता, ऐसे ही किसी दूसरे पत्तन के विकास का प्रयास करना उचित नहीं होगा।

श्री रा० कृ० बिड़ला : अध्यक्ष महोदय, अभी अभी मंत्री महोदय ने कान्डला पत्तन के विषय में कहा है। उन्होंने बताया है कि वहाँ व्यापार में वृद्धि हो रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि कान्डला पत्तन पर रेग इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि 10 वर्ष के पश्चात यह पत्तन कार्य करना बन्द कर देगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न व्यापार का है ना कि रेग (silting) का।

श्री रा० कृ० बिड़ला : जब पत्तन ही नहीं हो तो व्यापार किस प्रकार विकसित होगा।

श्री स० कुन्दू : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय को पता है कि विशेष रूप से दक्षिण-पूर्वी देशों के व्यापारी विशिष्ट विवरणों तथा सप्लाई की तिथि और समय पर दृढ़ नहीं रहते हैं। और इसलिये ऐसे सौदों के विषय में आपत्तियां उठायी गयीं हैं। भारतीय व्यवसायिकों और व्यापारियों द्वारा किये गये प्रश्नों के उत्तर देरी से दिये जाते हैं। मैं एक लघु उद्योग का मामला आपके सामने रख सकता हूं——मैंसर्स शिवदयाल एन्ड सन्स ने 1-4-70 को निर्यात विकास के मामलों की जानकारी करने के लिये दूतावास को एक पत्र लिखा अभी तक भी जिसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। जैसा कि आप से पता है कि 30,000 और 35,000 रुपये के मूल्य की वस्तुयें निर्यात करने वाले लघु उद्योगों को अनेकों कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

श्री ब० रा० भगत : ऐसे व्यक्तिगत मामलों के बारे में निश्चित रूप से ध्यान दिया जायगा। परन्तु यह हमारी नीति है कि जब कोई करार हो जाय तो उसे पूरा किया जाना चाहिये। यह निर्धारित समय पर सप्लाई करने तथा करार की श्रेष्ठता के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। और हाल ही में न केवल इस क्षेत्र में अपितु दूसरे क्षेत्रों में भी कुछ ऐसे मामल हुए हैं कि जहाँ कच्चे माल की कमी, उदाहरण के लिये इस्पात की कमी होने के कारण करार पूरा नहीं हो सका। कई निर्यात यूनिटों ने आपत्ति की है कच्चे माल की सप्लाई न होने के कारण कठिनाइयाँ सामने आ रही हैं। हम उनकी सहायता करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यही कुछ कठिनाइयां हैं, जो सामने आयीं हैं। जब कोई करार किया जाय यह पूरा किया जाना चाहिये और से पूरा करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये।

लाख का निर्यात

1748. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या विदेशी व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में वर्षवार कितनी तथा कितने मूल्य की लाख का निर्यात किया गया;

(ख) पिछले तीन वर्षों में वर्षवार बिहार तथा पश्चिमी बंगाल से कितनी तथा कितने मूल्य की लाख का निर्यात किया गया;

(ग) क्या भारतीय लाख विकास परिषद् ने हाल में रांची (बिहार) में हुई अपनी तीसरी बैठक में सरकार से यह सिफारिश करने का सर्वसम्मति से निर्णय किया है कि यदि जब कभी लाख के मूल्य न्यूनतम मूल्यों के कम होने लगें तो न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध समूची लाख को खरीदने के लिये सरकार द्वारा एक ऐजन्सी स्थापित की जाये; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : विगत तीन वर्षों के लिय वर्षवार निर्यात आकड़े नीचे दिये गये हैं :

वर्ष	परिणाम (मे० टन में)	मूल्य (लाख रु० में)
1966-67 .	15,856	589
1967-68	15,391	515
1968-69 . . .	17,714	505

(ख) राज्यवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ग) जी हां।

(घ) प्रस्ताव खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के विचाराधीन है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : लाख उद्योग को अधिकतर आदिम तथा पिछड़ी हुई जातियों से 50 लाख रुपये की आय होती है। और इस मंत्रालय की आश्चर्यजनक कार्य कुशलता के कारण लाख उद्योग से अर्जित की जाने वाली विदेशी मुद्रा 8 करोड़ से घटकर 5 करोड़ रह गई है।

क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि लाख पर आधारित वस्तुओं के निर्माण के लिय क्या सरकार देश में ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिये कोई योजना बना रही है?

लाख के विषय में आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय के सुझावों के अनुसार इसके क्या-क्या अनेक उपयोग हो सकते है?

श्री ब० रा० भगत : लाख का उपयोग इन्स्यूलेटरर्स तथा अन्य बहुत सी वस्तुओं के लिये होता है। इस समय मेरे पास सूची नहीं है। यदि माननीय सदस्य ऐसी सूची की माँग करते हैं तो हम निश्चय ही कुछ समय पश्चात सूची दे देंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप मेरे प्रश्न को भूल गये हैं। लाख का उपयोग करने के लिये देश में ऐसे उद्योगों की स्थापना के विषय में आप क्या कार्यवाही कर रहे है?

श्री ब० रा० भगत : यह बहुत बड़ा प्रश्न है। वास्तव में हमारे निर्यात तथा उत्पादन में कमी होने का कारण सिन्थेटिक्स तथा अन्य दूसरीवस्तुओं से प्रतिस्पर्धा लेना तथा एक यह तथ्य भी है कि अधिकांशत: उत्पादक आदिम जाति के लोग हैं जिनमें माल रोकने की क्षमता नहीं है। यह एक ऐसा कारण है कि हमें सारी चीजें जुटानी पड़ती हैं। बाजारों की सुविधा तथा अन्य दूसरे पहलुओं को समृद्ध करना पड़ता है, और अनुसंधान तथा अन्य दूसरी बातों से उत्पादन में विकास होगा इसीलिये हम इसी ओर व्यस्त हैं। इस विषय में, कि हमने इस ओर कोई प्रगति नहीं की है, माननीय सदस्य की चिन्ता उचित ही है। परन्तु हमें आशा है कि आगामी वर्षों में अनुसंधान तथा विनियोजनों आदि की सहायता से इस दिशा में प्रगति होगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : लाख के नय उपयोगों के लिये आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? मंत्री महोदय ने प्रश्न के इस भाग का उत्तर नहीं दिया है। यह लाख अनुसंधान संख्या का सुझाव है।

श्री ब० रा० भगत : पहले तो नये उपयोग खोजने होंगे तत्पश्चात अनुसंधान के द्वारा उनका परीक्षण करके परिणाम उपलब्ध करने होंगे। दूसरे विनियोजन के पश्चात् ही उत्पादन हो सकेगा। में इसी विषय पर कह रहा था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह सिद्ध हो चुका है कि कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मंत्री महोदय ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अब मैं अपना दूसरा प्रश्न रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आप दूसरा प्रश्न पहले ही पूछ चुके हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जी नहीं, यह प्रथम प्रश्न के ही (क) और (ख) भाग थे। आज सत्र का अन्तिम दिन है और अब हम 2 माह तक आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे।

तीसरी योजना के अन्तर्गत लाख के 112 फार्मों की व्यवस्था की गई थी। उनमें से कितने फार्म बनाये जा चुके हैं और यदि पूरी संख्या में फार्मों की व्यवस्था नहीं हो पाई है तो दूसरे कारण क्या हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार लाख के बाजार व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का विचार कर रही है।

श्री ब० रा० भगत : प्रश्न के विषय में पहले सूचना देनी चाहिए थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा विचार है कि हमने बजट अनुदानों का समर्थन करके गलती की है। सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। ये लोग दिल्ली में आराम से बैठे हुये हैं और कोई क्रियात्मक कार्यवाही नहीं करते हैं। दूसरे लोगों को इनके कारण बहुत हानि हो रही है।

क्योंकि मंत्री महोदय बिहार के निवासी हैं अतः उन्हें पता है कि यह सारा व्यवसाय आदिम जाति तथा पिछड़ी जातियों के हाथों में है और इन लोगों को विनाशकारी हानि हो रही है। सरकार के लिये यह लज्जा की बात है।

Shri K. N. Tiwari : Is it a fact that the lac industry exist in Bihar and Bengal and the poor people are getting their livelihood from this industry. But these people are cutting their lac trees because the inordinate fall in their prices. What action the Government is going to take to stabilize the prices and to enable these tribals to get their livelihood and whether the Government would consider to determine the wages?

Shri B. R. Bhagat : Yes Sir, this difficulty is there. The people working in this industry are poor tribals and they are facing this difficulty. Then a Committee was set-up by the Food and Agriculture Ministry, Highpower-Committee . . .

श्री ज्योतिर्मय बसू : राष्ट्रीयकृत बैंक क्या कर रहे है।

Shri B. R. Bhagat: High Power Committee was set-up to ensure the economic price to the poor tribals dealing in lac industry and that price should be remunerative. Buffer stock of lac has also been recommended so that they might be paid reasonable price. All these things are being considered upon by the Food and Agriculture Ministry and they are also trying to implement the recommendations.

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि पश्चिम-बंगाल में पुरूलिया जिले में और बिहार के आस पास के क्षेत्रों में लाख का विपणन पूर्णतया बिचौलियों के हाथों में है जो निर्धन उत्पादकों का शोषण करते है और उन्हें लाभकारी मूल्यों से वंचित रखते हैं। मंत्री महोदय ने बताया है कि लाभप्रद मूल्यों पर खरीदने सम्बन्धी एक क्रय एजेंसी का गठन करने का मामला विचाराधीन है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या सरकार यह चाहती है कि राज्य व्यापार निगम लाख के विपणन क्षेत्र में अपर अथवा क्या वह किसी अन्य प्रकार की क्रय एजेंसी के बारे में विचार कर रहा हैं, और यदि हां तो इस प्रकार की एजेंसी कब तक बन जायेगी; और बिचौलियों की यह मुनाफाखोरी कब तक समाप्त हो जायेगी।

श्री ब० रा० भगत : खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति ने इन सब मामलों पर विचार किया था। और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि बिचौलियों को समाप्त किया जाए; लाख उत्पादकों की क्षमता बढ़ाई जाए, उन्हें लाभकारी मूल्य दिया जाए और विपणन ढांचा मजबूत किया जाए आदि मामलों पर उक्त समिति ने कुछ सिफारिशें भी दी हैं।

Mica Advisory Committee

*1749. **Shri Ramavtar Shastri:** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have constituted a Mica Advisory Committee with a view to increasing the export of mica and to develop this Industry;

(b) if so, the number and the names of the members of the said Committee;

(c) whether the said committee has chalked out any programme in this regard;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak): (a) Yes, Sir.

(b) 1.	Shri C. N. Modawal, Director, Quality Control, Ministry of Foreign Trade, New Delhi.	Chairman
2.	Representative of Deptt. of Mines and Metals	Member
3.	Representative of MMTC.	,,
4.	Shri S. B. Roy, Deputy Director, Central Glass Research Institute, Yadavpur University, Calcutta.	,,
5.	Shri R. G. Agarwal, P.O. Domchanch, Hazari Bagh, Bihar.	,,
6.	Shri M. R. Reddy, P.O. Gudur, Dist. Nellor, Andhra Pradesh.	,,
7.	Shri S. S. Mansinghka, Pussa Niwas, Rajasthan, Bilwara.	

8.	Shri Om. P. Wadhwa, Metores Corporation Private Ltd., Calcutta.	Member
9.	Shri Kota Reddy, P.O. Gudur, Dist. Nellor, Andhra Pradesh.	,,
10.	Shri C. M. Rajgarhia, Giridih, Bihar.	,,
11.	Shri S. R. Sen Gupta, Secretary, Bihar Mica Exporters Association, P.O. Giridih, Bihar.	,,
12.	Shri R. N. Mukherjee	Secretary

(c) to (e). The report of the committee is awaited.

Shri Ramavtar Shastri : Keeping in view great crises in the mica export trade, I want to know from the hon. Minister the names of the agencies dealing with the export of mica. Whether it is also a fact that these mica-export agencies export mica to some particular countries and not to all countries. In order to streamline this report trade whether Government is prepared to entrust S.T.C. with mica report trade and if not; the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : We have export trade with U.S.A.; U.K.; G.D.R.; Poland, and Czechoslovakia. Apart from this we have no list of those agencies dealing in export trade; which will be submitted later on.

Shri Ramavtar Shastri : My question was whether Government is prepared to entrust S.T.C. with the report trade of mica, and if not, the reasons therefor ?

Shri B. R. Bhagat : Our policy is to increase the role of Public Sector in the report. Before taking any report trade we want to be fully prepared for that. As has been said, about 10, 12 parties are exporting mica. We shall consider this matter whenever we feel its necessity. But at present the question of handing over the export trade of mica to S.T.C. does not arise.

Shri Ramavtar Shastri : Keeping in view the crisis in the export of mica, whether Government would like to consider any such scheme of setting up of factories manufacturing products from mica in Bihar ? Inspite of the fact that 90 per cent of mica is produced in Bihar, you have included only three names of the members of Bihar in the list of 12 members placed on the Table of the House. More surprising is the fact that there is no representative of the employees working in the mica mines, and factories. What are the reasons of all this ?

Shri B. R. Bhagat : The names of those of Calcutta have been there, because their mines and business are in Bihar.

Shri Yogendra Sharma : You mean to say a man belonging to Calcutta belongs to Bihar also. I do not know how far it is proper ?

Shri B. R. Bhagat : In this representation, the representatives of big and small mine owners have been included. It is correct that largest quantity, not 90 per cent, of mica, is produced in Bihar, then come Andhra Pradesh and after that Rajasthan in so far as the production of mica is concerned. Therefore representatives from Andhra Pradesh and Rajasthan have also been included. Representation of the exporters has also been taken as the exporters are also concerned, and moreover the offices of most of these exporters, though in some other places also, are situated in Calcutta. Then goods are taken from mines in Bihar. Therefore, in view of all these things you will see there is no lesser representation from Bihar—(*interruptions*). I shall consider the matter regarding inclusions of representative of the labourers.

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

बिड़ला भवन के बारे में सहमति

37. **श्री कंवर लाल गुप्त :**

श्री रा० बरुआ :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिड़ला बन्धु बिड़ला भवन सरकार को देने के लिये सहमत हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार और बिड़ला बन्धुओं की ओर से श्री के० के० बिड़ला के मध्य तय हुई मुख्य शर्तें, बशर्ते कि बिड़ला बन्धु इनकी पुष्टि करें, निम्न प्रकार हैं :—

(i) गांधीजी की स्मृति को जीवित रखने के लिये बिड़ला बन्धु सरकार को यह सम्पत्ति प्रतिरक्षण के लिये उपहार के रूप में देंगे। मुख्य भवन का नाम बिड़ला भवन ही बना रहेगा, परन्तु सम्पूर्ण सम्पत्ति का उचित नामकरण इस बात का द्योतक होगा कि गांधीजी इस स्थान पर शहीद हुए थे। भवन का वह कमरा जिसमें श्री जुगल किशोर बिड़ला रहे थे और उनकी मृत्यु हुई, को उनकी स्मृति के रूप में पृथक रखा जायेगा।

(ii) सरकार बिड़ला बन्धुओं को अपना भवन बनाने के लिये भूमि का वैकल्पिक प्लाट आवंटन करने पर सहमत हो गई है। वे आवंटन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि में, बिड़ला भवन को, अपना नया भवन के पूरा बन जाने पर, खाली कर देंगे।

(iii) बिड़ला परिवार को स्मारक के प्रबन्ध के लिये गठित की जाने वाली किसी समिति में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया जायेगा।

श्री ब० सू० मूर्ति : (ii) सरकार, बिड़ला बन्धु को, अपने मकान के निर्माण के लिए वैकल्पिक भूमि देने को सहमत हो गई है।

कुछ माननीय सदस्य : क्यों ?

Shri Rabi Ray : Has it to be exchanged ? This order should be rejected . . . (*interruptions*).

Mr. Speaker : Kindly let the hon. Minister read his full answer and then question can be put. Some decorum should be maintained in this House. It is all wrong.

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं संसद सदस्यों को यह सूचना दे रहा हूं कि आवंटन की तिथि से तीन वर्ष के पश्चात् अपने नये मकान के पूरा हो जाने पर बिड़ला बन्धु बिड़ला सदन को खाली कर देंगे ।

कुछ माननीय सदस्य : यह शर्म की बात है ।

श्री हेम बरुआ : सरकार सार्वजनिक राजकोष से बिड़ला बन्धुओं को मुआवजा दे रही है (**व्यवधान**) । मैं जानता हूं कि उपचुनाव के दौरान बिड़ला बन्धुओं ने आपको 22 लाख रुपये दिये हैं ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हो गये ।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें उत्तर देने दीजिए । फिर प्रश्न आयेंगे ।

श्री स० कुण्डू : उन्हें अपने वक्तव्य को सही करना चाहिए । यह "उपहार" का शब्द नहीं होना चाहिए । यह तो भूमि का विनिमय है जिसे सरकार दे रही है । इसलिये यह "भूमि का विनिमय" होना चाहिए ।

श्री ब० सू० मूर्ति : (iii) स्मारक के प्रबन्ध के लिए जो भी समिति बनाई जायेगी उसमें बिड़ला परिवार को प्रतिनिधित्व मिलेगा ।

Shri Kanwar Lal Gupta: I want to know from the hon. Minister whether his Ministry had taken the decision in consultation with the Prime Minister on these 4 terms & conditions which he has just now informed and whether the Prime Minister had repressed her consent in the matter?

Secondly what is the area of Birla House and also the cost of the building? Where the alternative land will be given to the Birlas? Has Government written any letter to the Birlas; and if so when it was written and whether they had given any reply?

श्री के० के० शाह : मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूँ कि मैं बिड़ला सदन का कोई मूल्य नहीं देने वाला हूं । मैं तो केवल भूमि के बदले भूमि ही दूंगा । इसमें कोई अनुचित बात नही है । (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठने की कृपा करें । आप इस बारे में विचार कर सकते हैं परन्तु आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए ।

श्री के० के० शाह : मैं माननीय सदस्यों से इस मामले पर शान्ति पूर्वक विचार करने का निवेदन करता हूं । यदि हमें इस का अर्जन करना होगा तो इसका मुआवजा देना पड़ेगा (**व्यवधान**) । सरकार और बिड़ला बन्धुओं की ओर से श्री के० के० बिड़ला के बीच एक करार हो गया है ।

Shri Kanwarlal Gupta: Sir, reply to my question has not been given.

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप श्री कंवरलाल गुप्त के प्रश्न का ही उत्तर दें, अन्य प्रश्नों का नहीं

Shri Kanwar Lal Gupta: My first question was whether the terms and conditions have been accepted by his Ministry in consultation with the Prime Minister; and whether her consent was taken? The second question was, what is the area of the land of Birla House and where you are going to give them alternative land? Thirdly what is the estimated value of Birla House?

श्री के० के० शाह : यह सरकार का निर्णय है और इस के लिए मैं जिम्मेदार हूं कि मैं किसी से सलाह लेता हूं अथवा नहीं। जहां तक सम्पत्ति के मूल्यांकन का प्रश्न है मूल्य का कोई निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि बिड़ला बन्धु इसे दान देने को सहमत हो गये हैं। इसलिए इस को मूल्यांकन करने का प्रश्न ही नही उठता। जहाँ तक भूमि का प्रश्न है, उन्हें औरंगजेब रोड पर जगह दिखा दी है परन्तु इस बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया हैं।

Shri Rabi Ray: I have a point of order. The question of Shri Kanwar Lal Gupta was very specific and important one. When this question was to be discussed today, the hon. Minister should have come here after getting full information regarding cost or value of the land. Therefore, I request the hon. Minister, through you that he should inform the House of the value of land after its assessment.

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है जिस को लेकर वह खड़े हुए हैं।

श्री हेम बरुआ : माननीय मंत्री ने "दान" शब्द का प्रयोग किया है। जब आप बिड़ला बन्धुओं को मुआवजे के रूप में भूमि दे रहे हैं, तो यह दान कैसे हुआ? यह कोई दान नहीं है।

श्री के० के० शाह : बिड़ला सदन का क्षेत्रफल लगभग 4.665 एकड़ है।

Shri Kanwar Lal Gupta: It is a good thing that Government is going to make here a martyr's memorial. Will the Government tell us as to what this memorial would look like, and whether any decision has been taken? Will Government have consultations with the leaders of all faiths, and also actively associate such persons to have consultations with Educationists, and other people regarding design of the memorial so that homage may be paid in better way to Mahatma Gandhi? I want to know from the hon. Minister, whether it is a fact that he has written a letter to the Birlas in this week; if so, the date and the contents of that letter; and whether any reply has been received by the hon. Minister?

श्री के० के० शाह : मैंने 14 मई, 1970 को पत्र लिखा है, जिसमें करार की शर्तों का ब्यौरा है और उनकी पुष्टि मांगी गई है। मैंने श्री के० के० बिड़ला से बातचीत की थी, बातचीत के उपरान्त स्वीकृत शर्तों को अन्य समस्त बिड़ला बन्धुओं की सहमति के लिए उनके पास भेज दिया है क्योंकि मेरी बातचीत केवल श्री के० के० बिड़ला से ही हुई थी। अन्तिम निर्णय करने से पूर्व सभी विचारों के व्यक्तिओं और अधिकतम संसद सदस्यों से परामर्श लेना मेरा कर्त्तव्य है।

श्री रा० बरुआ : हम सब की महात्मा गान्धी की स्मृतिमें अधिक रूचि है परन्तु चर्चा के रुख से पता लगता है कि कुछ माननीय सदस्यों को महात्मा गांधी की स्मृति के बजाय बिड़ला बन्धुओं में अपेक्षाकृत अधिक रूचि हैं और वह भी इस गांधी शताब्दी वर्ष में। मैं माननीय मंत्री को महात्मा गांधी की स्मृति बनाये रखने को इस विवाद को समाप्त करने और सम्पत्ति का अर्जन करने के

बारे में बधाई देता हूं । मैं मंत्री महोदय से इस बात में भी सहमत हूं कि वर्तमान संविधान के अनुसार किसी सम्पत्ति का अर्जन करने के लिए उसका मुआवजा दिया जायेगा । अतः मुआवजे का भुगतान करने के बारे में उठाई गई आपत्ति के सब मामले असंगत हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार महात्मा गांधी की स्मृति कैसे बनाये रखेगी, और वर्तमान विवाद को देखते हुए क्या सरकार की योजना बिड़ला बन्धुओं के नाम को बिलकुल हटाने की है । यदि सरकार वास्तव में उचित आदर सम्मान दिखाना चाहती है तो इसे समग्र रूप में इसी प्रकार रखना चाहिए जैसी यह है । म चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बारे में स्पष्ट उत्तर दें ।

श्री के० के० शाह : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे माननीय मित्र ने यह मान्यता दी है कि संविधान के अन्तर्गत बिना मुआवजा दिए सम्पत्ति का अर्जन नहीं किया जा सकता । हमें बिड़ला बन्धुओं को इस बात के लिए भी सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने बिना किसी मुआवजे का दावा किए इस सदन को दान में दिया है । और केवल भूमि के बदले भूमि ही मांगी है ।

Shri Rabi Ray : This is not a compensation. It is your strange concept of compensation.

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया उत्तेजित न हों ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : सरकार द्वारा बिरला बन्धुओं के साथ किए गए समझौते को दृष्टिगत रखते हुए, जोकि सदन के अधिकांश सदस्यों की इच्छाओं के प्रतिकूल किया गया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मामले की पुनः जांच करवाने का आश्वासन देगी, यदि नहीं, तो क्या इस पर पुनः चर्चा की अनुमति दी जाएगी? आज सत्र का अन्तिम दिन है अतः इस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए ।

श्री के० के० शाह : जहाँ तक समझौते की शर्तों का प्रश्न है मेरे विचार में इससे बेहत्तर शर्ते और नहीं हो सकतीं ।

Mr. Speaker : If five or six Members keep this House at bay like this, how shall we able to transact the business of the House. Do you believe that any issue can be solved if five or six persons speak together. You can ask questions, express your views but this is not the proper way.

श्री ही० ना० मुकर्जी : हो सकता है मेरे विचार गलत हों किन्तु सरकार ने सदन की भावनाओं की उपेक्षा की है । सदन के सत्रावसान पर ऐसा वक्तव्य दिया गया है । जैसाकि आपने भी सूझाव दिया है इस पर चर्चा होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह कहा था कि चर्चा में भाग लेने या उत्तर सुनने का यह कोई तरीका नहीं, कृपया ऊंचा न बोलें, यदि आप उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं तो आप उनसे वाद-विवाद कर सकते हैं किन्तु आप सदन को परेशान न करें ।

श्री अमृत नाहाटा: कानून के अनुसार यदि किसी की सम्पत्ति ली जाती है तो उसका मुआ-जा दिया जाता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने 'बिरला हाऊस' का अधिग्रण कया है अथवा यह उसे दान के रूप में दिया जा रहा है । महोदय, यदि जमीन के बदले जमीन दी

जा रही है तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र जैसलमेर के हज़ारों विस्थापितों को भी स्थान दिया जाए। यदि उन्हें नहीं दिया जा सकता तो बिरला-बन्धु कैसे इसके अधिकारी हैं ?

श्री के० के० शाह : मुझे खेद है मेरे माननीय सहयोगी उचित तुलना नहीं कर रहे ।

Shri Rabi Ray: Sir, does the hon. Minister know that Mahatma Gandhi was not in favour of giving any compensation for land acquired for public purposes. This is so stated in Louis Fisher book. They who have not read the book should read it. Has the hon. Minister taken this thing into consideration. I also wish to know whether it is a fact that Agha Khan did not take any compensation from the Government, when Agha Khan palace in Poona, where Kasturba had died, was taken over by the Government. Keeping this in view will the hon. Minister cancel the agreement by which it has been agreed to give $4\frac{1}{2}$ acres land to Birlas for compensation, as this is not a Government memorial but a national memorial.

Shri K. K. Shah: I wish to inform the hon. Member that in Delhi whenever we acquire land of a person we do give him land for purposes of residence. Accordingly the question of cancelling the agreement does not arise.

Shri Rabi Ray: Birla is worth 400 crores. My question has not been answered as to whether Agha Khan was paid any compensation.

Shri K. K. Shah: There is no question of going back on agreement. We have acquired their land and I do not think better terms could have been available.

Shri Lakhan Lal Kapur: It is a matter of shame for Birlas.

Shri Manubhai Patel: Sir, I do not wish to make a comparison between two great leaders but the policy adopted by the Government needs consideration. No aid is given to any of the Gandhi memorial whether it is a library, museum or monument, but this is not so in the case of Pandit Jawahar Lal Nehru. A sum of Rs. 900 is being spent monthly on Jawahar Jyoti. He too was a great leader and I am not against him but the policy Government has adopted regarding Gandhi memorial needs consideration.

I want to know if the Government is going to constitute a trust or Committee for this new memorial and will take upon the entire responsibility.

Shri K. K. Shah: I fail to understand how hon. member has raised this question. When we have acquired the land it is now our responsibility, unnecessarily irrelevant matter is brought into the discussion to create confusion.

Shri Manubhai Patel: Mrs. Gandhi was the head of 'Gandhi Centenary Celebrations Committee' but she transferred her entire responsibility on the Lieut. Governor of Delhi.

Shri K. K. Shah: I have replied to my question. So far this matter is concerned I do not have information. Ask another question if you wish.

Shri Manubhai Patel: I wish to know whether Government will take entire responsibility on its shoulders or will entrust this to some Committee. The future set up should be explained.

Shri K. K. Shah: I have already said that we are considering as to whether it is going to be committee, trust or board of management. Whose responsibility will it be if not the Government's.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह बहुत आशचर्य की बात है कि सरकार ने एक राष्ट्रीय महत्त्व के प्रश्न पर, सदन में तथा राजनीतिक दलों के नेताओं से चर्चा किए बिना, समझौता कर लिया है। मंत्री महोदय के कथनानुसार बिरला भवन सरकार को दानस्वरूप भेंट किया गया है किन्तु यह बात ठीक नहीं, यदि भवन दानस्वरूप दिया जाता तो मुआवजे के रूप में जमीन के बदले ज़मीन देने का प्रश्न ही नहीं उठता और यदि वह ज़मीन बदले में ले रहे हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि केवल इमारत ही दान में दी जा रही है और मेरे विचार में इमारत की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। हमें उसका पुनः निर्माण करना पड़ेगा क्योंकि वह बहुत वर्ष पुरानी है। अतः यह दान कोई दान नहीं, यदि बिरला बन्धु वस्तुतः दान देना चाहते हैं तो उन्हें बिना किसी शर्त के ज़मीन और इमारत दोनों का ही दान करना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस बात को दृष्टि में रखे बिना कि यह दान नहीं है, इस समझौते पर किस प्रकार अनुमति दे दी। उन्हें समझौते को बदल देना चाहिए और यदि उसमें बिरला भवन को दान के रूप में लिखा गया है तो उसे दान नहीं समझना चाहिए।

श्री के० के० शाह : जहां तक स्मारक का प्रश्न है मैं सदन तथा सभी नेताओं का परामर्श मानने को बाध्य हूं... (**व्यवधान...**) मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक बार मेरे माननीय सहयोगियों ने कहा था कि गांधी स्मारक के लिए बिरला-बन्धुओं से वह स्थान ले लिया जाए और यदि आवश्यकता पड़े तो इसके लिए उचित मुआवज़ा भी दे दिया जाए और अब जबकि समझौता हो गया है इसके लिए मुझे दोषी ठहराया जा रहा है।... (**व्यवधान**)

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। जब ज़मीन के बदले ज़मीन दी जा रही है तो वह इसे दान कैसे मान रहे हैं।

श्री के० के० शाह : दान में केवल इमारत मिल रही है और जहां तक ज़मीन का सम्बन्ध है हम ज़मीन के बदले ज़मीन दे रहे हैं।

श्री हेम बरुआ : यह वाकई बहुत शर्मनाक समझौता है। यद्यपि मंत्री महोदय ने इस पर अपनी सहमति प्रकट की है फिर भी मैं यही कहूंगा कि यह समझौता अत्यधिक लज्जाजनक है। गांधी स्मारक हेतु आप प्रत्यक्षतः भूमि का अधिग्रहण क्यों नहीं करतें यह कोई सरकार का स्मारक नहीं अपितु यह राष्ट्रीय स्मारक है आप बिरला बन्धुओं के साथ अत्यधिक नम्रता बरत रहे हैं क्योंकि बिरला बन्धुओं ने आपको पैसा दिया है... (**व्यवधान**)

श्री के० के० शाह : क्या इस प्रकार के आरोप लगाना उचित हैं यदि मैंने उन्हें कुछ दिया होता तो आप आरोप लगा सकते थे। मैं ज़मीन तथा इमारत दोनों के बदले में उन्हें केवल ज़मीन दे रहा हूं और फिर भी आरोप लगा रहे हैं यह क्या उचित है।

श्री हेम बरुआ : मैंने यह नहीं कहा कि बिरला बन्धुओं ने श्री शाह को पैसा दिया है। उन लोगों ने आपके दल को पैसा दिया है।

श्री के० के० शाह : अगर ऐसा होता तो शायद मैं भी उन्हें बिरला भवन के बदले पैसे दे देता किन्तु जैसाकि मैंने पहले भी बताया कि हम उनको इमारत और ज़मीन के बदले केवल ज़मीन दे रहे हैं। आप को कम से कम इतना उदार अवश्य होना चाहिए... (**व्यवधान**)

श्री रवि राय : आपको बिरला की अपेक्षा निर्धनों के प्रति उदार होना चाहिए ।

श्री के० के० शाह : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे समझौता करते समय उदारता से काम लें और किसी प्रकार के आरोप न लगाएं ।

श्री हेम बरुआ : यह एक बुरा समझौता है ।

श्री स० कंडप्पन : मेरे विचार में, बिरला बन्धुओं से भवन लेकर तथा उन्हें मुआवज़े में जमीन देकर, सरकार गांधी जी के विचारों के साथ न्याय नहीं कर रही । मैं और भी दो बातें सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं और मंत्री महोदय से इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं । एक शर्त यह है कि बिरला भवन का नाम न बदला जाए और दूसरा स्मारक सम्बन्धी जो कोई भी ट्रस्ट या कमेटी बनाई जाए उसमें बिरला-बन्धुओं का एक प्रतिनिधि अवश्य रखा जाए । इस सब से ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह स्मारक गांधी जी की यादगार में न बनाकर बिरला-बन्धुओं की याद में बनाया जा रहा है । समझ में नहीं आता संसद के परामर्श बिना सरकार ने किस प्रकार इस समझौते पर अपनी सहमति प्रकट कर दी । देश में व्याप्त इन विरोधी विचारधाराओं तथा उत्तेजित भावनाओं को देखते हुए यह बहुत दुःख का विषय है कि बिरला-बन्धुओं ने भवन को बिना किसी शर्त के नहीं सौंपा और इससे भी अत्यधिक दुःख की बात है कि सरकार ने उनकी शर्तों को मंजूर कर लिया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पुनः इस मामले की जांच करने के लिए तैयार है ?

श्री के० के० शाह : मेरे माननीय मित्र जब इस विषय पर पुनः विचार करेंगे तो अपने विचारों की अपेक्षा मेरे मत से अधिक सहमत होंगे ।

श्री स० कण्डप्पन : महोदय, पुनः विचार करने का अवसर दिया जाए ताकि वह मेरे विचार बदलने में समर्थ हो सकें । क्या वह इस पर पुनः विचार के लिए तैयार हैं ?

Shri Lakhan Lal Kapur: The hon. Minister has written to Birla, I want to know if he wrote to him for donating the land as well as the building.

You have said that you are giving land for land. Does not the price of that land comes to 30 lakh and if so, does it not amount to compensation and if it does where is the question of donation. You are giving land for land to Birlas but do you give land to those who have been ousted where big projects are or have been undertaken and you do not give land for land to them. How the question of giving land to Birla arises. Birla has been exploiting India for the last 22 years. Cannot Birla donate land even for Gandhi memorial?

Shri K. K. Shah: I am very much obliged to the hon. member for asking this question. I am sorry I had not told you one thing. All is written here. Had I read it earlier, this sort of misunderstanding would have never arisen.

The rent will be payable on the basis of the current land values. It says:

"The allotment of the new plot will be on the normal basis. While no premium will be charged for the land, the ground rent will be payable on the basis of the current land values."

श्री हेम बरुआ : किन्तु इससे स्थिति में क्या परिवर्तन होता है ।

Shri K. K. Shah : I am sorry, I did not pay attention to this side.

I would read again for the information of the hon. Members. "The allotment of the new plot will be on the normal basis". These are all lands on lease where the rent is revised at the end of 30 years or so. I think it is 30 years.

श्री स० कुण्डू : 90 वर्ष !

Shri K. K. Shah : 30 years to the best of my knowledge. I stand to be corrected, "while no premium will be charged, the ground rent will be payable on the basis of the current land values....."

An hon. Member : What is this land value.

Shri K. K. Shah : Please listen "... to be revised periodically as usual with all lessees of Government land".

Shri Lakhan Lal Kapur : My question has not been answered.

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ब्रिटेन को केरल में अंग्रेजों के चाय बागान का राष्ट्रीयकरण किये जाने की आशंका

*1742. **श्री बाबू राव पटेल:** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखा है जिसमें अंग्रेज़ो के बड़ी संख्या में उन चाय बागान के भविष्य के बारे में आशंका व्यक्त की गई है जिनका केरल राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण किये जाने का खतरा है ; और

(ख) यदि हां, तो ब्रिटेन के विरोध-पत्र की मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ब्रिटेन में भारतीयों का बड़ी संख्या में प्रवास

*1744. **श्री हिम्मतसिंहका** :
श्री गाडिलिंगन गौड़ :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में ब्रिटिश गृह-कार्यालय द्वारा वर्ष 1969 के संबंध में तैयार किये गये राष्ट्रमंडलीय आप्रवास आंकड़ों के अनुसार, ब्रिटेन जाने वाले लोगों में भारतीयों की संख्या अब भी सबसे अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो संबंधित आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भारतीयों के इतनी अधिक संख्या में ब्रिटेन जाने के क्या मुख्य कारण हैं और किन विशेष वर्गों के व्यक्ति ब्रिटेन जाते हैं और उनमें से कितने प्रतिशत लोग वैज्ञानिक तथा तकनीशियन हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इसका कारण यह है कि इन कुल आंकड़ों में भारतीयों के कई वर्ग सम्मिलित हैं, जैसे यात्री, रोज़गार वाउचर वाले, आश्रित आदि । 1969 के दौरान यू० के० में आप्रवासियों की कुल संख्या में वैज्ञानिकों और तकनीशियनो की संख्या 1·27 प्रतिशत बैठती है ।

निर्यात में अनुसन्धान की सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी नीति की घोषणा

*1746. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्था और राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा हाल में दिल्ली में आयोजित एक विचार गोष्ठी में सरकार से दृढ़ नीति की घोषणा करने का अनुरोध किया गया है जिससे निर्यात सम्बन्धी अनुसंधान करने में सुविधा हो; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ख) . विचार गोष्ठी की कार्यवाही का वृतान्त अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है । कार्यवाही वृतान्त प्राप्त होने पर विचार गोष्ठी में किये गये सुझावों पर सरकार द्वारा विचार किया जायेगा ।

केबल तथा तार उद्योग के लिए कच्चे माल का आयात

*1750. **श्री सु० कु० तापड़िया**: क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केबल तथा तार उद्योग के लिए, जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, कच्चे माल के आयात के सम्बन्ध में इस बीच निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकार के रजिस्टर तथा पुस्तकों में दर्ज औद्योगिक एककों की कुल संख्या कितनी है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ख). 1970-71 की आयात नीति, जो पहिले ही घोषित की जा चुकी है, के अनुसार प्राथमिक उद्योगों, जिसमे केबल तथा तार उद्योग भी शामिल हैं, की आवश्यकताओं पर, आयातित कच्चे माल और संघटकों के सम्बन्ध में वास्तविक खपत के आधार पर विचार किया जाता है । केबल तथा तार उद्योग में लगे हुए बड़े कारखानों के मामले में छः महीने की अवधि के लिए उनकी आवश्यकताओं के सम्बन्ध

में समर्थक आंकड़ों सहित विशिष्ट जानकारी पहले ही मांगी जा चुकी है। यद्यपि छोटे कारखानों की आवश्यकताओं का आकलन अलग से एक अध्ययन दल द्वारा किया जा रहा है तथापि ऐसे कारखानों को लाइसेंस लेने के लिए, 1970-71 की आयात व्यापार नीति में निर्धारित नियमों के अनुसार अपने आवेदन पत्र भेजने की सलाह दी गई है।

(ग) तकनीकी विकास के महा-निदेशक के पास पंजीकृत बड़े कारखानों की संख्या 63 है। छोटे कारखानों की संख्या अभी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

चमड़े तथा खालों के निर्यात में कमी

*1751. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में पशुओं की संख्या विश्व में सब से अधिक होने के बावजूद चमड़े तथा खालों के व्यापार में भारत का अनुपात बहुत कम है ; और

(ख) यदि हां, तो चमड़े और खालो के व्यापार को बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) भारत सरकार कमाई हुई और आधी कमाई हुई खालों और चमड़ियों और तैयार चमड़े तथा चमड़े के बने माल के निर्यात को बढ़ाने की आवश्यकता के प्रति पूरी तरह से जागरूक है। इस सम्बन्ध में किये गये महत्वपूर्ण उपायों को दिखाने वाला एक विवरण (अंग्रेज़ी में) संलग्न है।

विवरण

चमड़े तथा खालों और तैयार चमड़े तथा चमड़े की बनी वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार ने निम्नलिखित कार्यवाही की है :—

(1) दो निर्यात विकास परिषदें। (।) चर्म निर्यात विकास परिषद, मद्रास (।।) तैयार चमड़े तथा उससे बनी वस्तुओं के लिये निर्यात विकास परिषद, कानपुर, की स्थापना की गई है। ये दोनों परिषदें निर्यात विकास के लिये, नये निर्यातकर्ताओं को मार्गदर्शन, बाज़ारी ज्ञान जुटाना, सूदूर देशों की प्रदर्शिनियों में भाग लेना, विदेशी बाज़ारों के दौरे के लिये विक्री तथा अध्ययन दल और व्यापारिक शिष्टमंडल की व्यवस्था जैसी कार्यवाही करती हैं।

(2) इस उद्योग के लिये कच्चे चमड़े तथा खालें और चर्मशोधन छालें तथा द्रव्यों जैसे आवश्यक मूल कच्चे माल के आयात के लिये खुले रूप में सामान्य लाइसेन्स की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(3) चर्म तथा चर्म निर्मित वस्तुउद्योग भी 59 प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में से एक है। इसलिये इस उद्योग के एकक वास्तविक खपत के आधार पर आयात लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।

(4) विभिन्न प्रकार के चर्म तथा चर्म उत्पादों के निर्यात के लिये आयात लाइसेंस दिये जाते हैं जिससे इस प्रकार के निर्यात उत्पादों के लिये नये-नये मालो का आयात किया जा सके ।

(5) बकरी की खालों से तैयार की गई ब्लू क्रोम (Blue Chrom tange goatskin) और वैजिटेबिल टैनड चर्म (Vegetable tanned leather) के निर्यात पर शुल्क समाप्त करने की व्यवस्था की गई है ।

कम्बोडिया के सम्बन्ध में एशियाई देशों का सम्मेलन

*1752. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि कम्बोडिया की तटस्थता बनाये रखने के लिए सरकार सभी एशियाई देशों का एक सम्मेलन आयोजित कर रही है ; और

(ख) क्या उपर्युक्त सम्मेलन की तिथि तथा स्थान निश्चित हो गये हैं और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत तथा अन्य देशों में औद्योगिक प्रयोग के लिए बिजली की तुलनात्मक लागत

*1753. **श्री वीरेन्द्रकुमार शाह** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन और जापान जैसे अन्य देशों की तुलना में भारत में औद्योगिक प्रयोग में आने वाली बिजली की लागत बहुत अधिक है और यदि हां, तो चुने हुए उद्योगो के संबंध में भारत तथा उक्त देशों में विद्यमान तुलनात्मक स्थिति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या भारत में ही औद्योगिक प्रयोजनों हेतु प्रयोग में आने वाली बिजली की लागत विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या वह एक विवरण सभा-पटल पर रखेंगे जिसमें इस बारे में राज्यवार ब्यौरा दिया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री कु० ल० राव) : (क) से (ग) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । (ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3632/70)

प्रतिरक्षा उत्पादन में आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं का प्रयोग

*1754. **श्री रवि राय** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं का प्रयोग करना आरम्भ कर दिया है और जहां तक प्रतिरक्षा उत्पादन का संबंध है, 1500 मदों के स्थानीय उत्पादन के साधनों का पता लगा लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां । 14604 मदों के लिए देशीय उत्पादन संसाधनों का पता लगा लिया गया ।

(ख) वर्षवार विस्तार इस प्रकार है :—

वर्ष	मदें
1965–66	3,850
1966–67	3,098
1967–68	1,008
1968–69	1,715
1969–70	4,933
कुल संख्या	14,604

अन्तर्राष्ट्रीय मैत्री संघ के समारोह में भाग लेने वाले राज्यों के मंत्री

*1755. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार की अनुमति लिए बिना कुछ राज्यों के मंत्री अन्तर्राष्ट्रीय मैत्री संस्थाओ के समारोहों में भाग ले रहे हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह सलाह दी थी कि मंत्री गण न तो अन्तर्राष्ट्रीय मैत्री संस्थाओं को संरक्षण दें और न ही उनके समारोहों में भाग लें ; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्य सरकारों ने इस सुझाव को स्वीकार किया हैं और किन किन राज्यो नें अस्वीकार किया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि मंत्रियों के लिए यह वांछनीय है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय मैत्री समाजों के संरक्षक, सदस्य आदि बनकर उनके साथ तादात्म्य स्थापित न करें । किन्तु किस हद तक अन्यथा रूप में वे किसी समाज के कार्यों में भाग ले सकते हैं, इसका निर्णय करना मंत्रियों के विवेक पर छोड़ दिया गया है ।

(ग) किसी भी राज्य सरकार से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ।

भारत-फ्रांस व्यापार करार

*1756. **श्री गार्डिलिंगन गौड :** क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1959 के भारत-फ्रांस व्यापार करार का 1970 के लिए नवीकरण करने के बारे में भारत और फ्रांस ने किसी संधि पर हस्ताक्षर किया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) भारत-फ्रांस आर्थिक आयोग के संलेख की, जिस पर पैरिस में 23 अप्रैल, 1970 को हस्ताक्षर हुए थे, एक प्रति जिसमें अपेक्षित ब्यौरा दिया गया है सभा पटल पर रखी जाती है । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए संख्या** एल० टी० 3633/70]

हिमाचल प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारियों के आन्दोलन का पंडोह स्थित व्यास-सतलज लिंक परियोजना पर प्रभाव

*1757. **श्री रामकिशन गुप्ता :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के अराजपत्रित-कर्मचारियों द्वारा पंजाब के वेतन-मानों के लिये किये गये आंदोलन के परिणामस्वरूप बिजली बन्द होने से मंडी के निकट पंडोह में 200 करोड़ रुपयों की व्यास-सतलज लिंक परियोजना के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो शीघ्र शांति स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ।

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : जी, हां ।

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक उपाय कर रही है । केन्द्रीय सरकार ने भी अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में कुछ रियायतों की घोषणा की है ।

नेपाल में बहुप्रयोजनीय परियोजना का निर्माण

*1758. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नेपाल सरकार चाहती है कि नेपाल में उत्पादित फालतू बिजली का भारत में उपयोग यहां की बिजली की बाजार दरों पर ही हो ;

(ख) यदि हां, तो क्या नेपाली क्षेत्र में बाघमती, कमला और कोसी की एक शाखा के संगम के निकट एक जल विद्युत (बहुप्रयोजनीय) परियोजना बनाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या इन परियोजनाओं का निर्माण पूरा हो जाने पर सिंचाई के लिये बाढ के पानी की रोकथाम में भी भारत को सहायता मिलेगी तथा बिजली की कमी भी दूर हो जायेंगी ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री कु० ल० राव) : (क) नेपाल सरकार ने नेपाल में कर्णाली नदी के बेसिन में पनबिजली की प्रचुर शक्यताओं का विकास करने और इस परियोजना की फालतू बिजली भारत को सप्लाई करने का प्रस्ताव किया है । बिजली की सप्लाई के लिये दर का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग). बागमती और कमला नदियों के प्रपात के निकट अथवा नेपाल में कोसी की एक शाखा पर पन बिजली/बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के निर्माण के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

एल्यूमीनियम का आयात

***1759. श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में एल्यूमीनियम का आयात करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस वर्ष कितने मीट्रिक टन एल्यूमीनियम का आयात किया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ख). ई० सी० ग्रेड एल्यूमीनियम के आयात की वास्तविक उपयोक्ताओं को प्रतिबंधित आधार पर अनुमति दी जाती है चूंकि ई० सी० ग्रेड एल्यूमीनियम का स्वदेशी उत्पादन आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है ।

(ग) अप्रैल, 1970 से मार्च, 1971 तक के लिए ई० सी० ग्रेड एल्यूमीनियम के आयात का अनुमान इस समय 25,000 मे० टन लगाया जाता है, परन्तु केबल तथा बेतार उद्योग की आवश्यकताओं तथा एल्यूमीनियम की घरेलू प्राप्यता के संदर्भ में इस पर निरन्तर विचार तथा समीक्षा होती रहती है ।

निर्यात संवर्धन परिषद् के सदस्यों तथा अधिकारियों द्वारा विदेशों के दौरे

***1760. श्री सीताराम केसरी** : क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में निर्यात संवर्धन परिषद के सदस्यों तथा अधिकारियों के विदेशों के दौरों पर कितना व्यय हुआ ; और

(ख) निर्यात संवर्धन परिषद के प्रयत्नों के फलस्वरूप निर्यात में कुल कितनी वृद्धि हुई ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और एकत्र हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) गत तीन वर्षों 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 में निर्यातों में वृद्धि होती रही है । निर्यात संवर्धन प्रयत्नों में परिषदों ने उल्लेखनीय योगदान दिया है परन्तु निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रयत्नों के परिणामों को निर्यातों के विकास में अंशदान देने वाले अन्य उपादानों से अलग

नहीं किया जा सकता । एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें गत तीन वर्षों में किये गये निर्यात दिये गये हैं ।

विवरण

तीन वर्ष, 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 में हुए भारत के कुल निर्यातों को दर्शाने वाला विवरण ।

(आंकड़े अवमूल्यन पश्चात के रु० में)

वर्ष	1967—68	1968—69	1969—70
पुनर्निर्यात सहित भारत के कुल निर्यात	1198,69	1357,78	1410,01

स्रोत : महानिदेशक, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी, कलकत्ता ।

रूस और पाकिस्तान के बीच स्थल मार्ग

*1761. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल में रूस और पाकिस्तान को मिलाने वाला एक नया स्थल मार्ग खोला गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अफगानिस्तान ने इस बात पर जोर दिया था कि अफगानिस्तान से हो कर जाने वाला रूसी-सामान अफगानिस्तान के ट्रकों में ही लादा जाए ताकि सैनिक सामान के परिवहन को रोका जा सके ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान को बरास्ता अफगानिस्तान रूसी सामान के परिवहन के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करने के बदले में अफगानिस्तान सरकार ने पाकिस्तान से आग्रह किया था कि वह अफगानिस्तान भेजे जा रहे भारतीय सामान के परिवहन के लिये स्थल मार्ग खोल दे ; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि अफगानिस्तान भेजे जाने वाले भारतीय सामान के लिये स्थल मार्ग खोला जाए ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) अफ़गानिस्तान में नई सड़कें बन जाने के कारण अब सोवियत संघ से सड़क मार्ग द्वारा सामान और उपकरण पाकिस्तान भेजना सम्भव हो गया है ।

(ख) सरकार ने इस आशय की ख़बरें देखी हैं कि पाकिस्तान के लिए सोवियत उपकरण सड़क के मार्ग से अफ़गानिस्तान के ट्रकों में ले जाया गया है । लेकिन सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि अफ़गानिस्तान की सरकार ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि सोवियत उपकरण अफ़गान ट्रकों में ही ले जाया जाए ।

(ग) अफ़गानिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान पर बराबर इस बात का ज़ोर दिया है कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच परम्परागत सड़क मार्ग का इस्तेमाल करने दिया जाए।

(घ) भारत सरकार ने पाकिस्तान से बराबर यह प्रस्ताव किया है कि भारत-अफ़गान व्यापार के लिए सड़क मार्ग खोल दिया जाए। लेकिन, पाकिस्तान ने ऐसा करने की कोई इच्छा प्रकट नहीं की है।

विदेशों में औद्योगिक विकास के लिए भारत का सहयोग

*1762. **श्री अर्जुनसिंह भदौरिया** : क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई अन्य देशों में औद्योगिक विकास के लिए भारत के सहयोग की बहुत मांग है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ख). कुछ अन्य देशों ने अपने देशों में भारतीय सहयोग के साथ औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने में रुचि दिखाई है। अनेक भारतीय उद्योगपतियों ने इस स्थिति से लाभ उठाया है। सरकार द्वारा अभी तक अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या नीचे दी गई है :—

अफ्रीका	41
एशिया	44
यूरोप	5
उत्तरी अमरीका	3
द० अमरीका	1
वेस्ट इन्डीज	2

1969 में विश्व निर्यात व्यापार में भारत की असंतोषजनक प्रगति

*1763. **श्री प० गोपालन** :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1969 में भारतीय निर्यात व्यापार में हुई वृद्धि विश्व-निर्यात व्यापार की कुल वृद्धि की 1/3 प्रतिशत ही थी ;

(ख) यदि हां, तो भारत की इस शोचनीय प्रगति के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने विकासशील देशों की सहायता हेतु विकसित देशों को अपनी व्यापार प्रक्रियाओं को उदार बनाने की आवश्यकता से अवगत कराने के लिय क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) 1969 में विश्व निर्यातों में लगभग 13.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में भारत के निर्यात में लगभग 4.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

(ख) हाल ही के वर्षों में विश्व निर्यातों में अधिकतम वृद्धि विकसित देशों तथा तेल-निर्यात करने वाले विकासशील देशों से हुई है। इस तथ्य के अलावा कि भारत इन दो वर्गों में से किसी में भी नहीं है, 1969 में हुए निष्पादन पर चाय तथा पटसन के माल के निर्यातों के सम्बध में हुई कठिनाइयों तथा साथ ही मूल उत्पादों के निर्यातों के कम एकक मूल्यों का काफी प्रभाव पड़ा था। अधिकांश कठिनाइयां बाहरी परिस्थितियों के कारण थीं ।

(ग) सभी अन्तर्राष्ट्रीय मंचों विशषत: अंकटाड तथा गाट में, भारत विकासशील देशों से विकसित देशों के लिय जाने वाले आयातों के विषय में अधिक उदारता के व्यवहार के लिए जोर देता रहा है ।

Purchase of Raw Cotton

*1764. **Shri Deorao Patil:** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state:

(a) whether Government have considered the suggestion to do away with Commission Agents and Middlemen in purchasing raw cotton;

(b) the details of the suggestions made by Agricultural Prices Commission and the Conference of Chief Ministers of States in this regard; and

(c) whether it is a fact that distribution cost of raw cotton increases due to middlemen and the farmers have to suffer losses?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak): (a) & (b). The recommendation made by the Agricultural Prices Commission is to the effect that a public sector agency be set up to purchase and sell quantities of domestic cotton for disciplining prices. No suggestion of the nature stated to have been made at the Conference of the Chief Ministers of States has come to notice. The recommendation of the Agricultural Prices Commission is under consideration.

(c) Cotton traders charge a commission on cotton transactions but it is difficult to say whether this is at the cost of the farmers.

सहायता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बारे में अमरीका के राजदूत का वक्तव्य

*1765. श्री क० लकप्पा : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में अमरीका के राजदूत ने भारत को अमरीका की सहायता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों को हाल में सार्वजनिक रूप से प्रकट किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अमरीकी राजदूत द्वारा ऐसा करना सामान्य नयाचार के अनुसार है; और

(घ) यदि नहीं, तो विदेशी प्रतिनिधियों को अपनी स्थिति का इस प्रकार का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) हाल ही में बिहार में बोलते हुए, अमरीकी राजदूत ने उन नई नीतियों की रूपरेखा बताई थी जिनसे सभी देशों के अमरीकी विदेश सहायता कार्यक्रम संचालित होंगे, सिर्फ भारत के ही नहीं।

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित अमरीकी विदेश सहायता को संचालित करने वाली नई अमरीकी नीतियों की रूपरेखा इस प्रकार है :—

(i) अपनी आर्थिक सहायता को सुचारु रूप देने के लिए अमरीका बहुउद्देश्यीय संस्थाओं पर अधिक बल देगा।

(ii) विकास की प्रक्रिया में गैर-सरकारी क्षेत्र के पूंजी निवेश की मुख्य भूमिका होगी।

(iii) औद्योगिक राष्ट्रों की व्यापार नीतियों में विकासमान देशों की विशेष आवश्यकताओं को मान्यता अवश्य मिलनी चाहिए ; और

(iv) विकासमान देशों को स्वयं अपनी शक्तियों से काम लेने का अधिकाधिक प्रयत्न करना चाहिए।

(ग) अमरीकी राजदूत अपनी सरकार के विचार व्यक्त कर रहे थे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीलंका में भारत मूलक लोगों का भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन पत्र देना

***1766. श्री देवेन सेन :**

श्री मंगलाथुमाडम :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1964 की श्रीमावो-शास्त्री संधि के अंतर्गत 3 लाख 50 हजार से अधिक भारत-मूलक लोगों ने भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन पत्र दिये हैं ;

(ख) उन भारत मूलक लोगों की संख्या कितनी है जिनको श्रीलंका के साथ हुए करार के अंतर्गत श्रीलंका सरकार नागरिकता के अधिकार देने के लिये सहमत हो गयी है ; और

(ग) क्या श्रीलंका सरकार इस करार को कार्यन्वित कर रही है तथा उपरोक्त भाग (क) के संबंध में क्या स्थिति है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 1964 के भारत श्रीलंका करार के अंतर्गत, भारतीय मूल के 300,000 राज्यहीन लोगों को नागरिकता प्रदान करने पर श्रीलंका राजी हो गया है।

(ग) श्रीलंका की नागरिकता प्रदान करने में थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन श्रीलंका सरकार ने हमें इस बात का आश्वासन दिया है कि वे इस करार का कार्यान्वियन पूर्ण रूप से करेंगे। भारतीय मूल के 69145 राज्यहीन व्यक्तियों को भारत ने भारतीय नागरिकता दी है।

तमिलनाड में राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई कपड़ा मिलों का कार्यकरण

*1767. **श्री के० रमानी ।** क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तामलनाडु में राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा जो आर्थिक संकटग्रस्त कपड़ा मिलें अपने नियंत्रण में ली गई हैं उन्हें लाभप्रद तरीके से चलाने के लिये विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ख). उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा तमिलनाडु में चार मिलों को अपने अधिकार में लिया जा चुका है । इन मिलों को लाभप्रद ढंग से चलाने के लिये किये गये उपायों के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) मिलों ने हाल ही में कार्य प्रारंभ किया है और मितव्यय संबंधी किये गये उपायों के परिणाम इतनी जल्दी जानना संभव नहीं है ।

पटसन तथा चाय के निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण

*1768. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :** क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटसन तथा चाय के निर्यात व्यापार को अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) पटसन तथा चाय के निर्यात को अपने हाथ में लेने की कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विश्व बैंक दल द्वारा मध्य प्रदेश के तंगघाटी क्षेत्र का वैमानिक सर्वेक्षण

* 1769. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के एक दल ने मध्य प्रदेश में चम्बल के साथ के तंगघाटी क्षेत्र का वैमानिक सर्वेक्षण किया था ;

(ख) क्या उस दल ने कोई रिपोर्ट दी है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या तंगघाटी क्षेत्र के विकास के लिये मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र से कोई वित्तीय सहायता मांगी है यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (घ). विश्व बैंक का एक मिशन हाल ही इस देश में आया था और उसने भारत सरकार के अधिकारियों के साथ कृषि सैक्टर में उन संभावी परियोजनाओं के सम्बन्ध में बातचीत की थी जिन पर अगले कुछ वर्षों के दौरान सहायता के लिये बैंक विचार कर सकता था। जिन संभाव्यताओं पर विचार-विमर्श किया गया, उनमें से एक का संबंध चम्बल क्षेत्र की तंग घाटी वाली भूमि के जीर्णोद्धार से था। इस बैठक के बाद, इस मिशन के दो सदस्यों ने मध्य देश का दौरा किया और चंबल की तंगघाटियों का वैमानिक सर्वेक्षण किया। बैंक की कार्यप्रणाली के अनुसार, भारत सरकार को इस प्रारंभिक दौरे की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। बहरहाल, मिशन के सदस्यों ने यह बताया है कि वे वश्व बैंक को सुझाव देंगे कि आगामी कुछ महीनों के दौरान इस देश की ऋण सहायतार्थ संभावी परियोजनाओं के अन्वेषण के लिये एक और सर्वेक्षण मिशन भेजा जाए। इसी दौरान, मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से चंबल की तंगघाटियों के जीर्णोद्धार के लिये 40 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है परन्तु उन्होंने अभी तक कोई विस्तृत प्रस्ताव नहीं भेजे हैं।

चूंकि विश्व बैंक से सहायता लेने वाली परियोजनाओं का विदेशी सहायता के लिये अर्हता-प्राप्त करने से पहले राज्य की योजना में शामिल होना अनिवार्य है और चूंकि राज्य की योजना में कोई ऐसी बृहत् स्कीम शामिल नहीं की गई है, इसलिए इस परियोजना के लिये विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करना संभव नहीं है। जहां तक केंद्रीय सहायता का संबंध है, मध्य प्रदेश में तंग-घाटी की 5,000 एकड़ भमि के जीर्णोद्धार के लिये कुल 50 लाख रुपये की लागत पर फरवरी 1970 में एक केंद्रीय प्रायोजित पाइलट परियोजना स्कीम स्वीकार की गई है। इस पाइलट परि-योजना के परिणामस्वरूप जब बड़े पैमाने पर तंगघाटी के जीर्णोद्धार की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता निश्चित हो जाएगी, केवल तभी केंद्रीय सरकार इस स्थिति में होगी कि वह किसी अतिरिक्त सहायता के संबंध में विचार करे।

व्यापार विकास प्राधिकरण की स्थापना

***1770. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या विदेशी व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में छोटे तथा मध्यम उद्योगों को सहायता देने के लिये व्यापार विकास प्राधिकरण स्थापित करने के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : विदेशी व्यापार मंत्रालय ने मलतः लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्यमियों को अपनी-अपनी निर्यात क्षमता का विकास करने के लिये प्रेरित तथा संगठित करने के उद्देश्य से व्यापार विकास प्राधिकरण के गठन के संबंध में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये एक कार्यकारी दल का गठन किया था। कार्यकारी दल ने अप्रैल के अंत में अपना अंतिम प्रतिवेदन दे दिया था। इसकी सिफारिशों में अन्य विषयों के साथ-साथ यह भी शामिल है कि पूरी तरह से एक नया संगठन बनाया जाये जिस का अमला एक कार्यकारी निदे-शक के अधीन हो और संयुक्त राज्य अमरीका तथा पश्चिमी यरोप में इसके दो विदेश स्थित बाह्य

कार्यालय हों और इसके लिये 12 लाख रुपये प्रतिवर्ष की बजट व्यवस्था की जाये । कार्यकारी-दल की सिफारिशों सरकार के विचाराधीन हैं और अतिशीघ्र ही कोई निर्णय लिये जाने की संभावना है ।

सूती कपड़े पर उत्पादन शुल्क

10309. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या विदेशी व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिल के सूती कपड़े पर बिक्री कर लेना कब बन्द किया गया था और इसके बदले कब उत्पादन शुल्क लेना आरम्भ किया गया था ;

(ख) उत्पादन शुल्क लगाये जाने के समय से 1969-70 तक राज्यवार तथा वर्षवार राज्यों को कितना उपकर दिया गया ;

(ग) उपकर निधि किन विशेष प्रयोजनों के लिये अभिप्रेत है, और राज्यों को उपकर निधि का आवंटन किस आधार पर किया जाता है ;

(घ) क्या सरकार द्वारा उपकर बराबर राज्यों को दिया जाता रहा है और कोई बकाया राशि नहीं है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार को कुछ ऐसे राज्यों का पता है जो उपकर निधि का पूरा तथा उन प्रयोजनों के लिये उपयोग नहीं करते, जिनके लिये यह अभिप्रेत है ; और

(च) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक राज्य में उपकर की कितनी राशि अभी खर्च नहीं की जाती है और उनके उपयोग में होने वाली चूकों को रोकने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) मिल के सूती कपड़े पर 1-4-1953 से एक अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया जा रहा है जिसे सामान्यतः उपकर कहते हैं । प्रारम्भ में यह उत्पादन शुल्क सामान्यतः 'उपकर निधि' नामक एक अलग खाते में जमा किया जाता था । लेखा-पद्धति कठिनाइयों के कारण, इस निधि को 1-4-1960 से समाप्त कर दिया गया और उस तारीख से अतिरिक्त उत्पादन शुल्क सामान्य राजस्व में जमा किया जा रहा है ।

(ख) सम्भवतः माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि हथकरघा उद्योग के विकास के लिये राज्य सरकारों को दी गई केन्द्रीय सहायता की राशि कितनी है । 1968-69 तक यह जानकारी देने वाला एक विवरण *संलग्न है । 1969-70 से राज्य सरकारों को एक मुश्त ऋण तथा अनुदान के रूप में धन राशि उपलब्ध कराई जा रही है ।

(ग) एक विकरण संलग्न है । * (ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए संख्या** एल० टी० 3634/70)

(घ) हथकरघा उद्योग के विकास के लिये केन्द्रीय अनुदान नियमित था । बकाया राशि के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता । 1-4-1958 से राज्य सरकारों को 'मार्गोपाय' अग्रिम राशि के रूप में निधियां उपलब्ध कराई गई जो विगत वर्ष के वास्तविक व्यय के आधार पर आगामी वर्ष में समायोजित की जानी हैं ।

(ङ) तथा (च) कतिपय राज्यों ने हथकरघा उद्योग के विकास के लिये उन्हें योजना लागत के रूप में किये गये आवंटनों का पूरा उपयोग नहीं किया। किन्तु, प्रत्येक राज्य को निधियों का दिया जाना वस्तुतः इस उद्योग पर उनके वास्तविक व्यय पर आधारित था। अतः खर्च न की गई राशि का प्रश्न नहीं उठता।

1970–71 के दौरान गुजरात में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना

10310. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970-71 की वार्षिक योजना अवधि में गुजरात में सरकारी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित उद्योगों का स्वरूप क्या होगा और क्या सरकार ने इसके लिए अपनी स्वीकृति दे दी है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) गुजरात की वार्षिक योजना 1970-71 में, केन्द्रीय क्षेत्र में निम्नांकित औद्योगिक परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं :

गुजरात एरोमैटिक प्रोजेक्ट
गुजरात नेफ्था क्रैकर-कम्पलेक्स
कोयालि रिफायनरी

इसके अतिरिक्त गुजरात राज्य की वार्षिक योजना 1970-71 में "बड़े तथा मध्यम उद्योग" मद के अन्तर्गत निम्नांकित स्कीमें प्रस्तावित की गई हैं।

गुजरात औद्योगिक विकास निगम
गुजरात औद्योगिक विनिधान निगम
राज्य वित्त निगम
गुजरात राज्य सूती कपड़ा निगम

रूस के साथ वैगनों का सौदा

10311. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सोवियत मंत्री परिषद् के उपाध्यक्ष श्री वी० ई० डिमसिट्स ने 16 फरवरी, 1970 को कहा था, कि भारत में बनने वाले रेलवे वैगनों के मूल्य अन्य देशों के मूल्यों की तुलना में 150 से 200 प्रतिशत अधिक है और कि रूस हमारे वैगनों को तभी खरीदेगा जब मूल्य के प्रश्न को दोनों देशों के मध्य सन्तोषजनक ढंग से सुलझाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो हमारे वैगनों का लागत मूल्य कितना है और हमने इनको रूस को किस मूल्य पर बेचने का प्रस्ताव किया है ; और

(ग) गत दो वर्षों से वैगनों के इस सौदे को कार्यरूप न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) भारतीय समाचारपत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार श्री वी० ई० डिमसिट्स ने यह वक्तव्य 16 फरवरी, 1970 को दिया बताते हैं ।

(ख) वैगनों के लागत मूल्यों या सोवियत संघ को बतालाए गये उनके मूल्यों को बताना राज्य व्यापार निगम के वाणिज्यिक हित में नहीं होगा ।

(ग) मूल्य के प्रश्न पर समझौता न होने के कारण वैगनों के सौदे को कार्यरूप नहीं दिया जा सका है ।

पाकिस्तान का मुजाहिद सेना की भांति युद्धकर्ताओं की एक स्वयं सेवी सेना बनाना

10312. **श्री बाबुराव पटेल :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान की मुजाहिद सेना का, जिस का भारत के साथ युद्थ के समय प्रयोग किया जायेगा, रविवार एक फरवरी, 1970 को एक सीमावर्ती नगर कसूर में एक मेला हुआ था ; और

(ख) क्या हमारे पास भी युद्ध की स्थिति में अपने देश की रक्षा के लिये प्रशिक्षित युद्ध कर्ताओं की एक वैसी ही स्वैच्छिक सेना है, यदि हां, तो वह कितनी बड़ी है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) हाल ही में कसूर में लगाए गए मुाजहिद मेले का सरकार को ज्ञान है ।

(ख) यदि किसी क्षेत्र से आक्रमण हुआ उस से सीमा सूरक्षा दलों इत्यादि नाम फौजी दलों की सहायता से अपनी सशस्त्र सेनाओं द्वारा निपट लिया जाएगा ।

1970—71 के लिये गुजरात की वार्षिक योजना

10313. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970-71 के लिय गुजरात की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो जहां तक गुजरात का सम्बन्ध है, योजना का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात को बिजली की आवश्यकता का निर्धारण

10314. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य की बिजली की आवश्यकता का हाल ही में अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्य की वर्तमान अनुमानित आवश्यकता कितनी है ;

(ग) चौथी योजना के दौरान राज्य को कितनी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होगी और राज्य को कितनी मात्रा में बिजली सप्लाई की जायगी ; और

(घ) इन दोनों के बीच यदि कोई अन्तर है, तो उसको दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्तमान आवश्यकता 672 मैगावाट कूती गई है ।

(ग) चतुर्थ योजना के अन्त तक यह आवश्यकता 1234 मैगावाट होनी प्रत्याशित है इसकी अपेक्षा में, 1160 मैगावाट पक्की बिजली उपलब्ध होने की संभावना है ।

(घ) प्रत्याशित कमी को पूरा करने के लिए, राज्य सरकार उत्तरी गुजरात में 240 मैगावाट के एक नये ताप विद्युत केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

गुजरात के हज यात्री

10315. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय सरकार ने इस वर्ष गुजरात के कितने व्यक्तियों को हज यात्रा करने की अनुमति दी है ;

(ख) कितने व्यक्तियों ने उस के लिय आवेदन पत्र दिये थे ; और

(ग) हज यात्रियों को इस वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा नियत की गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) 614

(ख) 3,165 ।

(ग) 2,36,25,000 रुपये ।

FORD AND ASIA FOUNDATIONS

10316. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the difference between Asia Foundation and Ford Foundation; and

(b) the reasons why Government have closed down the one while they are having agreement with the other?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The Ford Foundation is an organisation established in U. S. A. and having an international programme to help countries develop their own human resources and institutions. The Ford Foundation has been actively operating in India from 1951 onwards. Its assistance is mainly given to selected projects and institutions in the economic and social spheres closely linked with and related to five years plans. The assistance has normally been in sectors like Agriculture and Rural Development, Education, Family Planning Management and Industry. Economic Planning and Public Administration.

The Asia Foundation started originally as the "Committee for Free Asia" which was founded in 1951 with the avowed objective of conducting anti-communist propaganda and mobilising opinion in Asia against certain countries. In October 1954, this Committee revised its articles ostensibly to function on a non-political and cultural footing under its new name of The Asia Foundation.

The Foundation is a private American organisation with headquarters in San Francisco with the following declared objectives:

(i) to make private American support available to individuals and groups in Asia who are working for the attainment of peace, independence, personal liberty and social progress; and

(ii) to encourage and strengthen active cooperation, founded on mutual respect and understanding, among voluntary organisations—Asian, American and international—with similar aims and ideals.

The Foundation finances cultural, educational and technical projects, with a great deal of exchange of visits by individuals selected from one country to visit America and some times other countries. Its main object is to promote a better understanding of the United States and the values the United States wishes to spread.

(b) The Government of India decided to ask the Asia Foundation to wind up its operations in India because the Asia Foundation had received a part of its funds from a supspect source and there was no guarantee that it would not have done so in future. On the other hand, there are no grounds for taking such action in respects of the Ford Foundation.

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में सहायक कार्यपालक इंजीनियर/अनुसंधान अधिकारियों की नियुक्ति

10317. श्री क० मि० मधुकर : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964-65 तथा 1966 में संघ लोक-सेवा आयोग कीसंयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर केंद्रीय जल तथा विद्युत आयोग (दोनों विंग तथा केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केंद्र, पुना) में सहायक निदेशक/सहायक कार्यपालक इंजीनियर/अनुसंधान अधिकारी (स्थायी तथा अस्थायी पद, अलग अलग) के पदों पर नियुक्ति के लिये वर्ष बार कितने उम्मीदवारों को बुलाया गया ;

(ख) उनमें से कितने उम्मीदवारों ने स्थायी तथा अस्थायी पदों पर, अलग अलग वास्तव में सेवा आरम्भ की ;

(ग) क्या किसी उम्मीदवार द्वारा सहायक निदेशक/सहायक कार्यपालक इंजीनियर/अनुसंधान अधिकारी के स्थायी पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव को ठुकरा दिये जाने पर यह पद बाद में उसी परीक्षा के परिणामों के आधार पर पहले ही नियुक्त किये गये किसी अस्थायी सहायक निदेशक/सहायक कार्यपालक इंजीनियर/अनुसंधान अधिकारी को अलाट कर इसे भर लिया गया था ;

(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक मामले का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसे प्रत्येक मामले में अलग अलग इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) . अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न किया जाता है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) सम्मिलित इन्जीनियरी सेवा के परीक्षाफल के आधार पर, सफलता प्राप्त करने वा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उन स्थायी रिक्तियों के प्रति नियुक्तियां अर्पित की जाती हैं जिन्हें गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गए आदेशों के अधीन उनके लिये आरक्षित करना अपेक्षित होता है । परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिये कुछ स्थायी अनारक्षित पद भी भरे जाते हैं । यदि उपर्युक्त दो श्रेणियों का कोई उम्मीदवार किसी कारणवश किसी विशेष वर्ष में नियुक्ति के लिये नहीं मिल पाता, तो वे रिक्तियां अगले वर्ष के लिय रख दी जाती हैं और वे उस विशेष वर्ष में अस्थायी रिक्तियों के प्रति भरती किये गए उम्मीदवारों को अर्पित नहीं की जातीं ।

विवरण

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1964, 1965 और 1966 में सम्मिलित इन्जीनियरी सेवा के परिक्षाफल के आधार पर, केंद्रीय जल तथा विद्युत आयोग में (जल तथा विद्युत दोनो स्कंध) सहायक निर्देशक सहायक कार्यकारी अभियंता/अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में उम्मीदवारों की नियुक्ति से सम्बंधित जानकारी का विवरण

वर्ष जिस में परीक्षा ली गई	उम्मीदवारों की संख्या जिन्हें नियुक्तियां अर्पित की गई		उम्मीदवारों की संख्या जिन्होंने वास्तविक रूप से पद-भार ग्रहण किया	
	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
1	2	3	4	5
केंद्रीय जल तथा विद्युत आयोग (जल स्कंध)				
1964 . .	5	43	3	16
1465 . . .	4	4	3	2
1966 . .	1	14	1	11
केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग (विद्युत स्कंध)				
1964 .	1	31	1	25
1965 . .		4	..	3
1966 . . .	..	7	..	5

Maximum of Pay Scales Drawn by Scientists Working in Scientific Laboratories of Defence in Delhi

10318. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of Scientists (Senior Scientific Officers) working in the Scientific laboratories, under the Ministry of Defence, located in Delhi or elsewhere are drawing the maximum of their scales of pay:

(b) if so, the number of such scientists (Senior Scientific Officers) their names. qualifications and the dates from which each of them is drawing the maximum of his pay scale;

(c) whether Government propose to take some steps to remove the discontentment among them due to the facts stated above; and

(d) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): (a), (b), (c) and (d): The information is being collected from the various Research and Development Establishments and Laboratories located in different parts of India and will be laid on the table of the House.

Import of Cow Tallow and Pig Tallow

10319. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that cow tallow and pig tallow has been imported by Government;

(b) if so, the names of the countries from which cow tallow and pig tallow was imported separately during the last three years and the value thereof; and

(c) how the said tallow is utilised?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak): (a) & (b). Imports of tallow other than mutton tallow are not separately classified in the Indian Import Trade Statistics. A statement giving the country-wise imports of fats etc. under which other varieties of tallow would be classified is annexed Only imports of mutton tallow have been canalised.

(c) Different varieties of tallow have different uses, depending on their source, composition etc. These uses include edible purposes, manufacture of soaps, metal polishes and lubricating greases, treating textiles, etc.

STATEMENT

Qty. in Tonne.
Vlaue in Rs. '000'
(Post Dev. Rate)

S. No.	Description	1966-67		1967-68		1968-69		1969-70* (upto Jan. 70)	
		Qty.	Val.	Qty	Val.	Qty.	Val.	Qty.	Val.
1.	Pig & Poultry fat. unrendered.								
	Japan . .	1	5	9	35	3	9		..
	Australia . .	1	4	1	3	..	..		..
	U.K. . .	neg.	1	5	18	..	..		..
	TOTAL . . .	2	10	15	56	3	9	..	..

*Detailed statistics after January, 1970 are not available.

S. No. Description	1966-67		1967-68		1968-69		1969-70* (upto Jan. 70)	
	Qty.	Val.	Qty.	Val.	Qty.	Val.	Qty.	Val.
2. Fats, unrendered, of bovine cattle, sheep or goats (excl. mutton tallow.)								
U.S.A. . .	5986	9036	71603	94199	50893	63965	96703	116409
Australia . .	713	1128	2354	3195	7650	8427	1202	1472
New Zealand		..	79	145	..	..	..	
Others .			1	3	neg.	neg.	..	
TOTAL : 2 .	6699	10164	74037	97542	58543	72392	97905	117881
3. Animal oils and fats, n.e.s.								
German Dem. Rep. . .	..		..	..	..	..	2	6
German Fed. Rep.		..	5	19	5	19	1	5
U.K.	8	36	1	5	2	6	5	16
U.S.A. .	11	28	16	38	..	..	1	7
Norway .			..	..	5	10	..	
Others . . .	neg.	neg.	2	8	2	7	neg.	2
TOTAL : 3 .	19	64	24	70	14	42	9	36
TOTAL : (1+2+3).	6720	10238	74076	97668	58560	72443	97914	117917

*Detailed statistics after January, 1970 are not available.

विंडसर प्लेस, नई दिल्ली से भारत और बेल्जियम के झंडे हटाना

10320. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 27 जनवरी, 1970 और 31 जनवरी, 1970 के बीच विंडसर प्लेस, नई दिल्ली से बेल्जियम के और भारत के तीन राष्ट्रीय झण्डे हटाये जाने के बारे में कोई जांच की गई और क्या झंड़े हटाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जांच-पड़ताल की गई थी लेकिन न तो अपराधी पकड़े गए और न वे झंडे ही मिले जो चोरी चले गए थे ।

(ख) इन्हें 'लापता' करार देकर इस मामले को अब बंद कर दिया गया है ।

एशिया फाउंडेशन द्वारा प्रेस इंस्टीट्यूट आफ इंडिया को अनुदान

10321. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सरदार अमजद अली :
डा० प० मंडल :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी गुप्तचर विभाग और एशिया फाउण्डेशन के बीच सम्बन्धों के प्रगट हो जाने के बाद प्रेस इंस्टीट्यूट आफ इंडिया ने एशिया फाउन्डेशन से सहायता लेना बन्द कर दिया है ;

(ख) क्या प्रेस इंस्टीट्यूट आफ इंडिया का मनीला आधारित प्रेस इंस्टीट्यूट आफ एशिया से इस समय सक्रिय सम्बंन्ध है ;

(ग) क्या उन्होंने हाल ही में मनीला स्थित उक्त संगठन का नियन्त्रण स्वीकार किया था ;

(घ) क्या सरकार को यह विश्वास है कि मनीला स्थित प्रेस फाउडेंशन आफ एशिया अमरीकी गुप्तचर विभाग द्वारा प्रयोजित नहीं है तथा इसको वित्तीय सहायता फाउन्डेशन द्वारा नहीं दी जा रही है ; और

(ङ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उक्त एशिया प्रेस फाउन्डेशन ने हाल ही में हुए 'एक एशियाई' सम्मेलन में हमारे प्रधान मंत्री के नाम का अनैतिक रूप से प्रयोग कर अन्य एशियाई देशों के राजनयिकों को प्रलोभन दिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, हां, अप्रैल 1967 से ही ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां, किन्तु वे जाने में असमर्थ थे ।

(घ) सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार एशिया प्रेस फाउण्डेशन को इनके द्वारा धन प्राप्त होता है :

(1) सदस्यता अंशदान और सारे एशिया में 250 से अधिक समाचार-पत्रों और जन-माध्यम संगठनों से अनुदान ।

(2) ऊपर (1) में दिए गए अनुसार एकत्र की गई निधि के सदृश्य फोर्ड फाउण्डेशन अनुदान ।

(ङ) 'वन एशिया असेम्बली' के कुछ प्रारम्भिक साहित्य में सभी आमंत्रित व्याक्तयों के नाम थे, जिनमें भारत की प्रधान मंत्री का नाम भी शामिल था। जैसे-जैसे स्वीकृतियां और खेद प्रकट किए गए, सूचियों में संशोधन किए गए और अन्तिम सूचियों में उन्हीं लोगों के नाम थे, जिन्होंने सहभागिता की पुष्टि की।

राज्यों को उनके आर्थिक विकास के लिये अधिक अधिकार देना

10322. श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री गार्डिलिंगन गौड :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों को उनके आर्थिक विकास के लिये अधिक अधिकार देने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). नई चौथी पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में हाल ही में इस पूरे मामले का पुनरीक्षण किया गया था। नई कार्य विधि के अन्तर्गत योजना स्कीमों और कार्यक्रमों को तैयार करने में राज्यों को काफी अधिक सूत्रपातक्षमता प्राप्त होगी। उन्हें स्वतन्त्रता दी गई है कि जो स्कीमें स्थानीय स्थितियों के लिए उपयुक्त हों उन्हें स्वीकार कर लें। उन्हें अब यह भी स्वतन्त्रता है कि वे स्थानीय समस्याओं, क्षमताओं और आवश्यकताओं के आधार पर विकास के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत अपनी प्राथमिकताएं निश्चित कर लें। केन्द्रीय सहायता इकट्ठे ऋणों और इकट्ठे अनुदानों के रूप में दी जायेगी और किसी विशेष स्कीम/कार्यक्रम से सम्बन्धित नहीं होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कुल मिलाकर योजना में निश्चित की गई प्राथमिकताओं का पालन किया जाये, विकास के कुछ मदों/उपमदों और विशिष्ट स्कीमों के परिव्ययों को निर्धारित कर दिया जायेगा और उन्हें अन्य मदों या स्कीमों में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

रेलवे उपकरणों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा

10323. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या विदेशी व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि विदेशी बाजारों में रेलवे उपकरणों की भारी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों को रेलवे उपकरणों का निर्यात किया जाता है ;

(ग) इन देशों को किस किस्म के रेलवे उपकरणों का निर्यात किया जाता है ;

(घ) पिछले तीन वर्षों में, वर्षवार, इनसे कितनी विदेशी मद्रा अर्जित की गई ; और

(ङ) निर्यात के लिय अधिक बाजार प्राप्त करने के लिये अग्रेतर क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ख) जी हां । रेलवे उपकरणों का, जिनमें माल-डिब्बों के संघटक शामिल हैं, निर्यात बर्मा, श्रीलंका, घाना, हंगरी, ईरान, कीनिया, नाइजीरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, थाईलैण्ड, संयुक्त राज्य अमरीका और यूगोस्लाविया को किया जाता है।

(ग) निर्यातित रेलवे उपकरण इन किस्मों के हैं : रेलवे बोगियां और कोच, रेलवे कोच वैगन, इंजन के बायलर, माल-डिब्बों के संघटक आदि ।

(घ) विगत तीन वर्षों में रेलवे उपकरणों के निर्यात द्वारा उपार्जित विदेशी मुद्रा की राशि निम्नलिखित है :

	लाख रु०
1967–68	225.90
1968–69	830.79
1969–70	52.47

(ङ) रेलवे उपकरणों के निर्यात बढ़ाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा रहे है :

(1) निर्माता/निर्यातकों को निविदा सम्बन्धी जानकारी और बाजार सम्बन्धी अन्य आसूचना परिचलित की जाना ।

(2) राज्य व्यापार निगम जैसे प्रमुख निर्यात अभिकरणों द्वारा विदेशी खरीदारों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करना ।

(3) निर्यात उत्पादन के लिये कच्चे माल की पूर्ति में तरजीह ; और

(4) उच्च मूल्य की संविदाओं के आधार पर विशेष सहायता ।

नेपाल को सहायता

10324. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री जुगल मंडल :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 के दौरान भारत ने नेपाल को कुल कितनी सहायता दी ; और

(ख) भारत द्वारा दी गई सहायता से नेपाल में कितनी परियोजनाएं पूरी हुई हैं या कितनी परियोजनाओं में प्रगति हो रही है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) 1969-70 के दौरान नेपाल की सहायता के लिए 12.01 करोड़ रुपए की रक़म निर्धारित की गई है ।

(ख) दन की मेज़ पर एक सूची रख दी गई है जिसमें भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रम की परियाजनाएं बताई गई हैं, जो पूरी हो चुकी हैं या जिन पर काम चल रहा है । **(ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी०3635/70)**

मैसूर राज्य में बिजली पर खर्च

10325. श्री एन० शिवप्पा : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में मैसूर राज्य में गांवों में बिजली सप्लाई करने और नलकूप लगवाने पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री० सिद्धेश्वर प्रसाद) : पिछले तीन वर्षों के दौरान मैसूर राज्य में ग्राम विद्युतीकरण पर हुआ व्यय नीचे दिया गया है :—

1967–68 .	रु० 676 लाख	
1968–69 . .	रु० 592 लाख	
1969–70 . .	रु० 746 लाख	(जनवरी, 1970 के अन्त तक 478 लाख रुपये और फरवरी तथा मार्च, 1970 के लिए 268 लाख रुपये अनुमानित)

Demonstration by Employees of Civil Defence Working in Bombay

10326 : Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a demonstration was staged by the employees of Civil Defence Working in Bombay, before their office, in the 1st week of April ?

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether it is a fact that a planned attack was made on the demonstrators by the military personnel as a result of which many employees were seriously injured;

(d) if so, whether any action has been taken by Government against the military personnel; and

(e) if so, the details of action taken and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence and Steel & Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). Yes, Sir. A demonstration by about 40 civilians, including a few workers of an Army depot in Bombay was held at 12.50 hrs. on 4-4-70. The demonstration was in protest against the dismissal of a mazdoor following his conviction by the Presidency Magistrate.

(c) No, Sir. A few demonstrators, who were armed with sticks, tried to force through the gate when a military vehicle carrying rations was entering the depot premises. Some unarmed Jawans, who had gathered near the gate on their way to lunch, stopped the civilians, who were forcing their way into the Depot and took away their sticks. The demonstrators thereupon retreated.

(d) and (e). The soldiers tried to prevent damage to Government property. They did not indulge in violence. The question of taking action against them does not, therefore, arise.

पटसन का उत्पादन, खपत और क्रय

10327. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या विदेशी व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी अभिकरणों द्वारा गत तीन वर्षों में कुल कितना पटसन, राज्यवार खरीदा गया ;

(ख) गत तीन वर्षों में पटसन का राज्यवार कुल कितना उत्पादन हुआ ; और

(ग) गत तीन वर्षों में पटसन मिलों में कुल कितने पटसन की खपत हुई और उसमें आयातित पटसन की मात्रा कितनी थी ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1. विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा पटसन की खरीद (आंकड़े गांठों में)

राज्य का नाम	1967–68	1968–69	1969–70 (30-4-70 तक)
पश्चिमी बंगाल	22,575	नगण्य	36,863
उड़ीसा	27,618	नगण्य	नगण्य
बिहार	405	नगण्य	13,410
असम . . .	11,169	नगण्य	नगण्य
त्रिपुरा . .	6,769	नगण्य	नगण्य
योग . . .	68,536	नगण्य	50,273

2. विगत तीन वर्षों के दौरान पटसन तथा मैस्टा का उत्पादन (आंकड़े लाख गांठों में)

राज्य का नाम	1967-68	1968-69	1969-70 (अनुमानित)
असम	10.81	8.06	11.61
बिहार . .	10.28	4.92	7.61
उड़ीसा	4.60	3.72	4.38
उत्तर प्रदेश .	1.32	0.88	1.00
पश्चिमी बंगाल . .	42.03	15.80	36.99
आन्ध्र प्रदेश .	3.86	2.63	2.60
त्रिपुरा	1.63	0.89	1.17
शेष भारत . .	1.39	1.48	1.62
	75.92	38.38	66.98

3. विगत तीन वर्षों के दौरान पटसन मिलों द्वारा पटसन का उपभोग तथा पटसन व मैस्टा के आयात (आंकड़े लाख गांठों में)

वर्ष	उपभोग	आयात
1967–68	71.26	0.044
1968–69	58.57	6.378
1969–70 (31-3-70 तक)	45.60	0.102

टिप्पणी—उपभोग आंकड़ों में देशी तथा आयातित पटसन दोनों शामिल हैं। मिलों द्वारा उपभोग किये गये आयातित पटसन सम्बन्धी जानकारी अलग से उपलब्ध नहीं है।

भारतीय दूतावास को वितरण के लिए भेजी गई प्रचार सामग्री

10328. श्री दे० अमात : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68, 1968-69 और 1969-70 में भारतीय दूतावासों तथा सांस्कृतिक शिबिरों में माध्यम से किन-किन देशों को भारतीय प्रचार सामग्री वितरण के लिए भेजी गई थी ;

(ख) इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में प्रचार किया गया ; तथा वह प्रचार सामग्री किस प्रकार की थी ; और

(ग) प्रत्येक वर्ष में इस कार्य पर कितनी राशि खर्च की जाती है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) हम अपनी प्रचार सामग्री सभी विदेशी मिशनों को भेजते हैं। 'भारत के विदेश स्थित प्रतिनिधियों की सूची' संसद के पुस्तकालय में रख दी गई है ।

(ख) इन देशों में प्रचार के सभी उपलब्ध माध्यमों से काम लिया गया था, जिनमें समाचार-पत्र, रेडियो और टेलीविज़न शामिल हैं। इसके अतिरिक्त शैक्षिक संस्थाओं, जन नेताओं, भारत-विदेशी सांस्कृतिक संघों आदि में यह प्रचार सामग्री वितरित की गई थी और इस उद्देश्य से प्रदर्शनियां और फिल्म-शो दिखाए गए थे ।

(ग) 1967–68 — 33 लाख रुपये

1968–69 — 32.7 लाख रुपये

1969–70 — 35.4 लाख रुपये

भारत सरकार से मान्यता प्राप्त दिल्ली से बाहर के दैनिक समाचार पत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले संवाददाताओं के लिये सुविधाओं के लिये प्रेस सूचना ब्यूरो का अनुरोध

10329. श्री एन० शिवप्पा : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रैस सूचना ब्यूरो ने भारत सरकार से मान्यता प्राप्त दिल्ली से बाहर के दैनिक समाचारपत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुत से संवाददाताओं को सुविधाएं दिये जाने के बारे में प्रतिरक्षा विभाग को लिखा है ; और

(ख) समाचारपत्रों की बहुत बड़ी संख्या वो जो दिल्ली में अपने संवाददाता रखते हैं, उक्त सुविधायें न दिये जाने के क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

टेलीविजन सैटों के वर्तमान उत्पादन का पुनरीक्षण करने के लिये संसद सदस्यों और विशेषज्ञों की समिती की नियुक्ति

10330. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार टेलीविजन सेटों के वर्तमान उत्पादन में पुनरीक्षण करने के लिय संसद् सदस्यों और विशेषज्ञों की समिति नियुक्त करने के बारे में विचार कर रही है जिससे सामान्य प्रयोग के लिय सस्ते टेलीविजन सैट बाजार में उपलब्ध हो सकें ; और

(ख) क्या यह सच है कि पिलानी संस्था में निर्मित टेलीविजन सैट विदेशों में निर्मित टैलीविजन सैटों की तुलना में अधिक कीमत के हैं और यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं। टी० वी० सेटों के उत्पादन के लिए वर्तमान ढांचे में संशोधन के लिए संसत्सदस्यों और विशेषज्ञों की एक कमेटी संगठित करना प्रस्तावित नहीं है। तदपि व्यापक प्रयोग के लिए सस्ते टेलीवीज़न सेट प्राप्य करने के लिए निम्न उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) 12" से 16" के आकारों के छोट पर्दों सहित ट्राजिस्ट्रीकृत सेटों के उत्पादन को प्रोत्साहन देना प्रस्तावित है।

(2) टी० वी० सेटों का थोक उत्पादन को स्थापित किया जाएगा कि जो उनकी कीमतें कम करेगा।

(3) इलेक्टानिकी संघटों का बड़े पैमाने पर उत्पादन स्थापित किया गया है, जिसके फल स्वरूप संघटकों की कीमतें नीचे आ गई है। यह टी० वी० सेटों की कीमते कर देगा।

(ख) पिलानी संस्थान में निर्माण किए जा रहे 23" के पर्दे वाले टी० वी० सेट 1500 रुपय प्रत्येक की दर से बिक रहे हैं, और 19" पर्दे वाले सेट 1300 रुपये प्रत्येक का दर पर। तदपि इन मूल्यों में उत्पादन शुल्क, विक्रय कर, एन्टेना तथा स्थापन व्यय शामिल नहीं हैं। यह मूल्य ऐसे आकार प्रकार के अन्य देशों की मंडियों में बिकने वाले सेटों के विक्रय मूल्यों का अच्छी तरह मकाबला कर सकते हैं।

चौथी योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में रेशम उत्पादन का विकास

10331. श्री० अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में रेशम उत्पादन के विकास के लिय कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कुल कितना धन व्यय होने का अनुमान है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) 50 लाख रु०।

Periodicals brought out in Indian, Languages by Israel, France, West Germany U. S. S. R. and U. S. A.

10332. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the Indian languages in which weekly newspapers are at present being brought out in Israel, France, West Germany, USSR and USA;

(b) the number of copies of these newspapers which are officially sent to India every month; and

(c) the names of these newspapers as also their present circulation?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) According to information available to Government no weekly newspapers in Indian languages are brought out in these countries at present.

(b) & (c). Do not arise.

Reservation for Scheduled Caste Employees for Posts in Indian Embassies

10333. Shri Bansh Narain Singh :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Indian diplomats working in foreign countries as also the category-wise number of employees and officers and the number of those who belong to scheduled castes and scheduled tribes;

(b) whether it is a fact that the number of diplomats, officers and employees belonging to scheduled castes and scheduled tribes is negligible; and

(c) if so, the reasons for not making reservation for scheduled castes and scheduled tribes for the above posts?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Competitive Examination conducted by Bihar Government for Absorption of released Commissioned Officers

10334. Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government of Bihar had held a competitive examination for the Emergency Commissioned Officers recruited at the time of last Indo-Pak conflict in order to absorb them in Government service; if so. the date on which the said examination was held;

(b) the number of officers who appeared in the said examination and the number of those out of them who were finally selected; and

(c) whether the selected persons have been called for training after their medical examination; and if not, the reasons therefor?

The Minister of Defence and Steel & Heavy Engineering (Shri Swaran Singh): (a) Yes, Sir. The examination was conducted by the Bihar Public Service Commission in August, 1968.

(b) Information regarding the number of officers who appeared in the examination is not available. 20 Emergency Commissioned Officers were, however, selected for appointment on the basis of the results of this examination.

(c) Out of the 20 ECOs who were selected, 2 have already been appointed while action is being taken by the State Government to appoint the remaining 18 officers. The delay is reported to be due to the time taken to complete various formalities prior to appointment of officers by the State Government.

पंजाब में देहातों का सर्वेक्षण

10335. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य के विकास के लिए एक व्यापक योजना बनाने हेतू पंजाब के प्रत्येक देहात का सर्वेक्षण करने के लिए केन्द्रीय सरकार की सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) ऐसा कोई प्रस्ताव योजना आयोग में प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

Matters discussed at 26th Conference of E.C.A.F.E. at Bangkok

10336. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state:

(a) whether the 26th Conference of Economic Commission of Asia and Far East was held in Bangkok in the third week of April, 1970;

(b) A copy of the agenda for the Session is attached.

(c) the outcome thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak): (a) The 26th Annual Session of the Economic Commission on for Asia and the Far East (ECAFE) was held in Bangkok from April 14 to April 27, 1970.

(b) A copy of the agenda for the Session is attached.

(c) Ten Resolutions on the following subjects were adopted at the Session:—

(1) ECAFE Declaration on the Twenty-fifth anniversary of the United Nations calling for the intensification of initiatives, the elaboration of regional strategy, and the adoption of practical programme by ECAFE to further regional, multi-national and sub-regional cooperation within the context of the global framework of the strategy for the Second Development Decade.

(2) ECAFE headquarters site and building extension programme requesting the ECOSOC to recommend to the General Assembly that the United Nations accept the offer of the Government of Thailand for location of ECAFE headquarters.

(3) Regional consultations on Rice within the framework of the trade liberalisation and development programme.

(4) Performance Evaluation during the Second Development Decade affirming the need for regular consultations and exchanges of views among countries of the region and requesting the Executive Secretary to conduct regular appraisals and evaluation of progress during the Second Development Decade.

(5) Transit problems of Land-looked countries.

(6) Establishment of regional or sub-regional centres for maritime and port personnel.

(7) Shipping development on a national, sub-regional and regional basis.

(8) Training in and use of computers within the region.

(9) Population in relation to Economic and Social Development.

(10) Establishment of a Regional Centre for Development Administration.

Copies of these resolutions have been [*Placed in the Parliament Library, See LT No*—3636/70]

In addition to these resolutions, the following important decisions were also taken, among others.

(i) The Commission endorsed a time table of work in relation to trade development and liberalisation, and payments arrangements in the region.

(ii) The Commission decided that the venue of the Asian Institute for Economic Development and Planning should be shifted from Bangkok to Singapore.

(iii) The Commission welcomed the decision of the Government of India to host the Third Asian International Trade Fair in early 1972 at New Delhi.

(iv) The Plan of Operation for the feasibility survey of the Asian Tele-communications Net work was signed by 12 participating countries including India.

(v) Five persons of recognised technical ability including the nominee of the Government of India were elected to the Advisory Council of the Asian Statistical Institute for a period of three years beginning in April, 1970.

Abolition of Duty on Cheap Mill-made Cloth

10337. Shri Om Prakash Tyagi: Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state:

(a) whether Government propose to exempt the mill-made cloth setting up to Rs. 2 per yard from duty in order to give relief to the poor public; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak): (a) No, Sir.

(b) The needs of the poorer sections of the society are considered to be adequately met by the complete exemption from excise duty on controlled fabrics, and exemption from excise duty or concessional rates of excise duty in respect of certain other coarse, Medium B and Medium A categories of fabrics.

चौथी योजना की अवधि में राज्यों में सरकारी उपक्रम स्थापित करना

10338. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में कौन कौन से सरकारी उपक्रम स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) ऐसे प्रत्येक उपक्रम का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख). चौथी योजना के दौरान जिन केन्द्रीय औद्योगिक तथा खनिज परियोजनाओं की स्थापना का प्रस्ताव है उनका तथा उनके परिव्यय और स्थान का उल्लेख चौथी पंचवर्षीय योजना की अन्तिम रिपोर्ट के उद्योग तथा खनिज अध्याय के अनुबन्ध-2 में किया गया है । यह रिपोर्ट सभा-पटल पर पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है ।

रूई के मूल्य के बारे में भारतीय रूई विकास परिषद् के विचार

10339. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुई विकास परिषद् ने सरकार को इस बात की चेतावनी दी है कि वह निकट भविष्य में रुई के मूल्यों को कृत्रिम रूप से गिराने के लिये कोई सख्त कार्यवाही न करें ;

(ख) परिषद् ने इसके लिये संक्षेप में क्या कारण बतायें हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ख). भारतीय रुई विकास परिषद् की हाल में हुई बैठक में रुई के वर्तमान मूल्य स्तरों को कायम रखने के पक्ष में विचार प्रकट किये गये जिसका कारण यह था कि रुई के मूल्यों में गिरावट आने से कृषक शायद कपास की अपेक्षा अन्य फसलें उगाना चाहेंगे जिसका परिणाम यह होगा कि आने वाले वर्ष में कपास की कमी और भी गम्भीर हो जाएगी जिस से मूल्य और भी ऊचे हो जायेंगे ।

(ग) सरकार की नीति का लक्ष्य यह रहा है कि रुई उत्पादकों को उचित लाभ मिले और उद्योग को लाभप्रद मूल्यों पर रुई की पूर्ति हो सके ।

सवारी डिब्बों का ताइवान को निर्यात

10340. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब भारत में सवारी डिब्बों की कमी है तो उनका ताइवान को निर्यात किये जाने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : ताइवान को अभी तक कोई पूरे सवारी डिब्बे निर्यात नहीं किये गये हैं। उस देश को सवारी डिब्बों के लिये केवल बोगियां निर्यात की गई हैं। कुछ हद तक घरेलू खपत में अस्थायी संयम करके भी निर्यात मांग को पूरा करना होता है।

नेशनल लिबरेशन फ्रंट दक्षिण वियतनाम के प्रतिनिधिमंडल को थैलियां भेंट करना

10341. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण वियतनाम के नेशनल लिबरेशन फ्रंट के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम क्या थे जिन्होंने जनवरी, 1970 में भारत का दौरा किया था और उन्होंने किन-किन स्थानों का दौरा किया था और उनको भारतीयों से कुल कितने मूल्य की थैलियां भेंट की गई थीं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार का जो प्रतिनिधिमंडल दिसंबर, 1969 और जनवरी, 1970 में भारत की यात्रा पर आया था उसके सदस्यों के नाम निम्नलिखित है :—

1. ऐंगुयेन वान तियन
2. ऐंगुयेन वान थान
3. मदाम पान मिन्ह हियन
4. थान न्हो
5. फान वान चूंग
6. ओंग ला माइ

2. इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मैसूर, केरल, महाराष्ट्र, गजरात, राजस्थान, पंजाब, हरयाणा, त्रिपुरा और दिल्ली राज्यों आदि की राजधानियां तथा अन्य नगर और कस्बे देखे।

3. ऐसा समझा जाता है कि इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य को जो थैलियां और उपहार भेंट किए गए थे उनकी कुल कीमत अंदाजन डेढ़ लाख रुपये थी।

गुलाब के फूलों का निर्यात

10342. **श्री वि० नरसिम्हा राव** :
श्री वे० कृ० दासचौधरी :

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गुलाब के फूलों की विदेशों में भारी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों में उनकी मांग है ;

(ग) वर्ष 1969 तथा 1970 में अप्रैल तक कुल कितने गुलाब के फूलों का निर्यात किया गया ; और

(घ) कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) पश्चिमी यूरोपीय देशों में ।

(ग) तथा (घ). भारतीय व्यापार वर्गीकरण में गुलाब के फूलों को अलग से वर्गीकृत नहीं किया गया है। इसलिये, भारत से किये गये गुलाब को फूलों के निर्यात की मात्रा तथा मूल्य बताना सम्भव नहीं है ।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से औषधियों के कच्चे माल का आयात

10343. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री 8 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5667 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में औषधि निर्माण उद्योग के लिये अपेक्षित कच्चे माल का कुल कितना आयात किये जाने की सम्भावना है; और

(ख) औषधि उद्योग के लिए कच्चे माल का आयात किन देशों से किया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक): (क) हाल के वर्ष के दौरान राज्य व्यापार निगम जिस औषधि सम्बन्धी कच्चे माल का आयात करने का विचार कर रहा है उसका मूल्य 7 से 8 करोड़ रु० है ।

(ख) यह वास्तव में क्वालिटी, विशिष्टियों, स्पर्द्धात्मक मूल्यों इत्यादि कई कारणों पर निर्भर करेगा । आयात संविदाओं पर अन्तिम निर्णय होने से पहले देशों के नाम बताना सम्भव नहीं है ।

प्रतिवर्ष सैनिकों को सेवामुक्त करना

10344. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री शारदा नन्द :
श्री बलराज मधोक :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री रणजीत सिंह :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री ओंकार सिंह :

क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिवर्ष लगभग 50,000 सैनिक सेवामुक्त किये जाते हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में इन में से कितने सैनिक पूरी पेंशन पर सेवामुक्त किये गये थे और कितने सैनिकों ने केवल आंशिक रूप से पेंशन अर्जित की थी और कितने सैनिक बिना पेंशन दिये सेवा मुक्त किये गये थे ;

(ग) कितने सैनिकों की आयु 40 वर्ष से कम थी और कितने सैनिकों की 35 वर्ष से कम थी; और

(घ) उपर्युक्त सैनिकों में अधिकारियों, जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा जवानों की संख्या कितनी है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क), (ग) तथा (घ). सेना के सम्बन्ध में सूचना इस प्रकार है :—

विभुक्ति वर्ष	अफसर	जे०सी० ओज०	ओ० आर०	कुल संख्या	35 वर्ष से कम	30–40 वर्ष के बीच
1967	2270	2157	46037	50464	36124	5554
1968	2173	3502	34277	39952	24754	5349
1969	2310	3980	28214	34504	20054	6506

नौ सेना और वायुसेना के सम्बन्ध में समकक्ष विस्तार इकट्ठे किए जा रहे हैं और सभा के पटल पर रख दिए जाएंगे ।

(ख) सूचना सहज प्राप्य नहीं है, और उसे इकट्ठा करने में अन्तर्ग्रस्त समय और प्रयास प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप न होगा ।

गैरसरकारी फर्मों द्वारा आयात-निर्यात

10345. **श्री शारदा नन्द :**
श्री सूरज भान :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मैसर्स बी० के० खन्ना एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, दि इण्डियन इंजीनियर एण्ड कमर्शियल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, दि सिन्ध निटबेयरस, लुधियाना, मैसर्स खेमका एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, मैसर्स भारत वैनिध्य प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, तथा मैसर्स यार्क होजरी मिल्स, लुधियाना, ने रूस तथा अन्य पूर्व योरुपीय देशों से कुल कितना आयात तथा निर्यात किया है ;

(ख) क्या सरकार ने कोई जांच की कि क्या ये फर्में कम मूल्य के तथा अधिक मूल्य के बीजक बनाती है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इन फर्मों के बारे में सरकार को कोई शिकायत मिली है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ङ). इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अणुशक्ति आयोग के अध्यक्ष के विदेशों के दौरे

10346. श्री शारदा नन्द :
श्री सूरज भान :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अणुशक्ति आयोग के अध्यक्ष ने गत तीन वर्षों में विदेशों का कई बार दौरा किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और उपर्युक्त अवधि में उन्होंने कुल कितनी बार विदेश यात्रा की है ?

प्रधान मंत्री, वित्तमंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख). अणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष द्वारा वर्ष 1967, 1968 तथा 1969 में किये गये विदेशों के दौरों की कुल संख्या चौदह थी। वे अणुशक्ति तथा अन्तरिक्ष अनुसन्धान से सम्बन्धित सरकारी कार्यों के लिये गये थे जिनमें विशेषतया सहयोगी कार्यक्रमों तथा अणु अस्त्र प्रसार रोक संधि तथा साथ ही साथ राष्ट्र संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय अणु शक्ति एजेन्सी के विषयों पर व्यक्तिगत स्तर पर चर्चा की जाती थी ।

अरब-इसराइल विवाद को निपटाने तथा मध्य पूर्व के देशों में पुनः शांति स्थापित करने के लिये योगोस्लाविया के राष्ट्रपति की योजना

10347. श्री शिव चंद्र झा : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अरब इसरायल विबाद का समाधान करने के लिये योगोस्लाविया के राष्ट्रपति ने विश्व यहूदी कांग्रेस के अध्यक्ष डा० नाहुम गोल्डमैन द्वारा मध्यस्थता का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या राष्ट्रपति नासर और श्रीमती गोल्डा मीर को डा० गोल्डमैन की मध्यस्थता स्वीकार है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में भारतीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो मध्य पूर्व देशों में पुनः शांति स्थापित करने के लिए भारत की कोई विशिष्ट योजना है, तो वह क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). सरकार इससे अवगत नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) भारत की ओर से कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। भारत सरकार का यह विचार है कि सुरक्षा परिषद के 22 नवम्बर 1967 के प्रस्ताव में इस समस्या के समाधान का आधार निहित है।

बर्मी नागाओं की भारतीय राज्य क्षेत्र में घुसपैठ

10348. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मी विद्रोही नागा लोग भारतीय राज्य क्षेत्र में घुस आये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने चीन में प्रशिक्षण प्राप्त किया है ; और

(ग) यदि हां, तो अनुमानतः ऐसे कितने नागाओं ने भारत में अवैध रूप से प्रवेश किया है और इस घुसपैठ के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). मार्च, 1969 में मोवू अंगामी और आइज़क स्वू के गिरोहों के साथ भारत में घुसते हुए हमारी सुरक्षा सेनाओं ने 23 बर्मी नागा गिरफ़तार किए थे। उनसे पूछताछ करने पर जो कुछ पता चला है उससे ऐसा लगता है कि उन्हें चीन में प्रशिक्षण नहीं दिया गया था और वे चीन से बर्मा होकर लौटने वाले नागाओं के साथ आ गए थे।

बर्मा के जो नागा गिरफ्तार किए गए थे उन्हें 1 जनवरी, 1970 को बर्मा सरकार को सौंप दिया गया था ।

इसके बाद इधर, भारत में बर्मी नागाओं के प्रवेश का कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन, यह नहीं कहा जा सकता कि थोड़े-बहुत लोगों के इधर-से उधर आने जाने की सम्भावना ही नहीं क्योंकि वहां का रास्ता ही ऐसा है ।

लोह अयस्क के निर्यात के लिए जापान के साथ किये गये करार में मूल्य पुनरीक्षण खण्डका शामिल किया जाना

10349. **श्री राम चरण :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री 17 अप्रैल, 1970 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 20 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करार में मूल्य पुनरीक्षण, खण्ड के बिना मूल्य नियत किया गया है और यदि हां, तो मूल्य पुनरीक्षण खण्ड को उसमें शामिल न किये जाने के कारण क्या हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले तीन वर्षों में लौह और मगेनीज अयस्क के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है और यदि हां, तो किस हद तक;

(ग) वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य की तुलना में करार में लोह तथा मैंगनीज अयस्क के मूल्य क्या हैं ; और

(घ) क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिए माल की कुल खरीद 'आफ़टेक' नियमित रूप से हो, करार में दण्ड सम्बन्धी खण्ड भी शामिल किया गया है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) :(क) जी हां। संविदा में "मूल्य पुनरीक्षण" खण्ड रखना हमारे लिए लाभदायक नहीं समझा गया।

(ख) जी नहीं।

(ग) जापान के साथ हाल ही में की गई बिक्री संविदाओं में खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा प्राप्त मूल्य, लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क के तुलनात्मक ग्रेडों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के स्तर के हैं।

(घ) पिछली संविदाओं के अन्तर्गत जापानी इस्पात मिलों द्वारा लौह अयस्क की खरीद बिल्कुल नियमित रही है जापानियों के साथ अभी की गई संविदा में दण्ड सम्बन्धी खण्ड को शामिल हमारे हित में आवश्यक नहीं समझा गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा मंत्रिमंडल सचिव के उत्तराधिकारियों की नियुक्ति में विलम्ब

10350. **श्री यशपाल सिह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर और वर्तमान मंत्रिमंडल सचिव के उत्तराधिकारियों की नियुक्ति में विलम्ब हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :(क) और (ख). 4 मई को रिज़र्व बैंक आफ इंडिया के पूर्व गवर्नर के कार्यभार सौपने से पहले 1 मई, 1970 को उस बैंक के नए गवर्नर की नियुक्ति के निर्णय की घोषणा कर दी गई थी।

मंत्रिमंडल सचिव का पद अभी खाली नहीं हुआ है।

अणु शक्ति विभाग से त्याग पत्र देने वाले तकनीशन तथा वैज्ञानिक

10351. **श्री यशपाल सिह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अणु शक्ति विभाग से बड़ी संख्या में तकनीशन तथा वैज्ञानिक त्याग-पत्र दे रहे हैं और इस प्रकार विभाग को सौंपे गए कार्य को, कारगर ढंग से करने में वह असमर्थ हो जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) उन के स्थान पर अन्य व्यक्ति लगाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) वैज्ञानिक तथा तकनीकी व्यक्तियों, जिनमें इन लोगों के स्थान पर लगाये जाने वाले दूसरे व्यक्ति भी शामिल हैं, की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भाभा अणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा संचालित प्रशिक्षण स्कूल के माध्यम से तथा सीधी भर्ती द्वारा की जाती है।

Construction of Marginal Embankment between the Kosi Embankments

10352. Shri Gunanand Thakur: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether he toured the area lying between the Kosi embankments;

(b) if so, whether he had ever given an assurance to construct marginal embankment between the Kosi embankments;

(c) whether the Committee appointed under the Chairmanship of the Kosi Development Commissioner has also made a recommendation to this effect; and

(d) if so, the time by which marginal embankment between the Kosi embankments is proposed to be constructed?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) Yes, Sir; in July, 1969.

(b) It was noted that there was considerable demand for construction of forward line of embankments and it was suggested that this suggestion might be carefully studied to examine its feasibility.

(c) Yes, Sir.

(d) The technical aspects of the proposed forward line of embankments are under examination by the State Government.

Request by Bihar for Construction of Dagmara Barrage on Kosi River, Bihar

10353. Shri Gunanand Thakur: Will the Minister of **Irrigation** and Power be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government of Bihar have made a request for the construction of Dagmara barrage on Kosi River in Bihar; and

(b) if so, the details thereof and the time by which Central Government propose to construct a barrage on Kosi River near Dagmara?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) No project report for the construction of any new barrage across the Kosi has been received from the Government of Bihar.

(b) Does not arise.

एशिया तथा सुदूरपूर्व सम्बंधी आर्थिक आयोग के अधिवेशन में विचारार्थ कार्यवाही कार्यक्रम

10354. श्री हिम्मतसिंहका : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई देशों के पारस्परिक व्यापार सौदों से उत्पन्न अस्थायी असन्तुलनों को समाप्त करने की दृष्टि से एशियाई भुगतान व्यवस्था की स्थापना सहित बैंकाक में हुए एशिया तथा सुदूरपूर्व

सम्बन्धी आर्थिक आयोग के हाल के अधिवेशन में कार्यवाही करने के लिए क्या कोई ठोस कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम अथवा कार्यक्रम के मसौदे का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशीक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) 14 अप्रैल से 27 अप्रैल, 1970 तक बैंकाक में हुए एशिया तथा सुदूरपूर्व सम्बन्धी आर्थिक आयोग के 26 वें वार्षिक अधिवेशन में व्यापार तथा आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में सचिवालय के कार्य की समीक्षा की गई। क्षेत्रीय व्यापार विकास बढाने तथा उदारीकरण तथा भूगतान प्रबन्धों के बारे में सचिवालय द्वारा किए गए कार्य और व्यापार समिति द्वारा अपने 13 वें अधिवेशन में अनुमोदित की गई समय-सारणी की प्रशंसा करते हुए, आयोग ने यह आशा व्यक्त की कि सचिवालय निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार निदेश का अनुपालन करने हेतु भरसक प्रयत्न करेगा।

(ख) सचिवालय ने (क) एशियाई व्यापार विकास तथा उदारीकरण तथा (ख) एशियाई भुगतान सम्बन्धों पर दो करारों के मसौदे सदस्य देशों को विचारार्थ परिचालित किए हैं। एशियाई व्यापार विकास तथा उदारीकरणपर करार के मसौदे का उद्देश्य पारस्परिक लाभप्रद शर्तों पर क्षेत्र के निर्यात योग्य अधिवर्षों से क्षेत्रीय आयात आवश्यकताओं की, अधिकतम संभवसीमा तक पूर्ति द्वारा अन्तः क्षेत्रीय व्यापार में योजनाबद्ध वृद्धि प्राप्त करके क्षेत्र में देश का आर्थिक विकास करना है अन्तः क्षेत्रीय व्यापार में में वृद्धि उचित निर्यात प्रोत्साहन तथा आयात सुगमता प्रयासनों द्वारा तथा उत्पादन स्वरूपों मे संरचना परिवर्तन करने हेतु परियोजनाओं की क्रियान्विति द्वारा की जानी है।

क्षेत्रीय भुगतान प्रबन्ध लाभ सम्बन्धी व्यापार के समस्त क्रय-विक्रय के कारण होने वाले अस्थायी असन्तुलन को ठीक करके व्यापार विकास तथा उदारीकरण कार्यक्रम में सहायता करेंगे। इस क्षेत्र में कार्य के लिए जिन तीन क्षेत्रों का पता लगाया गया है वे ये हैं :—

(क) शोधन यूनियन ;

(ख) मुद्रा सम्बन्धी सहयोग तथा व्यापार सहयोग के बीच बन्धता ;

(ग) आरक्षण प्रणाली।

ये दोनों प्रस्ताव इस समय "इकाफे" की सदस्य सरकारों के विचाराधीन हैं। अनेक अन्तः सरकारी बैठकें तथा परामर्श, जिनमें सरकारों तथा केन्द्रीय बैंकों के प्रतिनिधियों की एक उच्च-स्तरीय बैठक भी शामिल है, आगामी महीने में प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने हेतु किये जाने है।

मेवों का आयात तथा इसके बदले में अन्य वस्तुओं का निर्यात

10355. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में किन देशों से मेवों का आयात किया गया था और प्रत्येक देश से कितने तथा कितने मूल्य के मेवों का आयात किया गया था।

(ख) इसके बदले में भारत द्वारा इन देशों को किन वस्तुओं का तथा कितनी कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ; और

(ग) इस अवधि में इस बारे में कितनी फर्मों तथा व्यक्तियों को लाइसेंस दिये गये थे ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमं ी (श्री राम सेवक) : (क) मेवों का अधिकांश आयात अफगानिस्तान तथा ईरान से किया जाता है । एक विवरण संलग्न है, जिसमें विभिन्न देशों के नाम तथा उनसे आयात किये गये मेवों का मूल्य तथा मात्रा दिखाई गई है । [**ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 3637/70]

(ख) अफगानिस्तान से आयातों का प्रतिसंतुलन विदेशी व्यापार मंत्रालय के सार्वजनिक नोटिस सं० 138/69 दिनांक 23–8–69 और 145/69 दिनांक 30–8–69 की अनुसूची 'ख' में दी गई वस्तुओं के भारत से निर्यातों द्वारा किया जाता है, बशर्ते कि भारत से कुल निर्यातों में से 15 प्रतिशत का निर्यात अपरम्परागत वस्तुओं का होगा अर्थात चाय, वस्त्र, मसाले, नारियल जटा तथा नारियल जटा उत्पादों को छोड़कर होगा । अन्य देशों के मामले में प्रतिसंतुलन की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आयातों तथा निर्यातों का भुगतान निर्बाध विदेशी मुद्रा में किया जाता है । जिन देशों से मेवों का अयात किया जाता है, उनको हमारे निर्यातों के मूल्य और निर्यात की मुख्य मदों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए एल० टी० संख्या** 56 37/70]

(ग) उन फर्मों के नाम, जिन्हें प्रश्नाधीन अवधि में लाइसेंस मंजूर किये गये थे, वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसिज में प्रकाशित किये जा चुके है, जिसकी एक प्रति संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

पटसन की वस्तुओं पर निर्यात शुल्क की समाप्ति

10356. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 25 अप्रैल, 1970 को जूट फैब्रिक शिपर्स एसोशिएशन, कलकत्ता को इस आशय का कोई आश्वासन दिया था कि सरकार का विचार पटसन उद्योग की सहायता के लिए बड़े पैमाने पर कुछ कार्यवाही करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है ; और

(ग) क्या सरकार उद्योग के इस तर्क को स्वीकार करती है कि इसकी कठिनाइयों का हल पटसन की बनी वस्तुओं से निर्यात शुल्क का हटाया जाना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठत ।

(ग) जी नहीं ।

अमरीकी प्रतिरक्षा दल का भारत आना

10357. श्री देविन्दर सिंह गार्चा : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिअर एडमिरल डेविड आर० बिल के नेतृत्व में एक अमरीकी प्रतिरक्षा दल हाल में भारत आया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अमरीकी प्रतिरक्षा दल ने उनके साथ विचार-विमर्श किया था ; और

(ग) यदि हां, तो उनके साथ क्या विचार विमर्श किया गया था ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) रियर एडमिरल डेविड बी० बेल के नेतत्व में नेशनल वार कालिज यू० एस० ए० के अफसरों के एक दल ने 21 से 24 अप्रैल, 1970 तक भारत का भ्रमण किया था।

(ख) तथा (ग). जैसे कि ऐसे भ्रमणों में होता है दल ने रक्षा मंत्री से एक सद्भावना भेंट की थी ।

"लीची" का निर्यात

10358. श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री बाल्मिकी चौधरी :

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा लीची के निर्यात के लिये विपणन सम्बधी कोई सर्वेक्षण कराया गया था और मांग का अनुमान लगाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक सप्ताह कितनी लीची का निर्यात किया जायेगा ; और

(घ) क्या इसका निर्यात राज्य व्यापार निगम अथवा व्यक्तिगत निर्वाहकों द्वारा किया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ख). जी हां । सर्वेक्षण से पता चला है कि ताजी लीची एक ऐसा महत्वपुर्ण उष्णदेशीय उत्पाद बन जायेगा जिसकी यूरोपीय देशों में आकर्षक विपणन है। अपेक्षित सुविधाएं दी जावें तो 1975-76 तक लीची के निर्यात को बढ़ाकर 1500 मे० टन तक कर लेना भारत के लिए संभव होना चाहिए ।

(ग) तथा (घ). लीचियों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। किन्तु, राज्य व्यापार निगम का आगामी मौसम में प्रयोगात्मक आधार पर 19 मे० टन लीचियों का निर्यात करने का विचार है। उस मात्रा में से, 12 मे० टन माल ब्रिटेन को जायेगा, 2 मे० टन फ्रांस को, 2 मे० टन जर्मनी तथा शेष 3 मे० टन स्विटजरलैंड को जायगा।

*दिल्ली जल सप्लाई तथा मल निस्सारण उपक्रमों द्वारा उच्चतम निविदा वाले गैर-सरकारी फर्म को ठेका दिया जाना

10359. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली जल सप्लाई तथा मल निस्सारण उपक्रमों ने 'बूस्टर' के पंपों के लिये एक गैर-सरकारी फर्म को 14 लाख रुपये का ठेका दिया है हालांकि उनका टैंडर सबसे अधिक था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ठेका देने में विलम्ब हुआ था जिसके कारण 11 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने तथा इस बारे में जिम्मेदारी नियत करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) स्वास्थ्य मंत्रालय, जोकि जल सप्लाई तथा मल निस्सारण उपक्रमों का कार्यप्रभारी है, ने बताया है कि जल सप्लाई तथा मल निस्सारण समिति ने कैलाश बूस्टर पम्पों के लिए, बातचीत के आधार पर, एक गैर-सरकारी फर्म को 16.55 लाख रुपये का ठेका दिया है। बहरहाल यह कीमत निविदाओं में भरी न्यूनतम कीमत और न कि उच्चतम कीमत के बराबर थी।

(ख) यह सूचित किया गया है कि 1967 में प्राप्त निविदाओं की लागत और अब स्वीकार की गई निविदाओं की लागत में लगभग 2 लाख रुपये का अन्तर है।

(ग) और (घ). यह भी सूचना मिली है कि यह मामला दिल्ली के उप-राज्यपाल की इच्छा अनुसार उन्हें भेजा जा रहा है।

Facility for Admission to Colleges for Indian Students whose Parents live Abroad

10360. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Indian nationals living abroad prefer India to other countries in respect of education of their children as they desire that their children should also acquaint themselves with Indian culture and traditions;

(b) whether it is a fact that Government have been adopting an indifferent attitude towards this;

(c) whether Government would consider a proposal for increasing the number of seats in Medical, Engineering and other Colleges reserved for the children of the Indian nationals living abroad permanently or temporarily so that they could get admission in these colleges;

(d) whether Government would also consider a proposal to accord priority to the children of Indian nationals living abroad in respect of admission into colleges; and

(e) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) & (b). A large number of students of Indian origin and/or nationality living abroad come to India for post-Matric studies in India, either under the General Cultural Scholarships Scheme administered by the Ministry of Education and Youth Services or at their own expense. The Government of India render them all possible assistance to get admission in colleges and educational institutions and secure hostel accommodation in India.

(c) to (e). Children of Indian nationals living abroad are treated on the same footing as children of Indian nationals living in India.

Cultural Ties with South East Asian Countries

10361. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme to revive their old cultural ties with the countries of South East Asia and to lay emphasis on strengthening them further;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c). Government have continued their cultural contracts with the countries in South East Asia and are proposing to expand the Cultural Activities Programme with them.

Letters Received and Replied to in Hindi in the Office under Prime Minister

10362. Shri Om Prakash Tyagi : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the number of letters received in Hindi in the Cabinet Secretariat, Department of Atomic Energy and Planning Commission during the second half of 1969. and the number out of them which have been replied to in Hindi and English separately;

(b) the reasons for not replying in rest of the letters;

(c) the number of letters replies to which have been sent in Hindi which have been processed in Hindi at all levels without the aid of translation;

(d) the reasons for not processing the remaining letters in Hindi at all levels;

(e) whether the letters received in Hindi would be replied to in Hindi in future after processing them in Hindi at all levels; and

(f) if so, from which date and if not, the reasons therefor?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (f). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Letters Received and Replied to in Hindi by the Ministry of Defence

10363. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of letters received in Hindi in his Ministry during the second half of 1969 and the number out of them which have been replied to in Hindi and English separately;

(b) the reasons for not replying to the rest of the letters;

(c) the number of letters replies to which have been in sent in Hindi which have been processed in Hindi at all levels without the aid of translation;

(d) the reasons for not processing the remaining letters in Hindi at all levels;

(e) whether the letters received in Hindi would be replied to in Hindi in future after processing them in Hindi at all levels; and

(f) if so, from which date and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Sardar Swaran Singh) : (a) The total number of letters received from State Government/Union Territories which have adopted Hindi for purposes of communication with the Government and from members of the public during the second-half of 1969, was 3130. Out of these, replies had been sent in Hindi to 1551 letters and in English to 104 letters.

(b) The main reasons for not replying to the rest of the letters are :

(1) the matter is under consideration; or

(2) No reply was called for from the Ministry.

(c) and (d). In accordance with the existing orders on the subject, there is no restriction on the use of either Hindi or English or processing of official papers and an employee can use either Hindi or English for purposes of noting or drafting. No separate statistics are maintained of letters replied to with or without the aid of translation.

(e) and (f). Every effort to this will be made with immediate effect.

Superintendents Practising Untouchability in Army Headquarters

10364. **Shri Narayan Swaroop Sharma :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government propose to ascertain the number of those Superintendents under his Ministry who practise untouchability and use abusive language in their dealings with the Harijan employees working under them;

(b) whether it is a fact that the Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes has recently received certain complaints against some of those Superintendents who practise untouchability in their dealings with their Harijan employees; and

(c) if so, the action taken thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna): (a) No, Sir. Complaints in this regard, when received, are investigated and suitable action is taken where necessary.

(b) and (c). Yes, Sir. One complaint was received during the year 1970 by the Commissioner for Scheduled Castes/Scheduled Tribes against a Superintendent. The allegations were investigated and found to be incorrect.

Rotational Transfer of Superintendents in the Army Headquarters

10365. Shri Narayan Swaroop Sharma: Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) the number of Superintendents in the Army Headquarters under his Ministry, the date of appointment of each of them against the posts of Superintendents and the names of sections in which each of them is working;

(b) the number among them of those who possess knowledge of Hindi and also of those who are doing noting and drafting work in Hindi;

(c) whether it is proposed to transfer elsewhere those Superintendents who have worked in a particular Section or Branch for more than three years, keeping in view the necessity of greater rotation and providing other the opportunities to work there; and

(d) if so, by which time and, if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna): (a) The information is given in the attached statements. [*Placed in Library. See LT No.* 3638/70.]

(b) 230 Superintendents in the Army Headquarters possess knowledge of Hindi. As the work in the Army Headquarters is normally conducted in English, they are not required to do noting or drafting in Hindi.

(c) & (d). There is no proposal to transfer those Superintendents who have worked in a particular Section or Branch for more than three years. Cases of Superintendents who have remained in the same Directorate of the Army Headquarters continuously for more than seven years are reviewed annually, with a view to considering whether any transfer should be made, having regard to the need for continuity of work and for allowing an opportunity to employees to have a change in the nature of duties at reasonable intervals.

Alleged Withholding of Pay of Employees Working in Army Headquarters

10366. Shri Narayan Swaroop Sharma: Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some Superintendents harass the employees working in the Army Headquarters of his Ministry by withholding the disbursement of their salary on the due date;

(b) if so, the number of employees whose salaries were so withheld during the last three years; and

(c) whether Government propose to issue necessary orders so that these officers may not be able to withhold the salaries of these employees?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna): (a) No, Sir. Superintendents have no authority to withhold the disbursement of salary of civilian employees.

(b) and (c). Do not arise.

Letters Received and Replied to in Hindi by the Ministry of Irrigation and Power

10367. **Shri Narayan Swaroop sharma:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of letters received in Hindi in his Ministry during the second half of 1969 and the number out of them which have been replied to in Hindi and English separately;

(b) the reasons for not replying to the rest of the letters;

(c) the number of letters replies to which have been sent in Hindi which have been processed in Hindi at all levels without the aid of translation;

(d) the reasons for not processing the remaining letters in Hindi at all levels;

(e) whether the letters received in Hindi would be replied to in Hindi in future after processing them in Hindi at all levels; and

(f) if so, from which date and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation & Power (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) Number of letters received in Hindi 967

Number of letters replied to :

(i) in Hindi 273

(ii) in English Nil

(b) The reasons are given below :—

(i) Some of these letters were in the form of reminders, acknowledgements, general circulars, endorsements etc., on which no action was called for.

(ii) Some of these letters were received in response to the communications issued by the Ministry of Irrigation and Power. Notes, comments, details of schemes, flood reports etc., were received with these letters and there was no need to issue replies thereto.

(c) to (f). Letters received in Hindi are replied in Hindi. As regards taking action on them in Hindi at all levels without the aid of translation, it may be stated that the policy of the Government of India has been to give freedom to the officials to use either Hindi or English in their noting and drafting.

नई कपड़ा मिलों की स्थापना

10368. **श्री रामवतार शास्त्री :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में देश में एक भी नई कपड़ा मिल स्थापित नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन का नई कपड़ा मिलें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं। यह सच नहीं है कि विगत तीन वर्षों में देश में कोई नई वस्त्र मिल स्थापित नहीं की गयी है। इस अवधि के दौरान अनेक नई मिलें स्थापित की गयी हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

1970-71 के लिये वार्षिक योजना को अंतिम रूप देना

10369. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970—71 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप दिया जा चका है ;

(ख) क्या प्रगति पर नजर रखने के लिये कोई व्यवस्था करने का विचार है ; और

(ग) योजना की बेहतर क्रियान्विति के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री और योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) . योजना आयोग ने कार्यक्रमों को तैयार करने, क्रियान्वित करने और समय समय पर उन की समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए कारगर व्यवस्था विकसित कर ली है योजना की प्रगति का पता लगाते रहने और योजना को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने के उपायों की समीक्षा योजना आयोग में लगातार चलती रहती है ।

पंजाब, हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ के वे गांव जिनमें बिजली लगी है/जिनमें बिजली नहीं लगी है

10370. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब, हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र चंण्डीगढ़ के कितने गांवों में बिजली लगी है/और कितने गांवों में बिजली नहीं है ;

(ख) शेष गांवों में बिजली लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) लघु उद्योग स्थापित करने के लिये गांवों को बिजली के कितने कनेक्शन दिये गये हैं और इस प्रक्रिया को तेज करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :(क) सूचना नीचे दी जाती है :

राज्य/संघीय क्षेत्र	गांवों की कुल संख्या	31-3-1970तक विद्युतीकृत गांव	शेष गांव जिनको विद्युतीकृत करना है।
पंजाब . .	11947	5554	6393
हरियाणा . .	6669	3367	3302
जम्मू और कश्मीर	6559	763	5796
हिमाचल प्रदेश	13060	3579	9481
चण्डीगढ़ . .	31	20	11

(ख) और (ग) . 1966-67 से, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए पम्प सेटों के ऊर्जन पर विशेष जोर देते हुए, ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों का पुनरनुकूलन किया गया है। अत: अब और ग्राम विद्युतीकरण से हटकर पम्प सेटों के ऊर्जन पर हो गया है।31-3-1970 को स्थिति के अनुसार ऊर्जित पम्पसेटों/नलकूपों की संख्या नीचे दी जाती है :—

पंजाब .	78,987
हरियाणा .	68,851
जम्मू और कश्मीर	178
हिमाचल प्रदेश	426
चण्डीगढ़	217

चौथी योजना के प्रारम्भ से ग्राम विद्युतीकरण के लिए परिव्यय राज्य सरकारों/संघीय क्षेत्रों के योजना साधनों से दिए जाते हैं, जिनमें सम्पूर्ण केन्द्रीय सहायता शामिल होती है। ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्थापना इस उद्देश्य से की गई है कि वह राज्य बिजली बोर्डों को उनकी राज्य योजनाओं से बाहर धन देकर ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों की प्रगति को तेज करे। पिछड़े क्षेत्रों में निगम द्वारा ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए धन की व्यवस्था रिआयती शर्तों पर की जाती है।

विभिन्न राज्यों से निर्यात

10371. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, उत्तर प्रदेश और चण्डीगढ़ से विदेशों कोइससमय कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया है ;

(ख) उपर्युक्त क्षेत्रों से होने वाले निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या निर्यात की कुछ नई वस्तुओं के बारे में कोई काम किया जा रहा है ।

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) निर्यात के आंकड़े राज्य-वार नहीं रखे जाते । अतः प्रत्येक राज्य द्वारा किये गये निर्यातों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) तथा (ग) निर्यात संवर्धन के लिए किये गये उपाय, जिनका समय समय पर एलान किया गया है, किसी विशेष क्षेत्र अथवा राज्य तक सीमित नहीं हैं बल्कि इनका स्वरूप व्यापक है और वे सारे भारत पर लागू होते हैं । एक विवरण संलग्न है जिसमें निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यातिकों की सहायता करने और नई मदों का प्रचलन करके निर्यात के क्षेत्र को व्यापार बनाने के लिये किये गये महत्वपूर्ण उपाय दिये गये हैं ।

निर्यात उत्पादन और निर्यातक्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

(1) निर्यात बढ़ाने वाली योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित बातें सम्मलित हैं ––

(क) रंजीकृत निर्यातकर्ताओं को नये माल के लिये लाइसेंस देने की योजना के अन्तर्गत आयातित कच्चा माल देने की व्यवस्था ।

(ख) प्राथमिकता के आधार पर इस्पात और अल्मूनियम जैसे देशी कच्चे माल की सप्लाई ।

(ग) 1969–70 की अवधि में ग़ैर परम्परागत वस्तुओं का कम से कम 10 लाख अथवा उससे भी अधिक निर्यात करने वाले पंजीकृत निर्माताओं–निर्यातकों को "आन एकान्ट" आयात लाइसेंस देने की व्यवस्था की गई है । इस सुविधा के साथ साथ निर्यात उत्पादन के लिये कच्चा माल प्राप्त कर सकने के लिये एडवांस तथा इम्प्रैस्ट लाइसेन्स सुविधायें की गयी हैं ।

(घ) निर्यात एककों को अधिक क्षमता वाले लाइसेंस देने के मामले में, निर्धारित क्षमता में सुधार के लिये तथा इच्छित आयात प्रसाधनों के लिये प्राथमिकता देने की व्यवस्था है ।

(ङ) आबंटित विदेशी मुद्रा से, उत्पादन सुविधाओं के नैविधिकरण आधुनिकीकरण, विस्तार तथा अनुसंधान और विकास के लिये, निर्यात एककों को आवश्यक मशीनों के आयात के लिये लाइसेंस देने की व्यवस्था की गई है ।

(च) सरकारी अभिकरणों द्वारा कुछ कच्चे मालों के खुले आयात की व्यवस्था की गई है । नये माल के लाइसेन्सों को समर्पण करने पर, पंजीकृत निर्यात कर्ता, राज्य व्यापार, निगम के औद्योगिक कच्चा माल सहायता केन्द्र तथा खुले आयात के लिये नामज़द किये गये ऐसे दूसरे अभिकरणों से, सप्लाई उपलब्ध करने में समर्थ होंगे ।

दिल्ली विद्युत् प्रदाय द्वारा कोयले के क्रयादेश में कदाचार

10372. **श्री स० क० तापड़िया:** क्या **सिंचाई तथा विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत् प्रदाय द्वारा अपने बिजली घरों में प्रयोग के लिये 4 करोड़ रुपये के कोयले के क्रयादेश में कुछ कदाचार किये गये हैं;

(ख) क्या इस मामले में विशेषज्ञ की सलाह की उपेक्षा की गई थी ; और

(ग) इस घोटाले का ब्यौरा क्या है; और क्या रेलवे अधिकारियों का सहयोग न मिलने के कारण मध्य प्रदेश से कोयले की सप्लाई नियमित नहीं होगी और इस कारण कुछ बिजली घरों को बन्द करना पड़ेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि उनके बिजली केन्द्रों के लिए 1970–71 के वर्ष के लिए कोयले के विक्रय के लिए 2 अप्रैल, 1970 को दिल्ली विद्युत् प्रदाय समिति का निर्णय भांडार विक्रय समिति के सुझाओं पर आधारित था। केवल उसी किस्म का कोयला खरीदा गया था जो कि टैंडर की विशिष्टियों और अन्य शर्तों के अनुसार था और टैंडर के कागजातों में निर्धारित शर्तों का व्यतिक्रम नहीं किया गया था। दिल्ली विद्युत संस्थान ने यह भी बताया है कि ऐसे किसी भी प्रस्ताव को ठुकराय नहीं गया जिसमें कोयला विशिष्टियों के अनुसार तो हो, किन्तु दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा स्वीकृत टेंडर से कम कीमत पर दिया जा रहा हो। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने अपनी कुछ आवश्यकताओं के लिए मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्रों को आदेश दिए हैं क्योंकि उनके द्वारा ली जा रही कीमत कम है और यह ख्याल है कि मध्य प्रदेश से कोयले के परिवहन पर लगी पाबन्दियां हटा ली जाएगी। चूकि बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों को भी आदेश दे दिए गये हैं, उपक्रम का यह विचार है कि यदि मध्यप्रदेश से कोयले के वहन पर लगी पाबन्दियां न भी हटाई गई तो भी उन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

अमरीकी पुस्तकालयों का नियंत्रण भारत को हस्तांतरित करना

10373. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री मयावन :
श्री दंडपाणि :
श्री चेंगालराया नायडू :

क्या **वैदेशिक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 अप्रैल, 1970 के "हिन्दू" में "अमरीका पुस्तकालयों का नियंत्रण भारत को हस्तान्तरित करेगा" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) अमरीका द्वारा पुस्तकालयों का नियंत्रण हस्तान्तरित करने की स्थिति में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) विदेशी मिशनों के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे उन पुस्तकालयों को स्थानांतरित कर दें, जिन्हें बन्द किया जाना है । किन्तु सरकार अपनी उस नीति की सीमाओं में रहते हुए इन पुस्तकालयों के भावी संचालन के प्रबंधों पर विदेशी मिशनों द्वारा रखे गए किसी भी प्रस्ताव के संबंध में विचार करने को तयार है, जो 26 फरवरी, 1970 को इसी विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में विस्तारपूर्वक बताई गई थीं ।

(ग) उनके मिशनों से इतर स्थानों पर स्थित पुस्तकालयों को बन्द कर दिया गया है । अत: प्रश्न नहीं उठता ।

लुमुम्बा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये आवेदन पत्र भेजने के बारे में रूसी दूतावास के साथ करार

10374. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने रूसी दूतावास के साथ इस बारे में करार किया है कि मास्को स्थित लुमुम्बा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये किये जाने वाले आवेदन पत्रों को शिक्षा मंत्रालय द्वारा न भेजकर सीध रूसी दूतावास द्वारा भेजा जाय ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार करार की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ;

(ग) क्या अन्य विदेशी दूतावासों के साथ भी इसी प्रकार के करार विद्यमान हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो रूसी दूतावास के साथ ही यह अपवाद क्यों रखा गया है और गत तीन वर्षों में इस करार के कारण इस दूतावास ने कितना वित्तीय लाभ उठाया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कम्बोडिया को भारतीय हथियार

10375. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री गार्डिलिंगन गौड :
श्री कृ० मा० कौसिक :
श्री० जे० मुहम्मद इमाम :
श्री धीं० ना० देव :
श्री दे० अमात :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्बोडिमा को बिक्री पर अथवा सहायता के रूप में हथियार सप्लाई करने के लिये भारत को कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) सरकार के किस गुट ने अनुरोध किया है ; और

(ग) इस बारें में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) कम्बोडिया की मौजूदा सरकार ने इसकी प्रार्थना की है ।

(ग) विदेश मंत्री 22–4–70 को इस सदन में पहले ही यह बता चुके हैं कि भारत सरकार इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि वह कम्बोडिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के प्रधान की हैसियत से भी वह ऐसा नहीं कर सकती ।

राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति

10376. **श्री देवकीनंदन पाटोदिया** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना निर्धारित कार्यक्रम से बहुत पीछे है ;

(ख) क्या इस धीमी प्रगति का कारण राज्य सरकार को बहुत कम केन्द्रीय सहायता मिलना है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार पर इस बात के लिये जोर डालता है कि इस योजना की क्रियान्विति अविलम्ब की जाये क्योंकि इसमें विलम्ब होने से हरित क्रान्ति में बाधा पड़ रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राजस्थान राज्य में ग्रामों के विद्युतीकरण की प्रगति अखिल भारतीय औसत से कम है । जब कि अखिल भारतीय औसत 15 प्रतिशत है, राजस्थान में यह 8.2 प्रतिशत है ।

(ख) से (घ). इस कार्य में धीमी गति का मुख्य कारण सुविकसित और व्यापक पारेषण तथा वितरण प्रणाली का न होना है । 1966–67 से, समस्त देश में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें इस तरह बनाई जा रही हैं जिनमें खाद्यान्न उपज में वृद्धि के लिए सिंचाई पंपों के ऊर्जन पर बल दिया जाता है । 1966–69 की तीन वर्ष की अवधि में राजस्थान को आवर्द्धित केन्द्रीय सहायता दी गई । तीसरी योजनावधि में 372.89 लाख रुपये दिए गये थे जबकि इस अवधि में 592.30 लाख रुपये दिए गये हैं । चौथी योजना के आरम्भ से राजस्थान में और देश के अन्य राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए कोई पृथक् रक्षित सहायता नहीं दी जा रही और इस उद्देश्य के लिए परिव्यय राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों में से दिए जाते हैं जिसमें उनको दी गई सम्पूर्ण केन्द्रीय सहायता

शामिल होती है। जैसा कि नीचे बताया गया है, गत तीन वर्षों के दौरान विद्युतीकरण ग्रामों और पंपों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती रही है।

	ऊर्जित पंपों की संख्या	विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या
1967–68	3196	70
1968–69	5050	346
1969–70	6233	544

ग्राम विद्युतीकरण निगम इस उद्देश्य से स्थापित किया गया है कि ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों पर राज्य की योजनाओं में निर्धारित राशि के अतिरिक्त धन लगाया जा सके। निगम ने पिछड़े इलाकों में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के संबंध में धन देने की आसान शर्तें बनाई हैं। अभी तक निगम ने राजस्थान में 79 ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए और 1030 पंपों को ऊर्जित करने के लिए आसान शर्तों पर 36.98 लाख रुपये की अनुमानित लगात पर एक स्कीम स्वीकार की है।

कम्बोडिया संबंधी एशियाई सम्मेलन में हिन्द-चीनी समस्या से संबंधित राष्ट्रों द्वारा भाग लेना

10377. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्डोनेशिया द्वारा हाल में बुलाये गए सम्मेलन में कुछ ऐसे राष्ट्र भी भाग ले रहे हैं जो भारत-चीन समस्या से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्मेलन में भाग ले रहे ऐसे राष्ट्रों के बारे में अपने विचार इन्डोनेशिया को बता दिये हैं ;और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). 4 मई, 1970 को कम्बोडिया विषयक एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में विदेश मंत्री इन बातों को इस सदन में पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं।

स्थायी सिन्धु आयोग की बैठक

10378. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969 के वर्ष में सिन्धु जल करार के अन्तर्गत स्थायी सिन्धु आयोग की कितनी बार बैठक हुई;

(ख) आयोग द्वारा कितनी सिफारिशें की गई और ऐसी कितनी सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया ; और

(ग) आयोग पर हुए खर्च में भारत का भाग कितना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1969 के दौरान दो बैठकें हुई—एक पाकिस्तान में और दूसरी भारत में ।

(ख) आयोग ने, जिसका कार्य उसकी संधि के कार्यान्वियन के लिए सहकारी प्रबंधों की स्थापना तथा अनुरक्षण करना है, 1969 के वर्ष के दौरान 12 मदों पर विचार-विमर्श किया, जिनमें से 8 मदों का निपटारा कर दिया गया था ।

(ग) बैठक पर व्यय उस देश द्वारा वहन किया जाता है जहां बैठक होती है । भारत में आयोग की बैठक पर हुआ व्यय 5,089 रुपये था ।

दिल्ली विद्युत प्रदाय की क्षमता

10379. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलु और वाणिज्यिक उपयोग के लिये बिजली की सप्लाई के संबंध में दिल्ली विद्युत प्रदाय की क्षमता क्या है ;

(ख) बृहद दिल्ली में विद्युत शक्ति की वर्तमान आवश्यकता क्या है तथा आवश्यकता और दिल्ली विद्युत प्रदाय की क्षमता में कितना अन्तर है ;

(ग) क्या सरकार को बृहद् क्षेत्र दिल्ली में बार बार विद्युत शक्ति के बन्द हो जाने के बारे में पता है ; और

(घ) बिजली के बन्द हो जाने को रोकने के लिये क्या सुधारक व्यवस्था करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). पुराने उत्पादन यूनिटों की पहले से कम हो गई क्षमता को तथा हरियाणा के भाग के लिए गूंजाइश रखते हुए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 205 मैगावाट है । भाखड़ा नांगल प्रणाली से 80 मैगावाट तक बिजली की सप्लाई मिल जाने से दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के पास इतनी क्षमता हो गई है कि वह 224 मैगावाट की वर्तमान अधिकतम मांग को पूरा कर सके ।

(ग) और (घ) । दिल्ली में बिजली की सप्लाई भंग होने की घटनाएं पहली की अपेक्षा कम हो गई हैं । सप्लाई भंग होने की घटनाओं की संख्या 1968–69 में प्रति 100 किलोमीटर लाइन पर 7.7 प्रति वर्ष थी, जबकि यह संख्या 1967–68 में 8.3 थी । इन घटनाओं को कम करने के लियें सप्लाई प्रणाली को सुधारने और पक्का करने के लिये उपाय जारी हैं । इनका ब्यौरा संक्षिप्त रूप से नीचे दिया जाता है :—

1. शीर्षोपरि पोषक लाइनों को यथासंभव भूगत पोषक लाइनों में परिवर्तित किया जा रहा है ।

2. सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिये यथासंभव बिजली के दूसरे संसाधनों का प्रबंध किया जा रहा है ।

3. ग्रामीण पोषक लाइनों को नगरीय क्षेत्रों की पोषक लाइनों से पृथक किया जा रहा है ताकि त्रुटियों को अलग-अलग रखा जा सके ।

4. नए स्विचन केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं ।

Raising of Naga Regiment in Army

10380. Shri Raghavir Singh Shastri : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government of Nagaland have sent a proposal to the Central Government regarding the raising of Naga Regiment in the Indian Armed Forces.

(b) if so, the details thereof; and

(c) the decision taken by Government in this regard?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, sir.

(b) The Chief Minister has suggested the formation of this Regiment in order that the Naga people may have the opportunity of playing a full role in the defence of the country.

(c) The matter is under consideration.

नई बनाई गई सड़क को जोड़ने के लिये मद्रास और बंगलौर में छावनी क्षेत्रों का अर्जन

10381. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास और बंगलौर नगरों के मास्टर प्लानों के अनुसार नई बनाई गई सड़कों को जोड़ने के लिये मद्रास और बंगलौर के कुछ छावनी क्षेत्रों का अर्जन करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इस भूमि के बदले में सम्बद्ध सरकारों को वैकल्पिक भूमि देनी पड़ेगी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क), (ख) तथा (ग) तामिल नाडू सरकार की प्रार्थना के उत्तर में सड़क उद्देश्यों के लिए तामिल नाडु भवन बोर्ड को कोडम्बकम-पदूर में 2.02 एकड़ रक्षा भूमि के विक्रय के लिए 6 मार्च को स्वीकृति जारी की गई थी।

तामिल नाडू सरकार ने औद्योगिक सम्पत्ति गिन्डी के संबंध में एक सड़क की विरचना के लिए सेंट टामस माऊंट छावनी से लगभग एक एकड़ रक्षा भूमि की ग्रांट के लिए भी प्रार्थना की है। राज्य सरकार को कहा गया है कि रक्षा उद्देश्यों के लिए वह उपयुक्त वैकल्पिक क्षेत्र प्राप्य करे, और उनका उत्तर प्रतीक्षित है ।

इसी प्रकार मैसूर सरकार ने भी बंगलौर हवाई अड्डे से एच० ए० एल० फैक्टरी तक जाने-वाली सड़क को चौड़ा करने और पुनसंरक्षण के लिए बंगलौर नगर निगम द्वारा वांछित रक्षा भूमि की तबदीली के लिए प्रार्थना की है। संयुक्त जांच के पश्चात् नगर निगम ने संरक्षण में जैसे कि सेना अधिकरणों द्वारा सुझाव दिया है, संशोधन करना स्वीकार कर लिया है। नगर निगम से संशोधित आयोजन प्रतीक्षित है और उक्त आयोजनों की प्राप्ति पर तबादले की शर्तों पर विचार किया जाएगा।

फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा वित्त घोषित भारतीय संगठन

10382. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन्टैन्टे (प्राइवेट) लिमिटेड नई दिल्ली–5 द्वारा प्रकाशित "फोर्ड फाउन्डेशन एंड सी०आई०ए०" नामक पुस्तक देखी है तथा उस पर विचार किया है।

(ख) यदि हां, तो उन भारतीय संगठनों तथा परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनके लिये फोर्ड फाउन्डेशन अब भी धन देता है ; और

(ग) क्या विदेशी संस्थाओं की देखरेख के संबंध में सरकार ने कोई नई नीति बनायी है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :(क) से (ग), सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज़ पर रख दी जाएगी ।

रबात सम्मेलन के बारे में भारत की नीति का समर्थन करने वाले प्रकाशनों की खरीद

10383. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रबात सम्मेलन में भाग लेने के भारतीय प्रयास का समर्थन करने वाली पत्रिकाओं की तथा अन्य प्रकाशनों की प्रतियों को बड़ी संख्या में खरीद लिया है; और

(ख) क्या सरकार इस बारे में एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखेगी जिसमें यह बताया गया हो कि विभिन्न प्रकाशनों के लेखक कौन हैं, प्रकाशकों के नाम एवं पते क्या हैं, प्रत्येक प्रति का मूल्य कितना है, सरकार द्वारा कितनी विभिन्न पार्टियों को कितनी धनराशि दी गई है और सरकारी अधिकारणों द्वारा इन प्रकाशनों को किस तारीख को तथा किस ढंग से बांटा गया ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). भारत सरकार द्वारा खरीदी गई पुस्तिकाओं का एक विस्तृत विवरण संलग्न है ।

विवरण

	शीर्षक	लेखक	प्रकाशक	प्रति कापी कीमत	खरीदी गई प्रतियों की संख्या	चुकाई गई राशि
1.	रबात बिफोर एण्ड आफटर	डा० गोपाल सिंह	डा० गोपाल सिंह, नई दिल्ली	एक रुपया	4,000	2,800 रुपये (थोक खरीद की दर से)
2.	इन्डिया एण्ड वेस्ट एशिया	श्री के० रंगा-स्वामी	श्री के० रंगा-स्वामी, नई दिल्ली	50 पैसे	2,000	800 रुपये (थोक खरीद की दर से)
3.	रबात	श्री प्राण चोपड़ा	सर्वश्री इम्पेक्ट पब्लिकेशन्स प्रा० लि०, नई दिल्ली	एक रुपया 75 पैसे	4,000	5,600 रुपये (थोक खरीद की दर से)
4.	रबात कन्द और भारत सरकार	श्री आनन्द जैन	श्री आनन्द जैन, नई दिल्ली	..	5,000	437,47 रुपये (थोक खरीद की दर से)

ये पुस्तकें नवम्बर और दिसम्बर, 1969 में बांटी गई थीं और वितरण भी वैसे ही हुआ था जैसे कि सामान्यतः होता है।

सिंचाई उद्देश्यों के लिये आवंटित की गई देश में निर्मित मशीनों का अत्यधिक मूल्य

10384. **श्री विरेन्द्र कुमार शाह : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 अप्रल, 1970 के "फाइनैंशियल एक्सप्रेस" में "स्टेट प्लान्स टु टैकल डीजल आयल इंजन प्लांट" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि आयातित मशीनरी की तुलना में स्वदेशी मशीनरी की लागत 40 से 200 प्रतिशत अधिक है ;

(ग) क्या सरकार कुछ राज्यों पर यह जोर दे रही है कि ये केवल स्वदेशी मशीनरी ही प्रयोग करें;

(घ) क्या दिये गये परिव्यय में स्वदेशी मशीनों की अधिक लागत के कारण महाराष्ट्र में सिंचाई क्षमता लगभग 50 प्रतिशत कम हो जाएगी ; और

(ङ) यदि उपर्युक्त भाग (घ) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या सरकार उन राज्यों को मुआवजा देगी जो स्वदेशी मशीनरी का प्रयोग करने पर बाध्य हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) यह सूचित किया गया था कि देशी मशीनरी की लागत आयात की गई मशीन की लागत से 40–200% तक अधिक है; तदनुसार सिंचाई परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सिंचाई परियोजनाओं के लिए देशी उपस्कर का मूल्य जब वह देश में पहली बार ही तैयार किया जा रहा हो, सामान्यत: आयात किए गए उपस्कर से अधिक होता है। देशी उपस्कर की मात्रा में वृद्धि होने से यह अन्तर उत्तरोत्तर कम होता जाता है।

(ग) उस उपस्कर को आयात करने की अनुमति नहीं दी जाती है जो भारत में ही तैयार किया जाता है और जो परियोजना की आवश्यकता के लिए उपयुक्त है।

(घ) उपस्कर की लागत में किसी वृद्धि के कारण सिंचाई शक्यता में किसी कमी को साधारणतः 50% नहीं आंका जा सकता क्योंकि सिंचाई परियोजनाओं के लिए उपस्कर की लागत परियोजना की कुल लागत का सामान्यत: केवल 15–20 % तक होती है और उसके उत्पादन का मूल्य इसके कुल कार्यकाल के दौरान, इसकी लागत का तीन से चार गुना होता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

Employment for Retrenched Emergency Commissioned Officers of Madhya Pradesh

10385. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have retrenched Emergency Commissioned Officers from Madhya Pradesh;

(b) if so, the posts against which the said officers have been appointed;

(c) whether Government propose to provide employment opportunities to these trained officers in other Departments of the Ministry of Defence or in Security Forces of the country; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh): (a) Emergency Commissioned Officers from various States, including Madhya Pradesh, have been released under the phased programme of release of ECOs.

(b) According to information available, 60 Emergency Commissioned Officers belonging to Madhya Pradesh have been provided with employment in various departments of the Central/State Governments, Public and Private Sector Undertakings. In addition, six Emergency Commissioned Officers were reverted to their civil posts and seven had declined the appointments.

(c) and (d). Released Emergency Commissioned Officers fulfilling the requisite conditions of qualification etc. are eligible for absorption in reserved vacancies in various Central Services/Posts (Class I and Class II) including those

under the Ministry of Defence and Para Military Forces as well as equivalen appointments in Public Sector undertakings. The Government of Madhya Pradesh have reserved 20% vacancies in the State services/posts Class II (non-technical) to be filled by direct recruitment, for the released ECOs.

Number of Unemployed Ex-Service Men in Madhya Pradesh

10386. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the number of ex-servicemen in Madhya Pradesh at present; and

(b) the number out of them who have not so far been provided with employment?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh): (a) In this connection, attention is invited to the reply given to part (a) of unstarred question No. 9182 in the Lok Sabha on the 1st May, 1968. Up to date statistics are not available.

(b) As on 31st December, 1969, there were 1,311 ex-servicemen on the rolls of Employment Exchanges in Madhya Pradesh awaiting offers of employment.

मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों के लिये स्थायी कल्याण अधिकारी

10387. श्री गं० च० दीक्षित : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों के लिये कोई स्थाइ कल्याण अधिकारी नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन कल्याण अधिकारियों ने मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों, उनके परिवारों तथा सेवा रत और मृतक सैनिकों के परिवारों के कल्याण के लिये अब तक क्या उपाय किये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एम० आर० कृष्णा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वित्तीय संकट के कारण राज्य सरकार ने कोई कल्याण कार्यकर्ता नियुक्त नहीं किये ;

1970-71 में प्रतिरक्षा प्रशिक्षण संस्थायें खोलना

10388. श्री गं० च० दीक्षित : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970–71 में देश में कितनी प्रतिरक्षा प्रशिक्षण संस्थायें खोलने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी ईंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). राज्य प्रतिरोध की रोकथाम और जंगल यौद्ध कला संबंधी एक स्कूल ने अप्रैल, 1970 में काम करना शुरू कर दिया है। हैदराबाद के निकट वायु सेना अकादमी जो कि निर्माणाधीन है 1971 शुरू में कमीशन हो जाएगी। 1970–71 में एक वायु सेना गुप्तचरी स्कूल खोला जाना भी प्रत्याशीत है ।

Construction of Another Dam on Tapti River in Nepa Nagar

10389. Shri G.C. Dixit: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that due to location of Nepa Mills in Burhanpur Town, the people of Burhanpur Town and the villages adjacent to Nepa Mills have been experiencing a lot of difficulties regarding drinking water due to pollution of water of Tapti river; and

(b) if so, whether any scheme for construction of one more dam on Tapti river in Nepa Nagar is under consideration of Government so that unpolluted drinking water from Tapti river could be supplied to the people of Burhanpur town?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) & (b). No proposals for the construction of a dam across the Tapti river near Nepanagar have been received from the Government of Madhya Pradesh.

एरोनाटिक्स समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति

10390. श्री रवि राय : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एरोनाटिक्स समिति की मुख्य सिफारिशें क्रियान्वित कर दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : (क) एरोनाटिक्स कमेटी द्वारा की सिफारिशों की अधिक संख्या कार्यान्वित हो चुकी हैं। अन्य सरकार द्वारा विचाराधीन है।

(ख) जभी सभी सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया, ऐसी सूचना देने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया जाएगा कि जो प्रकट की जा सकती हैं।

Balance of Trade

10391. Shri Maharaj Singh Bharti: Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether our balance of trade which was favourable during 1969-70 will continue to be so during 1970-71 also and whether there would be some increase also in our foreign exchange earnings; and

(b) if so, whether there is any proposal to amend the import policy and to make it more liberal?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak): (a) and (b). In 1969-70 there was an adverse balance of trade although the gap was much narrower than in previous years. It is the objective of our trade policy to ensure that this trend is maintained. The import policy for the year 1970-71, which has already been announced, was framed after taking these factors into account.

Aid from Various Countries for Research and Experimental Work pertaining to Defence

10392. Shri Maharaj Singh Bharti : Will the Minister of **Defence** be pleased to state the expenditure being incurred on research and experimental work pertaining to Defence and the names of the countries which are giving aid in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : The expenditure incurred on research and experimental work pertaining to Defence during the financial years 1967-68 and 1968-69 was of the order of Rs. 11.77 crores and Rs. 12.73 crores respectively. During the financial year 1969-70, it is expected to be about Rs. 14 crores. Budget provision to the extent of Rs. 18.81 crores has been made for the year 1970-71.

No financial aid for research and experimental work is being received by the Defence Ministry from other countries.

Long Term Master Plan for Construction of Dams

†**10393. Shri Maharaj Singh Bharti :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have framed a 10 year or 20 year Master Plan for constructing dams; and

(b) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). The creation of additional irrigation potential in the country in the future will be possible mainly by the construction of storages. The State Governments have been requested to prepare Master Plans for the development of irrigation to the extent feasible without going into the question of sharing of waters on inter-State rivers, but there has not been much progress in this work.

The ultimate gross area that can be irrigated from major and medium irrigation schemes has been assessed roughly as 112 million acres. The irrigation potential created by the end of 1968-69 was about 46 million acres. The target of additional potential in the revised draft Fourth Plan is 11.8 million acres. At the end of the Fourth Plan, about 54 million acres will remain to be developed. It is proposed that, if sufficient funds are available, this remaining potential will be developed in three or four plan periods.

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के द्वारा निर्यात

10394. श्री एन० शिवप्पा : क्या विदेशी व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा 1969 में विभिन्न राज्यों में से किये गये निर्यात का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन निर्यातों के लिए राज्यों को कितना स्वामित्व अदा किया गया ; और

(ग) उक्त अवधि में खनिज तथा धातु व्यापार निगम को कितना मुनाफा हुआ ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) वस्तुओं के सम्भरकों द्वारा स्वामिस्व सीधे राज्य सरकारों को दिया जाता है ।

(ग) खनिज तथा धातु व्यापार द्वारा निगम को इन निर्यातों पर 548.28 लाख रु० की सकल हानि हुई ।

विवरण

वर्ष 1969 में एम० एम० टी० सी० द्वारा किया गया निर्यात व्यापार

(लाख में)

राज्य	लोह अयस्क		मेंगनीज अयस्क		फेरो-मगनीज		फेरो-मेंगनीज (स्लैग)		स्टीटाईट		कोयला		कुल
	मात्रा मी० टन	मूल्य रुपये	मात्रा मी० टन	मूल्य रुपये	मात्रा मी० टन	मूल्य रुपये	मात्रा मी० टन	मूल्य रुपये	मात्रा मी० टन	मूल्य रुपये	मात्रा मी० टन	मूल्य रुपये	मूल्य रुपये
1. आन्ध्र प्रदेश	48.32	3,216.15	4.70	488.75	0.48	336.72	0.19	21.48	—	—	—	—	4,061.10
2. गोवा .	4.94	359.26	5.69	410.47	—	—	—	—	—	—	—	—	769.73
3. महाराष्ट्र .	2.96	93.80	0.85	121.19	0.47	342.80	—	—	—	0.13	—	—	557.92
4. मैसूर.	6.13	396.58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	396.58
5. उड़ीसा .	15.61	977.49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	977.49
6. तमिल नाडू	21.22	1,445.23	0.20	17.64	0.02	16.20	—	—	—	—	—	—	1,479.07
7. पश्चिम बंगाल	3.90	248.23	—	—	0.13	106.61	—	—	—	—	3.50	264.19	619.03
कुल निर्यात	103.08	6,734.74	11.44	1,038.05	1.10	802.33	0.19	21.48	—	0.13	3.50	264.19	8,860.92

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में विश्व खाद्य कार्यक्रम के बारे में विरोध प्रदर्शन

10395. श्री गार्डिलिंगन गौड : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राजस्थान में विश्व खाद्य कार्यक्रम और राज्य की चौथी योजना के लिये केन्द्रीय निधि नियतन में सामन्जस्य बनाने के सम्बन्ध में कोई विरोध प्रकट किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री और योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). राजस्थान सरकार ने अभ्यावेदन किया है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम के अधीन मिलने वाली सहायता को राज्य की चौथी योजना के लिए केन्द्रीय सहायता का भाग नहीं माना जाना चाहिए। यह मामला विचाराधीन है।

कोटा में आणविक विद्युत के केन्द्र के चालू होने पर राजस्थान को अणु शक्ति का वितरण

10396. श्री गार्डिलिंगन गौड : क्या प्रधान मंत्री यह बताने कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राजस्थान सरकार से कोटा में पहले विद्युत केन्द्र के चालू होने से उपलब्ध होने वाली आणविक विद्युत के वितरण के लिये ट्रांसमीशन प्रणाली को तैयार रखने के लिये कहा है और यदि यह प्रणाली तैयार नहीं हुई तो क्या यह बिजली पड़ौसी राज्यों को एलाट की जायगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख). राजस्थान अणुशक्ति परियोजना अधिकारियों ने राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड से अनुरोध किया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि प्रथम यूनिट को 1971 में चालू करने के लिये अणुशक्ति बिजली घर से बिजली के प्रेषण के लिये ट्रांसमिशन प्रणाली शीघ्र पूरी हो जाय।

टाटा बन्धुओं और आस्ट्रेलियाइयों के बीच व्यापार वार्ता

10397. श्री गार्डिलिंगन गौड : क्या विदेशी व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में टाटा बन्धुओं और आस्ट्रेलियाइयों में संयुक्त व्यापार और औद्योगिक उद्यम के बारे में कोई बातचीत हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ख). समाचार पत्रों में छपे समाचारों के अनुसार श्री जे० आर० डी० टाटा ने अपनी पर्थ यात्रा के दौरान पश्चिमी आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार तथा सामान्य संयुक्त औद्योगिक उद्यमों का पता लगाने में अपनी दिलचस्पी व्यक्त की है। इस सम्बन्ध में और ब्यौरे अभी उपलब्ध नहीं है।

Map of Allahabad Fort Missing

10398. Shri Janeshwar Misra: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether the map of Allahabad Fort which contained information about the depth of foundation and many other important points is missing;

(b) if so, whether Government have conducted an enquiry in this regard;

(c) whether immediate danger has been posed to the Fort by the strong currents of river Yamuna and Ganga; and

(d) if so, the steps being taken by Government toward off that danger?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh): (a) No map of the Allahabad Fort is missing from the custody of the defence authorities.

(b) Does not arise in view of answer to (a) above.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

तिब्बत-नेपाल सीमा पर तैनात चीनी सैनिक दल

10399. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनियों ने सैनिकों के 4 डीविज़न, जिन में एक शस्त्रागार डिवीजन भी शामिल है, तिब्बत-नेपाल सीमा पर उस स्थान पर तैनात किये हैं जहां नेपाल को जाने वाली चीनियों द्वारा निर्मित सड़क तिब्बत से मिलती है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). (क) में उल्लिखित तथ्यों की सरकार के पास सूचना से पुष्टि नहीं होती। तदपि यह सच कि चीनी तिब्बत में, चीन-नेपाल सीमा और चीन-भारत सीमा पार भिन्न क्षेत्रों में 13 से 16 डिवीज़न सैनिक रखे हुए हैं।

केन्द्रीय दल द्वारा राजस्थान में सूखा तथा कमी की स्थिति का अध्ययन

10400. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय दल ने राजस्थान में विद्यमान सूखा और कमी की स्थिति का अध्ययन कर लिया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री और योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) मई 1970 के पहले सप्ताह में राज्य में सूखे की स्थिति का पता लगाने के लिए और विभिन्न सूखा राहत साधनों के लिए आवश्यक धन के बारे में एक केन्द्रीय दल ने राजस्थान का दौरा किया है। दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

मध्य पूर्व के देशों के विवाद को हल करने के लिये अमरीकी प्रस्ताव

10401. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य पूर्व के संकट को समूचे रूप में हल करने के उद्देश्य से संयुक्त अरब गणराज्य तथा इजरायल के बीच विवाद को हल करने के लिये अमरिकी के असिस्टेंट सेक्रेटरी आफ स्टेट द्वारा काहिरा में संयुक्त अरब गणराज्य के नेताओं को प्रस्तुत की गई योजना का पता है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जहां तक सरकार को मालूम है, संयुक्त राज्य अमरीका के सहायक विदेश मंत्री ने अपनी हाल की काहिरा यात्रा के दौरान, कोई विशष योजना प्रस्तुत नहीं की। विश्वास किया जाता है कि काहिरा में उनकी जो बातचीत हुई उसका संबंध, दिसम्बर 1969 में संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश मंत्री द्वारा दिए गए प्रस्तावों से था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात शुल्क की समाप्ति

10402. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या विदेशी व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समिति की बैठक में यह आग्रह किया गया था कि रुपये के अवमूल्यन के बाद कई मदों पर लगाये गये निर्यात शुल्क समाप्त कर दिये जाएं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ख). "विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए सलाहकार समितियों के गठन तथा कार्य को विनियमित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त" से निम्नलिखित उद्धरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है :

> "अनौपचारिक सलाहकार समितियां अब से 'सलाहकार समितियां' कहलायेंगी। किन्तु, इन समितियों की संसद की स्थायी समितियों से तुलना नहीं की जा सकती। इन समितियों की कार्यवाही अनौपचारिक रहेंगी और उनकी बैठकों में हुई चर्चा का उल्लेख सदन में नहीं किया जायगा।"

लघु उद्योगों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन

10403. **श्री जार्ज फर्नान्डिस** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष पुलिस विभाग (केन्द्रीय जांच ब्युरो) ने दिल्ली लघु उद्योग के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो विशेष पुलिस विभाग ने सिफारिशें की हैं, और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रावस्था पर एस० पी० ई० की सिफारिशें प्रकट करना वांछनीय नहीं है क्योंकि मामला एक मध्यस्थता न्यायालय के सामने है।

(ग) (1) अपचारी अफसरों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है।

(2) 28-7-1969 से फर्म के साथ व्यापार निलम्बित कर दिया गया है; और

(3) फर्म े क्षति पूर्ति के लिए मध्यस्थता न्यायालय को मामला सौंप दिया गया है।

चीनी आक्रमण के दौरान सेना को सप्लाई की गई गाड़ियों के लिये परिवहन ठेकेदारों के प्रतिकर संबंधी दावे निबटाना

10404. **श्री मंगलाथुमाडम्** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन कुछ परिवहन ठेकेदारों के, जिन्होंने 1962-63 में चीनी आक्रमण के दौरान ठेके (गाड़ियां) लिये थे, प्रतिकर संबंधी दावों को अन्तिम रूप से निबटा दिया है;

(ख) प्रतिकर संबंधी इन दावों को शीघ्रता से निबटाने के लिय क्या कार्यवाही की गई है और ऐसे दावे कितनी बार विधि मंत्रालय को निर्दिष्ट किये गये;

(ग) कितने दाव पूर्णतः रद्द कर दिय गये और कितने मामलों में अनुकूल निर्णय किये गये; और

(घ) क्या किसी पक्ष ने इस प्रयोजन के लिये न्यायालय में दावा किया है?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ). 1962-63 के दौरान गाड़ियों की सप्लाई के लिए परिवहन ठेकेदारों से 3 अल्पावधिक करारनामें और 9 नियमित ठेके हुए थे। इन सभी मामलों में देय समझी गई राशिएं अदा कर दी गई हैं।

नियमित ठेकों में से 5 मामलों में ठकेदारों ने अतिरिक्त राशियों के लिए दावे भेजे थे। इनमें तीन ठकेदारों के मामलों में अन्तिम निर्णय लिए गए हैं—दो ठकेदार के पक्ष में और एक सरकार के पक्ष में। शेष दो मामले त्रिवन्द्रम और अलवर के ठेकों से संबंधित हैं।

त्रिवन्द्रम के मामले में दो मध्यस्थता कार्यवाहियां हुई थीं। एक कार्यवाही में मध्यस्थ ने 134841.94 रुपये का फैसला दिया था, और वह ठकेदार को अदा कर दिया गया था। दूसरी कार्यवाही में मध्यस्थ ने 646000 रुपय के संबंध में दावा रद्द कर दिया था। इस दावे को रद्द करने वाला अवार्ड न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है।

अलवेर के मामले में ठेकेदार ने मध्यस्थता मामला संख्या 267/66 न्यायालय में दायर कर दिया था। 9 मार्च 1970 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में निर्णय दिया है। न्यायालय के निर्णय की प्रति के लिए प्रार्थना की गई है, और प्रतीक्षित है।

मामले सलाह के लिए विधि मंत्रालय को भेजे जाते हैं, जभी और जैसे कोई कानूनी नुक़ता पैदा हो जाता है कि जिस में उनकी सलाह आवश्यक होती है।

तुर्की व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल

10405. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के साथ अपना व्यापार बढ़ाने के प्रयोजन के लिये एक तुर्की शिष्टमंडल ने हमारे देश का दौरा किया था और उन्होंने भारत से एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल को अपने देश में भी आमंत्रित किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ख). एक तुर्की व्यापार प्रतिनिधिमंडल हाल ही में भारत का दौरा किया। तुर्की प्राधिकारियों द्वारा, भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल की तुर्की यात्रा के लिए कोई औपचारिक आमन्त्रण नहीं दिया गया है।

पश्चिमी कोसी नहर का पुनः सर्वेक्षण

10406. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने प्रस्तावित मार्ग रेखा को और आगे उत्तर में ले जाने की दृष्टि से पश्चिमी कोसी नहर के क्षेत्र का पुनः सर्वेक्षण करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पुनः सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख). बिहार सरकार से, जिसने कोसी परियोजना का कार्यभार संभाला हुआ है, अप्रैल, 1970 के अन्तिम सप्ताह में अनुरोध किया गया है कि वह संरक्षण का फिर से व्यापक पुनरावलोकन करे और नहर के उत्तर की ओर, अतिरिक्त क्षेत्रों की कमान में, स्थानांतरित करने की संभाव्यता की जांच करे।

कमला तटबंध का नेपाल में सिसापानी तक विस्तार

10407. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमला तटबंध का जयनगर से आगे नेपाल में सिसापानी तक विस्तार करने संबंधी निर्माण कार्य आरंभ हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सिसापानी के निकट बांध का निर्माण कार्य तथा पन-योजना पर कार्य भी सरकार आरंभ कर रही है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) राज्य सरकार ने स्कीम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है।

(ग) भारत सरकार द्वारा सिसापाणी के निकट बांध और पन बिजली स्कीम के निर्माण का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि ये परियोजनाएं नेपाल में स्थित हैं और इस संबंध म नेपाल सरकार से कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

सेना में डाक्टरों को प्रोत्साहन

10408. डा० म० संतोषम् : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना में विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में डाक्टरों को कुछ प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना के चिकित्सा कर्मचारियों को अब क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एम०आर० कृष्णा) : (क) जी नहीं। उन्हें वही रियायतें/सुविधाएं देय हैं, कि जो अन्य भुजों और सेवाओं के अफसरों को।

(ख) एक विवरण नीचे दिया जाता है।

(1) अग्रिम क्षेत्रों में सेवा के लिए निःशुल्क राशन स्केल।

(2) निःशुल्क वास्य भवन।

(3) निःशुल्क परिवहन।

(4) विमुक्ति भत्ता।

(5) विशिष्ट निर्धारित क्षेत्रों में नियुक्ति पर उच्च स्थानों संबंधी और अस्वस्थ जल वायु भत्ता।

(6) यदि घर का स्थान 600 मील में भी अधिक दूर हो तभी प्रति वर्ष अफसर के घर तक के लिए प्रथम श्रेणी का रेलवे वारंट।

रूसी मानचित्रों में भारतीय क्षेत्र को भारत में न दिखाना

10409. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के विरोध के बावजूद रूस ने भारतीय राज्य क्षेत्र को अपने मानचित्रों में नहीं दिखाया है।

(ख) भारत के उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनको रूसी मानचित्रों में चीन का भाग दिखाया गया है।

(ग) भारत सरकार ने गत एक वर्ष में इस विषय पर रूस को कितने पत्र भेजे हैं;

(घ) सरकार को रूस की सरकार से प्राप्त उत्तर का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार रूस को इस प्रकार की कार्यवाही को रोकने के लिए क्या कदम उठाएगी ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). सोवियत एटलस ओर, 1967 में, जो भारत-चीन सीमा चित्रित की गई है वह लगभग चीनी मानचित्रों में दिखलाए गए सेरखण के अनुरूप है। इस प्रकार उत्तर में हुजा और नागर को भारत के अन्दर दिखलाया गया है, किन्तु शक्सगम घाटी (अघिल और काराकोरम पर्वतश्रेणियों के बीच में) और अक्साई चिन को निकाल दिया गया है। चैंग चेनमो घाटी को भारत के अन्दर दिखलाया गया है, किन्तु फिर दक्षिणडेमचौक और नीलंग जाधंग को भारत से निकाल दिया गया है। पूर्वी क्षेत्र में असम हिमाचल के सम्पूर्ण अधो-पर्वतीय भाग (कामंग, सियांग और सबअन्सिरी फ्रन्टियर डिवीजनों और नेफा के अधिकांश फंटियर डिवीजन) चीन के भाग के रूप में दिखलाए गए हैं।

(ग) से (ङ). सोवियत प्रकाशनों में भारत-चीन सीमा को गलत ढंग से चित्रित करने के संबंध में राजनयिक माध्यमों द्वारा सोवियत सरकार को, भारत सरकार के विचार कई बार बतला दिए गए हैं। उन्हें वे मानचित्र भी दे दिए गए हैं, जिनमें भारत-चीन सीमा को सही ढंग से चित्रित किया गया है। सोवियत सरकार ने विश्वास दिलाया है कि वह भारत सरकार के विचारो पर ध्यान देगी।

पारादीप पत्तन से लौह-अयस्क का निर्यात

10410. **श्री० गु० च० नायक** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966, 1967 और 1968 में पारादीप पत्तन से कितने लौह-अयस्क का निर्यात किया गया तथा विभिन्न स्रोतों से कितने लौह-अयस्क की पूर्ति की गई;

(ख) इस पत्तन से निर्यात किये जाने वाले लौह-अयस्क की विभिन्न श्रेणियों का निर्यात मूल्य क्या क्या है ;

(ग) लौह-अयस्क की किन स्रोतों से पूर्ति की जाती है और बारबिल, बांसपानी तथा बारजम्दा क्षेत्र से कितने लौह-अयस्क की पूर्ति किये जाने की सम्भावना है;

(घ) गोदी प्रांगण में लौह-अयस्क की खरीद पर कितनी लागत आती है और विभिन्न स्रोतों से खरीदने पर अलग अलग कितनी लागत आती है; और

(ङ) क्या हल्दिया पत्तन के खोले जाने के पश्चात पारादीप पत्तन से निर्यात किया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ग) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) तथा (घ). मूल्यों और लागतों का व्यौरा बताना खनिज तथा धातु व्यापार निगम के व्यापारिक हित में नहीं होगा ।

(ङ) जी नहीं ।

विवरण

(मात्रा लाख मे० टन में)

वर्ष	दायतारी/ टोम्का	बारजम्दा (बारबिल तथा बंसपानी सहित)	योग
1966-67		0.67	0.67
1967-68	1.47	7.05	8.52
1968-69	0.28	11.71	11.99
1969-70	3.80	12.97	16.77
1970-71 (अनुमानित)	7.10	20.20	27.30

Letters received and replied to in Hindi by the Ministry of Foreign Trade

10411. **Shri Bansh Narain Singh :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the number of letters received in Hindi in his Ministry during the second half of 1969 and the number out of them which have been replied to in Hindi and English separately;

(b) the reasons for not replying rest of the letters;

(c) the number of letters replies to which have been sent in Hindi which have been processed in Hindi at all levels without the aid of translation:

(d) the reasons for not processing the remaining letters in Hindi at all levels;

(e) whether the letters received in Hindi would be replied to in Hindi in future after reprocessing them in Hindi at all level; and

(f) if so, from which date and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak): (a) to (f). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Trade Agreement with Sudan

10412. Shri Jageshwar Yadav: Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state:

(a) whether any trade agreement had been concluded between India and Sudan last year;

(b) if so, the names and value in rupees of the articles proposed to be imported by Sudan from India under that agreement as also the quantity and value of the goods imported by Sudan from India so far; and

(c) the names of the articles proposed to be exported to Sudan during 1970-71 and the profit likely to accrue therefrom?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak): (a) No new trade agreement was concluded with Sudan in 1969. However, trade arrangements, supplementing the standing Indo-Sudan Trade Agreement of October, 1965, were signed between the representatives of India and Sudan at Khartoom on 3-7-69. These arrangements are valid for the period from 1st July, 1969 to 30th June, 1970.

(b) The current trade arrangements envisage export of Indian goods worth Rs. 23.58 crores to Sudan during the Trade Plan period, that is, from July, 1969 to June, 1970. Against this provision our exports upto 31st March, 1970 have been of the following order:

Tea	175
Jute Manufacture	368
Textiles	596
Spices, oil and perfumes	37
Lentils	27
Other items	349
TOTAL RS. LAKHS	1,552

(c) The current arrangements run till the 30th June, 1970, and negotiations between the two Governments for concluding the arrangements for the next year—1st July, 1970 to 30th June, 1971—are expected to take place shortly. Since exports from India are undertaken by a large number of firms in the private sector, it is not possible for Government to indicate the profit made. As regards foreign exchange earnings to the country, the Trade Arrangements envisage a balance between exports from India to Sudan and imports from Sudan, which is mainly cotton, an essential raw material.

वातानुकूलकों का निर्यात

10413. **श्री जगेश्वर यादव :** क्या वैदेशिक-व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जहां 1969-70 में भारतीय वातानुकूलकों का निर्यात किया गया था; और

(ख) वर्ष 1970-71 में किन देशों से भारतीय वातानुकूलकों की सप्लाई के लिये क्रयादेश प्राप्त हुए हैं और उससे कितना लाभ होने की संभावना है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) वर्ष 1970 में वातानुकुलक उपकर णों के, जिनमें कम रों वाले तथा पैकेज वातानुकूलक शामिल हैं, निर्यातों का मूल्य 33.74 लाख रुपये है।

भारत से वातानुकूलकों का आयात करने वाले मुख्य देश नाइजीरिया, थाईलैंड, सिंगापुर और कुवैत हैं। श्रीलंका ने संयंत्र खरीदे हैं।

(ख) वर्ष 1970-71 हेतु क्रयादेशों के व्यौरे अभी उपलब्ध नहीं हैं।

समाजवादी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

10414. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 में भारत सरकार द्वारा आरम्भ किये गये समाजवादी कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कार्यक्रमों को कहां तक कार्यान्वित किया गया है;

(ग) शेष कार्यक्रमों को कब तक कार्यान्वित करने की संभावना है; और

(घ) लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन पर इन कार्यक्रमों का क्या प्रभाव पड़ा है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री और योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (घ) : इस विषय में किये गये कुछ मुख्य उपाय ये हैं : चौदह बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों तथा सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं की ऋण नीतियों का पुनर्नवीकरण, एकाधिकार और नियन्त्रक व्यापार पद्धति अधिनियम को अधिनियमित करना, बहुत सी वस्तुओं के आयात को सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों के माध्यम से करने का निर्णय सरकारी क्षेत्र के कार्यकलाप का विस्तार, भारतीय खाद्य निगम का वसूली और वितरण में भाग लेना, भूमि सुधारों को उत्साहपूर्वक क्रियान्वित करना और विचौलियों की समाप्ति, औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की रिपोर्ट के प्रकाश में औद्योगिक लाइसेंस नीति का पुनरीक्षण, मैनेजिंग एजेन्सियों को समाप्त करने की दृष्टि से कम्पनी अधिनियम में संशोधन, लिमिटेड कम्पनियों के मैनेजिंग डायरेक्टरों/पूर्णकालिक डाइरेक्टरों को देय पारिश्रमिक बारे में परिशोधित मार्गदर्शक नीतियां, सामाजिक न्याय के साथ उन्नति करने के लिए नवीनतम बजट में शामिल किये गये उपाय। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रकाशित प्रलेखों को देखा जा सकता है :—

(1) चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74

(2) वार्षिक योजना 1969-70

(3) सामाजिक न्याय की वृद्धि की ओर

(वर्ष 1970-71 के बजट पत्रों के साथ परिचालित)

अभी इतना समय नहीं हुआ है कि जनता के सामाजिक आर्थिक जीवन पर इन उपायों के प्रभाव का पूरा पता किसी भी मात्रा में ठीक प्रकार से लगाया जा सके।

ओसाका (जापान) में 'एक्सपो-70' में भारतीय मंडप देखने आये विशिष्ट व्यक्ति

10415. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ओसाका में एक्सपो-70 में भारतीय मंडप देखने आये विशिष्ट व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : एक्सपो-70 नें 14 मई, 1970 तक इन विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्तियों ने भारतीय मंडप देखा :—

(1) नेपाल के महाराजा महेन्द्र और महारानी रत्ना।

(2) मारिशस के प्रधान मंत्री, सर शिवसागर रामगुलाम।

(3) मंत्री परिषद, सोवियत संघ के उपाध्यक्ष, श्री नोवोकोव।

(4) बल्गारिया के उप-प्रधान मंत्री, श्री टोडोरोव।

(5) बल्गारिया के व्यापार उप-मंत्री, श्री जिको ज़िवकोव।

(6) जापान के महामहिम राजकुमार हिताचिनोमिया तथा राजकुमारी हिताचिनो-मिया।

(7) ब्रिटेन के वेल्स के महामहिमा राजकुमार।

(8) जापान के राजकुमार हिताचिनोमिया।

(9) श्री हंस बुहलर पूर्णाधिकारी मंत्री, संघीय वाणिज्य प्रभाग, स्विटजरलैंड सरकार।

इसके अतिरिक्त, जापान संसद के 50 से धार्मिक सदस्यों, धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों के नेताओं, उच्च उद्योगपतियों, भाग लेने वाले देशों के राजदूतों ने भी मंडप देखा।

निर्यात संवर्द्धन परिषद् के कुछ सदस्यों के विरुद्ध आरोप

10416. **श्री सीताराम केसरी** : क्या वैदेशिक-व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात संवर्द्धन परिषद के कुछ सदस्यों के विरुद्ध जांच कार्यवाही की जा रही है अथवा उनके विरुद्ध कम राशि के बीजक बनाने और अधिक राशि के बीजक बनाने जैसे गंभीर अभियोग के आरोप लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जांच कार्यवाही पूरी न हो जाने तक उन्हें परिषद् की सदस्यता से हटाने के लिये कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग से जानकारी प्राप्त की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) तथा (ग) . आवश्यक जानकारी प्राप्त होने पर निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा अपने विधान और नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी । निर्यात, आयात तथा सीमा शुल्क से सम्बन्धित कानून भंग करने वाले मामलों में, भारतीय सीमा-शुल्क अधिनियम तथा आयात व्यापार नियन्त्रण विनियमों के कानूनी उपबन्धों के अनुसार भी कार्यवाही की जायेगी ।

निर्यात संवर्द्धन परिषद और वस्तू मंडल

10417. **श्री सीताराम केसरी : क्या वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात संवर्धन परिषद् और वस्तू मंडलों के उद्देश्य और कृत्य क्या हैं ;

(ख) निर्यात संवर्धन परिषद् और वस्तू मंडलों के सदस्यों की नियुक्ति के लिये क्या मापदंड अपनाया गया है; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये सावधानी बरती जाती है कि इन निकायों के लिये नामांकित व्यक्तियों के विरुद्ध कोई अभियोग न हों और कथित भ्रष्ट तरीकों को अपनाने के कारण उनके विरुद्ध जांच-पड़ताल न चल रही हो ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) निर्यात संवर्धन परिषदों और वस्तू बोर्डों के मुख्य उद्देश्य और कार्यकलाप संलग्न विवरण (अंग्रजी में) दिये गये हैं ।

(ख) वस्तु बोर्डों में से कुछ सांविधिक निकाय हैं, जैसे कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड, काफी बोर्ड, चाय बोर्ड और नारियल जटा बोर्ड । वस्तु बोर्डों में प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य विभिन्न वर्गों के हैं । कुछ सदस्य संसद के हैं, कुछ राज्य सरकारों के और कु भारत सरकार के हैं । सभी सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा इन वर्गों में से की जाती है । इन विभिन्न वर्गों के विहित प्रतिनिधित्व का दृढ़ता से पालन किया जाता है । नामांकन प्रायः राज्य सरकारों और अन्य सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा अनुशासित नामों की नामिका से किये जाते हैं ।

जहां तक निर्यात संवर्धन परिषदों का सम्बन्ध है परिषदों में सरकार के मनोनीत व्यक्तियों के लिए बहुत कम स्थान रखे गये हैं । ऐसी नियुक्तियां प्रायः केवल अधिकारियों की अथवा राज्य व्यापार निगम, एन० एम० डा० ई० सी० जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के काडर के व्यक्तियों की होती है । अधिकांश नियुक्तियों के लिए परिषदें स्वशासी हैं और चयन की क्रियाविधि का प्रयोग करती हैं । प्रायः वे आवेदकों को अपने सदस्यों के रूप में पंजीयित करने से पहले वे जानकारी मांगती हैं, यथा फर्म की स्थिति, उनके उत्पादन का परिणाम और मूल्य और उनके द्वारा निर्मित मदों की निर्यात संभाव्यता । आवश्यक होने पर वे उद्योग निदेशक अथवा अन्य सम्बद्ध प्राधिकारी से आवेदक द्वारा दिये गये ब्यौरे के प्रमाण के लिए प्रमाण-पत्र भी लेती हैं । किसी व्यक्ति का नाम दर्ज करने से पहले प्रायः ये आवेदक के बैंक से उसकी स्थिति तथा सारक-योग्यता के बारे में प्रमाण-पत्र भी लेती हैं । आयात

निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक से इस सम्बन्ध में 'अनापत्ति पत्र' भी प्राप्त किया जाता है कि आवेदक काली /प्रसुप्त सूची में नहीं है अथवा अन्यथा भ्रष्ट कार्यकलापों में अन्तग्रस्त नहीं है ।

(ग) जी हां ।

सम्बद्ध परिषदों/बोर्डों के संविधानों (ज्ञापन तथा निबन्धन-अनुच्छेद) के अनुसार निर्यात प्रोत्साहन परिषदों के कार्य तथा उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(i) उन्हें सौंपे गये, उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करना और उसे प्रोत्साहित करना ।

(ii) बाजार सर्वेक्षण करना/विदेशी बाजारों का अध्ययन करना ।

(iii) भारत में और विदेशों में विज्ञापनों, चलचित्रों के निर्माण, रेडियो पर वार्तालाप, विवरण-पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं, इश्तहारों आदि के माध्यम से प्रचार-कार्य करना ।

(iv) बाजार से संबद्ध सूचना का संग्रह करना और उसका प्रचार करना ।

(v) उत्पाद के विकास के लिये तथा किस्म में सुधार करने के लिए तकनीकी प्रकोष्ठों की स्थापना करना ।

(vi) भारत के निर्यातकर्ताओं और विदेशों के खरीदारों के मध्य सम्पर्क की व्यवस्था करना ।

(vii) व्यापार, उद्योग तथा सरकार के मध्य समन्वय संस्था के रूप में सहयोग देना ।

(viii) भारतीय निर्यात-कर्त्ताओं और विदेशी खरीदारों के मध्य शिकायतों पर न्याय निर्णय करना ।

(ix) निर्यात सम्बन्धी समस्याओं और उनकी कठिनाइयों को हल करने के लिए निर्यातकर्त्ताओं की सहायता करना और निर्यात-प्रक्रियाओं के बारे में मार्गदर्शन करना ।

(x) विदेशों को खरीद दल/अध्ययन दल, शिष्टमण्डल भेजना ।

(xi) भारत और विदेशों में आयोजित मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए व्यवस्था करना ।

सामग्री बोर्डों के कार्य तथा मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(क) सामान्यतः बोर्ड द्वारा स्वयं देखभाल किये जाने वाले उद्योग की समस्याओं के बारे में सरकार को सलाह देना और उसके विकास तथा सुधार हेतु जैसा भी वह उचित समझे, उन उपायों के बारे में सुझाव देना और विशेष रूप से तकनीकी, वैज्ञानिक, वित्तीय, संगठनात्मक और उद्योग के अन्य पहलुओं के बारे में तथा उसके विकास के लिए उपायों की सिफारिश करना ।

(ख) योजनाओं को बनाने और उन्हें पूरा करने तथा विकास सम्बन्धी प्रयासों में तालमेल करने के बारे में राज्य सरकारों की सहायता करना और उन्हें सलाह देना ।

(ग) राज्य सरकारों और अन्य संस्थाओं से सामान्य वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त हुए प्रस्तावों की जाँच करना और इस प्रकार के मामलों में भारत सरकार से सिफारिश करना ।

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वयं संचालित की जाने वाली योजना को तैयार करना ।

(ङ) भारत में तथा विदेश में उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने तथा उसका प्रसार करने के लिए अपनाये जाने वाले उपायों के बारे में सलाह देना ।

(च) वैज्ञानिक, तकनिकी तथा आर्थिक अनुसन्धान कार्य करना, उसमें सहायता करना अथवा प्रोत्साहित करना ।

(छ) उत्पादों और उसकी किस्म के विकास की सुफेरी विधियों के लिए उपायों के बारे में सलाह देना ।

(ज) उद्योग को तकनीकी सलाह प्रस्तुत करना ।

(झ) उत्पाद की बाजार व्यवस्था में सुधार करना ।

(ञ) आँकड़ों का संग्रह करना ।

(ट) बोर्ड को सामान्यतः सौंपे जाने वाले अन्य दायित्वों का पालन करना ।

(ठ) अर्ध-निर्मित तथा परिस्कृत उत्पादों और मूलभूत कच्चे माल के उत्पादकों के मध्य सहकारी संगठनों को प्रोत्साहन देना ।

(ड) उत्पादकों को आर्थिक लाभ सुनिश्चित करना ।

(ढ) उनके तत्सम्बन्धी उत्पादकों के स्तरों और ग्रेडों को निर्धारित करना ।

मैसर्स लिन्क्स मशीनरी लिमिटेड के एक निदेशक की निर्यात संवर्धन परिषद् में नियुक्ति

10418. **श्री नवल किशोर शर्मा : क्या वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स लिंक्स मशीनरी लिमिटेड के एक निदेशक को निर्यात संवर्धन परिषद् में नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मैसर्स लिन्क्स मशीनरी लिमिटिड के एक निदेशक को पदमश्री की उपाधि देने की सिफारिश की गई थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त फर्म पर टायरों के सौदों में कम राशि के बीजक बनाने तथा अधिक राशि के बीजक बनाने का आरोप लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो निदेशकों और फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) निर्यात संवर्धन परिषदों में इन परिषदों के नियमों के अनुसार ही सदस्य बनाये जाते हैं । सरकार को विभिन्न

समितियों के लिए कुछ प्रतिनिधियों को मनोनीत करने का अधिकार है। उसने लिन्क्स मशीनरी लि० के किसी निदेशक को किसी समिति के लिए मनोनीत नहीं किया। परन्तु, इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद्‌ के सदस्यों ने इस कम्पनी के एक निदेशक को अपनी कार्यकारी समिति के एक सदस्य के रूप में स्वयं निर्वाचित किया है।

(ख) विदेशी व्यापार मंत्रालय को इसकी जानकारी नहीं है।

(ग) तथा (घ). संबंधित प्राधिकारियों से जानकारी एकत्र की जा रही है।

Memorandum Submitted by M.Ps. to the President

10419. Shri Molahu Prashad: Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a memorandum containing the resolution relating to Scheduled Castes and Scheduled Tribes which was adopted at a meeting of some Members of Parliament held at 13, North Avenue, New Delhi, on 26th March, 1970 was submitted to the President; and

(b) if so, whether a copy of the said memorandum or the broad outlines thereof indicating the reaction of Government thereto would be laid on the Table?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi): (a) Yes, Sir.

(b) A copy of the Memorandum, together with a statement giving comments on the various resolutions, is placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See* LT No. 3639/70.].

Appointment of Senior Investigators in the Central Statistical Organisation

10420. Shri Molahu Prashad: Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7203 on the 22nd April 1970 and state :

(a) whether in the appointment order issued by the Department of Statistics in 1962, no mention was made about the appointment of those five Senior Investigators on an *adhoc* basis, who were included in the combined Selection List prepared for the Indian Statistical Service, Grade IV but were later declared unfit therefor;

(b) whether no separate order was issued by the Department after 1963 about their regular appointment;

(c) the basis on which the appointment of the above officials even after their being appointed direct through the Union Public Service commission has been made on *ad-hoc* basis; and

(d) whether Government would include those five Senior Investigators who are suitable in every respect in the combined selection lists and give benefit with retrospective effect to these officers belonging to scheduled castes and scheduled tribes by making the facilities provided under circular No. 1/12/67-E, ST(C) on the 11th July 1968, available to them?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi): (a) It is presumed that the Hon'ble Member is referring to the cases of those Senior Investigators who

were recruited in 1962 and who have *not* been included in the integrated list of officers eligible for consideration for promotion to Grade IV of the Indian Statistical Service. In the appointment orders issued to these officers in 1962, no mention was made that their appointment was against *ad-hoc* vacancies.

(b) No separate order was issued.

(c) Since sufficient number of regular were not available, these five direct recruits were adjusted initially against adhoc vacancies and subsequently against regular vacancies as and when they became available.

(d) This question is under consideration.

Confirmation of Senior Investigators in the Central Statistical Organsiation

10421. **Shri Molahu Prashad:** Will the **Prime Minister** be pleased to refer to reply given to Unstarred Question No. 7205 on the 22nd April 1970, and state :

(a) whether it is a fact that she had assured to dispose of within a month the cases regarding the confirmation of Senior Investigators in the Central Statistical Organisation, *vide* letter No. 1121-PMO/68 dated the 29th October 1968 ;

(b) if so, the reasons for which the case has not so far been disposed of though one year and six months have passed since then;

(c) the reasons for not making a reference to the Union Public Service Commission requesting them to make selections from amongst the scheduled castes and scheduled tribes candidates for appointment to the five reserved permanent posts of senior investigators which have not been filled in 1962;

(d) the details regarding the recruitment of scheduled castes and scheduled tribes candidates to the said reserved posts; and

(e) the names of the scheduled caste and scheduled tribes senior investigators who have been confirmed against the said five reserved permanent posts ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). The assurance given by Prime Minister was that delay in confirmation of the Senior Investigators would not affect the interests of the Scheduled Caste Investigators. It was expected that the confirmation would be completed within a month or so. It was subsequently found necessary to consult the Ministry of Home Affairs and other interests, resulting in delaying the confirmation.

(c), (d) and (e). The question of making confirmations against the five posts against which confirmations could not be made in 1962, as also against other permanent posts which have become available for confirmation, is now under consideration.

S.T.C. Office in Burma

10422. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no office of the State Trading Corporation in Burma at present ;

(b) whether Government propose to open an office of the State Trading Corporation in Burma to promote trade with that country ;

(c) whether any formal talks **have since been held with the** Government of Burma in this connection; and

(d) if so, the time by which the said office is likely to be opened in Burma?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) yes, Sir.

(b) to (d). The question of opening an office of the State Trading Corporation in Burma is being examined by the Corporation.

पटसन उत्पादों की कमी

10423. **श्री अब्दुल गनी डार : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यापारियों तथा उद्योगों में कदाचारों के कारण निर्धन लोगों को, जो कि पुरी जनसंख्या का 80 प्रतिशत भाग है, गत तीन वर्षों में पटसन उत्पादों की कमी के कारण बहुत दयनीय हालत का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकारियों और उद्योगपतियों के बीच सांठ-गांठ थी ;

(ग) क्या इस अवधि में किसी अधिकारी अथवा उद्योगपति के विरुद्ध कोई अपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ख). जी नहीं 1967-68 में पटसन उत्पादों की कमी नहीं थी। 1968-69 में उत्पादन में गिरावट, उस वर्ष असाधारण रूप से पटसन की खराब फसल होने के कारण आई। चालू मौसम में गिरावट का कारण मुख्यतः यह है कि अगस्त 1969 में पटसन उद्योग में हड़ताल श्रमिकों द्वारा कम उत्पादन तथा मिलों में मशीन सम्बन्धी असंतुलन जैसे कतिपय उपादानों के कारण सामान्य स्तर तक उत्पादन नहीं हो पाया।

(ग) कोई नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

डूढ़ेरा गांव, हरियाणा में भूमि मुक्त करना

10424. **श्री अब्दुल गनी डार :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने डुढ़ेरा गांव के 157 एकड़ भूमि को मुक्त करने के लिए कोई कार्यवाही अब तक नहीं की है;

(ख) क्या यह भूमि गांवों को दे दी जायेगी ताकि वे वर्षा ऋतु आरम्भ होने से पूर्व उस पर हल चला सकें ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग)· डुंढ़ेरा गांव की 157 एकड़ अर्जित भूमि इस समय सेना यूनिटों द्वारा धारित है। भूमि लम्बी अवधि के आधार पर रक्षा उद्देश्यों के लिये आवश्यक नहीं है, और यूनिटों को उनके स्थायी स्थानों में अन्तरित कर के कि जहां वास्य भवनों का निर्माण किया जा रहा है। उसे अधिकाधिक मई, 1972 तक अर्जन मुक्त करने का निर्णय किया गया है। आगामी वर्षा ऋतु तक उसे अर्जनमुक्त करना संभव न होगा क्योंकि उस समय तक प्रतिबदल वास्य स्थान प्राप्य न होगा।

Arrest of Military Officers and Jawans Travelling by Howrah-Amritsar Punjab Mail at Luknow

10425. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the first fortnight of January, 1970 the Howrah-Amritsar Panjab Mail was stopped at Lucknow because some jawans and military officers were to be arrested ;

(b) whether it is also a fact that some military officers and jawans who were travelling by this train, were arrested in Lucknow ; and

(c) if so, the number of military officers and jawans arrested and the reasons for their arrest ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swarn Singh) : (a) to (c). An investigation was held at Lucknow at 5 a.m. on 12th January, 1970 by a combined party of civil and military officers in respect of incidents of damage to a few coaches and acts of violence that took place at Mugalsarai the other day. In the absence of any anthentic proof, no arrest of any category of military personnel could be made. A judicious inquiry has been ordered by the civil authorities.

निर्यात व्यापार के सूचकांक की प्रवृत्ति

10426. **श्री विश्वनाथ मेनन :**

श्री क० अनिरूद्धन :

श्री सत्यनारायण सिंह :

श्री उमानाथ :

क्या **विदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के निर्यात के एकक मूल्य सूचकांक में गिरावट और आयात के सूचकांक में वृद्धि के परिणामों के बारे में कोई अध्ययन आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इन सूचकांकों की घटा-बढ़ी की क्या प्रवृत्ति रही है ; और

(ग) भारत तथा विकसित देशों के बीच व्यापार की सापेक्ष स्थिति में यदि कोई प्रतिकूल उतार-चढ़ाव हुआ है तो उसके कारण भारत को कितनी हानि हुई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) :(क) कोई विशष अध्ययन नहीं किया गया है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

महाराष्ट्र के गांवों में बिजली की व्यवस्था करने की योजना

10427. **श्री देवराव पाटिल** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री 22 अप्रैल, 1970 के प्रश्न संख्या 1141 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में वित्तीय सहायता देने के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने केन्द्रीय सरकार को जो योजनाएं दी हैं, उन पर सरकार ने अन्तिम रूप से विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख). लोक सभा में 22 अप्रैल, 1970 को तारांकित प्रश्न संख्या 1141 के उत्तर में यह बताया गया था कि ग्राम विद्युतीकरण निगम ने चन्द्रपुरा, कोल्हापुर और यवतमाल जिलों में ग्राम विद्युतीकरण के संबंध में महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रस्तुत तीन स्कीमों का संसाधन कार्य पूर्ण कर दिया था और इन तीनों स्कीमों पर निगम 29 अप्रैल, 1970 को होने के लिए प्रस्तावित अपनी अगली बैठक में विचार-विमर्श करेगा । ये तीनों स्कीमें, 285 ग्रामों में बिजली लगाने और 3300 पम्प सेटों को उर्जित करने के लिए, 168.62 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 29 अप्रैल, 1970 को ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा अपनी बैठक में मंजूर की गई थी । जैसाकि निगम द्वारा आगे और निर्णय लिया गया था, इन स्कीमों पर धन लगाने की शर्तें वही होंगी जो "पिछड़े क्षेत्रों" के बारे में लागू होती है ।

ट्रैक्टरों के पुर्जो के आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग

10428. **श्री एम० कमलानाथन** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्ज ईस्टने एसोसिएशन्स, मैसर्ज कृष्ण एण्ड कं० तथा मैसर्ज एस० एण्ड एस० तथा एस० एन० गोयनका एण्ड कं० को ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों के बड़े मूल्य के आयात लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) क्या इन कंपनियों ने अब से पहले ट्रैक्टरों अथवा फालतू पुर्जों का देश में आयात कभी नहीं किया था और इन्होंने दिल्ली के होटलों में विदेशी सप्लायरों के बिक्री करने वालों से फालतू पुर्जों की एजेन्सियां प्राप्त की थीं ; और

(ग) क्या उन्होंने फालतू पुर्जों का अधिकांश भाग अधिक लाभ पर चोर बाजार में बेच दिया है और यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कर रही है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) :(क) मार्च, 1970 को समाप्त होने वाली अवधि में निम्न लिखित तीन फर्मों को दिये गये लाइसेंसों के मूल्य निम्नलिखित हैं :–

फर्म का नाम	आयात-लाइसेंस का कुल मूल्य
	रु०
1. मैसर्स ईस्टर्न एसोसिएट्स	2,35,535
2. मैसर्स कृष्ण एण्ड कं० . . .	43,385
3. मैसर्स एस० एस० एण्ड एस० एन० गोयन्का . .	17,360

वर्ष 1969-70 की लाइसेंस अवधि में पहली दो फर्मों को ट्रैक्टरों के पुर्जों के लिये एक एक लाख रुपये के लाइसेंस दिये गये थे जो बाद में रद्द कर दिये गये थे।

(ख) उपरोक्त लाइसेंसों के आधार पर इन फर्मों द्वारा किये गये वास्तविक आयात अथवा इन ट्रैक्टरों के पुर्जों के लिये एजेंसियां प्राप्त करने के लिये अपनाई गई पद्धति के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु ये लाइसेंस भंडार तथा बिक्री के लिये दिये गये थे और ऐसा करते समय उन किस्मों के ट्रैक्टरों की संख्या को ध्यान में रखा गया था जिनकी उनके पास एजेन्सी है।

(ग) हाल ही में इन तीनों फर्मों द्वारा ट्रैक्टरों के पुर्जों के लाइसेंसों के अभिकथित दुरुपयोग के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई है और मामले की छानबीन की जा रही है।

पारस्परिक आधार पर फिल्मों के आयात/निर्यात के लिये वाणिज्यिक समझौता

10429. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने पारस्परिक आधार पर फिल्मों के आयात-निर्यात के लिये किन देशों के साथ वाणिज्यिक समझौता किया हुआ है;

(ख) क्या भारत के आयात व्यापार के इस क्षेत्र पर वस्तुत: अमरीका का अधिकार है जो कि स्वयं भारत से एक फिल्म का आयात भी नहीं करता;

(ग) यदि हां, तो उन देशों से समझौता न करने के क्या कारण है जो कि अपनी फिल्मों के बदले भारतीय फिल्मों को खरीदने के इच्छुक हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि विदेशी फिल्में भारत में वाणिज्यिक स्तर पर अपने प्रदर्शन से औसतन तीन करोड़ रुपये प्रति वर्ष कमाती हैं?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). फिल्मों के आयात तथा निर्यात के लिये इस समय भारत का केवल सोवियत संघ के साथ एक वाणिज्यिक समझौता है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को काफी संख्या में फिल्मों का निर्यात करता है। अमरीका

के चलचित्र निर्यात संघ के साथ विद्यमान सहझौतों में, अमरीका को भारतीय फिल्मों के आयात के लिये प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है। फिल्मों का इधर तथा उधर वास्तविक निर्यात तथा आयात तो बोधगम्यता, मनोरंजन-प्रभाव तथा संबंधित देश में जनता की अभिरुचि पर आधारित होता है।

दूसरे देशों के साथ पारस्परिक समझौता करने के प्रश्न पर, सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार यदि और जब ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हो, गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकता है।

(घ) जी नहीं। 4.18 करोड़ रुपये की राशि निरुद्ध लेखे में पड़ी है जो भारत में 11 वर्ष तक अमरीकी फिल्में दिखाने के परिणामस्वरूप इकट्ठी हो गई है। यह राशि करार के अंतर्गत अनुमेय सभी व्यय को गिनने के बाद बची है।

कम्बोडिया के बारे में जकार्ता सम्मेलन

10430. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डोनेशिया सरकार ने कम्बोडिया के संकट के बारे में विचार विमर्श करने के लिए 11 तथा 12 मई 1970 को एशिया और प्रशान्त महासागर के देशों का एक सम्मेलन बुलाया है।

(ख) इसमें भाग लेने के लिये किन देशों को आमंत्रित किया गया था और किन देशों ने इसमें भाग लिया है;

(ग) सम्मेलन में क्या निर्णय लिये गये तथा इसके क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) एशिया और प्रशान्त महासागर के देशों का सम्मेलन, जिसे इंडोनेशिया सरकार ने बुलाया था, 16 और 17 मई 1970 को जकार्ता में हुआ।

(ख) जो देश आमंत्रित किए गए और जिन देशों ने उसमें भाग लिया, उनके नाम इस प्रकार हैं :—

(1) आस्ट्रेलिया (2) जापान (3) कोरिया गणराज्य (4) लाओस (5) मलयेशिया (6) सिंगापुर (7) न्युजीलैंड (8) फिलिपीन (9) थाईलैंड (10) वियतनाम गणराज्य और इंडोनेशिया मेजबान देश के रूप में शामिल था। कम्बोडिया का प्रतिनिधित्व संबद्ध पक्ष के रूप में हुआ : आमंत्रित देशों में निम्नलिखित ने भाग नहीं लिया;

(1) अफगानिस्तान (2) बर्मा (3) श्रीलंका (4) चीन (5) भारत (6) कोरिया जनतंत्रात्मक गणराज्य (7) मंगोलिया (8) नेपाल (9) पाकिस्तान (10) वियतनाम लोक गणराज्य।

(ग) अखबारी खबरों के अनुसार, इस सम्मेलन में, युद्ध विराम करने और कम्बोडिया से सभी विदेशी सेनाओं को हटाने, जेनेवा प्रकार का सम्मेलन बुलाने, अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग

को फिर से क्रियाशील बनाने, कम्बोडिया की संप्रभुता, तटस्थता, प्रादेशिक अखंडता और स्वाधीनता का समर्थन करने की मांग की गई। एक दल, जिसमें इंडोनेशिया, जापान और मलयेशिया शामिल हैं, इन प्रस्तावों को, जेनेवा सह अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र के सामने रखेगा।

भारतीय वायुसेना के कर्मचारियों के राशन, वस्त्र, किट तथा अन्य भत्ते

10431. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना के कर्मचारियों का राशन भत्ता 1968 में 3.16 रुपये प्रति दिन से घटा कर 3.01 रुपये प्रति दिन कर दिया गया था और 1970 में यह फिर घटाकर 2.96 कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके ऐसे समय पर घटाने के क्या कारण हैं जब बाजार मूल्य बढ़ रहे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि वस्त्र भत्ता गत 20 वर्षों से वही है; और

(घ) क्या भारतीय वायु सेना के अधिकारी किट भत्ता, विशेष अशान्ति भत्ता तथा योग्यता वेतन पाते हैं जबकि अन्य रैंकों को इन सब से वंचित रखा जाता है?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) वैमानिकों के राशन भत्ते में 1968 और 1969 के दौरान कई तबदीलिएं की गईं थीं, जिनका प्रभाव उसे 1 अक्तूबर 1969 से 3.16 रुपये से 3.01 रुपये तक कम करने में पड़ा और वह 1 अप्रैल 1970 से और घट कर 2.96 रुपये रह गया।

(ख) राशन भत्ता पूर्ववर्ती 6 मास के लिए मदों की प्राप्ति की औसतन कीमतों पर राशनों के मानदण्ड की लागत का प्रतिनिधित्व करता है। 1 अक्तूबर 1969 से भत्ते की दर, दैनिक राशन की मदों के मानदण्ड में तनिक तबदीली के परिणामस्वरूप था। 1 अप्रैल 1970 से भत्ते की दर में कमी का कारण, चीनी जैसी कुछ मदों की प्राप्ति कीमत से तनिक कमी थी।

(ग) वस्त्र भत्ता वैमानिकों की व्यक्तिगत वस्त्रों और आवश्यकताओं की चीजों के रख-रखाव और प्रतिबदलों के लिए दिया जाता है, कि जो शुरू में उन्हें निःशुल्क दी गई थी। भत्ते के वर्तमान दर 1948 में, तब चालू कीमतों के आधार पर कि जिन पर वैमानिक सेवा स्टोरों से मदों को खरीद सकते थे, नियत किया गया था। 1948 में नियत की गई कीमते अभी तक लागू हैं, और वैमानिक उन्हीं कीमतों पर मदों को सेवा स्टोरों से खरीद सकते हैं।

(घ) आई० ए० एफ० अफसर किट के रख-रखाव का भत्ता और विशेष परिवर्तन भत्ता प्राप्त करते हैं। अर्हता वेतन केवल उन्हें देय है, जो कई शर्तें पूरा करते हैं। व्यक्तिगत वस्त्रों और किट की अन्य निःशुल्क मदों के रख-रखाव के लिए वैमानिक भी किट के रख-रखाव का भत्ता प्राप्त करते हैं। सेवा जीवन में परिवर्तन के लिए उनके वेतन में भी एक अंश शामिल है। तदपि उन्हें अर्हता वेतन प्राप्त नहीं होता।

1969-70 में विदेश गये वैदेशिक व्यापार प्रतिनिधि मण्डल

10432. श्री० न० रा० देवघरे : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के कितने प्रतिनिधिमंडल वर्ष 1969-70 में विदेश गये ;

(ख) प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल के सदस्य कौन-कौन थे ;

(ग) प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल ने किस-किस देश का दौरा किया ;

(घ) प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई ;

(ङ) प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल के विदेश जाने का क्या उद्देश्य था ; और

(च) प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल को क्या सफलतायें हुई ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (च). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राज्य सरकारों को सीमा सड़क संगठन हस्तांतरण का प्रस्ताव

10433. श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीमा सड़क संगठन का कार्य राज्य सरकारों को सौंपने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Demand of Employees of Bihar Electricity Board

10434. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 30,000 employees working in the Bihar Electricity Board have given notice of their intention to go on strike with effect from the 10th June, 1970 ;

(b) if so, the details of their demand ;

(c) whether he has also received any intimation to this effect, if so, the details thereof ;

(d) whether it is also a fact that the aforesaid Board has sought his help to resolve this crisis ; if so, the details thereof ; and

(e) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) The main demands are as follows :—

(i) withdrawal of punishments and departmental proceedings arising out of the last strike and payment for the strike period ;

(ii) implementation of the recommendations of the Wage Board;

(iii) permanency of workmen:

(iv) avenues of promotion of certain categories;

(v) grant of sick leave on full wage and medical reimbursement without limitation;

(iv) payments at the rate of 1/26th of the monthly rate to muster roll workmen;

(vii) abolition of contract system;

(viii) constitution of a high-powered Committee to go into the working of the Board and allegations of corruption.

(c) and (d). No, Sir.

(e) Does not arise.

प्रतिरक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय पुस्तकालय

10435. **श्री प० मु० सैयद** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के सचिवालय सेना मुख्यालयों और दिल्ली स्थित अन्तरसेवा संगठनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कोई केन्द्रीय पुस्तकालय है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इस पुस्तकालय को कितना वार्षिक अनुदान दिया गया है और क्या देश की प्रतिरक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए यह अनुदान पर्याप्त समझा जाता है;

(ग) क्या सरकार ने इस पुस्तकालय की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की है; यदि हां, तो क्या उसने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है तथा उस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और यह प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था;

(घ) इस प्रतिवेदन पर क्या निर्णय किये गये हैं और सरकार इस प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने में कितना समय लेगी ; और

(ङ) क्या इस प्रतिवेदन के क्रियान्वयन के बाद केन्द्रीय प्रतिरक्षा पुस्तकालय इस स्थिति में हो जायगा कि वह प्रतिरक्षा सचिवालय और अन्य अधिकारियों को इस स्तर तक पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कर सकेगा जिस स्तर की सेवा अमरीका, इंग्लैंड और रूस में उसके समान पुस्तकालयों द्वारा उपलब्ध की जाती हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 1967-68——10,000 रुपये

1968-69——37,000 रुपये

1969-70——51,000 रुपये

अनुदान पुस्तकालय के लिए पुस्तकों और पत्रिकाओं की आवश्यकताओं के आधार पर स्वीकृत की जाती है ।

(ग), (घ) तथा (ङ). एक पुस्तकालय पुनः संगठन विशेषज्ञ कमेटी जनवरी 1968 में नियुक्त की गई थी। कमेटी की अन्तिम रिपोर्ट जून 1969 में प्राप्त हुई थी। कमेटी में दो प्रावस्थाओं में पुस्तकालय के विकास की सिफारिश की थी। प्रथम प्रावस्था में अतिरिक्त निधियों की अलाटमेंट, अतिरिक्त स्थान के उपबंध, पुराने अभिलेखों की छंटनी, अतिरिक्त कर्मचारीगण के उपबंध, इत्यादि के लिए कमेटी ने सिफारिश की थी। कमेटी की सिफारिशें कार्यान्विति और विचार विमर्श की विभिन्न प्रावस्थाओं में है। दूसरी प्रावस्था में पुस्तकालय के विकास के लिए की गई यह सिफारिश है, कि इस मामले की छानबीन के लिए एक और कमेटी नियुक्त की जाए। इस का उपयुक्त समय पर निरीक्षण किया जाएगा। पुनः संगठन के अन्त में ऐसा प्रत्याशित है कि पुस्तकालय की कृत्यात्मक क्षमता में काफी सुधार हो जाएगा।

राज्य व्यापार निगम का एक गैर-सरकारी फर्म के साथ "जायफल", "दालचीनी" का विक्रय समझौता

10436. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने मैसर्स राधेश्याम सोहन लाल गाडोदिया मार्केट, खारी बावली दिल्ली को जायफल और दालचीनी बेच दी है अथवा बेचने के बारे में समझौता होने वाला है;

(ख) यदि हां, तो उनकी कीमतें क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) तथा (ख). राज्य व्यापार निगम ने, मैसर्स राधेश्याम सोहन लाल, गाडोदिया मार्केट, खारी बावली दिल्ली, को कोई "जायफल" और "दालचीनी" नहीं बेची हैं और न इस समय ऐसा करने का कोई प्रस्ताव ही है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा लौंग और सुपारी का विक्रय

10437. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा पिछले एक वर्ष में लौंग तथा सुपारी की कितनी बिक्री की गई है;

(ख) उनको कम से कम तथा अधिक से अधिक कितने मूल्य पर बेचा गया;

(ग) गाडोदिया मार्केट, खारी बावली दिल्ली के मैसर्स राधेश्याम सोहनलाल को कितनी मात्रा में तथा किस मूल्य पर उक्त वस्तुयें बेची गई;

(घ) जब ये वस्तुयें उक्त फर्मों को बेची गई तो खुले बाजार में उनका थोक तथा परचून मूल्य कितना था; और

(ङ) ऐसी वस्तुओं को बेचने के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ङ). एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3640/70]

काटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम, जनपथ, नई दिल्ली के कार्य के घंटे

10438. **श्री लोबो प्रभु : क्या वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काटेज इंडस्ट्रीज इम्पोरियम के कार्य के समय को 10-30 बजे म० पू० से 7.30 बजे म० पू० से बदल कर 10-00 बजे म० पू० से 6.00 बजे म० प० कर देने के क्या कारण हैं जबकि जनपथ पर अन्य दुकानों का कार्य का समय भिन्न है;

(ख) क्या इससे वे सभी खरीदार वस्तुयें नहीं खरीद सकते हैं जिन्हें कार्यालय के समय के बाद खरीदारी का समय मिलता है;

(ग) क्या सरकार का विचार गर्मियों में दोपहर के समय तक दुकानें बंद करने का समय 8.30 बजे म० प० करने का है; और

(घ) क्या समय में यह परिवर्तन अन्य दुकानों, जो गर्मियों में जैसे ही दिन की गर्मी घटने लगती है बंद हो जाती है के लिये भी एक उदारहण नहीं होगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) समय में परिवर्तन करने के निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) ग्राहक 10.00 बजे से म० प० से ही इम्पोरियम के सामने प्रतीक्षा करते रहते थे।

(2) लंच अवकाश के कारण इम्पोरियम 7.30 बजे सांय तक खुला रहता था जिससे कर्मचारी अपनी निजी आवश्यकताओं, जैसे खरीदारी, अपने आश्रितों की चिकित्सा संबंधी देखभाल इत्यादि, पर ध्यान नहीं दे पाते थे। -

(3) अब इम्पोरियम बिना किसी लंच अवकाश के दिन में आध घंटे खुला रहता है और बंद करने का समय 6.00 बजे सायं रखना पड़ा।

(ख) जिनके कार्यालय 6.00 बजे सायं से पहले बंद होते हैं उनको असुविधा नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) इसका तो भविष्य में ही पता लगेगा।

पंडारपुन्नम् पुम्रा पन बिजली परियोजना का निर्माण

10439. **श्री के० रमानी : क्या सिचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पन्डारपुन्नम पुम्रा पन बिजली परियोजना का कार्य सन्तोषजनक ढंग से प्रगति कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रगति की वर्तमान अवस्था क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे क्रियान्वित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). सिविल कार्य प्रगति कर रहे हैं और उन्हें इस तरह कार्यान्वित किया जा रहा है कि भारत हैवी इलेक्ट्रीकल से ज्यों ज्यों उत्पादन उपस्कर आता जाये वे पूरे होते जाएं। एक समादेश याचिका (रिट पिटीशन) पर हाई कोर्ट द्वारा दिए गए रोधनादेश (स्टे आर्डर) के परिणामस्वरूप परियोजना के लिए अपेक्षित भू अर्जन का काम अस्थायी रूप से धीमा पड़ गया है। हाई कोर्ट द्वारा ये रोधनादेश खत्म कर दिए जाएं, इस के लिए राज्य सरकार अतिशीघ्र उपाय कर रही है।

सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के बारे में अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति की सिफारिशें

10440. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के बारे में 19 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 431 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति द्वारा की गई विशेष सिफारिशों पर इस बीच कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न विस्तृत निरीक्षण अधीन है।

पाकिस्तान द्वारा भारत के विद्रोही तत्वों को सहायता देना

10441. **श्री जुगल मंडल :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पाकिस्तान सरकार भारत के विद्रोही तत्वों को बराबर सहायता प्रश्रय तथा प्रशिक्षण दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के स्वीकृत मानदण्डों के अतिलंघन में भारत के अन्दरूनी मामलों में इस हस्ताक्षेप के विरुद्ध पाकिस्तान सरकार को विरोधपत्र भेजे गए हैं। पाकिस्तान को जाने और वहां से आने वाले भूमिगतों के संचार को रोकने के लिए सुरक्षा सेनाओं को सतर्क कर दिया गया है।

योजना आयोग के कुछ कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त करने के नोटिस देना

10442. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या योजना आयोग ने अपने कुछ कर्मचारियों को, उनकी आयु 50 वर्ष हो जाने पर, उन्हें अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त करने के नोटिस दिये हैं;

(ग) ऐसे कितने नोटिस अधिकारियों को और कितने अराजपत्रित कर्मचारियों को दिये गये हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि कुछ नोटिस बिना पर्याप्त औचित्य के जारी किये गये हैं;

(ङ) क्या यह भी सच है कि ऐसे नोटिस गृह-मंत्रालय के कर्मचारियों को भी दिये गये थे परन्तु बाद में मानवीय आधार पर वापिस ले लिये गये थे; और

(च) यदि हां, तो ऐसे मामलों में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री और योजना मंत्री (श्रीमती इंन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रकार के नोटिसों को जारी करने में जिस कसौटी का पालन किया गया है वह यह है कि उन कर्मचारियों का पता लगाना जो अपने वर्तमान पद पर बने रहने के योग्य हैं या नहीं आगामी कुछ वर्षों के दौरान वे जिन पदों पर कार्य करेंगे उन पर उनके कुशलतापूर्वक कार्य करते रहने की संभावना नहीं है।

(ग) अधिकारी : शून्य।
अराजपत्रित कर्मचारी : दो।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी हां। गृह मंत्रालय में दो अधिकारियों को नोटिस दिए गए थे परन्तु तदनन्तर वापिस ले लिए गए थे और केवल एक मामले में संवेदना के आधार पर निर्णय किया गया।

(च) संवेदना के आधार पर योजना आयोग के दो अराजपत्रित कर्मचारियों के मामलों की समीक्षा की गई है। यह निश्चय किया गया है कि उनको दिए गए नोटिस वापिस ले लिए जायं और आगामी दो वर्षों के लिए उनके काम पर विशेष निगरानी रखी जाय।

कानपुर के आयुध कारखाने से स्वचालित हथियारों की तस्करी

10443. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर के आयुध कारखाने में एक गिरोह नवीनतम स्वचालित हथियारों की तस्करी में लगा हुआ है और जो कोई भी उन्हें खरीदना चाहे खरीद सकता है;

(ख) क्या सरकार ने इसकी जांच का कोई आदेश दिया है ताकि कारखाने के कुछ कर्मचारियों का इसमें हाथ होने का पता चलाया जा सके;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बारे में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है ।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायगी ।

विवरण

(क) से (ग) 24 अप्रैल 1970 को स्टोर कर्मचारीगण की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए स्माल आर्म्ज फैक्टरी कानपुर के जनरल मैनेजर को सिलवर ब्रिजिंग फाईलों और तांबे के कुछ टुकड़ों के गुम होने का पता चला था। पोलीस ने जिन्हें मामला सौंपा गया था जांच शुरू की। एक फैक्टरी कर्मचारी की सूचना पर एक स्थानीय दुकान से पिघले हुए द्रव्य के कुछ किलोग्राम प्राप्त किये ऐसी सूचना मिली है। फैक्टरी के तीन औद्योगिक कर्मचारीयों को जिन पर शक किया गया था, ऐसा कहा गया कि उन्होंने पुलिस के सामने इस चोरी में और फैक्टरी से कांसे की कुछ मदों की दो चोरियों में अन्तर्गस्त होना मान लिया है, कि जिनकी रिपोर्ट पुलिस को पहले जनरल मैनेजर द्वारा की गई थी।

2. इस जांच का अनुसरण करते हुए पुलिस ने 2 मई 1970 को एक जाल बिछाया और ऐसा कहा गया है कि उन्होंने फैक्टरी के 3 और औद्योगिक कर्मचारियों को पकड़ लिया है कि जो एक गन और गोलीबारूद की कुछ गोलियों का निपटारा करने की कोशिश कर रहे थे। लगता है कि गन रद्द किये गये संघटकों से संयोजित की गई थी। गोलीबारूद की गोलियां जो इस फैक्टरी के उत्पादन में नहीं है इन्स्पैक्टरों के भंडार से चुराई जा सकी होंगी। पुलिस ने अपनी जांच के दौरान उनाव जिले से एक मकान से देशीय निर्माण के कुछ पिस्तौल भी बरामद किये हैं। पुलिस की जांच जारी है।

Demand of Delhi Electric Supply Undertaking Engineers' Association

10444. **Shri Hardayal Devgun :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Electric Supply Undertaking Engineers' Association has demanded that the pay scales of the engineers be brought at par with those of the engineers in Haryana and Punjab ; and

(b) If so, the action taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation & Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) The scales of pay of the engineers and other employees of the Delhi Electric Supply Undertaking have been fixed by the Undertaking on the basis of Central Government pay scales. The Delhi Electric Supply Undertaking

have informed the Association that a revision of their pay scales would be considered on the basis of any revision that may be made in the Central Government pay scales.

नीरार सिंचाई परियोजना कोयम्बतूर मे काम बन्द होना

10445. **श्री के० रमानी :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडू के जिला कोयम्बतूर में नीरार सिंचाई परियोजना का काम बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) योजना की शीघ्र क्रियान्विति के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). मई 1969 में केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों द्वारा किये गये निर्णयानुसार परम्बिकुलम अलियार समूह की निरार सिंचाई परियोजना के निर्माण के सम्बन्ध में अभी तक दोनों राज्य सरकारों द्वारा ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

कदम्पराय पन बिजली परियोजना, कोयम्बतूर के लिए मंजूरी

10446. **श्री के० रमानी :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयम्बतूर जिले में पी० ए० पी० परियोजना की कदम्पराय पन बिजली परियोजना को अभी तक अंतिम रूप तथा मंजूरी नहीं दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसको कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा तथा क्रियान्वित कर दिया जाएगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). इस समय स्कीम का संशोधन हो रहा है। तमिल नाडु राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि संशोधित स्कीम के जून, 1970 तक तैयार होने की आशा है तथा उसके बाद यह स्कीम संसाधन के लिए केंद्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को भेज दी जाएगी।

थुम्बा के राकेट छोड़ने के केन्द्र से छोड़ा गया सुका राकेट

†10447. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या थुम्बा स्थित राकेट छोड़ने के केन्द्र से 15 अप्रैल, 1970 को छोड़ा गया सुका राकेट टेलीमीटरी से कोई जानकारी देने में असफल रहा था;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उस केन्द्र से 16 अप्रैल, 1970 को एक अन्य राकेट छोड़ा गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :(क) तथा (ख). जी, हां । इंग्लैण्ड की मुलर्ड स्पेस साइंस लेबोरेटरी द्वारा दिये गये भारयोग की असफलता के कारण ऐसा हुआ । असफलता निम्नलिखित कारणों के कारण हो सकती है :

(i) उड़ रहे ट्रांसमीटर को जोड़ने में खराबी, अथवा

(ii) ट्रांसमीटर की स्वयं की खराबी, अथवा

(iii) बिजली का खराब होना ।

(ग) तथा (घ). जी, हां । राकेट तथा भारयोग भली प्रकार से कार्य कर रहे थे तथा टेलीमीटरों ने 260 सैकंडों तक संकेत प्राप्त किये । ऊर्ध्वमुखी तथा अधोमुखी खण्डों में आयनमण्डलीय आंकड़े एकत्रित किये गये थे ।

अमरीका तथा ब्रिटेन से फिल्मों का आयात

10448. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :**

श्री जुगल मंडल :

क्या **वैदेशिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी पार्टियों को अमरीका तथा ब्रिटेन से फिल्मों के भारत में आयात की अनुमति दी गई थी ;

(ख) भारत में विदेशी फिल्मों का आयात करने वालों के नाम तथा पते क्या हैं और प्रत्येक आयातकर्ता को 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में कितनी विदेशी मुद्रा अलाट की गई ; और

(ग) भारत में प्रत्येक आयात कर्ता द्वारा उक्त अवधि में प्रदर्शित की गई फिल्मों के नाम क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) :(क) मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट एसोसियेशन आफ अमेरिका इंक के साथ भारत सरकार द्वारा किये गये द्विपक्षीय करार के अंतर्गत, एसोसिएशन के आठ सदस्य समवायों को अमरीकी चलचित्र आयात करने की अनुमति है । मार्च 1967 में मैसर्स रैंक फिल्म डिस्ट्रीब्युटर आफ इंडिया लि० के साथ हुए प्रबंध की समाप्ति पर ब्रिटेन में हाल में कोई चलचित्र आयात नहीं किये जा रहे हैं ।

(ख) एक विवरण जिसमे विदेशी चलचित्रों के आयातकों के नाम दिये गये हैं ।

स० रा० अमेरिका से आयात किये गये चलचित्रों की कुल आय निरुद्ध लेखों मे रहती है जिसमें से मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट एसोसिएशन आफ अमेरिका इंक सहित उसके सदस्य समवायों को 25 लाख रुपये वार्षिक अपने देश ले जाने की अनुमति है । सोवियत चलचित्रों के आयात से हुई आयात का उपयोग आयात तथा आयातित चलचित्रों के प्रयोग संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिये किया जाता है, यदि कोई शेष राशि बच रहती है तो उसे सोवियत संघ के अपरिवर्तनीय रुपये लेखे में जमा कर दिया जाता ।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विवरण

विदेशी फिल्मों को आयात करने वालों के नाम दर्शाने वाला विवरण

1. अमरीका से फिल्मों का आयात करने वाले

1. मेसर्ज अलाईड आर्टिस्ट्स आफ इंडिया इंकारपोरेटेड।
2. मेसर्ज कोलम्बिया फिल्म्स आफ़ इंडिया लिमिटेड।
3. मेसर्ज मेट्रो गोल्डवीन मायर इण्डिया लिमिटेड।
4. मेसर्ज ट्वन्टीयथ सेन्चुरी-फॉक्स कारपोरेशन इण्डिया प्राइवेट लि०।
5. मेसर्ज पैरामाउन्ट फिल्म्स आफ इंडिया लि०।
6. मेसर्ज युनाईटेड आर्टिस्ट्स कारपोरेशन।
7. मेसर्ज युनिवर्सल पिक्चर्स इंडिया प्राइवेट लि०।
8. मेसर्ज वार्नर ब्रदर्स सेवन आर्टस् (एफ० ई०) इन्कारपोरेटेड।

2. रूस से फिल्मों का अयात करने वाले

1. मेसर्ज सोवएक्सपोर्ट फिल्म।

गुजरात से केले का निर्यात

10449. श्री नरेंन्द्र सिंह महीड़ा : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) गुजरात राज्य से वर्ष 1965-66, 1966-67 और 1968-69 मे, वर्षवार, कितने मूल्य के केले का निर्यात किया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि केले का निर्यात घट रहा है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी प्रतिशतता कितनी है और इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) राज्यवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

सूती कपड़े का निर्यात

10450. श्री न० रा० देवघरे : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापानी सूती कपड़े की प्रतियोगिता के फलस्वरूप विदेशों में भारतीय सूती कपड़ की मांग लगातार घटती जा रही है ;

(ख) यदि हां, ती जापानी प्रतियोगिता का सामना न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) विदेशों में भारतीय सूती कपड़े को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करनें का विचार है अथवा वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं। विगत तीन वर्षों में सूती कपड़े के निर्यात इस प्रकार थे :—

	सूती कपड़े के निर्यातों का मूल्य (करोड़ रुपये में)
1967—68	82.21
1968	95.05
1969	104.47

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

भारत-बर्मा सीमा के सीमांकन में प्रगति

10451. श्री न० रा० देवघरे : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-बर्मा सीमा के सीमांकन के संबंध मे अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) भारतीय दल में कितने व्यक्ति हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :(क) 1968-69 और 1969-70 के क्षेत्र-कार्य मौसमों में कुल मिलाकर 490 मील की सीमा को अंकित करने का काम हाथ में लिया गया था। सीमा की लम्बाई के समानान्तर सम्मिलित रूप से सीमा स्तम्भ लगा दिए गए हैं। केवल उन सात सीमा स्तम्भों की छोड़कर, जो विचाराधीन हैं।

(ख) सीमांकन के लिए गठित भारतीय दल में 251 व्यक्ति हैं जिनमें 6 राजपत्रित अधिकारी भी शामिल हैं।

1969-70 में भारत के दौरे पर आये विदेशी प्रतिनिधिमंडल

10452. श्री न० रा० देवघरे : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में उनके मंत्रालय ने कितने विदेशी शिष्टमंडलों का स्वागत किया ;

(ख) प्रत्येक शिष्टमंडल के सदस्यों के नाम क्या क्या थे और वह किन देशों से आये थे; और

(ग) भारत सरकार तथा प्रत्येक शिष्टमंडल के बीच क्या क्या करार आदि हुए ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) :(क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

देश में बने तापीय सेटों के प्रयोग से उपभोक्ताओं को बिजली महंगी पड़ना

10453. **श्री लोबो प्रभु : क्या सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य बिजली बोर्डों के सम्मेलन के संदर्भ में आधे मुल्यों पर आयातित उसी प्रकार के सेटों के स्थान पर सरकारी क्षेत्रों में निर्मित सेटों के उपयोगद्वारा उपभोक्ताओं को दी जानेवाली बिजली के मूल्यों में कितनी वृद्धि की गई है और भारत में निर्मित सेटों के मूल्य में कमी करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ख) तापीय सैटों के प्रयोग से बिजली की लागत दुगनी हो जाती है यह एक स्थायी पहलू है तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निर्मित तापीय सैटों के स्थान पर हाइडल सैटों का आयात न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) चौथी योजना में हाईडल सैटों की मांग क्या है और क्या सरकारी क्षेत्र स्थित संयंत्रों को डिलीवरी के निर्धारित संयंत्र की मांग सहित हाईडल सैटों के नमूनों का अपेक्षित विवरण भेज दिया गया है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि सरकारी क्षेत्र में निर्मित सैटों को राज सहायता दी जाये जिससे कि भारत में निर्मित सैटों के प्रयोग के कारण जनता को बिजली के ऊंचे मूल्य न देने पड़ें ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सरकारी क्षेत्र के जो उपक्रम बिजली उत्पादन उपस्कर तैयार करते हैं उनको भारत सरकार ने सलाह दी है कि वे अपने उत्पादों का मूल्य विदेश से आयात किये हुए समतुल्य उपस्कर के, भारत में उतरने पर लागत से अधिक नहीं होना चाहिए और वही सामान्यतः उपरि सीमा होगी ।

(ख) जहां पर संभव होता है जल विद्युत के विकास को प्राथमिकता दी जाती है । बहरहाल, ताप विद्युत के सैटों का होना भी आवश्यक है, विशेषकर पिट-हैड के समीप और बेस-लोड, प्रचालनों के लिए तथा उन अन्य क्षेत्रों म जहां पर जलीय शक्यताएं या तो उपलब्ध नहीं हैं अथवा शीघ्रता से विकसित न की जा सकतीं । जल विद्युत यूनिटों की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देशी निर्माताओं की क्षमता पर्याप्त है ।

(ग) चतुर्थ योजना के दौरान, लगभग 35.2 लाख किलोवाट जल विद्युत यूनिटों के चालू होने की संभावना है । कुल 42.5 लाख किलोवाट जल विद्युत सैटों के लिए सरकारी क्षेत्र की यूनिटोंको आदेश भेज दिए गए हैं और इन सैटों के संबंध में विस्तृत विशिष्टियां भेज दी गई हैं ।

(घ) जी, नहीं ।

चाय पर उत्पादन शुल्क

10454. **श्री के० रमानी : क्या वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय पर उत्पादन शुल्क बढ़ाने के संबंध में सरकार को नीलगिरी जिले के 'स्माल टी ग्रोअरज एसोसिएशन' की ओर से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) छोटे चाय उत्पादकों की कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक): (क) तथा (ख). नीलगिरी जिले के लघु चाय-उत्पादकों से उत्पादन शुल्क में कमी करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) उन चाय बागानों के मामले में उत्पादन शुल्क 70 पैसे प्रति कि०ग्रा० तक सीमित करने का विनिश्चय किया गया है जहां विगत तीन वर्षों में मान्यताप्राप्त नीलाम केन्द्रों मे हुई उनकी समस्त बिक्री से प्राप्त औसत मूल्य 5 रुपये प्रति कि०ग्रा० से कम है । ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी के बोर्ड से श्री मोहन कुमार मंगलम् के त्यागपत्र का समाचार

श्री उमानाथ (पुदुक्कोटि) : मैं औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें :—

बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी के बोर्ड में सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक, श्री मोहन कुमार मंगलम् के त्यागपत्र का समाचार

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): मै० बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के विषय में, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 398 के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका का निपटान करते समय बम्बई उच्च न्यायालय ने, अपने दिनांक 28 अगस्त, 1969 के निर्णय एवं आदेश में, इस कम्पनी के निदेशक मंडल का पुनर्गठन किया था । इस पुनर्गठित मंडल में, जिसे न्यायालय आदेश की तिथि से सात वर्ष की अवधि तक कार्य करना है, पांच न्यायालय के, तीन सरकार के एवं तीन हिस्से धारियों के मनोनीत मिला कर ग्यारह सदस्य हैं । उक्त आदेश द्वारा, न्यायालय के मनोनीत एक निदेशक श्री के० टी० देसाई को निदेशक मंडल द्वारा, अध्यक्ष नियुक्त किया था । इस आदेश में आगे यह भी व्यवस्था थी, कि इन तीनों समूहों में से, यदि कोई स्थान रिक्त हो जाय तो उसकी, न्यायालय द्वारा, सरकार द्वारा एवं हिस्सेधारियों द्वारा, जैसा भी विषय हो, पूर्ति की जायेगी ।

2. श्री मोहन कुमार मंगलम्, इस आदेश के अन्तर्गत, सरकारी मनोनीत निदेशकों में से एक थे । उन्होंने निदेशक मंडल से त्यागपत्र दे दिया है व अपने त्याग-पत्र के कारण, अपने मंत्री महोदय को लिखे दिनांक 13 फरवरी, 1970 तथा 23 फरवरी, 1970 के पत्रों में दिये हैं । ऊपर कथित उन के पत्रों की प्रतियां, निदेशक मंडल के अध्यक्ष श्री के० टी० देसाई को लिखे गये एक पत्र की प्रति सहित, सदन के पटल पर उपस्थित हैं ।

3. सरकार ने त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है । इससे भी पहले, इस कम्पनी के निदेशक मंडल के एक अन्य सरकारी मनोनीत निदेशक डा० आर० के० हजारी ने, भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी

गवर्नर नियुक्त होने पर अपना त्याग पत्र प्रस्तुत किया था। इन दो रिक्त स्थानों की पूर्ति, निम्नांकित दो व्यक्तियों की नियुक्ति द्वारा की गई है :––

1. श्री एम० वी० प्राञ्जपे, अधिवक्ता, बम्बई,
2. श्री रजनी एम० पटेल, अधिवक्ता, बम्बई।

श्री उमानाथ : जैन बन्धुओं तथा मंत्री महोदय ने स्वयं इस मामले में जो व्यवहार किया है उसके बारे में जो तथ्य तथा सच्चाई है वह मैं सभा के समक्ष रखना चाहता हूं। श्री० मोहनकुमारमंगलम् के त्यागपत्र से बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी पूर्णतया जैन बन्धुओं के नियंत्रण में आ गई है। इस समचे कार्य में स्वयं सरकार का हाथ है। पिछले सत्र में भी इस बारे में शंका प्रकट की गई थी कि सरकार इस कम्पनी को जैन बन्धुओं के नियंत्रण में देना चाहती है क्योंकि श्री अशोक जैन को बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त करने सम्बन्धी समाचार का लोगों को पता लग गया था। इस सभा में इस बारे में बहुत आपत्ति उठाई गई थी, उस समय इस समाचार का सरकार द्वारा खण्डन किया गया था।

बम्बई न्यायालय के आदेश बहुत स्पष्ट हैं। न्यायालय ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा तीन निदेशकों को नियुक्त किया जाना चाहिए। मेरे विचार में तीन से पांच निदेशकों का न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। इस से सरकार द्वारा तथा न्यायालय द्वारा नियुक्त किये गये निदेशकों को बहुमत प्राप्त हो जायेगा। न्यायालय ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि जैन परिवार पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अतः न्यायालय का विचार स्पष्ट है कि इस कम्पनी पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में जैन बन्धुओं का नियंत्रण न होने दिया जाये। परन्तु श्री के० टी० देसाई की नियुक्ति से न्यायालय की बात पूर्णतया रद्द हो जाती है। श्री के० टी० देसाई जैन बन्धुओं के सलाहकार थे। अब इसी श्री देसाई को बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। सरकार को इस बात का पता था कि श्री देसाई जैन बन्धुओं के सलाहकार हैं। सरकार द्वारा इस बात को न्यायालय के ध्यान में न लाये जाने का क्या कारण है। इस लिए मैं श्री देसाई की नियुक्ति के लिए न्यायालय को कुछ नहीं कहना चाहता। सरकार को इस बारे में न्यायालय को सूचित करना चाहिए था ताकि वह इस मामले में उचित निर्णय दे सकता। न्यायालय द्वारा नामनिर्दिष्ट अन्य तीन निदेशक भी जैन बन्धुओं के प्रभुत्व में आ गये हैं। इस प्रकार जैन बन्धुओं को अब सात निदेशकों का समर्थन प्राप्त है। अतः जैन बन्धुओं ने कार्यकारी परिषद् पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया है मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि जैन बन्धुओं ने श्री मानकेकर की उपेक्षा कर श्री दहेजिया को महा प्रबन्धक (जनरल मैनेजर) नियुक्त कर दिया है। नियुक्ति के पश्चात इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। बहुमत प्राप्त होने के कारण जैन बन्धुओं द्वारा श्री तनरेजा को उप-महा प्रबन्धक नियुक्त किया गया है। वास्तव में बात यह है कि जब श्री दहेजिया स्टेट बैंक के चेयरमैन थे तब श्री देसाई वहां पर डिप्टी चेयरमैन थे।

श्री तनरेजा जैन उपक्रमों का पर्सनल निदेशक था। अब उनको उप-महाप्रबन्धक नियुक्त कर दिया गया है। इस नियुक्ति के पश्चात अब श्री तनरेजा को कारोबार सम्बन्धी प्रशासन का भारसाधक बना दिया गया है। इस प्रकार न्यायालय में चल रहे मुकदमें सम्बन्धी कुछ दस्तावेज श्री तनरेजा के कब्जे में आ गये हैं। अतः उनके गुम किये जाने की सम्भावना है।

वास्तव में इसी कारण उनको नियुक्त किया गया है। इस षड़यंत्र का इस बात में भी पता लगता है कि केवल महाप्रबन्धक के पद का ही विज्ञापन दिया गया था। किसी भी अन्य पद का नहीं। परन्तु इसके बावजूद महाप्रबन्धक, उप-महाप्रबन्धक की भी नियुक्ति की गई हालांकि इन पदों के लिए विज्ञापन नहीं दिया गया था।

निदेशक बोर्ड के संकल्प का श्री मोहन कुमारमंगलम तथा एक अन्य निदेशक द्वारा विरोध किया गया था। इसमें कहा गया है कि श्री दहेजिया को सेवा की उन्हीं शर्तों पर नियुक्त किया गया है जिनके बारे में उनके साथ चर्चा हो चुकी है। यह एक बहुत आश्चर्यजनक बात है। इसका अर्थ यह हुआ कि बोर्ड की बैठक होने से पूर्व ही उनकी सेवा की शर्तों के बारे में निर्णय कर लिया गया था। श्री कुमारमंगलम के पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है। श्री मानकेकर की सेवा की शर्तों के बारे में यह कहा गया था कि उनकी शर्तें वे होंगी जिनका निर्णय श्री मानकेकर, श्री देसाई तथा जैन बन्धुओं में आपसी चर्चा के बाद होगा। इन सब बातों का उल्लेख करने का मेरा तात्पर्य यह है कि चेअरमैन, बोर्ड तथा कार्यकारी परिषद पर जैन बन्धुओं का ही नियंत्रण है। अतः इस प्रकार न्यायालय का निर्णय बेकार होकर रह गया है। दस्तावजों को हटाया जा सकता है अतः इससे न्यायालय की कार्यवाही पर प्रभाव पड़ सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इन समस्त घटनाओं देखते हुए भी क्यों चुप रही। क्या सरकार स्वयं ऐसा चाहती थी? दूसरी बात मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या जो संकल्प पास किया गया है उसपर सरकार की मंजूरी लिया जाना भी आवश्यक है, क्या सरकार ने इस संकल्प को मंजूरी दे दी है। यदि इस संकल्प को मंजूरी दी गई है तो ऐसा किये जाने का क्या कारण है। क्या सरकार इस कम्पनी को पत्रकारों के नियंत्रण में देने को तैयार है। क्या सरकार निदेशक बोर्ड में घटी घटनाओं के बारे में न्यायालय को सूचित करेगी? क्या सरकार इन सभी घटनाओं की जांच के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त करेगी?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : बोर्ड का गठन न्यायालय के आदेशानुसार किया गया है और इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। बोर्ड में पांच सदस्यों का न्यायालय द्वारा नामनिर्देशन किया गया है और तीन तीन सदस्य सरकार तथा अंशधारियों के हैं। सदस्यों की अथवा चेयरमैन की नियुक्ति करते समय न्यायालय ने सरकार से कोई परामर्श नहीं किया। अतः न्यायालय को परामर्श देने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। श्री देसाई के बारे में माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है वह ठीक नहीं है। वह सिविल मामलों में ही जैन बन्धुओं को अपनी राय देते थे और ऐसा करते समय उन्होंने कर्मचारियों का ही पक्ष लिया था। अतः उनको जैन बन्धुओं का व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि जैन बन्धुओं ने बोर्ड के सभी सदस्यों को अपने पक्ष में कर लिया है। अतः न्यायालय द्वारा गठित किये गये बोर्ड के आन्तरिक मामलों में मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

यह सच है कि श्री कुमारमंगलम ने अपने पत्र में इस्तीफा देने का यह कारण भी बताया है कि जनरल मैनेजर की नियुक्ति बोर्ड के दो सदस्यों को इच्छाओं के विरुद्ध थी। उन्होंने यह भी बताया है कि श्री दहेजिया की नियुक्ति किन कारणों हेतु बोर्ड के हित में नहीं थी। जनरल मैनेजर की नियक्ति के लिए मेरी अथवा कम्पनी ला बोर्ड की अनमति की आवश्यकता नहीं है।

श्री उमानाथ : संकल्प में यह है कि जनरल मैनेजर को पर्याप्त शक्ति दी जायेगी। इसलिए उसके लिए सरकार की स्वीकृति आवश्यक रखी गई है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : कम्पनी ला बोर्ड को इस बारे में अभी कोई आवेदनपत्र नहीं दिया गया है कि प्रबन्ध सम्बन्धी पर्याप्त शक्ति उनको दी जायेगी। यदि कम्पनी ला बोर्ड को ऐसा कोई आवेदनपत्र प्राप्त होता है तब उस पर निर्णय किया जायेगा। यह कहना भी ठीक नहीं है कि सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों ने ऐसा कोई कार्य किया है जिसका अर्थ समूचे प्रबन्ध को जैन बन्धुओं के नियंत्रण में देना है। माननीय सदस्य के लिए यह कहना भी ठीक नहीं है कि सरकार किसी समय श्री ए० के० जैन को चेयरमैन नियुक्त करने पर सहमत हो गई थी। मैं इस बात का पहले ही खण्डन कर चुका हूं।

श्री सी० के० चक्रपाणि (पोन्नाणि) : इस मंत्रालय ने आरम्भ से ही एकाधिकारपतियों का समर्थन किया है। यहां बात यह है कि जैन बन्धुओं का समूचे प्रेस पर कब्जा हो गया है। हाल में 'इलसट्रेटेड वीकली' में एक लेख छपा है जिसमें श्री कुमारमंगलम का भी उल्लेख किया गया है। परन्तु भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियों को समाप्त करने के बारे में समूचे प्रेस में कोई लेख प्रकाशित नहीं हुआ है। क्या सरकार ने यह जानने के लिए कि इस संस्था में क्या खराबी हो गई है कभी कोई जांच कराई है अथवा इसमें सुधार करने के लिए उचित कार्यवाही करेगी?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : सरकार ने न्यायालय में एक याचिका दी हुई है। अभी उस पर कोई निर्णय नहीं किया गया है परन्तु इसके आधार पर न्यायालय द्वारा निदेशक बोर्ड का गठन किया गया था।

श्री विश्वनाथ मेनन (एरणाकुलम) : श्री मोहन कुमारमंगलम ने अपने 22 फरवरी 1970 के पत्र में कहा है कि मैं महसूस करता हूँ कि ये नियुक्तियां कम्पनी के हितों को ध्यान में रखकर नहीं की गई हैं बल्कि बोर्ड के सभी सदस्यों के विचारों को ध्यान में रखकर की गई हैं। इससे स्पष्ट रूप से यह बात सिद्ध हो जाती है कि इसमें जैन बन्धुओं की कुछ सांठगांठ है। सरकार श्री सरकार के त्यागपत्र को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। सरकार ने इस बात के लिए जोर लगाया था कि श्री सरकार अपना त्यागपत्र वापस ले लें परन्तु सरकार ने श्री मोहन कुमारमंगलम के त्यागपत्र को तुरन्त स्वीकार कर लिया है। उनके स्थान पर अन्य व्यक्ति की नियुक्ति भी कर दी गई है। मेरा आरोप यह है कि इस समूचे मामले में यह मंत्री महोदय भी जैन बन्धुओं के साथ मिले हुए हैं। मंत्री महोदय ने यह आश्वासन भी दिया था कि वह कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि को बोर्ड का सदस्य नामनिर्दिष्ट करेंगे। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। "नव भारत टाइम्स" दिल्ली में काम कर रहे कर्मचारियों को यह अनुदेश दिये गये हैं कि वे जनसंघ के विरुद्ध कुछ न लिखें। मैं जानना चाहता हूं कि श्री जैन के हस्तक्षेप से तथा जनसंघ के प्रचार से बचाने के लिए उनका विचार क्या कार्यवाही करने का है?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : श्री कुमारमंगलम ने चेयरमैन को जो पत्र भेजे हैं उनको मैं पहले ही सभापटल पर रख चुका हूं। उन में स्पष्ट है कि उन्होंने दो कारणों से अपना त्यागपत्र दिया है। एक कारण यह है कि उनके पास बम्बई जाकर काम देखने का समय नहीं है, दूसरा कारण यह है कि जिस ढंग से जनरल मैनेजर तथा कुछ अन्य व्यक्तियों को नियुक्त किया

गया है उससे वह संतुष्ट नहीं हैं। यह कहना ठीक नहीं है कि मैंने इनके त्यागपत्र को तुरन्त स्वीकार कर लिया था। उनके दो बार लिखने के बाद ही मैंने उनके त्यागपत्र को स्वीकार किया है।

श्री उमानाथ : श्री कुमारमंगलम ने बोर्ड पर आरोप लगाया है क्या आप उसकी जांच करायेंगे कि वह ठीक है अथवा नहीं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हमें कानून तथा नियमों के अन्तर्गत ही कार्य करना है। हम केवल तभी हस्तक्षेप कर सकते हैं जबकि प्रबन्ध को पर्याप्तरूप से जनरल मैनेजर के हाथ में दे दिया जाये और इसके बारे में हमारे पास आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जाये। तब कम्पनी ला बोर्ड इसमें हस्तक्षेप कर अपना निर्णय दे सकता है। अन्य मामले मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I was on a point of order. An assurance was given last year by Shri Reddy that representatives of the workers will be nominated in the Board of Directors as and when it will be reconstituted. But the workers have not yet been represented in the Board.

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यदि बोर्ड को गठित करने का पूरा अधिकार सरकार के पास होता तो केवल उस परिस्थिति में ऐसा किया जा सकता था।

श्री उमानाथ : आपने जो व्यक्ति नामनिर्दिष्ट करने थे आप उनमें से कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि का नामनिर्देशन कर सकते थे।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह बात मेरे माननीय मित्र के ध्यान में थी।

Shri Madhu Limaye: They are not taking any representative. What type of socialism is this, Hon. Minister should clarify.

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय मानक संस्था का वार्षिक प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं भारतीय मानक संस्था के वर्ष 1967-68 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 3612/70)

भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, मद्रास का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : डा० वी० के० आर० वी० राव की ओर से मैं भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, मद्रास, के वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 3613/70)

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : श्री के० के० शाह की ओर से मैं स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़, अधिनियम, 1966 की धारा 31 की उप-धारा 3 के अन्तर्गत निम्न लिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

(1) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसन्धान संस्थान, चण्डीगढ़ (संशोधन) नियम, 1969, जो दिनांक 28 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2480 में प्रकाशित हुए थे । **(ग्रन्थालय में रखी गईं, देखिए संख्या एल० टी० 3614/70)**

(2) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ (संशोधन) नियम, 1970, जो दिनांक 11 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1334 में प्रकाशित हुए थे । **(ग्रन्थालय में रखी गईं, देखिए संख्या एल० टी० 3615/70)**

कम्पनी अधिनियम के अधीन पत्र

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1 के अन्तर्गत) निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता, के वर्ष 1967-68 और 1968 69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा । **(ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या-एल० टी०–3616/70)**

(दो) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता, का वर्ष 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **(ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०–3617/70)**

(तीन) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता, का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेख और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त दस्तावजों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **(ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०–3618/70)**

भेषज, मूल्यों का नियन्त्रण, 1970

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, भेषज (मूल्यों

का नियन्त्रण) आदेश, 1970 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 16 मई, 1970 के भारत के राज-पत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1752 में प्रकाशित हुआ था। **(ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०–3619/70)**

सरकारी बजट पत्र अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) डाक घर बचत पत्र (संशोधन) नियम, 1970, जो दिनांक 28 फरवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 318 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय बचत पत्र (चौथा निर्गम) नियम, 1970, जो दिनांक 28 फरवरी, 1970 के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या 319 में प्रकाशित हुए थे।

(2) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) डाक घर बचत बैंक (संशोधन) नियम, 1970, जो दिनांक 28 फरवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 320 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) जी० एस० आर० 321, जो दिनांक 28 फरवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०–3620/70)

जयन्ती शिपिंग कम्पनी (प्रबन्ध का लेना) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

संसद कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह): श्री रघरामैया की ओर से मैं जयन्ती शिपिग कम्पनी (प्रबन्ध का लेना) अधिनियम, 1966 की धारा 19 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत, जयन्ती शिपिंग कम्पनी (बोर्ड नियन्त्रण) दूसरा संशोधन नियम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 3 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 15 में प्रकाशित हुए थे। **(ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०–3621/70)**

दामोदर घाटी निगम का वर्ष 1968-69 का प्रतिवेदन

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : मैं दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 45 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **(ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०–3622/70)**

स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं सभा-पलट पर निम्न लिखित पत्र रखता हूं :—

(1) स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम, 1968 की धारा 114 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत, स्वर्ण नियन्त्रण (प्रमाण-पत्रों का दिया जाना) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 29 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1617 में प्रकाशित हुए थे। **(ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०–3623/70)**

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 767, जो दिनांक 9 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **(ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०–3624/70)**

(दो) जी० एस० आर० 769, जो दिनांक 9 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **(ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०–3625/70)**

(3) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 726 से जी० एस० आर० 739 तथा जी० एस० आर० 741 से जी० एस० आर० 743 तक (हिन्दी तथा अंग्रज़ी संस्करण) की एक-एक प्रति जो दिनांक 1 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **(ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०–3626/70)**

शस्त्र अधिनियम तथा अन्तर्राज्यीय निगम अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : श्री विद्या चरण शुक्ल की ओर से मैं निम्न लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 44 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत शस्त्र (संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 18 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 634 में प्रकाशित हुए थे। **(ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०–3627/70)**

(2) अन्तर्राज्यीय निगम अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उपधारा (5) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1660 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 9 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसमें अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2933 (अंग्रेजी संस्करण) तथा एस० ओ० 2934 (हिन्दी संस्करण) के शुद्धि-पत्र दिये गये हैं। **(ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०–3628/70)**.

रबड़ बोर्ड तथा चाय बोर्ड लेखापरीक्षा प्रतिवेदन आदि

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade : I beg to lay on the Table :

(1) A copy of the Audit Report on the Accounts of the Rubber Board for the year 1967-68 along with the statement of Accounts. [*Placed in Library. see* No. LT-3629/70].

(2) A copy of the Audit Report (Hindi version) on the Accounts of the Tea Board for the year 1967-68. [*Placed in Library, see* No. LT-3630/70].

मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

श्री इकबाल सिंह : मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी (संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 23 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 3 (12) 70—टी० पी० टी० में प्रकाशित हुए थे । **(ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०–3631/70)**

नियम समिती
RULES COMMITTEE

कार्यवाही-सारांश

श्री नाथूराम अहिरवार : (टीकमगढ़) : मैं नियम समिति की 9 और 18 मार्च तथा 18 मई, 1970 को हुई बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूं ।

याचिका समिति
COMMITTEE ON PETITIONS

कार्यवाही-सारांश

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : मैं याचिका समिति की 56वीं से 63वीं, 65वीं और 66 वीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूं

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

कार्यवाही-सारांश

श्री गु० च० नायक (क्योंझर) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई तेरहवीं और चौदहवीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूं ।

राज्य-सभा से संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य-सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

(1) कि राज्य-सभा 18 मई, 1970 को हुई अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा 8 मई, 1970 को वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 1969 में किए गए संशोधनों से सहमत हुई ।

(2) कि राज्य-सभा 18 मई, 1970 को हुई अपनी बैठक में 7 मई, 1970 को लोक-सभा द्वारा पास किए गए पैट्रोलियम (संशोधन) विधेयक, 1970 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई ।.

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति
LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के 14 वें प्रतिवेदन में, जो 19 मई, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया था, यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित चार सदस्यों को उनके नाम के सामने लिखी तारीख के लिए अनुपस्थिति की अनुमति दी जाए:—

1. श्री प्रकाशवीर शास्त्री	27 अप्रैल से 20 मई, 1970	(10वां सत्र)
2. श्रीमती सुधा वी० रेड्डी	15 अप्रैल से 12 मई, 1970	(10वां सत्र)
3. श्री वीरेन शाह	29 अप्रैल से 20 मई, 1970	(10वां सत्र)
4. रानी ललिता राज्य लक्ष्मी	28 मार्च से 20 मई, 1970	(10वां सत्र)

मैं समझता हूं कि सदन समिति की सिफारिशों से सहमत है ।

माननीय सदस्य : जी, हां ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को यथावत सूचित कर दिया जाएगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि श्री कामराज सभा में उपस्थित क्यों नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उनका नाम सूची में नहीं है ।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

128वां और 114वां प्रतिवेदन

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) गृह-कार्य मंत्रालय—अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य-क्षेत्र—के सम्बन्ध में 128वां प्रतिवेदन ।

(2) औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय--केरल उद्योग के प्रतिबन्धित सूची में दर्ज होने के बावजूद, उसे अतिरिक्त क्षमता की मान्यता देना--के बारे में प्राक्कलन समिति के 85वें प्रतिवेदन में दर्ज सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर प्राक्कलन समिति का 114वां प्रतिवेदन ।

तारांकित प्रश्न संख्या 532 के उत्तर को शुद्ध करने के लिये वक्तव्य

STATEMENT CORRECTING ANSWER TO STARRED QUESTION NO. 532

अध्यक्ष महोदय : सभी वक्तव्य सभा-पटल पर रखे जाएं ।

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री बा० रा० भगत) : मैं जाली आयात-लाइसेंसों के बारे में श्री गाड़िलिंगन गौड के तारांकित प्रश्न संख्या 532 के 10 दिसम्बर 1969 को दिए गए उत्तर को शद्ध करने के संबंध में वक्तव्य को सभा पटल पर रखता हूं ।

वक्तव्य

तारांकित प्रश्न संख्या 532 के (क) भाग का 10 दिसम्बर, 1969 को उत्तर देते हुए मैंने कहा था कि 1965 से 24 मामले हमारी जानकारी में आए हैं जिसमें लगभग 74.76 लाख रुपयों की मूल्य के जाली आयात-लाइसेन्सों का प्रयोग किया गया है । अब सूचना मिली है कि सही स्थिति यह है :--

1965 से 25 मामले जानकारी में आए जिसमें लगभग 75.50 लाख रुपयों के मूल्य के जाली लाइसेन्सों का प्रयोग किया गया ।

तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर को शुद्ध करने के लिये वक्तव्य

STATEMENT CORRECTING ANSWER TO STARRED QUESTION NO. 11

पैट्रोलियम तथा रसायन और खनिज तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैं भारतीय तेल निगम को तेल के बैरलों तथा तारकोल के ढोलों की सप्लाई के बारे में 23 फरवरी, 1970 को दिये गए तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर में शुद्ध करने के बारे में वक्तव्य को सभा-पटल पर रखता हूं ।

वक्तव्य

23-2-70 को लोक सभा में ता० प्रश्न संख्या 11 के भाग (ख) का उत्तर देते हुए मैंने कहा था कि "इन निविदाओं के सम्बन्ध में जिन पार्टियों ने कोटेशनस दी हैं, उन के नाम, दरें तथा शर्तें सभा पटल पर प्रस्तुत हैं । (परिशिष्ट ए-1 और ए-2)" । मैं अब यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि 14 पार्टियों ने पब्लिक टैण्डर संख्या ओ० पी०/1/69 और 19 पार्टियों ने टैण्डर संख्या ओ० पी०/2/69 के सम्बन्ध में कोटेशनस दी थी, परन्तु इन दो परिशिष्टों में केवल उन पार्टियों के नाम हैं, जो बैरल एवं ढोल बनाने में समर्थ समझी गई थी । शेष पार्टियों की कोटेशनस खारिज की गई

थी क्योंकि वे या तो पर्याप्त प्लांट या मशीनरी से सज्जित न थी या उन्होंने निर्धारित प्रोफार्मा में कोटेशनस नहीं दी थी ।

भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, हरिद्वार के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: STRIKE BY WORKERS IN BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, HARDWAR

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, हरिद्वार के कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में वक्तव्य को सभा-पटल पर रखता हूं ।

वक्तव्य

22 अप्रैल, 1970 को हैवी इलेक्ट्रिकल्स के कर्मचारियों की ट्रेड यूनियन ने प्रबन्धकों को 12 मांगों का एक मांग पत्र प्रस्तुत किया और कहा कि यदि यह मांगें 15 दिनों के अन्दर पूरी नहीं की गई तो वे 7 मई, 1970 से हड़ताल कर देंगे । नोटिस प्राप्त होने के तुरन्त पश्चात् भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स के अध्यक्ष को मामले की शीघ्र जांच करने को कहा गया । अध्यक्ष ने तुरन्त उप-श्रमायुक्त से हरिद्वार में समझौते की बातचीत प्रारम्भ करने के लिए कहा और राज्य सरकार के श्रम विभाग से भी संपर्क स्थापित किया कि वह श्रमिकों से समझौता कराने में उन की सहायता करें ।

2. हड़ताल 12 मई, 1970 की प्रातः से आरम्भ हुई और अभी चल रही है । भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के अध्यक्ष ने संबंधित यूनियन को उसके अध्यक्ष के द्वारा सूचित किया है कि यदि हड़ताल को वापिस ले लिया जाय तो श्रमिकों की सभी मांगों पर विस्तृत बातचीत 15 मई, 1970 से आरम्भ की जा सकती है । इसके बावजूद प्राप्त समाचारों से यह पता चलता है कि हड़ताल वापिस नहीं ली गई है । उप-श्रमायुक्त ने हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित कर दिया है । श्री काशीनाथ पाण्डे, संसद सदस्य, अध्यक्ष, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल वर्कर्स ट्रेड यूनियन, हरिद्वार ने अध्यक्ष भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से 16 मई को भेंट की और प्रारम्भिक विचार विमर्श किया ।

3. यद्यपि यूनियन के प्रतिनिधियों ने 12 मांगों की सूची प्रस्तुत की है जिसमें नौकरी से संबंधित विभिन्न विषय तथा सुविधायें आती है किन्तु इन में से सबसे महत्वपूर्ण मांग 1 अप्रैल, 1969 से पूर्व प्राप्त होने वाले परियोजना भत्ते को चालू रखने से संबंधित प्रतीत होती है । परियोजना भत्ते के बारे में सरकार की नीति यह है कि यह भत्ता परियोजना की निर्माण अवस्था में सुविधाओं के अभाव जैसे स्कूल, बाजार, चिकित्सालय आदि की पूर्ति के लिए स्वीकृत किया जाता है और इन सुविधाओं को उपलब्ध करा देने के पश्चात् इस भत्ते को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाता है । भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के तीनों एककों में इस नीति का ठीक प्रकार से अनुकरण किया जा रहा है । भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के तिरुची स्थित बायलर संयंत्र में इस भत्ते को 1 अप्रैल 1966 से समाप्त कर दिया गया था और हैदराबाद स्थित एकक में इसे 1 अप्रैल, 1970 को समाप्त कर दिया गया है ।

4. हैवी इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट प्लांट हरिद्वार में इस एकक के निर्माण आरम्भ होने तथा भत्ते के स्वीकार किये जाने से अब तक की स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन आ चुका है। इस समय वहां पर एक पूरा हस्पताल खुल चुका है जिसमें 75 बिस्तर हैं, एक अंग्रेजी तथा हिन्दी माध्यम का स्कूल-पानी, बिजली, बाजार, सामुदायिक केन्द्र, क्लब इत्यादि खुल चुके हैं और परिवहन सुविधायें उपलब्ध हैं और 2,000 कर्मचारियों के लिए मकानों की व्यवस्था है। इन सुविधाओं की उपलब्धि को देखते हुए कंपनी ने इस विषय पर निर्धारित की गई नीति के अनुकूल परियोजना भत्ते को एक दम समाप्त किये जाने से होने वाली असुविधा से बचाने के लिए इसमें धीरे-धीरे कमी करने का निर्णय किया है। यह कार्यवाही न तो स्वच्छन्दतापूर्ण है और न कर्मचारियों को कष्ट देने के लिए ही की गई है। परियोजना भत्ते में किसी प्रकार का पुनरीक्षण, जिसका अब निश्चय किया गया है, का परिणाम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के हरिद्वार एकक के कर्मचारियों के प्रति पक्षपात और इसी कंपनी के अन्य एककों के कर्मचारियों के प्रति द्वेषपूर्ण भेदभाव होगा।

5. प्रबन्धक पहले ही विचार विमर्श करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट कर चुके हैं और ऐसी आशा की जाती है कि यूनियन भी इसके लिए सहमत हो जायगी। यह अति दुर्भाग्य की बात है कि सरकारी क्षेत्र के एक एकक में हड़ताल हुई। कोई भी हड़ताल हो, उससे उत्पादन को पर्याप्त हानि होती है, विशेषकर इस प्रकार के विशाल उपक्रम में यह अत्यावश्यक है कि श्रमिक तथा प्रबन्धकों के बीच के प्रत्येक मतभेद को पारस्परिक सद्भावना तथा सहनशीलता से तय किया जाये। मैं श्रमिकों से अनुरोध करूंगा कि वे यथाशीघ्र काम पर वापिस आ जायें। उस स्थिति में मुझे विश्वास है कि सभी अनिर्णीत विवाद शांतिपूर्ण ढंग से श्रमिकों तथा प्रबन्धकों की आपसी बातचीत से हल हो सकते हैं। मैं तो यह आग्रह करता हूं कि सरकारी क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण उपक्रम में पुनः सामान्य स्थिति स्थापित हो, मुझे विश्वास है कि सदन भी इस से सहमत होगा।

श्री काशीनाथ पाण्डेय (पदरौना) : महोदय, मैं इस वक्तव्य पर एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान्, कल जब हमने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के 8000 कर्मचारियों की हड़ताल का मामला यहां उठाया, तो आपने मंत्री से एक वक्तव्य देने के लिए कहा था। हड़ताल अब भी जारी है। मंत्री ने श्री रघुनाथ रेड्डी को वहां भेजकर विवाद का निपटारा क्यों नहीं किया ?

श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या मंत्री यह चाहते हैं कि हड़ताल जारी रहे ? नहीं तो उन्होंने उस के निपटारे के लिए पहल क्यों नहीं की ?

उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ने की स्थिति के संबंध में वक्तव्य

STATEMENT RE : SUGARCANE SITUATION IN U.P. AND BIHAR

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवनराम) : मैं सदन के सभा-पटल पर उत्तर प्रदेश तथा बिहार में गन्ने की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य रखता हूं।

वक्तव्य

इस वर्ष गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धिको देखते हुए सरकार ने मौसम के शुरू में यह पूर्वानुमान लगाया था कि चीनी कारखानों को अपना पिराई काल बढाना आवश्यक होगा ताकि वे फैक्ट्री क्षेत्र में उपलब्ध सारा गन्ना पेर सकें। चीनी कारखाने ऐसा कर सकें, इसलिए सरकार ने अक्तूबर, 1969 में यह घोषणा की थी कि चीनी कारखाने 1969-70 के दौरान 1968-69 में उत्पादित उत्पादन के 105 प्रतिशत से जितना अधिक उत्पादन करेंगे उसपर 8 रुपये प्रति क्विटल के हिसाब से उत्पादन शुल्क में छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह घोषित किया था कि जो चीनी कारखाने गत वर्ष के गन्ने की खरीदारी के 105 प्रतिशत से जितना अधिक गन्ना खरीदेंगे उन्हें क्रयकर में 25 पैसे प्रति क्विटल की छूट दी जाएगी लेकिन यह छूट उन चीनी कारखानों को दी जाएगी जिन्होंने 15 नवम्बर, 1969 को या इससे पूर्व गन्ना पेरना शुरू किया था। इसके अलावा, राज्य सरकार ने चीनी कारखानों के आरक्षित क्षेत्र में शक्तिचालित कोल्हुओं को लाइसेंस देने संबंधी अपनी नीति में पर्याप्त ढीलें देने की घोषणा भी की थी।

2. हाल ही में कुछ सन्देह व्यक्त किए गए थे कि चीनी कारखाने बन्द होने से पूर्व फैक्ट्री क्षेत्र में उपलब्ध सारा गन्ना नहीं पेर पायेंगे। इसलिए सभी गन्ना उत्पादक राज्यों से स्थिति का पता लगाने और बन्द होने से पूर्व फैक्ट्री क्षेत्र में उपलब्ध गन्ने की पिराई सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपायों की महत्ता एवं अनिवार्यता पर ज़ोर डालने के लिए पत्र लिखा गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि सारा उपलब्ध गन्ना पेराने के लिए मिलों को और प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उन्होंने 15 मई, 1970 के बाद चीनी मिलों द्वारा खरीदे जाने वाले गन्ने पर सारा क्रय कर माफ करने की घोषणा की है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में जहां अधिक गन्ने की समस्या ज्यादा गम्भीर है, अधिकांश चीनी कारखाने अपना पिराई सम्बन्धी कार्य जून और जुलाई में भी जारी रखेंगे। राज्य सरकार स्थिति पर काफी अधिक निगरानी रख रही है और यथा आवश्यक समय समय पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गन्ना भेजा जा रहा है। अब तक 60 लाख क्विटल गन्ने को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भेजा गया है और उनका पुनः समायोजन करने की व्यवस्था की गयी है और यथा आवश्यक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में और गन्ना भी भेजा जाएगा।

3. जहां तक बिहार का सम्बन्ध है, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए गन्ना विभाग आवश्यक कार्यवाही कर रहा है कि चीनी कारखाने अपना पिराई सम्बन्धी कार्य बन्द करने से पूर्व आरक्षित फैक्ट्री क्षेत्रों में उपलब्ध सारा गन्ना पेर दें और चालू मौसम के अन्त में बिना पेर गन्ने की बचने की सम्भावना कोई नहीं है। 26 कारखानों में से जिन 24 कारखानों ने चालू मौसम में कार्य किया था, वे अपने अपने क्षेत्रों में सारा गन्ना पेरने के बाद बन्द हो गए हैं।

बिहार तथा राजस्थान के कुछ भागों में कमी की स्थिति के संबंध में वक्तव्य

STATEMENT RE : SCARCITY CONDITIONS IN CERTAIN PARTS OF BIHAR AND RAJASTHAN

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवनराम) : मैं बिहार तथा राजस्थान के कुछ भागों में कमी की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं ।

वक्तव्य

बिहार सरकार ने सूचित किया है कि दरभंगा जिले तथा चम्पारन, पुर्णिया, सहरसा और सिंहभूम के अधिकांश भागों में कमी की स्थिति बनी हुई है । इन जिलों को कमी से प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है । पता चला है कि राज्य की लगभग एक करोड़ जनसंख्या सूखे से उत्पन्न कमी की स्थिति से प्रभावित हुई है । रोज़गार सुलभ करने के लिए सहायता कार्य शुरू किए गए हैं । राज्य में किस हद तक और कितनी गम्भीर कमी की स्थिति उत्पन्न हुई है और क्या क्या सहायता उपाय किये जा रहे हैं इसके बारे में राज्य सरकार से अभी कोई विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । रिपोर्ट प्राप्त होने पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो राज्य में स्थिति का जायज़ा लेने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजा जाएगा ।

2. जैसा कि सदन को ज्ञात ही है, राजस्थान के पश्चिमी भागों में कमी की स्थिति बनी हुई है । चालू वर्ष में राज्य के 23 जिलों के 10,873 गावों में 72.34 लाख जनसंख्या कमी की लपेट में है । राज्य सरकार ने राज्य के चार पश्चिमी जिलों में अकाल और सूखे से प्रभावित अन्य जिलों में कमी की घोषणा की है ।

3. प्रभावित जनसंख्या में से काम करने योग्य व्यक्तियों के लिए रोजगार सुलभ करने के प्रयोजन से राजस्थान में भारी संख्या में सहायता कार्य खोले गए हैं । सहायता कार्यों में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या अक्तूबर, 1969 के 1.81 लाख से बढ़ कर अप्रैल, 1970 में 5.99 लाख हो गयी है । इस तरह काम पर लगाय गये मज़दूरों में से अधिकांश मज़दूर राजस्थान नहर परियोजना पर कार्य कर रहे हैं । 16,175 व्यक्तियों को मुफ्त सहायता प्रदान की जा रही है ।

4. राज्य सरकार ने एक विशेष मुफ्त सहायता योजना चालू की है जिसके अन्तर्गत परिवार के प्रत्येक सदस्य को 12.50 रु० प्रति मास ऋण-एवं-अनुदान के रूप में दिए जाते हैं । इस योजना से बीकानेर, बाड़मेर तथा जैसलमेर के तीन जिलों और जोधपुर जिले के अधिकांश भाग की 12.08 लाख जनसंख्या को फायदा पहुंचा है ।

5. पेय जल की सप्लाई के लिए विशाल प्रबंध हाथ में लिए गए हैं । राज्य सरकार ने चार पहियों वाले 50 टैंकर-लगे-ट्रकों जो कि लगभग 520 गांवों में कार्य करेंगे, को लगाया है । पेय जल की सुविधा प्रदान करने के लिए 62 नलकूपों को चालू किया गया है और नलकूपों के पास 60 जलाशयों का निर्माण किया गया है । 15,000 कुओं को गहरा किया गया है और लगभग 955 गावों को एक ऐसी योजना के अन्तर्गत लाया गया है जिसके अधीन पानी खींचने के लिए राज-सहायता प्रदान की जाती है ।

6. इस वर्ष पशुओं का प्रव्रजन भारी संख्या में हुआ । लगभग 8 लाख पशु चारे की खोज में मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब के पड़ौसी राज्यों में भेजे गये थे । इन में से 1.45 लाख पशुओं को राज्य में ही स्थित जंगलों में ले जाया गया था । राज्य सरकार ने 271 प्रव्रजन डिपों स्थापित किये हैं और 4 किलोग्राम प्रति पशु के हिसाब से मुफ्त चारा और आधा किलो ग्राम गेहूं का आटा प्रति पशुपालक के हिसाब से पशुओं के साथ जाने वाले पशुपालक को मुफ्त सप्लाई किया था । अनुमान है कि लगभग 1.50 लाख व्यक्ति प्रव्रजित पशुओं के साथ गए थे । प्रव्रजन डिपों पर पशु-चिकित्सा सेवाएं भी सुलभ की गयी थीं । राज्य सरकार ने 4.65 लाख क्विटल चारा अधिप्राप्त किया है और उसे 296 चारा डिपों के माध्यम से विवरित किया । राज्य सरकार ने स्वयंसेवी ऐजंसियों को पशु कैम्पों को संगठित करने और उनकी व्यवस्था करने के लिये सहायता प्रदान की है और इन कैम्पों में प्रति पशु प्रतिदिन 65 पैसे अनुदान के रूप में सहायता सुलभ की है । रोग निरोधी उपाय किये गये हैं । महामारी स्थिति नियंत्रण में है ।

7. जनवरी, 1969 से केन्द्र ने राजस्थान को 4,12,000 मीटरी टन खाद्यान्न दिया है जिस में 1,00,000 मीटरी टन माइलो, 72,000 मीटरी टन मक्का और 20,000 मीटरी टन ज्वार शामिल है । क्षेत्रीय प्रतिबन्ध हटाने के बाद गैर-सरकारी व्यापार के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न राजस्थान के पश्चिमी भागों में ले जाया गया है । मूल्य सामान्यत: स्थिर रहे हैं ।

8. 1969-70 में केन्द्र ने राजस्थान सरकार को 53.50 करोड़ रुपये सहायता के रूप में प्रदान किए हैं । वहां चल रही स्थिति का जायज़ा लेने और चालू वित्तीय वर्ष में सहायता उपायों पर किये जाने वाले खर्चे की राशि की सिफारिश करने के लिए एक केन्द्रीय दल ने इस महीने के प्रथम सप्ताह में राजस्थान का दौरा किया था । दल की सिफारिशों को बहुत शीघ्र अन्तिम रूप दिया जाएगा ।

9. राजस्थान सरकार इस वर्ष सूखे से उत्पन्न संकट को दूर करने के लिए केन्द्र की सहायता से उपाय कर रही है । स्थिति नियंत्रण में हैं ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता मिलने के सम्बन्ध में वक्तव्य

STATEMENT RE: ADMISSIBILITY OF HOUSE RENT ALLOWANCE TO CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): मैं केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता मिलने के मामले में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं ।

वक्तव्य

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के एक अंश को 1 दिसम्बर, 1968 से वेतन के रूप में मानने से उक्त मंहगाई वेतन अब वेतन की 500/- रुपये प्रति मास की उस उच्चतम-सीमा-निधारण में भी गिनती में आता है, जो वास्तविक किराये की अदायगी की रसीद पेश किये

बिना मकान किराया भत्ता मिलने के मामले में निर्धारित है। इस प्रकार, वास्तव में, वेतन की उच्चतम सीमा मूल वेतन (अर्थात् मंहगाई वेतन रहित वेतन) के 390/- रुपये के स्तर पर आ गयी है, और जो कर्मचारी मूल वेतन के रूप में 390/- रुपये से ऊपर और 500/- रुपये तक वेतन पा रहे हैं, उन के लिए यह जरूरी हो गया है कि मकान किराया भत्ता का दावा करने से पहले वास्तविक किराये की अदायगी की रसीद पेश करें। सरकार को व्यक्तियों से, कर्मचारी संघों से तथा संसद सदस्यों से इस आशय के बहुत सारे निवेदन मिले हैं कि आगे कहे गये कारणों से, पूर्ववर्ती स्थिति को कायम रखने के लिए, मंहगाई वेतन सहित वेतन की इस उच्चतम सीमा को 500/- रुपये प्रति मास से बढ़ा कर 620/- रुपये प्रति मास (अर्थात् मूल वेतन के 390/- रुपये की सीमा को 500/- रुपये प्रति मास) कर दिया जाय :—

(क) मकान मालिक, किरायदारी की पूर्व-शर्त के रूप में किराया रसीदें जारी करने को तैयार नहीं होते ;

(ख) जहां सरकारी कर्मचारी उप-किरायेदार के तौर पर अथवा अपने रिश्तेदारों और मित्रों के साथ खर्च चुकाने वाले मेहमान के तौर पर रहता है, उन मामलों में मकान मालिक से किराये की रसीद प्राप्त करना संभव नहीं है ;

(ग) जो कर्मचारी किराये की रसीदें पेश नहीं कर पाते हैं वे, दरअसल, मकान किराया भत्ता पाने से महरूम कर दिये गये हैं, जिससे उनकी परिलब्धियां कम हो गई हैं।

2. मकान किराया भत्ता सरकार द्वारा अनुपूर्ति किस्म की सहायता होने से, इसका सम्बन्ध वास्तविक किराये की अदायगी से जोड़ने में सामान्यत: कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। परन्तु इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने, संसद में प्रश्न पूछ कर तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की ओर से सरकार को बहुत सारे पत्र और आवेदन भेज कर दिलचस्पी जाहिर की है, उसको देखते हुए सरकार ने इस मामले की समीक्षा की है, और यह निर्णय किया है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को, मकान किराये की रसीदें पेश किये बिना ही, मकान किराया भत्ता मिलने के लिए वेतन की उच्चतम सीमा को (मंहगाई वेतन मिला कर) 500/- रुपये प्रति मास से बढ़ा कर, 1 फरवरी 1969 से 620/- रुपये प्रति मास कर दिया जाय।

सदस्यों द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION BY MEMBERS

Shri Shashi Bhushan (Khargoa): Mr. Speaker, Sir, from the proceedings of Lok Sabha dated the 14th May, 1970, I came to know that I had made certain personal allegations regarding Mr. S. K. Tapuria. In fact he is one of my best friends. In the context in which I spoke, it is written 'Interruptions' in the proceedings. That has no connection with Mr. Tapuria. Hence, I want the allegation to be considered as withdrawn.

Shri Gurcharan Singh (Ferozepur) : Mr. Speaker, I rise on a point of order. I had asked questions several times on the situation in Punjab. I sent calling attention notice also. but I do not know why they were not admitted. If the situation of Punjab is not improved, one day it will also become another Maharashtra.

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगी।

Shri Gurcharan Singh :**

श्री मो० स० मसानी (राजकोट) : श्रीमन्, कल जब लंदन के बैंक घोटाले के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा था तो श्री कंवरलाल गुप्त ने कहा था कि लंदन के एक व्यक्ति से श्री फरनेन्डीज़ को एक पत्र मिला। उन्होंने यह भी कहा कि उस व्यक्ति ने कहा था कि उसने पहले भी श्री पी० एन० हुस्कर, श्री कमत और मुझे भी पत्र लिखे थे। मैं सदन में यह कहता हूं कि मुझे ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है। मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : नियम 357 के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित बाते कहना चाहता हूं : 14-5-1970 को एक अल्प सूचना प्रश्न पर विचार किया जा रहा था, उस समय श्री सु० कु० तापडिया ने कहा था कि "हम यह कहने से नहीं हिचकेंगे कि ये श्रमिक संघ के नेता लोग पहले श्रमिकों को भड़का देते हैं और फिर घूस लेते हैं. . . (**व्यवधान**) इस सदन में जितने सदस्य हैं, श्री ज्योतिर्मय बसु उन से अधिक समृद्ध जीवन बिता रहे हैं। "हम सदन में यह कहने से नहीं हिचकेंग कि ज्योतिर्मय बसु ने दहेज के रूप में वातानुकूलित कार प्राप्त की थी।" जबकि उस समय वातानुकलित कारें नहीं थीं। "और श्री शशिभूषण वाजपेयी की छोटी ऊंगली कैसे नष्ट हो गई. . ."

जो कुछ ऊपर कहा गया है, वह निराधार एवं विद्वेषपूर्ण है। और एक बात मुझे कहनी है वह यह है कि कुछ समाचार पत्रों में श्री ज्योतिर्मय बसु नाम के स्थान पर कई जगह मेरा नाम उद्धृत किया गया है। मैं आशा करता हूं कि इस समय वे इस गलती को सुधारेंगे।

नियम 377 के अन्तर्गत विषय
MATTERS UNDER RULE 377

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नागिरि) : अध्यक्ष महोदय, 12 मई को हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के एक विभाग की दुर्घटना पर हो रही बहस के दौरान प्रतिरक्षा मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने इस संबंध में फिर से गैर-विभागीय जांच कराने की मांग को ठुकरा दिया था। उस समय कई सदस्यों ने सरकार द्वारा नियुक्त की गई जांच समिति के निष्कर्षों के संबंध में शंका प्रकट की थी।

दूसरी बात यह है कि मंत्री महोदय जांच समिति का पूरा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखने से सहमत नहीं हुए। उसके बाद मुझे सूचना प्राप्त हुई है। मैं चाहती हूं कि मंत्री महोदय इन पर विचार करें। जांच समिति ने पाया कि विमानचालक दास के विमान की गिलोटिन कारतूस उलटी स्थिति में था। इस गिलोटीन कारतूस के साथ छेड़-छाड़ की गई थी। यह या तो असावधानी के कारण हुआ था, यह जान बूझ कर की गई तोड़फोड़ है।

तीसरी बात यह है कि ग्रूप कप्तान दास के विमान एच० एफ०-032 तथा स्क्वैड्रन लीडर नारायण के विमान एच० एफ०-001, का निरीक्षण एक ही निरीक्षक द्वारा किया गया था। पहले

**कार्यवाही वत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

Not recorded.

विमान का निरीक्षण रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। दूसरे विमान का निरीक्षण रिकार्ड उस के दुर्घटनाग्रस्त होने के दो दिन बाद प्राप्त हो गया, हालांकि प्राधिकारियों को इसकी पूर्व सूचना मिल गई थी।

मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करती हूं कि वे जांच समिति का पूरा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखें और दूसरी जांच समिति का गठन करें।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान् आप की अनुमति से नियम संख्या 377 के अन्तर्गत निम्न बातें मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। वे उनका जवाब दें।

आज के 'स्टेट्समैन' तथा अन्य मुख्य समाचार पत्रों में यह समाचार छपा है कि वेतन आयोग की सदस्य संख्या में वृद्धि नहीं की जाएगी। यह प्रधान मंत्री द्वारा दोनों सदनों में दिए गए आश्वासनों के विरुद्ध है। राज्यसभा में प्रधान मंत्री ने वचन दिया था कि, अगर हम एकमत होकर किसी श्रमिक प्रतिनिधि का नाम देंगे तो, अवश्य ही उन को वेतन आयोग का सदस्य बनाया जाएगा। हम एकमत से श्रमिक प्रतिनिधि का नाम देने वाले थे कि सरकार ने उस निर्णय को बदल दिया। यह बहुत ही दुखद बात है। दूसरी बात है कि वेतन आयोग ने अन्तरिम राहत के संबंध में भी कुछ कहा था...

अध्यक्ष महोदय : कई विषयों को लंबित रखा गया है। अत: उन पर मध्याह्न भोजन के उपरांत विचार किया जाएगा। अब मध्याह्न भोजन के लिए सभा स्थगित होती है।

इस के पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर तीस मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till thirteen minutes past fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजकर तीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at thirty minutes past fourteen of the Clock.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

Mr. Deputy Speaker in the Chair.

नियम 377 के अन्तर्गत विषय—जारी

MATTERS UNDER RULE 377—*Contd.*

Mr. Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : Mr. Deputy Speaker, Sir, you may be knowing that in many parts of our country, atrocities are being perpetrated on Harijans. A Committee was set-up to go into the matters of Harijans, but hitherto no discussions was held on the report of the Committee. A Harijan boy was burnt alive some where in Andhra Pradesh. At another place, a group of 16 Harijans was burnt alive. I want to know whether a discussion will be held on this or not. This is a very serious matter.

उपाध्यक्ष महोदय : कठिनाई यह होती है कि कोई भी सदस्य अध्यक्ष की बात की ओर ध्यान नहीं देता। इस विषय पर चर्चा करने के लिए श्री सूरज भान ने मुझे पत्र लिखा था। मैं ने उस के लिए अनुमति भी दी है। अब श्री सूरज भान इस के बारे में बोलेंगे।

Shri Suraj Bhan (Ambala) : Mr. Deputy Speaker, Sir, may I go into the details regarding this incident. In April last year, a Harijan boy named Rathi Mangia was burnt alive in Andhra Pradesh. This boy went to a hotel and had his meals there. After having finished his meals he came out to pay the charges, but found that somebody had cut his pocket. When the Hotel manager came to know that he was a Harijan, he was beaten up severly and at last put in a closed room. The boy tried his level best to escape, but when the Hotel Manager came to know that the boy was trying to run away, he cought hold of him and tied his arms behind and poured Kerosene oil on his body. Then he set his body to fire. His waist was completely burnt. His left hand was paralysed. The most atrocious aspect of this incident was that the police did not even take pains to prepare the report. The boy was later admitted in a hospital. With your permission I want to lay on the table the photo of this boy.* *(interruptions)*.

I demand that prompt and severe action should be taken against the Hotel Manager and the Inspector, Mr. Mohamed Fashit Ali, who manipulated the report. The Government must take very serious regulations to check such diabolic acts. The Government must give financial aid to the boy who cannot do any work at all.

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत गंभीर मामला है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करें और यह सुनिश्चित करे कि आगे ऐसी घटनायें न घटें।

Shri Omprakash Tyagi (Moradabad): The whole Home Department should be under the control of Harijans. Until they do this, such activities cannot be curbed effectively.

श्री बूटा सिंह (रोपड़) : हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने सरकार को निदेश दिया कि इस विषय पर विचार करें तथा दोषी लोगों को कड़े से कड़ा दंड दें। मगर एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा करना चाहते थे...

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यसूची में सम्मिलित किया गया है। परन्तु मैं समझता हूं कि इस पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

Shri Molahu Prasad (Bansgaon): Five hours are allowed for discussion on this subject. But so many other issues also are going to be taken up during this time. Therefore either this issue should be, touched today and kept pending for detailed discussion in the next session or the allotted five hour should be fully given to the detailed discussion today itself.

उपाध्यक्ष महोदय : हम आज इस पर चर्चा शुरू करने की कोशिश करेंगे।

---

*अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमति न दिये जाने के कारण सभा-पटल पर रखा नहीं माना गया।

Shri Sheo Narain (Basti) : It is a matter of regret that the report on Scheduled Castes is meeting with this fate. In the eastern region of U.P. also Harijans are in the same plight. Who will hear their grievances? This Government is not taking pains to discuss the matter here. The Harijans are being beaten up, but nobody is coming to their rescue. I want the House to sit late tonight and hold discussion on this serious issue.

Shri Ram Charan (Khuria): We want at least 21 hours to discuss this matter, let this issue not be kept pending till the next Session.

श्री स० मो० बनर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ने वचन दिया था कि वित्तायी वेतन आयोग में एक श्रमिक प्रतिनिधि को सदस्य के तौर पर लिया जाएगा। मगर सरकार न बाद में उस निर्णय को बदल दिया जिसका कारण जैसे समाचार पत्रों में लिखा गया था यह है कि सरकार यह अनुभव करती है कि यह आयोग एक मध्यस्थ बोर्ड नहीं है, यह विशेषज्ञों का एक निकाय है। हम चाहते हैं कि वेतन आयोग में एक श्रमिक प्रतिनिधि को रखा जाए। दूसरी बात है कि आयोग के निर्देश पदों में निर्वाह-खर्च के बढ़ जाने से अन्तरिम राहत की बात भी सम्मिलित की गई थी। इस संबंध में विपक्ष से जितने संशोधन प्रस्तुत किये गए थे, संपूर्ण सदन ने उन्हें स्वीकार किया था। माननीय प्रधान मंत्री से हम जानना चाहते हैं कि अन्तरिम राहत का मामला आयोग के निर्देश पदों में क्यों रखा गया है।

आज हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के श्रमिक को 207 रुपये मिलते हैं। हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के श्रमिक को 195 रुपए मिलते हैं जब कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी को केवल 141 रुपए मिलते हैं। अंतरिम राहत उन्हें मिलनी चाहिए। मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें। मैं उनके ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि 1 जून, 1970 को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अन्तरिम राहत न दिये जाने के विरोध में मई महीने का वेतन लेना अस्वीकार कर रहे हैं।

मेरी दूसरी बात नैशनल कैडट् कोर के अनुदेशकों के बारे में है। आज उन की भूख हड़ताल का ग्यारहवां दिन है। ये अधिकांश लोग मद्रास, केरल, बंगाल से आते हैं। 24 दिसंबर, 1969 को, माननीय शिक्षा मंत्री ने इस पर उचित कार्यवाही करने का वचन दिया था। आज 15 अनुदेशक बिना किसी निवृत्ति वेतन का लाभ प्राप्त किये सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कई लोग सेवा निवृत्ति के करीब पहुंच गये हैं। मगर अब तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं शिक्षा मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें।

मुझे इस बात की खुशी है कि श्री प्र० चं० सेठी ने घोषणा की है कि मंहगाई वेतन सहित वेतन की उच्चतम सीमा को 500 रुपए प्रतिमास से बढ़ाकर 620 रुपए प्रतिमास कर दिया गया जिससे उन लोगों को लाभ हुआ है जिनका वेतन जब महंगाई भत्ते का एक अंश मूल वेतन में मिलाया गया था, उस निम्नतम सीमा में आ गया, जहां उन्हें किराया भत्ता मिलने के लिए किराये की अदायगी की रसीद पेश करनी पड़ती थी। अब उन्हें रसीद पेश करनी नहीं पड़ती है। इससे 'ए' श्रेणी के शहरों में रहनेवाले सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुँचता है। उन्होंने यह भी कहां जिन लोगों का वेतन दो वर्षों से अधिक समय तक उच्चतम सीमा में स्थिर रहता है, उन्हें तदर्थ वेतनवृद्धि दी जाएगी, और यह मामला विचाराधीन है।

गृह-कार्य मंत्री ने कहा कि वह पुलिस के साथ नरमी का रुख अपनायेंगे। अतः उनको वक्तव्य देना चाहिये और सभा को आश्वासन देना चाहिये कि पुलिस कर्मचारियों के मामलों को उनके द्वारा नरमी का रुख अपना करके ही निपटाया जायेगा।

श्री नम्बियार (तिरुच्चरापल्लि) : अन्तरिम सहायता देने के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं...

कुछ माननीय सदस्य उठे—

उपाध्यक्ष महोदय : पहले माननीय सदस्य मेरी बात सुनें। नियम 377 के अन्तर्गत जिन्होंने पहले मुझे नोटिस दिया है, केवल वही बोल सकते हैं। हमारे सामने कार्य की लम्बी सूची है। यदि सभी सदस्य कुछ न कुछ कहने लगेंगे तो इस कार्य को हम निपटा नहीं पायेंगे।

श्री नम्बियार : केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता प्रदान की जाये, यह सभा के सभी सदस्यों की इच्छा है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Shri I. K. Gujral had promised to be present in the House, but he is not here at the moment. He has assured the House that a scheme will be brought before the House about the Samachar Bharati Agency regarding making it a trust. But so far neither the scheme nor its outlines have been brought before the House. Perhaps the present director will be made the life member of the trust which is not a proper course. Firstly the directors who have violated the clauses 210 and 220 of the Company Act, should not be kept in the Board of trustees.

Secondly, there should not be any provision regarding life member. After every three years, one third of the members should go and at least in the Board of trustees there should be one third of the representation of members of the employees of the Agency and working journalists. The Government should seriously think about the violation of Company Act. Many cases of the employees and journalists are pending in the Labour Court. The representatives of the Agency intentionally do not go in the court.

In some branches of the company, the employees and journalists have not received their salary for the last month. The complaints are not properly attended to by the Agency. In addition to this, there is the question of victimisation of the employees by the Agency. The recommendations of the Wage Board and Wage Committee have not been implemented as yet. The employees should be given 4 percent bonus and D.A. should be merged with pay. These problems of the Agency should be looked into and the grievances of the employees removed.

In the end, the matter about which I want to speak relates to Industrial Development. The Government have announced its policy about the foreign collaboration and decided that there should not be any foreign collaboration in the matters in which our country have technical know-how. But I came to know that new breweries are being opened to produce beer and collaboration will be made with breweries or companies of England. This is a matter of great regret. With such a foreign collaboration agreement, foreign exchange will be wasted. On the one hand the Government is giving incentives to scientists and technicians but on the other hand there is talk of foreign collaboration for buscuits, ice-cream, coca-cola etc. The Government should make the position clear.

श्री कन्डप्पन (मैसूर) : इंडियन ओवरसीज़ बैंक में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के बारे में प्रश्न को उठाने के लिए मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। इस विषय पर बोलने से पूर्व मैं हरिजनों पर किये गये अत्याचारों के सम्बन्ध में बोलना चाहता हूं। सामाजिक कल्याण के बारे में आगे भी जब कभी चर्चा हुई है तो बिना विचार-विमर्श के इसे खत्म कर दिया गया अथवा सभा को स्थगित कर दिया गया। यह बड़ा गम्भीर मामला है। इस पर हल्के ढंग से विचार नहीं करना होगा। हरिजन और अधिक अपना अपमान नहीं सह सकते। अतः हमें इस बारे में अभी विचार-विमर्श करना चाहिए और यदि देर तक भी बैठना पड़े तो बैठना चाहिए।

अब मैं अपने विषय पर बोलता हूं। यह हड़ताल देश में हो रही अन्य हड़तालों के समान, दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की हड़ताल से न केवल इसके जमाकर्त्ताओं को बहुत अधिक असुविधा हो रही है, अपितु राष्ट्रीयकृत बैंकों की अव्यवस्था का यह एक प्रमाण है।

डिफेन्स कालोनी शाखा में दो सप्ताह पहले, बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच किसी प्रकार का संघर्ष और मतभेद उत्पन्न हो गया। उस मामले को मैत्रीपूर्ण तरीके से निपटा लिया गया। लेकिन बाद में किन्हीं दूसरे कारणों से संघ के सचिव और दूसरी शाखा के सहायक मैनेजर के बीच कलह हो गई। बदला लेने के रवैये के कारण बिना किसी उत्तेजना के अचानक इस बैंक के एक कर्मचारी को आरोप-पत्र मिला। और बाद में उसे निलम्बित कर दिया गया। इसके कारण तत्काल वहां हड़ताल हो गई। दिल्ली में, इंडियन ओवरसीज़ बैंक की लगभग सभी शाखाओं में, पिछले दो या तीन दिनों से तथा दूसरे स्थानों पर जैसी बम्बई, कलकत्ता, मद्रास आदि में पूरी तरह हड़ताल है। बिना किन्हीं कारणों से प्रबन्धकों को बदला लेने का रवैया नहीं अपनाना चाहिए। यद्यपि यह एक अत्यन्त छोटा मामला है लेकिन इसके परिणाम बहुत गम्भीर हैं। मंत्री महोदय को इस बारे में जांच करनी चाहिये और इस मामले को मैत्रीपूर्ण ढंग से शीघ्र ही सुलझाने का प्रयास करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : रवि राय अब अपने प्रश्न को उठायें। इसके पश्चात् यदि सरकार उठाये गये मामलों में से कुछ का उत्तर देना चाहे तो वे दे सकती हैं।

Shri Rabi Ray (Puri): My question relates to Railway Ministry. It is about Cuttack Paradeep railway line. I asked a question about this on 18th February, 1969.

I wanted to know the time schedule for the construction of a railway line from Cuttack to Paradeep port. The then Railway Minister Dr. Ram Subhag Singh replied to it and promised that the line was likely to be completed by the end of 1971.

And after a lapse of ten months in reply to my another question the hon. Minister has said that as per the present schedule, the Cuttack Paradeep rail link is expected to be completed by the end of 1972.

Cuttack Paradeep Railway Line is an important line for the industrialisation of Orissa and the Government are not fulfilling its promise. This is not a proper thing. Will the present Railway Minister look into the matter so that this rail link could be completed by the end of 1971?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास नामों की सूची रखी हुई है। परन्तु मैं अब देखता हूं कि कुछ अन्य सदस्य भी खड़े हो रहे हैं। अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे अन्य सदस्यों द्वारा उठाये गये मामलों को न दोहरायें तथा दो मिनट से अधिक समय न लें।

श्री० स० कुण्डू (बालासौर): मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कटक पाराद्वीप रेल लाइन के मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाना चाहिये। मंत्री आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं। जब इस रेलवे का उद्घाटन हुआ था तो यह आश्वासन दिया गया था कि इसे 1970 तक पूरा कर लिया जायेगा। अब इसे पूरा करने के लिये निर्धारित तिथि 1972 की दी जा रही है। मंत्री को इस मामले की जांच करनी चाहिए।

श्री श्रीचन्द गोयल (चंडीगढ़) : चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारी इस बात के लिए आन्दोलन कर रहे हैं कि उन्हें भी पंजाब के वेतनमान दिये जायें। लेकिन सरकार ने इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है। आज इस सत्र का अखिरी दिन है, अतः सरकार को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए और इस बात को भी स्पष्ट करना चाहिए कि किस ढंग से वे इस समस्या को सुलझाने जा रहे हैं।

दूसरे पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर केवल अत्याचार ही नहीं हो रहे हैं अपितु, उन्हें कत्ल किया जा रहा है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, तथा संपत्ति लूटी जा रही है। इसके परिणामस्वरूप वहां से बड़ी संख्या में निष्क्रमण हो रहा है। सरकार को इस बारे में कुछ ठोस उपाय करने चाहिये ताकि विस्थापितों की गम्भीर समस्या को शीघ्रता से सुलझाया जा सके।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : हम चाहते हैं कि गृह-कार्य मंत्री इस सभा में इस प्रकार का स्पष्ट वक्तव्य दें कि पश्चिमी बंगाल में निवारक निरोध अधिनियम किसी भी तरह से इस सभा में पारित करके लागू नहीं किया जायेगा।

दूसरा मामला मैं यह उठाना चाहता हूँ कि मेरे दल के बर्दवान के दो विधान सभा सदस्यों को जो पूर्व अनुमति लेकर दो सभाओं में भाषण कर रहे थे, केन्द्रीय रिजर्व पुलिसने बहुत ही बुरी तरह पीटा, उन्हें घसीट कर थाने में ले गये और उनका घोर अपमान किया गया। सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिये ऐसी सभी बातें कर रही है जिसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। उन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये जिन्होंने विधान सभा के सदस्यों को पीटा है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Naxalite activities are rapidly increasing in Delhi University. Some professors and lecturers are involved in it and they are writing slogans on the walls and distributing the posters. The Vice-Chancellor appears to be helpless. Stern action should be taken against those persons who are participating in anti-national activities. Home Minister should do something about it.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : The running staff of the Railways are working for more than eight hours a day, which is against the law. They are very much agitated over this and if this practice continues, they can go on strike. The Government should interfere in the matter and try to discontinue this practice.

श्री ई० के० नायनार (पालघाट) : संचार मंत्री ने एक महीने पूर्व आश्वासन दिया था कि 1968 की हड़ताल से संबन्धित बर्खास्त किये गये अथवा निलंबित किये गये सभी कर्मचारियों को काम पर वापिस ले लिया गया है। लेकिन अभी तक केरल के दो दर्जन से अधिक कर्मचारियों को

काम पर वापिस नहीं लिया गया है और वे अभी भी सत्याग्रह कर रहे हैं। मेरा यह अनुरोध है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : The situation is very serious in Darbhangha, Saharsa and Purnea districts of Bihar and I want that these three districts should be declared as famine-areas.

श्री राजशेखरन (कनकपुरा) : हम केन्द्रीय सरकार से केन्द्रीय रेशम बोर्ड के मुख्यालय को बम्बई से बंगलौर बदलने के लिये अनुरोध करते आ रहे हैं लेकिन सरकार इस मामले पर मौन है। क्या अब मंत्री महोदय इसके कार्यालय को बंगलौर में ले जाने का आश्वासन देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : कई प्रश्न उठाये गये हैं। यदि सरकार की ओर से कोई मंत्री इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर देना चाहे तो वे ऐसा कर सकते हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : श्रीमान्, श्री बनर्जी द्वारा उठाये गये कुछ प्रश्नों के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा।

वेतन आयोग में एक श्रमिक प्रतिनिधि लेने के बारे में बात उठाई गई है। प्रधान मंत्री महोदया ने दूसरी सभा में कहा है कि यदि हमें सर्वसम्मति से नाम मिले, तो हम वेतन आयोग में एक श्रमिक प्रतिनिधि लेने के लिये तैयार हैं। हम उस वचन से मुकर नहीं रहे हैं।

जहां तक गतिरोध का प्रश्न है, गृह मंत्रालय के परामर्श से एक निर्णय लगभग लिया जा चुका है और उसकी घोषणा दिनांक 29 को संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की बैठक में कर दी जायेगी।

लोक-सभा और राज्य सभा दोनों ही महत्वपूर्ण है। मैं यह कह चुका हूं निर्णय लगभग लिया जा चुका है। इस का तात्पर्य यही है कि हम अब निर्णय लेने की अन्तिम स्थिति में हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : संयुक्त परामर्शदाता तंत्र में सभी संघ सम्मिलित है परन्तु श्री जोशी, मैं और मेरा संघ उस में शामिल नहीं है। हमने ही इस मामले को उठाया परन्तु अब हमें इसके क्षेत्र से अछूता रखने के लिए ही संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र में इस निर्णय की घोषणा की जा रही है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : अन्तरिम सहायता के सम्बन्ध में, हम स्पष्ट रूप से बता चुके हैं कि इस मामले को वेतन आयोग को भेजा जा चुका है। बैंक हड़ताल के सम्बन्ध में एक सज्जन, श्री जयसोरिया, जो एक पर्यवेक्षण अधिकारी हैं, वेडिफेंस कालोनी गये और वहीं वहां हुई हड़ताल के लिए जिम्मेदार हैं। उनको निलंबित कर दिया गया है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : What about foreign colloboration ? There is question of royalty and Foreign exchange.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : इस का सम्बन्ध औद्योगिक विकास मन्त्रालय से है।

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) समाचार भारती के सम्बन्ध में एक बात उठाई गई है। हमने कभी नहीं कहा कि हम किसी न्यास अथवा किसी इसके प्राधिकरण की स्थापना करने जा रहे है। हमें कुछ सूचना मिली है कि किसी न्यास की स्थापना की जा रही है। इस विषय में जो दूसरी बातें कही गई है, उनका ध्यान रखा जा रहा है। परन्तु हमारी कठिनाई यह है कि हमारे देश में समाचार पत्र पूर्णतया स्वतन्त्र है।

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri R. L. Chaturvedi) : Mr. Deputy Speaker, Cuttack and Paradeep railway line has already been discussed. We will try our utmost to complete this railway line at the earliest possible time but no target date can be given. It will be certainly completed by 1972.

केन्द्रीय विक्रय-कर (संशोधन) विधेयक
CENTRAL SALES TAX (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : ने विधेयक पेश करने सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत है:

> "कि केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये"

श्री श्रीचन्द गोयल (चन्डीगढ़): मैं चार संवैधानिक तथा वैधिक अशक्तताओं के आधार पर इस विधेयक का विरोध करता हूं। (1) विधेयक के खंड 14 में यह कहा गया है कि यह कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों पर भी लागू किया जायेगा। मैं मौलिक केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 का पूरा अध्ययन किया है। वहां केवल यही एक धारा थी कि इसे जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं किया जायगा और 1958 में तो वह भी समाप्त कर दी गई। परन्तु इस विधेयक के खंड 14 की व्यवस्था से तो यह पता चलता है कि कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों को केन्द्रीय विक्रय-कर की सीमा से अलग रखा गया है। अत: यह एक वैधिक अशक्तता है जिसके लिए कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

खंड 3 में एक नई धारा 6 जोड़ दी गई है। केन्द्रीय विक्रय कर या कोई अन्य विक्रय-कर केवल विक्रय पर ही लगाया जा सकता है। केन्द्रीय विक्रय अधिनियम की जो परिभाषा दी गई है वह माल विक्रय नियम से की गई है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिक्री, माल का हस्तान्तरण है यदि उसका भुगतान नकद करना हो अथवा बाद में करना हो। नए उपबन्ध से व्यापारी पर प्रमाण देने का भार डाला जा रहा है कि क्या किसी विशेष माल का हस्तांतरण एक बिक्री है या नहीं है। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम उपबन्धों के विपरीत है।

विधेयक के खंड 4 में यह व्यवस्था की गई है कि लोगों को अपने आप को पंजीकृत करने के लिए प्रत्याभूति की आवश्यकता होगी या फिर इन प्रतिभूतियों को इनके पंजीकरण प्रमाणपत्रों को जारी रखने की मांग की जा सकती है। इन व्यापारियों को सरकार से कोई वेतन नहीं मिलता है।

वे सरकार के लिए केन्द्रीय विक्रय कर एकत्र कर रहे हैं। उनको पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए प्रत्याभूति देने की आवश्यकता क्यों है ?

इसी तरह प्रधान अधिनियम के खंड 11 के उप-खंड 14 के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय महत्व की वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। इस में "लोहे और इस्पात" के साथ ही "टायर" शब्द को भी जोड़ा गया है। टायर तो रबड़ के बनते है उन्हें भला "लोहे और इस्पात" के साथ क्यों मिला दिया गया है ? मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Deputy Speaker, I oppose this Bill and I am sure it will be struck at by Supreme Court because it has been presented in a faulty way.

An attempt has been made to amend the definition of Coal so as to differentiate it from Charcoal. The Supreme Court in its verdict said that the present definition of coal includes charcoal also. In view of Supreme Court's verdict, it is not justified to amend the common. In case this Bill is challenged, it will be nullified by the Supreme Court. Similarly it is not advisable to change the definitions of "Iron and Steel" and "Jute".

The bill is having some flaws and evasion of taxes cannot be checked. The Bill should be re-drafted before it is presented.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): माननीय श्री श्रीचंद गोयल और श्री झा ने विधेयक की विशेषताओं के बारे में विभिन्न प्रश्न उठाये है। श्री गोयल ने कहा है कि कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों को विधेयक में शामिल किया गया है। मुझे इस सम्बन्ध में यही कहना है कि क्योंकि यह जिले नागालैंड का अंग बने गये हैं इसीलिए इन्हें शामिल किया गया है। यह विधेयक पूर्णतया संवैधानिक है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 में आगे संशोधन वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक

CENTRAL SILK BOARD (AMENDMENT) BILL

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक): मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "That the following amendments made by Rajya Sabha in the Bill further to amend the Central Silk Board Act, 1948, be taken into consideration."

"Enacting Formula"

(1) That at page 1, line 1 *for* the word "Twentieth" the word "Twenty-first" be *substituted*."

Clause 1

(2) That at page 1, line 4, *for* the figure "1969" the figure "1970" be *substituted.*

(कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य-सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये)

"अधिनियम सूत्र

(1) कि पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 1 में "बीसवें" के स्थान पर "इक्कीसवें" **प्रतिस्थापित किया जाये।**

खण्ड 1

(2) कि पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 4 में, "1969" के स्थान पर "1970" **प्रतिस्थापित किया जाये।**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव सभा के समक्ष है।

Shri Madhu Limaye : Mr. Deputy Speaker, put my motion to vote. I am ready to withdraw my second motion.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) **:** In this connection, I want to draw the attention of the chair towards Rule Nos. 98 and 99 according to which a Bill returned by the Council with amendments is required to be laid on the Table of the House on its receipt and secondly two days' notice is required to be given or permission of the Speaker is required to be sought before it is taken up in the House, but both these conditions have not been fulfilled and as such this Bill should have not been taken up in this House.

श्री रा० धों० भण्डारे : (बम्बई-मध्य) : अध्यक्ष ने इसकी अनुमति दे दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया है कि यह विधेयक 11 मई को सभा-पटल पर रखा गया था और अध्यक्ष ने भी इस पर विचार करने का प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दे दी है।

प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1948 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये :—

"अधिनियम सूत्र

(1) कि पृष्ठ 1 पर पंक्ति, 1 में "बीसवें," के **स्थान पर** "इक्कीसवें" **प्रतिस्थापित किया जाए।**

खण्ड 1

(2) कि पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 4 में, "1969" के **स्थान पर** "1970" **प्रतिस्थापित किया जाये।"**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"अधिनियम सूत्र

(1) कि पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 1 में, "बीसवें" के स्थान पर "इक्कीसवें" प्रतिस्थापित किया जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'खण्ड 1

(2) कि पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 4 में, 1969 के स्थान पर, 1970 प्रतिस्थापित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

Shri Ram Sewak : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक में राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक में राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

चाय (संशोधन) विधेयक, 1970
TEA (AMENDMENT) BILL, 1970

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि चाय अधिनियम, 1953 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य-सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए :—

"अधिनियम सूत्र

(1) कि पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 1 में, "बीसवें" के स्थान पर "इक्कीसवें" प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड 1

(2) कि पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 3 में "1969" के स्थान पर "1970" प्रतिस्थापित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"अधिनियम सूत्र

(1) कि पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 1 में, "बीसवें" के स्थान पर "इक्कीसवें" प्रतिस्थापित किया जाये।

खण्ड 1

(2) कि पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 3 में, "1969" के स्थान पर "1970" प्रतिस्थापित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"अधिनियम सूत्र

(1) कि पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 1 में, "बीसवें" के स्थान पर "इक्कीसवें" प्रतिस्थापित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

खण्ड 1

(2) कि पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 3 में, "1969" के स्थान पर "1970" प्रतिस्थापित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri Ram Sewak : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक में राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सीमा-शुल्क टैरिफ विधेयक, 1969
CUSTOMS TARIFF BILL, 1969

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सीमा शुल्क सम्बन्धी विधि को समेकित तथा संशोधित करने वाले विधयक का 30 सदस्यों की, अर्थात् :—

श्री के० एम० अब्राहम, श्री आर० के० अमीन, श्री बलीराम भगत, श्री आर० के० बिड़ला, श्री विदिब चौधरी, श्री तुलसीदास दासप्पा, श्री रामकृष्ण गुप्ता, श्री हेम राज, श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका, श्री भोगेन्द्र झा, श्री लषण लाल कपूर, श्री एस० एस० कोठारी, श्री लीलाधर कटकी, श्री जे० एम० लोबो प्रभु, श्री जनेश्वर मिश्र, श्री एम० एन० नाघनूर, श्री त्रिलोकशाह लाल प्रियेन्द्र शाह, श्री टी० राम, श्री जे० रमापति राव,

डा० संकटा प्रसाद, श्री शांति लाल शाह, श्री शम्भूनाथ, श्री नवल किशोर शर्मा, श्री रघुवीर सिंह शास्त्री, श्री प्रवीणसिंह नटवरसिंह सोलंकी, श्री वेंकटराव तारोड़कर, श्री पी० आर० ठाकुर, श्री एम० डी० उइके, श्री जी० विश्वनाथन; और चौधरी राम सेवक

प्रवर समिति को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देने की हिदायत के साथ सौंपा जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सीमा शुल्क सम्बन्धी विधि को समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक को 30 सदस्यों की, अर्थात् :—

श्री के० एम० अब्राहम, श्री आर० के० अमीन, श्री बलीराम भगत, श्री आर० के० बिड़ला, श्री त्रिदिब चौधरी, श्री तुलसीदास दासप्पा, श्री रामकृष्ण गुप्ता, श्री हेम राज, श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका, श्री भोगेन्द्र झा, श्री लखण लाल कपूर, श्री एस० एस० कोठारी, श्री लीलाधर कटकी, श्री जे० एम० लोबो प्रभु, श्री जनेश्वर मिश्र, श्री एम० एन० नाघनूर, श्री त्रिलोकशाह लाल प्रियेन्द्र शाह, श्री टी० राम, श्री जे० रमापति राव, डा० संकटा प्रसाद, श्री शांति लाल शाह, श्री शम्भू नाथ, श्री नवल किशोर शर्मा, श्री रघुवीर सिंह शास्त्री, श्री प्रवीणसिंह नटवरसिंह सोलंकी, श्री वेंकटराव तारोड़कर, श्री पी० आर० ठाकुर, श्री एम० डी० उइके, श्री जी० विश्वनाथन ; और चौधरी राम सेवक

प्रवर समिति को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देने की हिदायत के साथ सौंपा जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के आयुक्त के प्रतिवेदन का अध्ययन करने के लिये कुछ समय चाहिये । अतः इस सम्बन्ध में तुरन्त कोई निर्णय देना सम्भव नहीं है । यदि इन विधेयकों को बिना चर्चा किये पारित करने के लिये सदन सहमत है तो किया जा सकता है ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954, में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : Sir, the hon. Minister deserves congratulation for bringing in this Bill which envisages equal rights for both husband and wife seeking judicial separation. I invite the attention of the hon. Minister towards the fact that there are certain other legislations which are also to be amended. In corroboration to it I submit that the child Marriage Restraint Act has already been passed yet 30-40 per cent of the marriages are performed violating the spirit of that Act.

It has been observed that complaints are made to the Government against child marriages but no action is taken by the Government against them. I also feel that due to certain lacunae left out in the laws they are not implemented efficaciously.

Similarly, Dowry Prohibition Act has been passed to curb the evils from the society. But we observe that the dowry system is still prevailing in the country with its increased intensity. I request the hon. Minister that these Acts should also be amended to check such evils.

I emphatically demand that the Government should make an All India Civil Code wherein the definition of Non-interference in religion is desired to be clarified. Every religion has its two aspects. One is related to the religious ceremonies and the other is connected with the social life of the country. I demand that the social laws should be uniformally applicable to all religions. The Government should, therefore, bring in a Bill for formulating an All India Civil Code.

I also want to point out that the Government are encouraging the social evil of divorce in the country through this Bill as they are going to reduce the period of separation from two years to only one year. It has been observed that the results of increased cases of divorce in the different countries have been worried and unhealthy Hippy culture has killed the sacramental aspect of the marriage. In this environment, I fear, if the source of divorce is not discouraged by observing strict rules in the matter it will certainly lead the society to the social upheaval.

Besides, divorce affect the society more adversely when the divorce seeking parties have four or five children. Such cases must be discouraged stingently. I request, therefore, that the period of separation should not be reduced to one year.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : Sir, it is well known fact that America is an advanced country economically and in all other respects. But it is also a fact that the family life of most of the people of that country is not cordial and it is mostly attributed to the increased sense of divorce in that country. It should also be noted that the social traditions and conventions of our country cannot be compared to that of America. The people of our country, therefore, cannot be allowed to indulge in seeking divorce in such a large scale. It is, therefore, required that the period of separation should remain two years as suggested originally and it should not be reduced to one year as suggested by Rajya Sabha.

The evil of divorce is also required to be dealt with by creating an atmosphere of cordiality and co-operation in the society.

Shri K. N. Tiwary (Bettiah) : Sir, I rise to support the amendment made by Rajya Sabha that the period of separation should be reduced to one year. It has been observed that the cases of divorce are not settled in the courts of law within the suitable period of time and they become more expensive too. My hon. friend Shri Tyagi might be knowing that our own shastras also allow separation between husband and wife in case their cordial relations are reversed.

श्री एस० कण्डप्पन (मैसूर) : महोदय! श्री त्यागी जी ने इस विधेयक के बारे में कई आपत्तियां उठाई हैं किन्तु मैं समझता हूँ कि उनकी आपत्तियां भ्रामक हैं। यह कहना सच नहीं है कि हिन्दू धर्म में तलाक देने की अनुमति नहीं है। तमिलनाडु में कुछ सम्प्रदायों में आज भी प्रथा जारी है। यदि हिन्दू धर्म में ऐसा प्रतिबंध स्वीकार किया जायेगा तो तमिलनाडु के उन सम्प्रदायों को हिन्दू होने में आपत्ति हो सकती है जिनसे देश में भ्रम उत्पन्न हो सकता है। अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं तथा निवेदन करता हूँ कि जिस जिस तलाक के सम्बन्ध में कानूनी व्यवस्था की जाती है वह समाज में पहले ही विद्यमान है।

मैं माननीय महोदय से निवेदन करता हूँ कि आधुनिकता के नाम पर तलाक को अधिक उदार-बनाना तो अनुचित है किन्तु हमारे देश में तलाक के सम्बन्ध में अधिक कठोर व्यवस्था है। अतः माननीय मंत्री को इस बात का ध्यान रखना चाहिये।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria): Since this Bill is a progressive measure. I support it but I demand that the period of separation should be reduced to six months only. The social evils prevailing in America are attributed to the Capitalistic structure of that country and not to the liberalisation of divorce as pointed out by the hon. Member. It should also be noted that the rules governing divorce are more liberalised in Russia and yet the cases of divorce in Russia are considerably low as compared to that of America.

I am sure that mere passing Bills and making rules would not curb such social evils. We will have to instal a sense of cordial and cooperating life among the people of our country. More important thing is that the family life of the people should be made more co-operating and healthy. These feelings can only be created through some social movements. I personally feel that so many rights have been streeked out from women in the capitalistic pattern of society. Now it is quite necessary that women should be provided with equal rights. Therefore, the laws of divorce should be made more liberal and the time of separation should be reduced to six months.

Shri Naval Kishore Sharma (Dausa) : Sir, I rise to support this amendment. So many points have been raised against this amendment by certain hon. members. But I think they have not read the amendment carefully. The amendment is that when a party to a marriage receives the decree for judicial separation can seek divorce after the period of one year. Originally the period fixed was two years. In my opinion this is a good provision. So far as the question of making family life pleasant is concerned it can be done by creating favourable atmosphere in the society. Our ancient culture demands that women must be respected. According to that women are 'Grah Laxamies' and this sense of respect to the women is required to be instilled among the people of our country. For that purpose the spirit of this Bill is not contradictory to the betterment of the social life.

श्री गोविन्द मेनन : महोदय! माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के बारे में अपने मूल्यवान विचार व्यक्त किये। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि विशेष विवाह अधिनियम बहुत कम व्यक्तियों पर लागू होता है क्योंकि अधिकतर हिन्दू विवाह अपनी धर्मनीति से निष्पादित होते हैं। मुसलमानों के विवाह उनके धार्मिक रीति से होते हैं। अतः इसका प्रभाव समाज के बहुत ही कम व्यक्तियों पर पड़ता है।

विधेयक राज्य सभा में ही पुरःस्थापित किया गया था तथा इस का उद्देश्य यह था कि पति तथा पत्नी को तलाक के सम्बन्ध में समान अधिकार प्राप्त हों। मूलतः अदालती जुदाई का समय

दो वर्ष था किन्तु मैंने इसे एक वर्ष करने के संशोधन को स्वीकार किया है। वास्तव में यह एक वर्ष का समय भी अधिक है। श्री त्यागी ने अन्य अधिनियमों का भी उल्लेख किया है किन्तु मैं सादर निवेदन करता हूँ कि इस प्रश्न से उनकी कोई संगति नहीं है।

जहाँ तक बच्चों का प्रश्न है विशेष विवाह अधिनियम की धारा 38 में यह उपबन्ध है कि तलाक के समय अदालत बच्चों के पालन पोषण आदि के सम्बन्ध में न्यायपूर्ण आदेश जारी करेगा। अतः मैं निवेदन करता हूँ कि विधेयक को पारित किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे। खण्ड 2 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ा दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

संशोधन किया गया

पृष्ठ 2, पंक्ति 12 में —

"1968" के स्थान पर "1970" रखिये (3) (श्री गोविन्द मेनन)

Shri Om Prakash Tyagi: Sir, I beg to move my amendments Nos. 4, 5, 6, 7 and 10. Sir, the word cohabitation should be substituted as 'married life' in order to make this Bill more effective because I think, certain such persons may also seek divorce in whose cases cohabitation cannot be proved.

Shri Shiv Chandra Jha: The hon. Minister, while making replies, has said that this provision applies to only to the microscoping minority of our population. Sir, it is equivocal statement. He has taken this issue very lightly. The provisions of it should be applicable to all and the period should be fixed two years.

श्री गोविन्द मेनन : इस विधेयक के उपबन्धों में किसी के साथ भेदभाव नहीं बढ़ता गया है। दाम्पत्य जीवन बहुत व्यापक शब्द है। यदि पति-पत्नी साथ साथ नहीं रहते तो उनके दाम्पत्य जीवन का क्या अर्थ हुआ। अतः संशोधन स्वीकार नहीं किये जा सकते।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4, 5, 6, 7 और 10 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्विकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री झा के संशोधन भी वही हैं अतः उन्हें मतदान के लिये नहीं रखा जाता । अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 1

श्री गोविंद मेनन : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4, में

"1968" के स्थान पर "1970" रखा जाये (2)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4, में

"1968" के स्थान पर "1970" रखा जाये

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियम सूत्र

श्री गोविन्द मेनन : मैं प्रस्तव करता हूँ :

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, में—

" nineteenth "[उन्नीसवां] के स्थान पर twenty first" [इक्कीसवां] रखा जाये (1)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, में—

"nineteenth" [उन्नीसवां] के स्थान पर "twenty first" [इक्कीसवां] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अधिनियम-सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

The enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Title was added to the Bill.

श्री गोविन्द मेनन : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सैनिक, वायुसैनिक तथा नौसैनिक विधि (संशोधन) विधेयक

Army, Air Force and Naval Law (Amendment) Bill.

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) :

श्रीमान, श्री स्वर्णसिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूँ :

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि सेना वायु सेना (प्राइवेट सम्पत्ति का व्ययन) अधिनियम, 1950 और नौसेना अधिनियम, 1957 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Deputy Speaker, it is good that the claiments of the deceased military personnels would now be able to claim up Rs. 10,000/- without filing any succession certificate in the court after this Bill is passed. But in view of the decreasing value of rupee, it would be better if the amount of such a claim is increased to Rs. 15,000 instead of Rs. 10,000 as proposed in the Bill.

Shri P. G. Sen (Purnea) : I fully support Shri Shiva Chandra Jha. My suggestion in this regard is that this amount should be raised to Rs. 20,000 instead of Rs. 10,000.

श्री जी० विश्वनाथन् (बंडीवाश) : विधेयक के उद्देश्य और प्रयोजन एक दम स्पष्ट हैं और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। किन्तु मैं इस बात का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं कि कुछ मामलों में प्रतिनिधि या दावेदार एक से अधिक होते हैं। यदि मृतक की पत्नि नही है और उसका भाई, बहन माता अथवा पिता है। जिनमें से प्रत्येक अपने आप को मृतक का वास्तविक प्रतिनिधि बताता है, तो ऐसे मामले में भुगतान करने वाले अधिकारी को पूर्णतः जागरूक रहना चाहिए ताकि राशि मृतक के वास्तविक दावेदार या प्रतिनिधि को ही मिले। इस सम्बन्ध में पहले ही पूरी जांच की जाये। इस विधेयक के बारे में मैं केवल यही कहना चाहता हूँ।

श्री मं० रं० कृष्ण : यह एक बहुत ही साधारण विधेयक है और मृतकों के परिवारों की सहायता के लिए लाया गया है। मैं श्री झा के उद्गारों की सराहना करता हूँ। किन्तु मैं उनके संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। प्रारम्भ में यह राशि केवल 1000 रुपये थी। इसके पश्चात् यह 5000 रुपये तक बढाई गई और इस विधेयक के माध्यम से यह बढाकर 10,000 रुपये कर दी गई है यदि इसके बाद भी ऐसी शिकायतें मिलेगीं कि अधिकांश परिवारों को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र पेश करने में कठिनाई होती है; तो हम पुनः इस पर विचार करेंगे फिलहाल हमें 10,000 रुपये की राशि ही स्वीकार कर लेनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सेना वायु सेना (प्राइवेट सम्पत्ति का व्ययन) अधिनियम, 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खंडवार चर्चा होगी।

खण्ड 2

श्री शिवचन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The Amendment No. 3 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड दो विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

श्री शिवचन्द्र झा : मैं सशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हू।

12—8 L.S./70

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The Amendment No. 4 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 1

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स्वर्ण सिंह की ओर से श्री मं० र० कृष्ण संशोधन प्रस्तुत करेंगे ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4, —

"1968" के स्थान पर "1970" रखा जाये । (2)

(श्री मं० रं० कृष्ण)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, —

"Nineteenth (उन्नीसवें)" के स्थान पर " Twenty first (इक्कीसवां) " रखा जाये ।

(श्री मं० रं० कृष्ण)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया ।

The Enacting Formula as amended was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ा गया ।

The Title was added to the Bill.

श्री मं० रं० कृष्ण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधयक संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में परीत किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अनेक सदस्यों ने यह मांग की है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन तथा अस्पृश्यता संबंधी समिति को लिया जाय। उन पर चर्चा 4 बजकर 40 या 45 मिनट पर शुरू की जायेगी। और उन पर चर्चा अगले सत्र में जारी रहेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह सुझाव देता हूं कि यदि श्री मधु लिमये और श्री मिश्र सहमत हों तो मद संख्या 36 और 37 पर चर्चा स्थगित कर दी जाय और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिवेदन को ले लिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब मंत्री महोदय अपना प्रस्ताव पेश करें।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के और अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

Motion re. Reports of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Report of Committee on Untouchability.

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित जन जातियों के आयुक्त के वर्ष 1966–67 1967–68 और 1968–69 के 16वें, 17वें, और 18वें प्रतिवेदन जो क्रमश: 24 अप्रैल 1968, 15मई, 1969 तथा 30 मार्च, 1970 को सभा-पटल पर रखे गये थे विचार करती है।"

इस बारे में मैंने आपका निर्णय सुन लिया है। सरकार की भी इच्छा थी कि इन प्रतिवेदनों पर निर्णय हो। चूंकि आप इस चर्चा को अगले सत्र में भी कराना चाहते हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों को सुनने के पश्चात् ही इस पर बोलूंगा।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अस्पृश्यता तथा अनुसूचित जातियों के आर्थिक और शैक्षणिक विकास सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन (भाग 1—5) तथा सम्बद्ध दस्तावेजों पर, जो 10 अप्रैल, 1969 को सभा-पटल पर रखे गये थे, विचार किया जाये।"

The hon'ble Minister had promised in 1967 that the Report of Commissioner would be discussed every year. In spite of this the report has not been discussed here. It seems that Government have no sympathy with scheduled castes and scheduled tribes. It is also possible that they do not attach much importance to the work relating to Harijans or they do not want to discuss the report because the Government had been defeated on a snap vote in 1967 when this report was discussed.

Perumal Committee was set up in 1965 and the report was submitted after four years. In the meantime three reports submitted by the Commissioners have also been added to it but only five hours have been allotted to discuss these four reports. It has been stated in the report submitted by Perumal Committee that "even though the Committee was set up by the Department of Social Welfare, there was practically very little cooperation from that Department as already pointed out. The indifferent and non-cooperative attitude of the Department gradually developed into a state of active hostility even."

The report was required to be submitted on 25th January. But the Committee could not compile its report in full and wanted an extension of five days. The extension was not given and the office was locked. The report was prepared at the residence of private Member of the Committee. In addition to this the text of the report had been changed. It was stated in the original report that "To abolish the caste system and untouchability merely on paper and by wishful thinking and empty advice or slogans is sheer nonsense or hypocrisy". In this paragraph the word hypocrisy has been replaced by bypassing. Moreover Government have arranged to get note of dissent from Shri R. Achyutan by promising payment of Rs. 3 lakhs. He does not know English and the dissenting note was dictated by the Director General of Backward Classes on his behalf. This is on record and I had asked that the same should be produced before the Parliamentary Committee. The record was made available after one year and it was observed that shorthand book and the Register of Receipts and Despatch were misplaced. It seems that the same were destroyed deliberately by the Director General of Backward Classes. I would request that a Parliamentary Committee should be appointed to go into this affair and assess the bungling done in the Report.

It is strange to observe that the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has stated in a note prepared for National Integration Council that Schedule Castes and Scheduled Tribes need not get education beyond 10th class. He had suggested that there is no need of reservation in services. He had further suggested that they need not be represented in U.P.S.C., P.A.Cs and other Selection Boards. In these circumstance how can we expect justice from such officer who has these views for the community for the welfare of which he has been appointed. The Government should look into this matter.

The Director General of Backward Classes has suggested to Government that the offices of the Commissioners in States should be closed down and the offices of the Director General of Backward Classes should be set-up there. It has been argued that the present commissioner has been consulted in the matter. In fact former three commissioner were of the view that they should have their independent offices so that they may get the reports from them and prepare their own report on that basis. In spite of this the offices of the Commissioner have been wound up in the States. I want to know the basis on which the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes will prepare his report?

There are many irregularities in services. In 1963 Ministry of Home Affairs had conducted an examination of Section officers. There was no reservations for Scheduled Caste candidates, in these 170 posts. Many M.Ps. had written to the hon'ble Minister of Home Affairs to find out the causes of not making the reservations in the said posts. The hon'ble Minister replied that the posts could not be reserved for scheduled castes because they were not filled in according to the normal procedure but they were filled in in consultation with some hon'ble Members of Parliament. May I know the names of these hon'ble Members of Parliament? I have also come to know that reservation in confirmation and departmental promotion has been stopped.

सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की लन्दन शाखा में कथित गबन के बारे में वक्तव्य

Statement Re : Alleged Misappropriation in Central Bank of India, London

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): 19 मई 1970 को सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया की लन्दन शाखा में 12 लाख पौंड के कथित गबन सम्बन्धी एक ध्यान दिलाने वाली सूचना पर चर्चा के दौरान प्रधान मंत्री के सचिव श्री पी० एन० हक्सर के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बारे में मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। चर्चा के दौरान श्री कंवर लाल गुप्ता ने दो पत्रों को उद्धृत किया था। एक पत्र 18 मार्च, 1970 का था जो श्री जार्ज फरनेन्डीज द्वारा प्रधान मंत्री को लिखा गया था जिसमें एक ऐसे पत्र का सारांश था जो उन्हें लन्दन में रहने वाले एक मित्र से मिला था। दूसरा पत्र 6 अप्रैल, 1970 का था जो श्री कंवर लाल गुप्त के अनुसार श्री जार्ज फरनेन्डीज को उनके उसी मित्र से प्राप्त हुआ था। पहले पत्र में श्री जार्ज फरनेन्डीज़ के साथ पत्रव्यवहार करने वाले व्यक्ति ने सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया की लंदन शाखा के प्रबन्धक के विरुद्ध शिकायत लिखी थी। पत्रव्यवहार करने वाले व्यक्ति ने लिखा है कि उसने श्री हक्सर तथा अन्य दो व्यक्तियों को भी लिखा है। उसका कहना है कि उपर्युक्त बैंक प्रबन्धक छोटे व्यापारियों के खर्च पर साहूकारों को जमा राशि से अधिक धन राशि की सुविधा देकर सहायता करता है। दूसरे पत्र में श्री कंवर लाल गुप्त के उद्धरण के अनुसार श्री जार्ज फरनेन्डीज़ के साथ पत्रव्यवहार करने वाले व्यक्ति ने शिकायत की है कि एक साहूकार श्री रमण शाह ने, श्री हक्सर को लिखे गये श्री फर्नांडीज़ के साथ पत्रव्यवहार करने वाले व्यक्ति के पत्र की एक प्रतिलिपि अपने निजी साधनों द्वारा प्राप्त कर ली है। इस सभा के कुछ सदस्यों ने श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा पढ़े गये उद्धरणों के आधार पर अपने मत में विचार बना लिया है कि लन्दन के गबन में श्री हक्सर का भी हाथ है।

संक्षेप में इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं। सेंट्रल बैंक की लन्दन शाखा से ऋण लेने वाले एक व्यक्ति ने अपनी कठिनाइयों के बारे में शिकायत की थी और लन्दन के शाखा प्रबन्धक की सख्त

आलोचना की थी कि उनका व्यवहार तथा रवया ठीक नहीं है और वह बड़े भारतीय साहूकारो का पक्ष लेते हैं और कम ऋण लेने वालों को उनके पास भेजते हैं। श्री हक्सर ने जनवरी, 1970 में बैंकिंग विभाग को एक पत्र लिखा था जिसके साथ उनको प्राप्त शिकायत का एक उद्धरण भी भेजा था परन्तु उसमें शिकायत करने वाले व्यक्ति का नाम और पता नहीं बताया गया था। श्री हक्सर ने लिखा था कि सेंट्रल बैंक की लन्दन शाखा में स्थिति ठीक नहीं प्रतीत होती है। उन्होंने सुझाव दिया था कि बैंकिंग विभाग को इस मामले की ओर सेंट्रल बैंक के कस्टोडियन का ध्यान आकर्षित करना चाहिये। बैंकिंग विभाग ने सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया, बम्बई के कस्टोडियन को एक पत्र लिखा था और उस के साथ प्रधान मंत्री के सचिव से प्राप्त पत्र का सारांश भी संलग्न किया गया था परन्तु उसमें पत्र के लेखक का नाम नहीं बताया गया था। कस्टोडियन ने स्वयं अपनी इच्छा से उसकी एक प्रति फ़रवरी में लन्दन मेनेजर श्री सामी जे० पटेल को उनके टिप्पणों के लिये भेजी थी। श्री पटेल ने एक सप्ताह के बाद उत्तर दिया कि भारतीय ग्राहकों के लिये कठिनाई पैदा करने का लन्दन शाखा का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने इस बात से भी इन्कार किया है कि उन्होंने लूट-खसोट करने वाले साहूकारों का पक्षपात किया है और छोटे लोगों को इन साहूकारों के पास जाने के लिये सलाह दी है।

श्री रमण शाह सी० रमण एण्ड कम्पनी एण्ड मोंटेक्स लिमिटेड के श्री सी० एम शाह हैं। यह स्पष्ट है कि श्री रमण शाह ने एक प्रति अपने निजी साधनों से प्राप्त की है। यह साधन श्री हक्सर नही हो सकते जिन्होंने उस पत्र का सार तुरन्त बैंकिंग विभाग को भेज दिया था।

अत: यह स्पष्ट है कि श्री हक्सर या श्री सामी जे० पटेल अथवा श्री रमण शाह के साथ कोई सम्बध नहीं है। श्री हक्सर ने उस शिकायत का सार बैंकिंग विभाग को भेज कर केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। अत: उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप पूर्णतया निराधार तथा अनुचित हैं।

Shri George Fernandes (Bombay South) : I am prepared to give you more information about Shri Roman Shah who is notorious of international fame. The moneylender in question, Mr. Raman Shah has received a copy through his private sources of my letter to Mr. Haksar. There is a specific charge.

"Fortunately for me, the copy of letter does not state either my name or address but I have been told that this moneylender is making efforts to find my name and address and it has been stated that if he finds it out he is going to use violent method towards me for having written these letters concerning his affairs with the Central Bank". It is not correct to say that the letter might have been sent to someone else. It has been clearly stated that the letter written by my friend Mr. Haksar has been received by them. In view of this the matter cannot be closed by just giving this type of clarification.

I suggest that an inquiry should be held in order to know all the facts. I have no political motive to malign Shri Haksar publicly, because he is not a politician.

Shri P. C. Sethi : It is time that Shri George Fernandes had written a letter to the Prime Minister on 18th March and the same was forwarded to the Department of Banking for immediate advice. The extract of the letter received

by Mr. Haksar was also sent to the Banking Department without disclosing the name of the writer. It is also clear from the para read by Mr. George Fernandes, that "he does not know my name so far". Nobody knew the name of the writer of the said letter. In view of this it is nothing but just to create a sensation.

श्री नाथपाई (राजापुर) : इसके अतिरिक्त अन्य बातों के बारे में मंत्री महोदय को क्या कहना है ;

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री नाथ पाई : आप हमें इस प्रकार नहीं टाल सकते। हमें भी यह पत्र मिला है। यह एक गम्भीर मामला है । मंत्री महोदय ने उस आरोप के बारे में कुछ नहीं बताया कि जनरल मैनेजर ग़रीब लोगों को मजबूर कर के किसी अन्य व्यक्ति के पास ऋण लेने के लिये भेजते थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है कि यह गम्भीर मामला है परन्तु यह चर्चा एक या दो मिनट में पूरी नहीं हो सकती ।

देश में हाल ही में हुए साम्प्रदायिक दंगों के बारे में चर्चा

Discussion Re: Recent Communal Disturbances in the Country

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur): This matter is being discussed under Rule 193. I want to clarify certain points raised during this discussion. I want some time to give personal explanation.

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार करेंगे ।

Shri George Fernandes (Bombay-South): Whenever a discussion of communalism takes place in the House, much heat is generated from both the sides, but this all proves artificial and a showmanship. An evidence to this effect is that when on 14th instant, the matter regarding Bhivandi riots was taken up in the House, towards evening it became impossible to collect 40-45 Members in the House and the matter had to be put off.

Then in a meeting of the Congress Party, it was expressed from the Prime Minister's side that "riots in Bhivandi and Jalgaon should be an eye opener to all of us", but may I know why only the riots in Bhivandi and Jalgaon only were the eye-opener; why their eyes were not opened when riots took place in Ahmedabad, Chaibasa, Jabbalpur, Ranchi and other parts of the country? Always it so happens that lots of news regarding riots are published in the Press, then a number of statements are given; the matter is discussed in this House also, but nothing is done solid. We should take up these matters very seriously and do something solid and concrete to stop these troubles.

[SHRI SHRI CHAND GOEL *in the chair.*]

[श्री श्रीचंद गोयल पीठासीन हुए ।]

As regards riots in Bhiwandi, Shri Atal Bihari Vajpayee has wrongly stated that the Muslims there had put certain conditions on taking out a procession on Shiva Jayanti. The fact is that the Muslim leaders had submitted an appeal

in the Peace Committee on April 18, suggesting certain preventive measures so as to avoid any possible untoward incident. The suggestion were regarding raising certain provocative and abusive slogans, use of *Gulal* and *Bhagwa* flags etc.. They had also requested for a definite route of the procession in order to avoid potential trouble spots.

This was simply an appeal, a request and not the conditions as such. Regarding use of Gulal they had submitted that there had been a plan to throw large quantity of Gulal on the Masjids and that they wanted to avoid this provocative action. These facts can be verified and understood from a right angle.

Secondly it is asked as to who threw the first stone. But this is not a very significant and purposeful question to look into. While taking out the procession it was assured that such slogans would not be raised but still the slogans were raised. Then some arrests were made and culprits were got released after assuring again that the slogans would not be raised. But again the slogans were raised.

The throwing of a stone is not the matter to be attached importance to. The fact is that there were very heavy preparations from both the sides in Bhivandi. Then the one-sided attack in Jalgaon proves that there had been large preparations since long. This is also evidence from the use of Bombs and Molotove Cocktail at a large scale.

But the fact remains that not the Hindu or the Muslim Communities but the various political parties in our country are largely responsible for these communal riots. The President of Bhivandi Branch of Jan Sangh. Dr. Vyas and Prof. Ramesh and Shri Santosh had used provocative words in their speeches there. Even the Prime Minister indulged in exciting the Muslim votes of Dr. Lohia's constituency in 1967 by saying that Dr. Lohia was the enemy of Muslim Community: Don't vote for him. These tunes create communal feelings and tensions. Since both the Hindus and the Muslim communities are supplements to each other, we will, therefore, have to make efforts to improve the situation by acting and behaving above party politics, because it is the political parties and their dirty politics which are squarely responsible for communal disturbances in the country; as for one more example; Shri Patil in 1967 election, was seen assuring Muslims that if they voted for him he would see that Dr. Zakir Hussain became the President of the Indian Union. But I had always replied that even if Dr. Zakir Hussain became the President of India, a poor Muslim would still sleep on the footpath.

So, we should avoid all these things for our political motives and also take some effective measures to stop such type of propoganda.

The Prime Minister, while talking to the Pressmen, angrily declared, we should fight. But on the contrary, the Congress had always thought in terms of securing the 3 crore votes of the Muslims, and not in terms of eradicating this communalism from India. Only appeals or constitution of secular forums would not do anything.

Then, as regards the riots in Bhivandi and Jalgaon, and other places in Maharashtra, the Chief Minister of Maharashtra has been solely responsible for these. At the time of riots he was at a distance of only 30 miles from the place of incident; at Thana. I was in Thana and telephone Shri Naik but neither he was available nor his whereabouts were told properly. In the meantime the trouble started and many people were killed. Also he took no steps to forestall the situation which was endangering peace, law and order in the region. Therefore,

he should immediately step down or if the Prime Minister is serious about fighting the communal riots and menace, should ask the Chief Minister of Maharashtra to resign forthwith. Otherwise mere slogans and statements are not going to help in stopping this menace. If we really want to bring about a communal harmony throughout the country, we should prepare a solid and concrete programme and also implement it.

Finally, once again I would say that this is not the quarrel between the two communities only. It is going cause disasterous effects on the whole nation. People are being killed in the name of God. I therefore, appeal to all the people to do something solid to eradicate communalism and communal tension in the country.

सभापति महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि गृह-कार्य मंत्री इस चर्चा का सायं 6 बजे उत्तर देंगे और उनसे पूर्व श्री अटल बिहारी वाजपेयी बोलेंगे। अब मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य संक्षिप्त होकर बोलें ताकि अन्य सदस्यों तथा दलों को भी अवसर मिल सके। श्री आचार्य कृपलानी।

श्री जी० भा० कृपलानी (गुना) : सभापति महोदय, मुझे उत्तर प्रदेश के मुसलमान का एक पत्र प्राप्त हुआ है जो वहां महाराष्ट्र में बसने गया हुआ था। उन्होंने लिखा है कि यह सारा उपद्रव शिव सेना का चलाया हुआ है—(**व्यवधान**) उनका कहना है शिव-सेना का सिद्धान्त मुसलमानों के विरुद्ध नहीं बल्कि सभी गैर-महाराष्ट्रियनों के खिलाफ है मगर इस मामले को खाम्खा ही साम्प्रदायिक बनाया जा रहा है। यह जुलूस तो शिव सेना ने ही निकाला था और जनसंघी बेकार में ही बीच में कूद पड़े। शिव सेना चाहती है कि महाराष्ट्र में कोई ग़ैर महाराष्ट्रियन न रहे। तो यह भी होना चाहियें कोई भी महाराष्ट्रियन क्या स्वयं गृह-कार्य मंत्री श्री चव्हाण भी महाराष्ट्र से बाहर देश में कहीं न रहें।

फिर जब दंगे शुरू हो जाते हैं तो उनमें हिंसा भी होती ही है। फिर किस का नाम इसमें दिया जाय? शिव सेना में तो सभी दलों के लोग बताये जाते हैं। सत्ताधारी कांग्रेस के भी हैं। स्वयं सरकार शिव सेना के पीठ पर हैं। पुलिस इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। सभी राजनीतिक नेता इससे डरते हैं और इसे बढ़ावा देते हैं। फिर भी इन दंगों को साम्प्रदायिक रंग क्यों दिया गया? पहले तो हिन्दू मारे गये तथा दूसरे मुसलमानों की हत्यायें हुई। इन दंगों में अनेक व्यक्ति मारे जाते है परन्तु जो जांच होती है उसकी रिपोर्ट भी नहीं आती। हमें मालूम नहीं हो पाता कि कैसे हुआ और किसने किया। किसने बारूद में माचीस लगाई? अगर लोगों को यह पता चल जाये कि किसनेबारूद में आग लगाई तो वे स्वयं ही जाकर आग लगाने वाले को ऐसा करने से रोक लेंगे।

अतः मेरा सभी दलों से निवेदन है कि वे ऐसे बारूद में पहले आग न लगाने दे। तब फिर हर व्यक्ति से इस कार्य से डरेगा।

फिर शान्ति कैसे स्थापित की जाये? केवल सम्मेलन आयोजित करने से तो शान्ति स्थापित नहीं होगी। इन दंगों के तीन दिन बाद ही घोषित कर दिया गया कि वहां शान्ति स्थापित हो गई है। क्या गत पांच दिनों से वहां कोई घटना नहीं हुई है। तब फिर शान्ति कैसे स्थापित हो गई? वस्तुतः यह शान्ति सम्मेलनों से स्थापित नहीं हुई बल्कि पुलिस के माध्यम यह शान्ति स्थापित हुई थी। कहा जाता है कि मुख्य मंत्री ने आदेश दिया था कि उपद्रवियों को देखते ही गोली मार दो।

परन्तु मुख्य मंत्री इस से पूर्व क्या करते रहे थे ? पहले तो वह आंखें बन्द किये बैठे रहे और स्थिति बिगड़ जाने के बाद ही यह आदेश दिया । इस से पूर्व उन्होंने ये आदेश क्यों नहीं दिये ताकि स्थिति बिगड़ती ही नहीं ?

मैंने देखा है कि जब सरकार कार्य वही करती है तो हर स्थिति ठीक हो जाती है । और सरकार का दायित्व भी है कि वह क़ानून और व्यवस्था बनाये रखे । लोगों से शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये कहने में तो कोई डर नहीं है । यदि सरकार आज क़ानून और व्यवस्था बनाय रखे सकती है तो कल भी यह कार्य कर सकती थी । अगर सरकार सोती रहती है और विद्वंसकारी लोगों को प्रोत्साहन मिलता रहता है । अत: इन दंगों के लिये सरकार ही उत्तरदायी है । ये दंग हिन्दू या मुसलमान नहीं करते । मैं कभी स्वीकार नही करता कि हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे से घृणा करते हैं । ये दंगे तो कुछ बदमाश लोग करते है और फिर इन दंगों को साम्प्रदायिक रंग दे दिया जाता है । जबकि यह कार्य उस क्षेत्र के केवल समाज-विरोधी तत्वों का ही होता है । मगर यह सब सरकार के ढीलेपन की वजह से होता है । दंगों के बाद कार्यवाही करने की बजाय वह उस से पूर्व ही इन बदमाशों को बन्द क्यों नहीं करती ? मेरे विचार से ये दंगे केवल क़ानून और व्यवस्था बनाये रखने का प्रश्न है और ये दंगे कहीं भी हो सकते हैं । ये केवल साम्प्रदायिक दंगे नहीं हैं बल्कि राजनीतिक दंगे भी हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल में हो रहे है । वहां सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू किया है । परन्तु उस से स्थिति क्या सुधारी है ? पहले वहां श्री धर्मवीर राज्यपाल थे । वह एक छोटे से व्यक्ति थे तथा किसी वीर जाति से भी संबंधित नहीं हैं परन्तु उनके आने के दस दिन के अन्दर ही वहां के नक्सलपंथी ग़ायब हो गये । अब वहां जो राज्यपाल हैं वे किसी राजनीतिक दल विशेष से संबंधित है । और वह वहां क़ानून और व्यवस्था बनाये रखने में असमर्थ हैं । वहां अकेले धर्मवीर जी ने 10 दिन में क़ानून और व्यवस्था जमा दी थी वहां ये राज्यपाल छ: सात सलाहकारों की सहायता से भी नहीं कर सके ।

मैं तो कहूँगा कि इन सभी दंगों के लिये सरकार उत्तरदायी है क्योंकि यह उन तत्वों को बढ़ावा देती है जो इनकी सहायता करते हैं । यह बात पहले से ही चली आ रही है । यह जो दल बदलने की प्रवृत्ति है इसके लिए भी सरकार और कांग्रेस जिम्मेवार है । यह दल पद का लालच देकर दल बदलवाती रही लोगों के। ये कांग्रेसी सब चोर आदमी हैं और अब ईमानदार बने फिरते हैं । अत: जब तक स्वयं सरकार अपने आचरण में सुधार नहीं करती तब तक देश में शान्ति स्थापित होना कठिन है । सरकार यदि स्वयं किसी नियम का पालन करेगी तभी वह लोगों को भी नियमबद्ध रख सकेगी । परन्तु वह तो अपने स्वर्थानुसार ही कार्य करती है । अपने हित के लिये चाहे जितने नियमों का उल्लंघन कर देती है । ये लोग पहले दर्जे के डाकू और बदमाश हैं । मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े डाकू और बदमाश सज्जन पुरुष बन सकते है जैसे रामायण में वाल्मीकि जी परन्तु क्या ये लोग वाल्मीकि हैं ? ये तो छोटे छोटे चोर हैं और छोटे छोटे चोर कभी ठीक नहीं होते ; ये लोग स्वयं क़ानून बनाते हैं ओर स्वयं उन्हें तोड़ते है । उन्हें किसका डर है ? तुलसीदास जी ने भी तो कहा है—समरपको नहीं दोष गुसाई. . . .

खैर, मेरा तो निवेदन यह है कि यदि कोई घटना हो जाये तो उसकी जांच के लिये अदालती सेमिती नियुक्त करें जो कि सारे तथ्यों तथा प्रमाणों की जांच करे । परन्तु जब तक यह समिति अपनी

रिपोर्ट न देदे तब तक उस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बोलना चाहिये। अपना मुख बंद रखना चाहिए।

सदस्य की गिरफ्तारी
Arrest of Member

(श्री रामगोपल शालवाले)

सभापति महोदय : मुझे सभा को सूचना देनी है कि अध्यक्ष को सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट नई दल्ली से दिनांक 20 मई, 1970 का निम्नलिखित पत्र प्राप्त हुआ है---

"मुझे आपको सूचित करना है कि श्री रामगोपाल शालवाले, सदस्य, लोक-सभा, को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत संसद् मार्ग पुलिस द्वारा एफ० आई० आर० संख्या 991 के मामले में 20 मई, 1970 को 1.25 बजे म० प० संसद् भवन से बाहर इरबिन की मूर्ति के निकट दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन निषेधाज्ञा करने के कारण गिरफ्तार किया गया और यह कि उन्हें जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है तथा उन्हें इस समय संसद् मार्ग पुलिस स्टेशन में रखा गया है।"

देश में हाल में हुए साम्प्रदायिक दंगे---जारी

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : कुछ वर्ष पुर्व मुझे महानशिक्षाविद् डा० कर्वे की जन्म भूमि की यात्रा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मुराद नाम का यह ग्राम उत्तर रत्नागिरी जिले में है। गत 700 वर्षों से, जब कि इस ग्राम की स्थापना उत्तर भारत से आने वाले व्यक्ति द्वारा की गई थी, सभी पूजा-स्थानों की देखभाल ग्राम समिति द्वारा की जाती थी।

पूजा के विभिन्न स्थानों में मुझे एक मसजिद भी दिखाई गई। इसकी देखभाल भी ग्राम समिति द्वारा की जाती थी पुराने विज्ञापन में इस स्थान का उल्लेख सुन्यालय के रूप में किया गया है। देवालय की भांति इसका उल्लेख सुन्यालय के रूप में किया जाता है। इसकी देखभाल भी ग्राम समिति द्वारा की जाती हैं।

हम 8वी तथा 9 वीं शताब्दी से हिन्दू धर्म और हिन्दुओं के पतन की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास महान शंकरदेव और माधव देव के ज्वलन्त उदाहरण हैं जिन्होने 15 वीं शताब्दी में आसाम में इतना अच्छा कार्य किया कि वे आहोंको जोकि आसाम के मूल निवासी नहीं थे, को भारत का अंग बनाने और इनसे भारतीय परम्परा को अंगीकार कराने में समर्थ थे।

जिस सदस्य ने वाद-विवाद आरम्भ किया, उन्होंने गृह कार्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किये गये एक विशेष प्रतिवेदन का उल्लेख किया जिसमें कहा गया है कि 23 घटनाएं जो भूतकाल में घटी हैं, उनमें 22 बार किसी विशेष समुदाय, अल्प संख्यक समुदाय ने पहल की।

वे यह बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भिवान्डी में भी इसी प्रकार हुआ है। प्रधान मंत्री ने उचित रूप से रोष में आकर कहा कि जिसने पहले पत्थर फेंका उस पर तो विचार नहीं किया, इसका मतलब यह है कि संकट पैदा करने वाले कोई और थे। छोटे गाँव से लेकर उपर तक सरकार मालिक हैं। परन्तु, सरकार क्या कर रही है? क्या देश में एक सामान्य समुदाय बनाने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है। एक समुदाय में सभी धर्म और जातियां होनी चाहिये, क्या आज हमारी यह स्थिति है? हमारे देश में जो साम्प्रदायिक स्थिति है उस-पर चर्चा कर रहे हैं न कि जो कुछ भिवंडी अथवा जलगांव में हुआ है उस पर।

देश में सामान्य स्थिति यह है कि जब किसी समय किसी स्थान पर कुछ होता है तो तत्काल किसी अन्य स्थान पर उसका प्रतिकार किया जाता है। और सरकार कर रही है कि समुदाय के नाम का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये, क्या सरकार की जिम्मेदारी यहीं समाप्त हो जाती है? क्या सरकार ने देश में एक अच्छा वातावरण पैदा करने का कभी प्रयत्न किया है? उनके पास पुलिस है; उन के पास सब कुछ है, लेकिन उन्होंने किया क्या है?

वर्ष 1946 में बम्बई तथा अहमदाबाद में ऐसे ही दंगे हुए थे। महात्मा गांधी जी ने उस समय बम्बई के गृह मंत्री को अहमदाबाद का दौरा स्वयं करने के लिए कहा था। लेकिन क्या हुआ? क्या ऐसा किया गया? क्या परामर्श ऐसी वस्तु है जिसका केवल निर्यात किया जाय? यही प्रश्न मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon): Out of 23 years of our independence. late Shri Jawahar Lal Nehru and the present Prime Minister have ruled this country for about 21 years. Inspite of tall claims precious little has been done by the Government for the muslims. All these years muslims have not been allowed to join the police and the Armed Forces. This is not the work of Jan Sangh. The history that is being taught in our schools is not conducive to bring about unity and to strengthen secularism. If you want to see, it will be very difficult to find a muslim occupying a high post in the Central and State Governments. During the last 23 years no financial assistance has been given to the muslims for setting up industries. Still the Prime Minister claims that she will fight for the interest of muslims. I am not talking about Maharashtra only. I want to tell you that in Uttar Pradesh, the Hindus tried to make the Muslims cobblers. The riots in Maharashtra and Jalgaon are not the first of its kind. The Home Minister himself has given Reports about the riots in Jalgaon. You can see how many muslims have been killed. Not a single Jan Sanghite has been convicted for killing muslims. Either Jan Sangh is in collusion with their Government or this Government have no courage to face Jan Sangh. During the last 23 years there has been a number of riots. Secondly, I want to say that how Pandit Jawahar Lal Nehru said in Lagos that if referandum takes place and the muslims of Kashmir give opinion in favour of Pakistan, their capacity of Hindustani muslim will go? May I know whether he got independence in this way. Our sacrifices are more than theirs. You should listen attentively that we can shed blood for our country. History speaks that Muslims, who were in the employment of Hindu Kings fought against muslims invaders and shed their blood for the sake of their country. I want to say that you cannot take away our honesty and sincerety. I want to make alert Shri Vajpayee that if this attitude towards the muslims continues, it will not be good. It was not proper if the muslims occupied the place of birth of God Krishna and Rama. But the muslims will hand over that place if Hindus make demand even today.

The other thing which I want to tell Shri Vajpayee is that certainly there are muslim associations. There is Muslim League, Itthadul Muslim League, and Muslim Majlis. Their only work is to distribute the Hindi copies of Quoran among Hindus to remove their misunderstandings. May I know whether the 18 per cent Kashmiri Muslims were not able to say that they will go with Pakistan? But they voluntarily and happily said that they want to live with Hindustan inspite of the fact that thousands of their innocent brothers were killed there.

The fact is that so far thousands of muslims have been killed but not a single Jan Sanghite has been hanged. Therefore, I do not blame Jan Sangh. Punish Shri Atal Bihari Vajpayee if he is at fault and shoot me if I am the culprit. But I want to know whether it is not a fact that all the members of my family sacrificed their lives for the sake of the independence of this country. May I know whether it is not a fact that I went to jail 18 times? Even today at this old age I am prepared to sacrifice my life for the sake of the country.

I want to say that the Consulate of Israel has provided crores of rupees for creating communal disturbances and Shri Dange, Shri Ramamurthy and Jyoti Basu knows all this.

[MR. SPEAKER *in the Chair.*].

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

It is not certain that 6 crore muslims will be away from this world. You will not be able to ruin us completely. We are your children. Will you devour us as the serpent devours her little ones. But what will be its result? Kashmir, Panjab and Bengal will go from your hands. If this policy is followed and this communalism remain, such will be the results. You cannot oust us. We will not go. We are such people who can sacrifice themselves for the sake of the country when situation arises. If situation goes on deteriorating, you will see that there will be Sikh State, there will be one Bengal and there will be a new Government there. Both the Kashmir will make Islam State and the whole responsibility of it will fall on the Indira Government.

श्री अहमद आगा (बारामुल्ला): उस सरकार को अथवा उन प्राधिकारियों को सजा अवश्य मिलनी चाहिये जो ऐसे दंगों को रोकने में असफल रहते हैं। मेरे विचार से अगर ऐसे दंगे होते हैं तो उनको रोका अथवा दबाया जा सकता है।

शताब्दियों पहले यह सम्भव हो सकता था कि भारत संसार से अलग-अलग पड़ा रह परन्तु आज यह स्थिति नहीं है। आज भारत सभी राष्ट्रोंसे सहयोग करके चल रहा है। यदि कोई ऐसी बात होती है यह हमारे लिये गौरव की बात नहीं है।

प्रधान मंत्री ने अल्पसंख्याकों में, चाहे वे मुसलमान हैं, सिक्ख हैं या ईसाई हैं, पुनः विश्वास निर्माण करने का प्रयत्न किया, उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समुदायों का बहुमत है। उनके आह्वान पर मैं काश्मीरी मुसलमानों की ओर से कुछ कहना चाहता हूं कि काश्मीर में मुसलमान बहुसंख्याक में हैं। मगर हम हमेशा अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे। अतीत में भी हम ऐसा करने आये हैं। यह इसलिये नहीं कि यह हमारी परम्परा है बल्कि इसलिये भी कि काश्मीर घाटी के सभी राजनीतिक दल धर्म-निरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। काश्मीरी लोग धर्मनिरपेक्ष रहे हैं और रहेंगे। मुसलमान साधु हिन्दुओंके देवताओं की बात करते हैं और हिन्दु साधु पैगम्बर की बात करते हैं। हम एक साथ रहे हैं।

श्री वाजपेयी ने मुसलमानों के तीन वर्ग बताये हैं और कहा है कि एक वर्ग ऐसा है जो देश के प्रति वफादार नहीं है, दूसरा वर्ग वह है जो गड़बड़ी फैलाता है और तीसरा वह है जो कठमुल्लाओं का समर्थन करता है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि वे ऐसा क्यों नहीं कहते कि जब कांग्रेसी नेता जेल गये थे तब हिन्दू महासभा और मुस्लिम लीग वायसराय के परिषद में सम्मिलित हुए थे और शुद्धि तथा पबल्लीग आन्दोलनों को बल मिला था । व ऐसा क्यों नहीं कहते कि इसी कारण अन्ततोगत्वा भारत का विभाजन हुआ था और गांधी जी शहीद हुए थे, उन्होंने इस का उल्लेख नहीं किया । वे रफ़ी अहमद किदवाई, मौलाना आजाद, महम्मद अली, डा० अनसारी को भूल गये हैं जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, वे इस बात को पूरी तरह भूल गये हैं कि ब्रिगेडियर उस्मान, मास्टर अब्दुल अजीज ने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान किया, उन्होंने शेरवानी और चौधरी मुहम्मद दीन का उल्लेख नहीं किया ।

सारी बात यह है कि झगड़ा शिवाजी जयन्ती के साथ आरम्भ हुआ और आप इसे भूल रहे हैं । हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच कोई झगड़ा नहीं था, औरंगजेब के सेनाध्यक्ष राजा जयसिंह थे और शिवाजी स्वयं कमांडर थे । उनकी सेना में मुसलमान कमान्डर थे । उन्होने इसका भी उल्लेख नहीं किया, अकबर ने काश्मीर को मिलाया और युशुफ शाहजान को पटना के जेल में डाला । औरंगजेब ने अपने भाई की हत्या की और गोलकुंडा तथा बीजापुर को अपने राज्य में मिलाया जो कि मुस्लिम राज्य थे । वास्तव में यह हिन्दुओं और मुसलमानों की बीच झगड़ा नहीं था ।

एकता न होने के कारण भारत ने हमेशा कष्ट उठाये हैं । आज भी ऐसी ही स्थिति है । विघटनकारी शक्तियां सक्रिय हैं, हमारी फूट के कारण ही तो अंग्रेज हम पर राज करते रहे । मुहमद गौरी हमारी फूट के कारण ही तो भारत में आ सका । आज भी अमरीकी साम्राज्यवाद दक्षिणपूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में बढ़ रहा है । अगर हम विभाजित रहे और हम में एकता न आई तो हमें हानि उठानी पड़ेगी ।

Shri Gulam Mahammad Bakshi (Srinagar) : This is the thirtysecond communal riot, that took place in the country since we attained independence. Who is responsible for these communal disharmony in the country. We the representatives of the people of India should be ashamed of this. The entire leadership of the country should be accused. Moreover Government have failed miserably in curbing these communal riots, in bringing the antisocial elements erupting communal riots to book. Government have not been able to award regorous and stringent punishment who have spread these riots, and those, irrespective of their caste, who have ruthlessly killed women and even small children : Had Government awarded them capital punishment these communal riots would have been definitely stopped. Therefore Government and the Home Ministry are wholly responsible for these incidents because it has not implemented the recommendations of various committees and Commissions formed to enquire into the causes of these riots. Moreover the praiseworthy decisions, the National Integration Council took, providing rigorous punishments for those responsible for spreading communal riots in the country have not been implemented. Government should declare openly and categorically in the meeting of the representatives of the State Government to be held here recently, that the State Governments would have to face music in case any communal riot takes place in their

State. Therefore Government should implement the recommendations of the Committee formed for going into the causes of the communal riots, so that these riots may be stopped.

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : All the communal riots in country have been undoubtedly motivated and preplanned before long they took place. We should be ashame of whatever has happened in Bhivandi. 88 persons were killed there among whom 87 were Hindus and 18 Telugu and Tamil speaking men. The Shiva Sena has created animosity with the non-Maharashtrian people living in Maharashtra, and the Shiva Sena has accomplished its nefarious and anti-social and communal activity by spreading communal riots causing widespread blood-shed of poor people. The Shiva Sena and the R.S.S. have become guards of the Capitalist class in India. Therefore, the communal riots actually is not a struggle between Hindus and Muslims but it is a struggle between the poor and the rich; because these communal riots were created to spread in the Industrial cities of the country: These riots in the Industrial Centres were preplanned, motivated. Moreover the Administrative authorities are also responsible for these riots.

Therefore the Deputy Commissioner and the Superintendents of Police of those areas and/or places should be dismissed where such communal riots take place.

The para-military organisations like Shiva Sena and R.S.S. and other such organisations should be banned, and Government should not afraid of any situation arising out of taking such an action.

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : * * *

अध्यक्ष महोदय : मैं यह सब कुछ सभा की कार्यवाही-वृतान्त से निकालूंगा।

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकन्दराबाद) : साम्प्रदायिक समस्या को समाप्त करने हेतु हमें अपने नि:जेरग में निर्दयता ओंर इमानदारी कार्य करना होगा, चाहे इस से हमे चोट ही क्यों पहुंचे। साम्प्रदायिक दंगों के बारे में वक्ताओं ने अपने भाषण के दौरान एक दूसरे दल को दोषी ठहराया-किसी ने मुसलमानों को दोषी ठहराया तो किसी ने शिव सेना और जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। हम धर्म-निरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता परिषद आदि की बातें तो करते ह परन्तु किसी ने इस बात पर विचार नहीं किया कि यह साम्प्रदायिक समस्या उत्पन्न क्यों होती है। साम्प्रदायिक दंगो की यह समस्या ब्रिटिश शासन की तुलना में अब अधिक तीव्र और गम्भीर हो गई है। ब्रिटिश काल में यह समस्या नियंत्रण में थी और ये दंगे तभी होते थे जब अंग्रेज चाहते थे। युद्ध के दौरान देश में किसी प्रकार का साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् और उससे पूर्व साम्प्रदायिक दंगे हमेशा पूर्वनियोजित ढंग से होते थे। क्योंकि हम राष्ट्रीय एकता, इतिहास का पुन: निर्माण करने अन्तर्जातीय विवाह पद्धति चालू करने की बाते करते हैं मानो लोग ही यह दंगे करते हैं और इनको शिक्षित करने की आवश्यकता है। पर मेरे विचार में भारतवासी साम्प्रदायिक पेशकश का मुकाबला करते रहे हैं। परन्तु शिक्षित समाज में साम्प्रदायिकता का बीज बैठता गया क्योंकि अंग्रेज भारत का विभाजन करना चाहते

*अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सभा की कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

*Expunged as ordered by the Chair.

थ। देश का विभाजन हुआ। साम्प्रदायिक दंगे हुए जिससे साफ़ पता चलता है कि कांग्रेस ने दो राष्ट्रों के सिद्धान्त को स्वीकार किया। इस स्थिति से यह धारणा उत्पन्न हुई कि पाकि- मुसलमानों का संरक्षक है। यदि इन दोनों देशों ने अपनी सीमाओं को बन्द किया होता तो इतना अधिक रक्तपात नहीं होता, परन्तु अहमदाबाद में साम्प्रदायिक दंगों के दौरान पाकिस्तान ने अपनी सीमाएं बन्द कर दी थी। अन्यथा लोग पाकिस्तान जाने लगते और अधिक रक्तपात होता।

हमें इस मनोविज्ञान को समझना चाहिए और एसा करने के लिए हमें अपनी प्रक्रिया में परिवर्तन करना होगा, जो सरकार के वश की बात नहीं है क्योंकि सरकार की यह स्थिति हो गई है जिसमें पहल करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। क्योंकि पाकिस्तान के मुसलमानों की भारत के मुसलमानों के प्रति अनुराग भावना है और भारत के हिन्दुओं की पाकिस्तान के हिन्दुओं के प्रति अनुराग भावना है।

इसके साथ एक अन्य उपाय यह है भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बातचीत हो, क्योंकि ये एक ही लोग है बेशक दो देशों में रहते हैं। यह बात बहुत संभव है और यह बात बादशाहखान की भारत या ा के ोरान आरम्भ हुई। इतिहास में यह पहला अवसर है जब भारतवासियों ने पाकिस्तान के लोगों से बातचीत की। बाचतीत का यह सिलसिला जारी रहना चाहिए। परन्तु वैदेशिक कार्य मंत्री ने इसको आग चलाने से इनकार किया है। अतः सरकार को इस बारे में सहायता करनी चाहिए।

यह बहुत महत्व का विषय है कि दंगा भड़कने की पर्याप्ति चेतावनी सरकार के पास थी, इस बात का साक्ष्य मिलता है। 700 पुलिस वाले और कुछ सैनिक टुकडियों के होते हुए भी सरकार ने किसी प्रकार के पूर्वोपाय नहीं किए। मुख्य मंत्री और केन्द्रीय गृह मंत्री वहां केवल भस्मीभूत नगर को देखने गय थे। यदि सरकार प्रशासनिक कार्यवाही करना चाहती है तो देश की सरकार को कानून और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा और तत्पश्चात सभी सम्बद्ध अधिकारियों, जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक आदि जो इन सभी दंगो के लिए जिम्मेदार हैं, को समु- चित चेतावनी देनी चाहिए और इन्हें जनता की सुरक्षा के लिए उचित रूप से व्यवस्था करने के लिये जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए; क्योंकि जहां कानून और व्यवस्था नहीं रहती वहां कोई सरकार नहीं रहती और सरकार वहां असफल हो जाती है। अतः कानून और व्यवस्था कायम रखना सरकार का मुख्य कार्य है।

अन्ततोगत्वा हम इसी विश्लेषण पर पहुंचे है कि हमें मिलकर रहना चाहिए। जातिगत, सम्प्रदायगत, और भाषागत झगडो मे फंसकर जो हम विभाजित हो गयें हैं, अब हमें एक हो जाना चाहिए। हमारे समाचार पत्रों को भी देश में साम्प्रदायिक सौहार्द्र को बढ़ाने में सहायता करनी चाहिए अन्यथा एकता बनाये रखने सम्बन्धी अभियान में हमें सफलता नहीं मिलेगी। बहुसंख्यक लोगों को चाहिए कि वे अल्पसंख्यकों के हितो की सुरक्षा की देखभाल करें इसके साथ अल्पसंख्यकों को भी अपने कर्त्तव्य का पालन करना चाहिए। बहुसंख्यक समुदाय में अपना विश्वास बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को अपने तौर तरीके बदलने चाहिए।

डा० सुशीला नायर (झांसी) : दंगों से प्रभावित क्षेत्रों और घरों को देखने के पश्चात् में बहुत ग्लानि हुई। भिवण्डी और जलगांव में जो कुछ हुआ वह बहुत भयंकर और दारुण है। साम्प्रदायिक दंगों को कौन फैलाता है इसका पता तो न्यायिक जांच से पता चल जायेगा परन्तु, हमें यह तो अच्छी तरह पता है कि देश के विभाजन से पूर्व दंगे कैसे भड़काये जाते थे। क्या पाकिस्तान कुछ थोड़े से लोगों को यहां भेजकर दंगे नहीं भड़काता? क्या हम इस प्रकार दंगे नही भड़कता? क्या हम इस प्रकार बदला लेकर अपने सम्मान और गौरव को इन थोडे से लोगों के हाथों में सौंप रहे हैं चाहे इन दंगों को दूसरी तरफ के कुछ लोगों ने ही आरम्भ किया हो? हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और इस मामले की गहराई के बारे में बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

मैं यह जानना चाहती हूं कि केवल मुसलमान ही साम्प्रदायिक दंगे क्यों आरम्भ करते हैं जब कि वह यह जानते हैं कि वह संख्यकों को भड़काकर उनका अपना जीवन समाप्त हो जायेगा। परन्तु फिर भी इसका एक कारण यह है मुसलमान युवकों में निराशा की भावना व्याप्त हो गई है और वे यह अनुभव करते हैं कि सरकार उनकी रक्षा नहीं कर सकती, और उन्हें स्वयं ही अपनी रक्षा करनी होगी। वह यह भी अनुभव करते है कि यदि उन्हें मरना ही है तो कुत्ते की मौत मरने से तो अच्छा है संघर्ष करते हुए मरें।

अत: इन दंगों के मूल में भय और अविश्वास की भावना है, जिसका निवारण करने के बारे में सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। भिवंडी के कुछ मुसलमान नवयुवकों ने बताया कि हम यह नहीं कहते कि दोष किसी एक पक्ष का है, वे अपने लोगों को भी निर्दोष नहीं बताते परन्तु रात-दिन यह सुनते-सुनते हमारे कान पक गये हैं कि हम पाकिस्तानी है। क्या हमें मुसलमानों को रोज ही अपनी वफादारी का प्रमाण देना पड़ेगा कि वे इस देश के प्रति निष्ठावान है। उन्होंने एक और बात बताई कि सिनेमा की समाप्ति पर जब राष्ट्रीय गान होता है तो जब कभी कुछ मुसलमान नवयुवक चल देते हैं तो उन्हें देश द्रोही कहा जाता है और जब हिन्दू चल देते हैं तो क्या हम उन्हें देशद्रोही ठहरायें। इस बात पर वहां बहुत तनाव रहा।

कुछ लोग अपने भाषणों के माध्यम से साम्प्रदायिक भावना का प्रचार करते हैं। ऐसे लोग अल्पसंख्यकों से राजनीतिक लाभ उठाते हैं। प्रधान मंत्री को इस समस्या को दलगत राजनीति से ऊपर उठाकर इसे एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में मानना चाहिए और इसको समाप्त करना चाहिए।

इन दंगों के मूल में केवल राजनीतिक शोषण ही नही है बल्कि इसके मल में आर्थिक वैमनस्य भी है, क्योंकि जलगांव में एक बागवान सम्प्रदाय के तीन मंजिले मकानों को जलाकर भस्मीभूत कर दिया गया।

हम समाजवाद और धर्मनिर्पेक्षता की बात तो करते हैं, परन्तु पाते हैं नग्न फासिस्टवाद। एक राजनीतिक दल का नेता दूसरे राजनीतिक दल पर कटु प्रहार करता है, उसकी निन्दा करता है। राष्ट्रपिता ने देश की एकता के लिए अपना जीवन दान कर दिया। परन्तु आज एक ओर तो यह नग्न फासिस्टवाद है और दूसरी ओर प्रान्तीयता, स्वार्थ-भावना और इससे दूसरी ओर अल्पसंख्यकों के मतों को किसी न किसी तरह प्राप्त करने की इच्छा।

[डा० सुशीला नायर]

भिवण्डी में नगर पालिका के अध्यक्ष के विरुध्द अविश्वास प्रस्ताव पास करने का प्रस्ताव था। परन्तु वहां चार मुस्लिम निगमपार्षदों ने सन्तुलन बनाया जिनको इस के बारे में धमकी दी गई थी और उन्हें ऐसा पाठ पढ़ाया जिसका घाव महाराष्ट्र को ही नही बल्कि सारे भारत पर लगा।

अत: सरकार को कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को सुधारने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए और नवयुवकों की शक्ति का सृजनात्मक कार्यों में उपयोग करना चाहिए। साम्प्रदायिक समस्या की राजनीति के अखाड़े में से निकाल उसे राष्ट्रीय समस्या के रूप में मानना चाहिए और भारत की गरिमा और मर्यादा का प्रश्न बनाना चाहिए।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Mr. Speaker, it would have been better if you have allowed me for personal explanation after the Home Minister. But under Rule 193, there is no such provision to make a reply. I clearly want to stress here that the problem of communalism will have to be tackled above the party politics. If the riots spread in Ahmedabad, the Syndicate is held responsible for it because in Gujarat they are in power and do not show the feelings as we show for Maharashtra riots. The Prime Minister should not have tried to distrust the speech which I made in the House on the other day. The Prime Minister said—

"Shri Vajpayee has used this occasion to launch an attack on the Muslims in particular, and all minorities." It is wrong to say that I have attacked all the minorities in the course of my speech. I have not blamed all the muslims. I have only criticised a certain section of them which incited communal violence. The Prime Minister should not have tried to give an impression that I am against all minorities and she alone is the champion and defender of the minorities. The Prime Minister must have seen the article of Frank Morris 'Exploiting the Minorities', therefore I request for God's sake do not exploit the minorities.

I am also accused of making speeches that incite the Hindus. That is wrong. I have been addressing largely attended gathering and recently I have visited the Home Minister's constituency and the Home Minister can get it verified from his intelligence department whether I made any objectionable speech or tried to create tension between the communities. In my speech in the Lok Sabha I have intended to warn that if the Government compromised with Muslim communalism, it only encourage Hindu communalism. We would have to fight against both kinds of communalism. The Prime Minister did not utter a word about Tamire-Millat on that day. She also remained silent about Shiv Sena.

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Mr. Speaker, Sir, I want to rise on a point of order. You have allowed Shri Vajpayee for personal explanation, but in it I do not find any sentence of personal explanation. He is replying to a debate. The procedure of personal explanation should not be misused. If a written reply is received from him, and if it is followed according to procedure, then there is not difficulty. I would like to say that the rules should be abided by.

Mr. Speaker: I fully agree with you. I gave a chance to Shri Vajpayee for personal explanation but so far he has not made a statement.

श्री म०ला० सोंधी (नई दिल्ली) : श्रीमान्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न आप सुनिये। इस पर मैं संक्षिप्त निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे बाद में सुनूंगा ।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : जब कभी मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं, आप इसकी अनुमति नहीं देते । ऐसा कई अवसरों पर हुआ है जब श्री मधु लिमये अपने व्यवस्था का प्रश्न रख रहे होते हैं । मैं अपने अधिकार को मांग रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठिये । समय को बर्बाद करने से क्या फायदा है । श्री मधु लिमये द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न पूरी तरह से न्यायसंगत है । वाजपेयी जी आप कृपया व्यक्तिगत सफाई तक ही अपने को सीमित रखें और नियमित वाद विवाद में मत पड़िये ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I have invited the Prime Minister to have a debate with me on the All India Radio on the question of communalism. She has distarted my speech.

Mr. Speaker : This not a personal explanation.

श्री म०ला०सोंधी (नई दिल्ली) : जब आपने श्री वाजपेयी जी को व्यक्तिगत सफाई की अनुमति दी तो इसका कारण यह था कि इस सदन के समक्ष एक गम्भीर समस्या आ पड़ी थी और वह प्रधान मंत्री की यात्रा से संबंधित थी जो उन्होंने वह भिवंडी और अन्य स्थानों में की और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण को गलत ढंग से पेश किया जिससे स्थिति और भड़क सकती थी । क्या प्रधान मंत्री की हैसियत से ऐसा करना उनको शोभा देता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नही है । मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूँ । इसे कार्यवाही वृत्तान्त मे शामिल नहीं करूंगा ।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : **

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : जब कल आपने श्री जि० मो० विस्वास को व्यक्तिगत सफाई की अनुमति दी थी तो लिखित में उन्होंने जो दिया था, उसे उन्होंने पढ़ा लेकिन उन्होंने कुछ तात्कालिक अभिकथनों का भी प्रयोग किया जिसे आपने कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया । अतः श्री अटल बिहारी वाजपेयी का कितना अंश कार्यवाही वृत्तान्त में लिया जाये, इस पर आपको निर्णय करना है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I have an objection about the personal explanation of the Prime Minister which she is going to give. It would be better if she may give it in writing and you should examine it. The ruling Congress and Jan Sangh are making this Parliament an arena for election.

अध्यक्ष महोदय : अब, गृह मंत्री बोलें **(करतल ध्वनि)**

श्री पीलू मोडी (गोधरा) : क्या वे साम्प्रदायिक दंगों पर तालियां बजा रहे हैं ? अथवा यह करतल ध्वनि किस लिये की जा रही है ?

**कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : इस चर्चा को सदन ने 3 घन्टे से भी अधिक समय तक सुना है। चर्चा के दौरान जिन सभी प्रश्नों को उठाया गया है मै उन सब का उत्तर देने के विचार से तो नही बोलूंगा क्योंकि जो कुछ भी महाराष्ट्र में हुआ वह हम सब के लिए खेद और शर्म का विषय है। इस पर सदस्यों द्वारा क्रोध व्यक्त करना और सरकार की आलोचना करना स्वाभाविक ही है। आज जो कुछ भी भिवण्डी में हुआ वह कोई पहली बार नही हुआ इस से पूर्व भी इस देश में अनेक साम्प्रदायिक दंगे हो चुके हैं। हमें अब यह निर्णय करना होगा कि इस प्रकार की अप्रिय घटनाओं के पीछे किस संस्था या राजनीतिक दल का हाथ है इन का आधारभूत कारण क्या है? 1967 में जब बिहार में रांची में दंगे हुये तो भी हम ने इस विषय पर चर्चा की थी। कश्मीर में जब यही स्थिति उत्पन्न हुई तो हमने इस सम्बन्ध में कुछ निर्णय लिए थे। इन निर्णयों पर हम ने क्या कार्यवाही की है मैं इसका कुछ ब्यौरा देना चाहता हूं। वास्तव में इस सम्बन्ध में एकता परिषद ने जिन प्रशासनिक कदमों का सुझाव दिया उनसे समस्या का हल करने में कोई सहायता नही मिली। समस्या अब भी वैसे ही बनी है। हमने यह महसूस किया है कि केवल प्रशासनिक कार्यवाही से हमारी यह समस्य हल नही होगी। समस्या का मूलभूत कारण यह है कि बहुसंख्यक लोगों के मन में अल्पसंख्यक लोगों के प्रति संदेह की भावना पैदा हो गई है। बहुसंख्यकों के मन में यह भावना पैदा होने पर अल्पसंख्यकों के मन में सुरक्षा की भावना पैदा होती है। अतः हमें ऐसी भावना पैदा करनी पड़ेगी जिसमे कि इस देश में अल्पसंख्यकों के परित्राण के लिए सम्पूर्ण राष्ट्र कटिबद्ध हो। इसी लिए प्रधान मंत्री ने उस दिन यह कहा था कि हम संशय की भावना के प्रति संघर्ष करेंगे। जब उन्होंने ऐसा कहा तो उनका तात्पर्य यह था कि सम्पूर्ण राष्ट्र इस प्रकार की भावना के प्रति संघर्ष करेगा। इस प्रकार के संदेह की भावना को समाप्त करना ही इस समस्या का सब से महत्वपूर्ण पहलू है।

अब मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहूंगा। यह खुशी की बात है कि 22 तारीख को विभिन्न विरोधी दलों की बैठक हो रही है जिस में हम देश में इस प्रकार के विषैली वातावरण को समाप्त करने के आन्दोलन का श्रीगणेश करेंगे।

श्री पीलू मोडी (गोधरा) : इस देश में सरकार है ही कहां?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : सरकार द्वारा शासन करने के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ कार्य पद्धतियां होती हैं। हमें लोकतन्त्रात्मक ढंग से शासन करना है यहां कोई तानाशाही सरकार तो है नही कि हम पुलिस और सेना के बल पर शासन चलाते रहे।

कानून और व्यवस्था बनाये रखने की बात बार बार कही गई है। परन्तु विभिन्न लोग उसकी विभिन्न परिभाषा स्वीकार करते हैं। श्री पीलू मोदी की परिभाषा के अनुसार तो गोली मारना ही कानून व्यवस्था है . . . (**व्यवधान**)

भिवंडी और जलगाव के बारे में मै यह कहूंगा कि वहां सदा ही साम्प्रदायिक एकता रही है। देश के इस भाग में राष्ट्रीय आन्दोलन के समय अनेक हिन्दू और मुसलमान परिवारों ने एक परिवार के सदस्य के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया है।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Both the sides have been raising objections.

Mr. Speaker: There must be some limit to such objections. You have also started defending.

(श्री गृह-कार्य मंत्री यशवन्तराव चव्हाण) : मुझे समझ नहीं आता मेरे यह कहने में, कि हिन्दू मुसलमानों के सम्बन्ध कई दशाब्दियों से मित्रतापूर्ण चले आ रहे हैं, उन्हें क्या आपत्तिजनक प्रतीत हुआ। भिवण्डी और जलगाव में सदैव ही साम्प्रदायिक एकता रही है। देश के इस भाग में राष्ट्रीय आन्दोलन के समय अनेक हिन्दू और मुसलमान परिवारों ने एक परिवार के सदस्य के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। दुर्भाग्यवश पिछले कुछ वर्षों से उस क्षेत्र में अनुचित प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। माननीय सदस्य श्री जार्ज फरनेन्डीज़ ने इस सम्बन्ध में कुछ भाषणों का उल्लेख किया है मैं उनसे सहमत हूँ और चाहता हूँ कि वह स्थानीय जनसंघ के प्रधान द्वारा दिए गए भाषणों को देखें। राष्ट्रीय उत्सव मंडल, श्री राम मंडल तथा इसी प्रकार के अनेक मंडल भी बनाए गए। मैं जानता हूँ कि भिवण्डी के साम्प्रदायिक दंगों में मुसलमानों का भी हाथ है उनकी भी भर्त्सना करनी चाहिए। मैं उनकी रक्षा नहीं कर रहा।

एक माननीय सदस्य : शिव सेना के सम्बन्ध में आपके क्या विचार है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं शिव सेना का समर्थन नहीं कर रहा। शिव जयन्ती के जलूस में यह सेना जब इस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न कर रही थी। मुसलमान नेता हर सम्भव प्रयास कर रहे थे कि जलूस शांतिपूर्वक गुज़र जाए। यह बात सच है कि उस क्षेत्र में जो तनाव पैदा हो रहा था उसकी जानकारी सरकार को भी थी और जिला अधिकारी इस मामले में रूचि ले रहे थे। अप्रैल के मध्य में दोनों पक्षों की बैठक बुलाई गई जिससे दोनों पक्ष मिलकर इस समस्या के लिये ऐसा रास्ता निकाल सकें जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। मुसलमान समुदाय के कुछ नेताओं ने कुछ सुझाव अवश्य दिए। दुर्भाग्यवश उन सुझावों का इस तरह प्रचार किया गया है मानो उन्होंने किसी असम्भव शर्तों का सुझाव दिया हो। मुसलमान लोग शिवाजी जयंती के जलूस में स्वयं भाग लेना चाहते थे। वे चाहते थे कि इस जलूस को एक धार्मिक जलूस के रूप में न लिया जाए क्योंकि शिवाजी एक राष्ट्रीय नेता थे और यह जलूस एक राष्ट्रीय नेता की जयन्ती के उपलक्ष में था इसलिए इस जलूस को राष्ट्रीय जलूस का रूप दिया जाना चाहिए। यदि उन्होंने यह सुझाव दिया कि गुलाल का प्रयोग न किया जाए तो इसमें गलत क्या है। ऐसे जलूसों में प्रायः गुलाल का प्रयोग मस्जिद पर फेंकने के लिए होता है। जब जलूस मस्जिद के आगे से गुज़रता है तो लोग उस पर गुलाल फेंकते हैं और इससे गडबडी पैदा हो जाती है लेकिन उन लोगों का इस बात पर समझौता हो गया था कि जलूस के समय कुछ विशेष नारे नहीं लगाए जाएंगे। मेरे विचार में यह सुझाव बहुत ही प्रशंसनीय है और इसमें कोई बुराई नहीं थी किन्तु जलूस के कुछ लोगों ने इस वचन को तोड़ दिया और मुसलमान चोर हैं जैसे नारे लगाए। जलूस में बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान विद्यमान थे उनकी स्थिति बड़ी अपमानजनक हो गई और उन्हें जलूस छोड़ना पड़ा। तब तनाव पैदा किया गया और एक मांग की गई कि उनको गिरफतार न किया जाए। उन्होंने पुनः वायदा किया कि हम नारे नहीं लगाएंगे। किन्तु पुनः नारे लगाए गए और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जो आसानी से नियंत्रण में नहीं आ सकती थी। यह केवल एक समुदाय की शरारत नहीं थी, हिन्दु और मुसलमान दोनों समुदायों ने दंगा किया।

अब यह मामला काफी गंभीर हो गया है कि क्या पुलिस को तत्काल गोली चलाने का सहारा लेना चाहिए था या क्या उनको यह वाद प्रभावशाली ढंग से करना चाहिए था या नहीं। पुलिस अधीक्षक तथा कलेक्टर दो दिन तक सो नही सकें, कलेक्टर ने

[श्री यशवंतराव चव्हाण]

स्थिति पर नियंत्रण पाने का भरसक प्रयत्न किया। परन्तु जब दोनों समुदायों के अनुशासन-हीन तत्वों ने स्थिति को ऐसा बना दिया जिसमें किसी के नियंत्रण की बात न रही तो कलेक्टर ने पूरा प्रयत्न किया कि हर चीज़ पर नियंत्रण रखा जा सके। स्थिति तत्काल सामान्य न बनी। सामान्य होने में 3-4 दिन लग गए। भिवण्डी के प्रशासन ने इसके लिए भरसक प्रयत्न किया। किन्तु ऐसी परिस्थितियों में जब जनता के मस्तिष्क में साम्प्रदायिकता का विष भर दिया जाता है तो क़ानून और पुलिस का डंडा भी उस पर नियंत्रण नहीं कर पाता।

जलगांव के प्रशासन की प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। जो कुछ वहाँ हुआ है उससे मेरी भावनाओं को अत्यंत ठेस पहुंची है। मेरे माननीय मित्र श्री वाजपेयी फिर कहेंगे कि मुझे दुख इसलिए पहुंचा है क्योंकि मैं महाराष्ट्र राज्य का हूँ निस्सन्देह मेरी अपने राज्य से आत्मीयता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राज्य में जन्म लेता है उसका अपने राज्य-वासियों से प्रेम होना स्वाभाविक है। आज महाराष्ट्र की जनता के लिए मेरी आखों में आंसू है मैं चाहता हूँ श्री वाजपेयी का भी अपने क्षेत्र के प्रति उतना ही प्रेम हो।

जलगांव में साम्प्रदायिक तनाव का कोई इतिहास नहीं है। परन्तु यह साम्प्रदायिक विष जोकि देश में उत्पन्न हुआ है, वहाँ भी पैदा हो गया। एक दिन पहले वहाँ शिवाजी जयंती का जलूस निकाला गया जोकि शांतिपूर्ण ढंग से निकाला और इसके दूसर दिन अचानक किसी जुए के अड्डे पर एक प्रकार की हाथापाई हुई। यह समझ नहीं आता कि क्या झगड़े का वास्तविक कारण यही था। 2½ या 3 घंटे में लगभग 200 मुसलमानों के घर जलाए गए जिसमें कई लोग जलकर मर गए।

शिवसेना ने महाराष्ट्र को अत्यधिक हानि पहुँचाई है। यह एक अवनतिशील शक्ति है, एक ऐसी शक्ति है जो कि न केवल भारत के हितों के विरुद्ध है बल्कि मानव की मूल विचार-धाराओं के विरुद्ध है। शिव सेना ने महाराष्ट्र के नाम को कलंकित कर दिया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बम्बई निगम चुनावों के समय आपकी शिव सेना से बड़ी साठ-गांठ थी।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है बल्कि इसके विपरित मैं यह कहूँगा कि आपके दल के लोगों के उनसे कुछ सम्बन्ध है और मैं इसका प्रमाण भी दे सकता हूँ किन्तु किसी भी दल को इस सब काण्ड के लिए दोषी ठहराने से कोई लाभ नहीं होगा। किन्तु मेरी सदस्यों से प्रार्थना है कि वह महाराष्ट्र के लोगों और शिव-सेना के लोगों को मिलाने की कोशिश न करे। यदि उनके मन में कुछ ऐसी भावनाएं हैं तो यह महाराष्ट्र के प्रति अन्याय है।

शिव सेना ने महाराष्ट्र के नाम को गन्दा किया है। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि महाराष्ट्र की सरकार शिव सेना के सम्बन्ध में क्या कर रही है। मैंने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रीसे इस सम्बन्ध में कई बार बातचीत की है और हाल ही में महाराष्ट्र की विधानसभा में इस प्रश्न पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने महाराष्ट्र की विधान सभा में कुछ आंकड़े दिए। उन्होंने कहा कि फरवरी, 1969 से सैकड़ों शिव सेना कार्यकर्त्ताओं पर मुकद्दमें चलाए गए हैं और उनमें

से कई लोगों को दण्ड दिया गया है। यहां तक कि शिव सेना के नेता श्री बाल ठाकरे भी निवारक निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए। किन्तु डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उन्हें विमुक्त कर दिया और इसके विरोध में महाराष्ट्र सरकार ने पुनः एक याचिका दी है। इस मामले पर जांच आयोग विचार करेगा।

दंगे के लिए जलगाँव और भिवण्डी में शिव सेना के तत्व भी जिम्मेदार हैं। यह ऐसे मामले हैं जिन पर न्यायिक जाँच को बहुत सावधानी और गहराई से विचार करना है। अतः मैं इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं देना चाहता किन्तु मैं सदन के सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि वह शिवसेना के विचारों द्वारा पथभ्रष्ट न हों शिव सेना न तो महाराष्ट्र राज्य और न ही समस्त देश के हित में कार्य कर रही है।

एक माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि इस दंगे फसादो में इतने लोग मारे गए है आपने कितने दोषी व्यक्तियों को फांसीपर लटकाया है। काश मैं तानशाह होता और अपराधियों को दण्डित कर सकता। पिछले $1\frac{1}{2}$ वर्षों में नागपुर तथा औरंगाबाद में भी साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं।

इस बात पर बल दिया गया है कि साम्प्रदायिक दंगों के मामलों में कुछ मुकदमें जोरदार ढंग से चलाए जाने चाहिए। औरंगाबाद और नागपुर में काफी संख्या में लोगों पर अभियोग चलाए गए। अनेक मामले दोषसिद्ध हुए और कुछ लोगों को आजीवन कारावास का दंड दिया गया और अनेक लोगों को एक से सात वर्ष की कैद की सजा दी गई। अतः ऐसी बात नहीं है कि इस मामले में प्रयास नहीं किए गए हैं।

Shri Madhu Limaye: The Hon. Minister cannot deny the fact that the Govt. of Shri Vasant Rao Naik has been supporting the Shiv Sena from the very beginning. About this Hindu and Muslim affairs I wrote a letter to the hon. Minister which he even did not care to acknowledge.

श्री यशवंत राव चव्हाण : इस की मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं इस बात का अवश्य पता लगाऊंगा कि पत्र का उत्तर क्यों नहीं दिया गया और मुख्य प्रश्न तो यह है कि क्या इन साम्प्रदायिक दंगों के विरोध में उन्होंने कुछ कार्यवाही की या नहीं? किन्तु माननीय सदस्य उन पर अनुचित आरोप न लगाए।

जहां तक मूल प्रश्न का सम्बन्ध है जो कुछ हुआ है वह अच्छा नहीं हुआ। लेकिन केवल उसे बुरी बात कह देने मात्र से काम नहीं चलेगा अपितु हमें इस दृष्टि से काम करना होगा कि देश में इस तरह के दंगे फसाद न हो। यह मामला एक राष्ट्रीय मामले के रूप में माना जाएगा। हम सब देश में नया वातावरण पैदा करने के लिए जो कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं, वह हम सब लोगों के लिए एक परीक्षा है।

सदस्य की दोषसिद्धि

अध्यक्ष महोदय : जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली से प्र दिनांक 20 मई 1970 के पत्र अनुसार मैं सभा को यह सूचना देता हूं :—कि श्री रामगो झालवाले, सदस्य, लोकसभा को उनके कुछ साथियों के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ताकि उन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के ि मुकद्दमा चलाया जा सके। सदस्य को कानून अनुसार नोटिस दिया गया और उन्होंने अ अपराध स्वीकार किया तथा न्यायालय के दिनांक 20 मई 1970 के आदेशानुसार उन पर उनके साथियों पर दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन दोष सिद्ध हुआ तथा उन्हें न्याया के उठने तक कारावास का दण्ड दिया गया।

लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned sine die.

GIPN--S4—8 Lok Sabha/70—Dated 15-1-71—340

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

20 मई, 1970 । 30 वैशाख, 1892 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
149	नीचे से पंक्ति 9 से पूर्व निम्नलिखित पढ़िये : "श्री प्र.चं. सेठी : महोदय मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।